भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA

2024-25

भारतीय रिज़र्व बैंक
Reserve Bank of India

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुसार
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत
भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2024-25

भारतीय रिज़र्व बैंक

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2025
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400001 के लिए श्री बिनोद बी. भोई द्वारा प्रकाशित और उनके द्वारा जयंत प्रिन्टरी एलएलपी, 352/54, गिरगांव रोड, मुरलीधर टेम्पल कम्पाउन्ड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई - 400 002 में अभिकल्पित और मुद्रित।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

केंका.आनीअवि.बीआरडी.एस808 /13.01.001/2025-26

29 दिसंबर 2025
8 पौष 1947 (शक)

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय सचिव,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट की दो प्रतियां सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

संजय मल्होत्रा

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - 400 001, भारत
फोन : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स : +91 22 2266 1784 ई-मेल : governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax : +91 22 2266 1784 E-mail : governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय I: परिप्रेक्ष्य		
1.	परिचय	1
2.	विनियमन और पर्यवेक्षण	2
3.	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	5
4.	उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाना	6
5.	वित्तीय समावेशन	8
6.	उपभोक्ता संरक्षण	8
7.	जलवायु वित्त	10
8.	समग्र मूल्यांकन	10
अध्याय II: वैश्विक बैंकिंग घटनाक्रम		
1.	परिचय	11
2.	वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थितियाँ	12
3.	वैश्विक बैंकिंग नीति घटनाक्रम	14
4.	वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का कार्य-निष्पादन	19
5.	विश्व के सबसे बड़े बैंक	23
6.	समग्र मूल्यांकन	25
अध्याय III: घरेलू नीतिगत परिवेश		
1.	परिचय	27
2.	समष्टि आर्थिक नीति निर्धारण	28
3.	विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियाँ	29
4.	प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष	39
5.	वित्तीय बाजार	40
6.	उपभोक्ता संरक्षण	42
7.	ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन	42
8.	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	43
9.	समग्र मूल्यांकन	45
अध्याय IV: वाणिज्यिक बैंक		
1.	परिचय	46
2.	तुलन पत्र का विश्लेषण	47
3.	वित्तीय प्रदर्शन	54

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
4.	सुदृढ़ता संकेतक	57
5.	क्षेत्रवार बैंक ऋण : वितरण और अनर्जक आस्तियां	66
6.	स्वामित्व का स्वरूप	74
7.	कॉरपोरेट अभिशासन	75
8.	भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन	76
9.	भुगतान प्रणालियाँ	77
10.	प्रौद्योगिकी अंगीकरण *बॉक्स IV.1: भारतीय बैंकों की विकसित होती प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष प्राथमिकताएँ*	79
11.	उपभोक्ता संरक्षण	79
12.	वित्तीय समावेशन	83
13.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	88
14.	स्थानीय क्षेत्र बैंक	90
15.	लघु वित्त बैंक	91
16.	भुगतान बैंक	92
17.	समग्र मूल्यांकन	93
अध्याय V: सहकारी बैंक		
1.	परिचय	95
2.	सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना	95
3.	शहरी सहकारी बैंक	97
4.	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	105
5.	समग्र मूल्यांकन	115
अध्याय VI: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं		
1	परिचय	117
2	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	118
3	आवास वित्त कंपनियाँ	134
4	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	138
5	प्राथमिक व्यापारी	141
6	समग्र मूल्यांकन	144

सारणियों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में स्टेबलकॉइन के लिए विनियमावली	18
II.2	आस्ति गुणवत्ता	21
II.3	जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में विनियामकीय पूंजी अनुपात	22
IV.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र	47
IV.2	चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल	53
IV.3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय और व्यय में रुझान	55
IV.4	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार	57
IV.5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घटक-वार पूँजी पर्याप्तता	58
IV.6	निजी स्थानन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन	59
IV.7	लीवरेज अनुपात और चलनिधि व्याप्ति अनुपात	59
IV.8	निवल स्थिर निधीयन अनुपात	59
IV.9	बैंक समूह द्वारा अनर्जक आस्तियां	60
IV.10	बैंक समूह द्वारा ऋण आस्तियों का वर्गीकरण	61
IV.11	विभिन्न माध्यमों से वसूला गया एससीबी का एनपीए	62
IV.12	परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रतिभूतीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण	64
IV.13	रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	64
IV.14	घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	65
IV.15	प्रवर्तन कार्रवाइयां	66
IV.16	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन	67
IV.17	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह	70
IV.18	बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	70
IV.19	पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम	72
IV.20	बैंकों के क्षेत्रवार जीएनपीए	72
IV.21	बोर्ड और उसकी समितियों में स्वतंत्र निदेशक	75
IV.22	भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन	76
IV.23	भुगतान प्रणाली संकेतक	78
IV.24	एटीएम की संख्या	79
IV.25	बैंक समूहों के एटीएम का जनसंख्या समूहवार वितरण	79
IV.26	भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन के कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या: श्रेणी-वार	81
IV.27	बैंक समूहवार बीमित जमा	82
IV.28	वित्तीय समावेशन योजना में प्रगति	84

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.29	एससीबी की नई खुली बैंक शाखाओं का टियर-वार वितरण	86
IV.30	ट्रेड्स के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति	88
IV.31	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र	89
IV.32	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	89
IV.33	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उद्देश्य के अनुसार बकाया अग्रिम	91
IV.34	स्थानीय क्षेत्र बैंकों की प्रोफ़ाइल	91
IV.35	स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	91
IV.36	लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन पत्र	92
IV.37	लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	92
IV.38	भुगतान बैंकों का समेकित तुलन पत्र	93
IV.39	भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	93
V.1	शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण	98
V.2	शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र	98
V.3	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश	100
V.4	जमा, अग्रिमों और आस्तियों के आकार के आधार पर यूसीबी का विभाजन	101
V.5	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	101
V.6	यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक	102
V.7	सीआरएआर-वार यूसीबी का विभाजन	102
V.8	यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता	103
V.9	यूसीबी की अनर्जक आस्तियां	104
V.10	यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की संरचना	105
V.11	कृषि के लिए ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी	106
V.12	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की प्रोफाइल	106
V.13	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएँ और आस्तियां	108
V.14	अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन पत्र संकेतक	109
V.15	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	109
V.16	राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	110
V.17	जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की देयताएँ और आस्तियां	111
V.18	जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	111
V.19	जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	112

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
VI.1	स्केल-आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क के तहत कार्य के अनुसार एनबीएफसी का वर्गीकरण	119
VI.2	एनबीएफसी का संघटन	120
VI.3	एनबीएफसी के स्वामित्व का स्वरूप	121
VI.4	एनबीएफसी का संक्षिप्त तुलन पत्र	122
VI.5	वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी की देयताएं और आस्तियों के मुख्य घटक	123
VI.6	एनबीएफसी द्वारा क्षेत्रवार ऋण-अभिनियोजन	124
VI.7	एनबीएफसी के उधार के स्रोत	127
VI.8	एनबीएफसी की विदेशी देयताएं	130
VI.9	एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय मानदंड	131
VI.10	एचएफसी का स्वामित्व पैटर्न	134
VI.11	एचएफसी का समेकित तुलन पत्र	135
VI.12	एचएफसी के वित्तीय मापदंड	137
VI.13	एआईएफआई द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	138
VI.14	एआईएफआई का तुलन पत्र	139
VI.15	2024-25 में एआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन	139
VI.16	एआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन	139
VI.17	एआईएफआई के स्रोत और निधियों का विनियोजन	140
VI.18	एआईएफआई का वित्तीय प्रदर्शन	141
VI.19	एआईएफआई के चुनिंदा वित्तीय मानक	141
VI.20	प्राथमिक बाजार में पीडी का प्रदर्शन	142
VI.21	केंद्रीय सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में एसपीडी का प्रदर्शन	143
VI.22	एसपीडी के निधि के स्रोत और प्रयोग	143
VI.23	एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन	144

चार्ट की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	संवृद्धि और मुद्रास्फीति	12
II.2	मौद्रिक नीति दरें	13
II.3	चालू खाता शेष और सामान्य सरकारी कर्ज	14
II.4	निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण	20
II.5	प्रावधान कवरेज अनुपात	21
II.6	आस्तियों पर प्रतिलाभ	22
II.7	लीवरेज अनुपात	23
II.8	बैंकों की स्थिति के बाज़ार-आधारित संकेतक	24
II.9	टियर I पूंजी के अनुसार शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का संवितरण	24
II.10	शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता	25
II.11	शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की सुदृढ़ता	26
IV.1	एससीबी की चयनित संकलित राशियां	48
IV.2	बैंक समूह-वार तुलन पत्र संघटन	49
IV.3	बैंक जमाराशि वृद्धि और बैंकों की जमा दरों में मौद्रिक संचरण	49
IV.4	बैंक समूह-वार ऋण वृद्धि	50
IV.5	बैंक उधार दरों में मौद्रिक संचरण	50
IV.6	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	51
IV.7	ऋण-जमा वृद्धि में अंतराल	52
IV.8	परिपक्वता समूह-वार आस्तियों एवं देयताओं का अंतराल	52
IV.9	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ और देयताएं	53
IV.10	भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	54
IV.11	बैंकों की तुलनपत्रेतर देयताएं	54
IV.12	लाभप्रदता अनुपात	55
IV.13	निवल ब्याज आय और निवल ब्याज मार्जिन	56
IV.14	प्रावधान कवरेज अनुपात	56
IV.15	बैंक समूह-वार सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात	58
IV.16	सकल अनर्जक आस्तियों में कमी	60
IV.17	संपूर्ण दबाव बनाम बड़े उधार खातों का दबाव	61
IV.18	पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात	62
IV.19	एआरसी को दवाबग्रस्त आस्तियों की बिक्री	63
IV.20	बैंक समूह-वार धोखाधड़ी	65

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.21	परिचालन-वार धोखाधड़ी का क्षेत्र	66
IV.22	भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह	68
IV.23	क्षेत्रवार सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	68
IV.24	विभिन्न उप-क्षेत्रों में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	69
IV.25	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों की व्यापार (ट्रेडिंग) मात्रा	71
IV.26	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र बाजार में क्रेता और विक्रेता	71
IV.27	संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों का एक्सपोजर	73
IV.28	बैंकों के गैर जमानती अग्रिमों का हिस्सा	74
IV.29	बैंकों का स्वामित्व का स्वरूप	74
IV.30	एमडी और सीईओ के कुल पारिश्रमिक के घटक	76
IV.31	भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन	76
IV.32	खुदरा डिजिटल भुगतान के लेनदेन की मात्रा और औसत मूल्य	77
IV.33	डिजिटल भुगतान सूचकांक	78
IV.34	ओआरबीआईओ में प्राप्त शिकायतों का वितरण	81
IV.35	मुख्य शिकायत श्रेणियों का संस्थान प्रकार के अनुसार विभाजन: 2024-25	82
IV.36	चयनित देशों में वित्तीय समावेशन की प्रगति	84
IV.37	आरबीआई-वित्तीय समावेशन सूचकांक	85
IV.38	पीएमजेडीवाई के अंतर्गत प्रगति	85
IV.39	एससीबी की नई खुली बैंक शाखाओं का जनसंख्या समूह के अनुसार वितरण	86
IV.40	बैंकों का क्षेत्रीय व्यापन	87
IV.41	स्वयं-सहायता समूहों को वितरित बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण	87
IV.42	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	90
IV.43	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	90
V.1	ऋण सहकारी समितियों की संरचना	96
V.2	आस्ति के आकार के अनुसार ऋण सहकारी समितियों का विभाजन	96
V.3	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	97
V.4	शहरी सहकारी बैंकों में समेकन अभियान	97
V.5	आस्ति में वृद्धि	99
V.6	जमा और अग्रिम	99
V.7	यूसीबी के ऋण-जमा अनुपात	99
V.8	निवेश वृद्धि	100

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.9	यूसीबी के निवेश का संघटन	100
V.10	लाभप्रदता संकेतक	102
V.11	पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात	103
V.12	प्रावधानीकरण और आस्ति गुणवत्ता	104
V.13	बड़े उधार खातों में दबाव	104
V.14	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार-लक्ष्य और उपलब्धियां	105
V.15	सहकारी क्षेत्रों की कुल आस्तियों में ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी	107
V.16	अल्पावधिक की तुलना में दीर्घावधिक आरसीसी	107
V.17	राज्य सहकारी बैंक के लाभ का क्षेत्रवार वितरण	110
V.18	राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता	110
V.19	एनपीए अनुपात : एसटीसीबी की तुलना में डीसीसीबी	112
V.20	जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की पूंजी पर्याप्तता	113
V.21	दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों की देयताएं और आस्तियों का संघटन	114
VI.1	रिज़र्व बैंक के विनियमन के तहत एनबीएफआई की संरचना	118
VI.2	एससीबी के ऋण और जीडीपी की तुलना में एनबीएफसी के ऋण	120
VI.3	एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र का पंजीकरण और निरसन	121
VI.4	एनबीएफसी के ऋण और अग्रिमों की प्रकृति	122
VI.5	एनबीएफसी के प्राप्य और देय राशियों की परिपक्वता प्रोफाइल	123
VI.6	एनबीएफसी के ऋण का वियोजन	124
VI.7	एमएसएमई क्षेत्र को ऋण	125
VI.8	बैंकों की तुलना में एनबीएफसी द्वारा दिए गए चुनिंदा खुदरा ऋण	125
VI.9	विनियमित संस्थाओं में बकाया सूक्ष्म ऋण	126
VI.10	एनबीएफसी द्वारा उधार के प्रमुख स्रोत	127
VI.11	एनबीएफसी में बैंकों का एक्सपोजर	128
VI.12	एनबीएफसी के उधारों की प्रकृति	128
VI.13	एनबीएफसी-डी के पास जनता की जमाराशियां	129
VI.14	एनबीएफसी द्वारा ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण	129
VI.15	एनबीएफसी की संरचनात्मक चलनिधि विवरणी	130
VI.16	एनबीएफसी के लाभप्रदता अनुपात	131
VI.17	एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता	132
VI.18	एनबीएफसी का क्षेत्रवार जीएनपीए अनुपात	133

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
VI.19	एनबीएफसी का प्रावधान कवरेज अनुपात	133
VI.20	एनबीएफसी का सीआरएआर	134
VI.21	संवेदनशील क्षेत्रों में एनबीएफसी का एक्सपोज़र	134
VI.22	एचएफसी, एससीबी और एनबीएफसी द्वारा आवासीय क्षेत्र को प्रदत ऋण	135
VI.23	एचएफसी द्वारा जुटाए गए संसाधन	136
VI.24	एचएफसी की जनता की जमाराशियों का वितरण	136
VI.25	लेयर के अनुसार एचएफसी की आस्ति गुणवत्ता	137
VI.26	एचएफसी की पूंजी पर्याप्तता	137
VI.27	आस्ति आकार के अनुसार एआईएफआई का वितरण	138
VI.28	एआईएफआई के माध्यम से जुटाए गए रुपये स्रोतों की भारित औसत लागत एवं परिपक्वता (प्रतिशत)	140
VI.29	चुनिंदा एआईएफआई की दीर्घावधि मूल उधार दर संरचना	140
VI.30	एआईएफआई की औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	141
VI.31	एआईएफआई के सुदृढ़ता संकेतक	142
VI.32	पीडी के हामीदारी कमीशन की औसत दर	143
VI.33	एसपीडी की पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों की स्थिति	144

परिशिष्ट सारणियों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.1	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक दृष्टि में	145
IV.2	भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - लिखतों के प्रकार के आधार पर	146
IV.3	भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - लिखतों के प्रकार के आधार पर	147
IV.4	भारत के अलावा अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	148
IV.5	बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे: अवशिष्ट परिपक्वता और क्षेत्र	149
IV.6	भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	150
IV.7	रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	151
IV.8	किसान क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य-वार प्रगति	154
IV.9	संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार	156
IV.10	घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप	157
IV.11	भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन	159
IV.12	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम	160
IV.13	सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति	163
IV.14	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य वित्तीय संकेतक: राज्य-वार	164
IV.15	आरआरबी - पीएसएल लक्ष्य और उपलब्धि - 2024-25	166
V.1	वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक: अनुसूचित यूसीबी	167
V.2	चुनिंदा वित्तीय मापदंड: अनुसूचित यूसीबी	169
V.3	राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक	170
V.4	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक	171
V.5	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों और उधारकर्ताओं का विवरण	172
V.6	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	173
V.7	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार	174
V.8	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	176
V.9	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	177
V.10	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	178
V.11	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय संकेतक-राज्य-वार	179

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.12	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	180
V.13	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	181
V.14	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	182
V.15	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतक	183
VI.1	एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र	184
VI.2	एनबीएफसी-यूएल का समेकित तुलन पत्र	185
VI.3	एनबीएफसी-एमएल का समेकित तुलन पत्र	186
VI.4	एनबीएफसी-डी की समेकित तुलन पत्र	187
VI.5	एनबीएफसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण	188
VI.6	एनबीएफसी-यूएल का वित्तीय प्रदर्शन	189
VI.7	एनबीएफसी-एमएल का वित्तीय प्रदर्शन	190
VI.8	वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	191
VI.9	एकल प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय प्रदर्शन	195
VI.10	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिन्दा वित्तीय संकेतक	196

चुनिन्दा संक्षेपाक्षरों की सूची

एए	अकाउंट एग्रीगेटर
एएसी	पण्य के बदले अग्रिम
एसीबी	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
एडी	प्राधिकृत व्यापारी
एईपीएस	आधार सक्षम भुगतान प्रणाली
एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ
एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआईडी	सर्व-समावेशी निदेश
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधियाँ
एएमएल	धन-शोधन निवारण
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक क्रेडिट
एपीबीएस	आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एटीओ	एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटर
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीसी-आईसीटी	कारोबार प्रतिनिधि- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
बीसी	कारोबार प्रतिनिधि
भीम	भारत मुद्रा इंटरफेस
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीपीएस	आधार अंक
बीएसबीडीए	सामान्य बचत बैंक जमा खाते
बीएसई	बंबई शेयर बाजार
सीएबी	चालू खाता शेष
कासा	चालू खाता और बचत खाता
सीबीडीसी	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसीबी	पूंजी संरक्षण बफर
सीसीआर	प्रतिपक्ष ऋण जोखिम
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीडी	ऋण-जमा
सीडीएस	ऋण चूक स्वैप
सीईएम	चालू एक्सपोजर पद्धति
सीईओबीएसई	तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के समकक्ष ऋण
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण
सीईपीसी	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष
सीईपीडी	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
सीईटी1	साझा इक्विटी स्तर 1
सीएफएल	वित्तीय साक्षरता केंद्र
सीआईसी	साख सूचना कंपनियाँ
सीआई	ऋण संस्थाएं
सीआईएसबीआई	बैंकिंग अवसंरचना के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली
सीएलए	सह-उधार व्यवस्थाएं
सीएमबी	नकद प्रबंधन बिल
सीएमई	पूंजी बाजार एक्सपोजर
सीएमएस	शिकायत प्रबंध प्रणाली
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरई	व्यावसायिक स्थावर संपदा
सीआरआईएलसी	बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार
सीआरएम	ऋण जोखिम शमन
सीआरपीसी	केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीटीएस	चेक ट्रंकेशन सिस्टम
सीवीए	ऋण मूल्यांकन समायोजन
डीबीआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

डीडी	माँग ड्राफ्ट
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईपी	डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म
डीओटी	दूर संचार विभाग
डीपीआई	डिजिटल लोक अवसंरचना
डीपीआईपी	डिजिटल भुगतान आसूचना प्लेटफॉर्म
डीआरटी	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
ईबीटी	इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण
ईसीबी	यूरोपियन सेंट्रल बैंक
ईसीबीए	व्यापार प्राधिकरण के लिए पात्रता मानदंड
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीजीसी	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम
ईसीएल	अपेक्षित ऋण हानि
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईएमडीई	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ईएमआई	समीकृत मासिक किस्तें
ईआरपी	उद्यम संसाधन आयोजना
ईटीएफ	एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड
ईयू	यूरोपीय संघ
एक्ज़िम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
एफबी	विदेशी बैंक
एफआई	वित्तीय समावेशन
एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
एफआईआरई	घटना रिपोर्टिंग एक्सचेंज के लिए प्रारूप
एफआई	वित्तीय संस्थाएं
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक
फ्री-एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उत्तरदायी और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा
एफएसबी	वित्तीय साक्षरता बोर्ड
एफएसडबल्यूएम	वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित
जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड्स
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएनआईयूएस एक्ट	गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यू.एस. स्टेबलकॉइन्स एक्ट
जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
जीएमएल	स्वर्ण धातु ऋण
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियाँ
जी-सेक	सरकारी प्रतिभूतियाँ
एचएफसी	आवास वित्त कंपनियाँ
एचएचआई	हर्फ़िंडाल-हिर्शमैन इंडेक्स
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियाँ
आईएसी	स्वतंत्र सलाहकार समिति
आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईडीआर	बीमाकृत जमा अनुपात
आईएफआर	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
आईएफएससी	भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट
आईआईएस	प्रतिभूतियों में निवेश
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमपीएस	तत्काल भुगतान सेवा
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईओ	आंतरिक ओम्बड्समैन
आईएस	सूचना प्रणालियाँ
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीई	अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र
आईडबल्यूजी	आंतरिक कार्यदल
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड्स
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा

एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एलईएफ	लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क
एलएसपी	उधार सेवा प्रदाता
एलटीवी	ऋण-से-मूल्य
एमएएस	मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर
एमडी	प्रबंध निदेशकगण
एमएफआईएन	सूक्ष्मवित्त उद्योग नेटवर्क
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमएफ	पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड)
एमआईसीए	क्रिप्टो-आस्तियों में बाजार
एमएल	मशीन लर्निंग
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमपीएफआई	वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी
एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीएफआईडी	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक
एनएसीएच	राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनएएफएससीओबी	राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ
एनबीएफसी-एए	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- अकाउंट एग्रीगेटर
एनबीएफसी-बीएल	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - बेस लेयर
एनबीएफसी-सीआईसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - कोर निवेश कंपनी
एनबीएफसी-आईसीसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - निवेश और क्रेडिट कंपनी
एनबीएफसी-आईडीएफ	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अवसंरचना ऋण वित्त
एनबीएफसी-आईएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अवसंरचना वित्त कंपनी
एनबीएफसी-एमएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्त संस्थान
एनबीएफसी-एमजीसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - बंधक गारंटी कंपनी
एनबीएफसी-एमएल	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - मिडिल लेयर
एनबीएफसी-	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- गैर-परिचालन
एनओएफएचसी	वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
एनबीएफसी-डी	जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी
एनबीएफसी-पी2पी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर
एनबीएफसी-यूएल	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अपर लेयर
एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं
एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
एनसीएफई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनडीटीएल	निवल माँग और मीयादी देयताएं
एनडीएस-ओएम	तयशुदा लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मिलान
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनईटीसी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
एनएफबी	गैर-निधि आधारित
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनएनपीए	निवल अनर्जक आस्तियाँ
एनपीए	अनर्जक आस्ति
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीएल	अनर्जक ऋण
एनआरसी	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
एनआरओ	अनिवासी साधारण
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार

एनएसएफआई	वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधीयन अनुपात
ओडी	ओवरड्राफ्ट
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएमओ	खुले बाजार के परिचालन
ओआरबीआईओ	भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन के कार्यालय
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड
ओटीएस	एकबारगी निपटान
पी2एम	पीयर-टू-मर्चेंट
पीए	भुगतान समाहर्ता
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ
पीबी	भुगतान बैंक
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीसीई	आंशिक ऋण वृद्धि
पीसीआर	प्रावधान कवरेज अनुपात
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीएफई	संभावित भविष्य एक्सपोजर
पीएफआई	सरकारी वित्तीय संस्थाएं
पीएलआर	मूल उधार दर
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीपीआई	प्रीपेड भुगतान लिखत
प्रवाह	विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएल	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार
पीएसएलसी	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक
पीडबल्यूडी	दिव्यांग व्यक्ति
क्यूए	अहर्ता आस्ति
क्यूआर	क्विक रेस्पोंस
आरबी-सीआरआईएस	रिज़र्व बैंक- जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआई-डीपीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक- डिजिटल भुगतान सूचकांक
आरबी-आईओएस	रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना
आरसीबी	ग्रामीण सहकारी बैंक
आरसीसी	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियाँ
आरईई	रियल एस्टेट एक्सपोज़र
आरई	विनियमित संस्थाएं
आरएमसीबी	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसए	पुनर्रचित मानक अग्रिम
आरसेटी	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान
एसए-सीसीआर	प्रतिपक्षी ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण
सरफेसी	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडीएफ	स्थायी जमा सुविधा
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसएफबी	लघु वित्त बैंक
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचजी-बीएलपी	स्वयं सहायता समूह- बैंक सहबद्धता कार्यक्रम
एसआईबीसी	क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण

सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमए	विशेष उल्लेख खाते
एसएमएफ	छोटे और सीमांत किसान
एसएमएस	शॉर्ट मैसेज सर्विस
एसओपी	मानक परिचालन प्रक्रिया
एसपीडी	एकल प्राथमिक व्यापारी
एसआरओ	स्व-विनियामक संगठन
एसएसई	साझा सेवा इकाई
एसएसई	संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोज़र
एसएसपीएल	सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
टी-बिल	ट्रेजरी बिल
ट्राई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
ट्रेड्स	व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली
टीआरईपी	त्रिपक्षीय रेपो
यूएई	संयुक्त अरब अमीरात
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूएलआई	एकीकृत ऋण इंटरफेस
यूएमआई	एकीकृत बाजार इंटरफेस
यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वी-सीआईपी	वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया
वीआरआर	परिवर्तनीय दर रेपो
वीआरआरआर	परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो
डबल्यूएसीआर	भारित औसत माँग दर
डबल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
वाई-ओ-वाई/व.द.व.	वर्ष-दर-वर्ष

I परिप्रेक्ष्य

भारतीय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली संवृद्धि और वित्तीय समावेशन के लिए मजबूत और सहायक बनी रही। कारोबार सुगमता को बढ़ावा देते हुए बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करने के लिए विनियमों और समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों को संरेखित किया जा रहा है। आगे, एक समुत्थानशील वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण द्वारा समर्थित स्थिरता के साथ नवोन्मेष को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा।

परिचय

I.1 भले ही बढ़ी हुई अनिश्चितता के बीच संभावनाएं अस्पष्ट हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उन आघातों के प्रति अच्छी सुदृढ़ता प्रदर्शित की जो 2025 की शुरुआत में काफी हद तक प्रत्याशित नहीं थे।[1] कई प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर स्थित रही है, हालांकि वैश्विक मुद्रास्फीति की संभावना सौम्य बनी हुई है। केंद्रीय बैंक, बदलती हुई संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता से होकर गुजरते समय सावधानी बरत रहे हैं। वित्तीय बाजार अस्थिर हैं, जबकि जोखिमपूर्ण-आस्ति मूल्यांकन वैश्विक संवृद्धि को धीमा बनाए हुए प्रतीत होता है।[2] फिर भी, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली मजबूत पूंजी बफर और लाभप्रदता के बदौलत सुदृढ़ बनी रही। हालांकि मौद्रिक नीति निर्माता, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की बढ़ती भूमिका और वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में बैंकों के साथ उनके जटिल संबंधों को देखते हुए वित्तीय प्रणाली में परस्पर जुड़ाव से संबंधित चिंताओं के प्रति चौकस रहते हैं।

I.2 तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत वृद्धि दर्ज की, और निकट अवधि के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति कई वर्ष के निचले स्तर पर आकर नरम हो गई है।[3] मौद्रिक नीति तटस्थ रुख के साथ जारी रही, 2025 की पहली छमाही में 100 बीपीएस की कटौती के बाद नीति दर में 5 दिसंबर 2025 को 25 आधार अंक (बीपीएस) की कमी की गई। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत तुलन पत्र, निरंतर लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार और उच्च पूंजी बफर के आधार पर सुदृढ़ बना रहा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भी दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और सहज पूंजी बफर के सहयोग से मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। मजबूत समष्टि-वित्त आर्थिक आधार और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता के बदौलत, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने, और बढ़ती अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋण प्रवाह में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए। वित्तीय समावेशन, जिम्मेदार वित्तीय नवोन्मेषों और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रहे।

I.3 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली के लिए प्रमुख चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करता है।

---

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक (2025)। गवर्नर का वक्तव्य, 1 अक्तूबर।

[2] अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2025)। *वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट*, अक्तूबर।

[3] आर्थिक समुत्थानशीलता के लिए नीतिगत ढांचा: उभरते बाजारों और भारत का मामला, 29 अक्तूबर, 2025 को बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट, मुंबई में डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा किया गया संबोधन।

खंड 2 उभरते हुए विनियमन और पर्यवेक्षण पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसके बाद खंड 3 में भुगतान और निपटान परितंत्र से संबंधित घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने के कारण उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की पड़ताल करता है। बाद के खंड में प्रमुख विषयगत क्षेत्रों - वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण और जलवायु-वित्त – की चर्चा की गई है जो समावेशी विकास और प्रणालीगत सुदृढ़ता के लिए प्रासंगिक हैं। अध्याय का समापन खंड 8 में प्रस्तुत समग्र मूल्यांकन के साथ किया गया है।

2. विनियमन और पर्यवेक्षण

1.4 रिज़र्व बैंक के विनियामक प्रयास अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ नियमों को संरेखित करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुकूल दक्षता और स्थिरता को संतुलित करना रहा है। विनियामक ढांचा पांच सिद्धांतों - आनुपातिकता, परामर्श, साक्ष्य-संचालित, सिद्धांत-आधारित और चौकसी पर आधारित है।[4] वित्तीय प्रणाली के विकास और इसके विनियामक ढांचे का परिणाम कई वर्षों के परिपत्र और निदेश हैं। विनियामक निदेशों की स्पष्टता और प्रयोज्यता को बढ़ाने, अनुपालन लागत को कम करने और इस तरह सुविधा और व्यापार सुगमता में सुधार करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने विनियमन विभाग से संबंधित 9,000 से अधिक मौजूदा परिपत्रों/ दिशानिर्देशों को 244[5] कार्य-वार मास्टर निदेशों में समेकित किया, जो 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विशिष्ट हैं। अब अन्य विभागों के परिपत्रों और निदेशों को समेकित करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा, विनियामक प्रक्रिया को परामर्शात्मक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक के भीतर एक विनियामक समीक्षा प्रकोष्ठ (1 अक्तूबर 2025 से प्रभावी) चालू किया गया है। यह प्रकोष्ठ प्रत्येक विनियमन की वस्तुनिष्ठ तरीके से व्यापक समीक्षा भी करेगा और उद्योग के फीडबैक की आवधिक समीक्षा करेगा। रिज़र्व बैंक ने अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) के लिए बृहत् पर्यवेक्षी मैनुअल निर्मित किया है।

आश्वासन कार्यों पर दिशानिर्देश

1.5 रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के लिए आश्वासन कार्यों (अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा) पर दिशानिर्देशों को समेकित करने और सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम

1.6 भारत में, प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम पूंजी प्रभार की गणना वर्तमान एक्सपोजर विधि (सीईएम) का उपयोग करके की जाती है। हालांकि सीईएम, मार्जिन वाले और बिना मार्जिन वाले लेनदेन के बीच पर्याप्त रूप से अंतर नहीं कर पाता है और इस तरह संपार्श्विक और नेटिंग के जोखिम-शमन प्रभाव को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता है। वर्तमान में, बेसल III ढांचे के तहत प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (एसए-सीसीआर) के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, जो एक अधिक जोखिम-संवेदी विधि है, के साथ अनुकूलन हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है।

क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन ढांचा

1.7 क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) जोखिम, प्रतिपक्ष की क्रेडिट योग्यता में गिरावट के कारण, डेरिवेटिव और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन पर मार्क-टू-मार्केट हानि से उत्पन्न होता है। बेसल III ढांचे में संशोधन के परिणामस्वरूप, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी सीवीए ढांचे में सुधार को प्रतिबिंबित करने के लिए, 2012 में जारी सीवीए पर वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा

[4] एफआईबीएसी 2025 सम्मेलन, मुंबई में 25 अगस्त, 2025 को श्री संजय मल्होत्रा का उद्घाटन भाषण।

[5] डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण पर सात नए मास्टर निर्देश शामिल हैं।

रही है। संशोधित सीवीए ढांचा सीवीए हेज की पात्रता और उनकी पहचान की सीमा पर बारीक दृष्टिकोण प्रदान करता है, और क्षेत्र और क्रेडिट गुणवत्ता के आधार पर प्रतिपक्षों के लिए पर्यवेक्षी जोखिम भार पर अधिक संवेदी ढांचा पेश करता है।

पूंजी बाजार एक्सपोजर

I.8 विनियमित संस्थाओं के पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) को, ऐसे एक्सपोजर में शामिल अपेक्षाकृत उच्च जोखिम को देखते हुए, विभिन्न विवेकपूर्ण विनियमों के अधीन किया गया है। रिज़र्व बैंक ने, उभरती बाजार प्रथाओं के साथ दिशानिर्देशों को संरेखित करने और भारतीय कॉरपोरेट द्वारा अधिग्रहण के लिए बैंक वित्त सहित सीएमई के बैंक वित्तपोषण हेतु अधिक सक्षम ढांचा प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार एक्सपोजर पर मसौदा निदेश जारी किए। प्रस्तावित उपायों से विवेकपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और घरेलू बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि

1.9 वर्तमान हानि, प्रचक्रीयता की संभावित वृद्धि के कारण विलंबित दबाव पहचान में प्रावधान के परिणामों की ओर संकेत करता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को, पूंजी प्रभाव को सुचारू करने के लिए पांच वर्ष की संक्रमणकालीन व्यवस्था के साथ, 1 अप्रैल 2027 से प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) आधारित ढांचे में स्थानांतरित होने का प्रस्ताव रखा। यह जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने, ऋण के मूल्य निर्धारण में सुधार, बैंकों के वित्तीय विवरणियों की पारदर्शिता और तुलनीयता को बढ़ाने और क्रेडिट उत्पत्ति में अनुशासन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

क्रेडिट जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार

1.10 रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2025 को बेसल III मानकों के तहत क्रेडिट जोखिम-मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए पूंजी प्रभार पर मसौदा निदेश जारी किए। बेसल II मानकों के तहत मौजूदा मानदंडों की तुलना में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) कॉर्पोरेट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्थावर संपदा में एक्सपोजर के लिए सूक्ष्म जोखिम भार उपाय; (ii) विनियामकीय खुदरा श्रेणी के तहत 'लेनदेनकर्ताओं'[6] को शामिल करना; (iii) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की गणना हेतु क्रेडिट रूपांतरण कारकों में संशोधन; और (iv) प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए, ग्रेड-वार डिफ़ॉल्ट इतिहास और बैंकों द्वारा समुचित सावधानी के आधार पर बाहरी रेटिंग वाले ऋणों पर लागू जोखिम भार के लिए उपयुक्त समायोजन। ये संशोधन बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता में सुधार लाने और विनियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने में मदद करेंगे।

संबंधित पक्षों को उधार देना

1.11 रिज़र्व बैंक ने मौजूदा प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 3 अक्तूबर 2025 को एक सिद्धांत-आधारित संबंधित-पक्ष उधार मसौदा ढांचा जारी किया। मसौदा ढांचे में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में, स्केल-आधारित तथ्यात्मकता सीमा की शुरूआत शामिल है, जिसके आगे आरई के संबंधित पक्षों को उधार देने के लिए बोर्ड या उसकी समिति के अनुमोदन और संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन पर उपयुक्त पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की जरूरत होगी।

निवेश अस्थिरता आरक्षित निधि की समीक्षा

1.12 बैंकों को, निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के विरुद्ध अतिरिक्त बफर प्रदान करने के लिए, एक निवेश अस्थिरता आरक्षित निधि (आईएफआर) बनाए रखना आवश्यक है।

[6] ट्रांज़ैक्टर का तात्पर्य क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड जैसी सुविधाओं के संबंध में देनदार हैं, जहाँ पिछले 12 महीनों में हर तय पुनर्भुगतान की तारीख को बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

आईएफआर को बनाए रखने में बैंकों के सामने आने वाली कुछ परिचालनगत बाधाओं को दूर करने के लिए आईएफआर पर मौजूदा निर्देशों की व्यापक समीक्षा चल रही है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1.13 रिज़र्व बैंक, सतत संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता के लिए एनबीएफसी के विनियमन और पर्यवेक्षण के सामंजस्य के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और अभिशासन मानकों को मजबूत करने हेतु कई उपाय कर रहा है।[7]

1.14 एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन ढांचा, उन एनबीएफसी के लिए अंतर-विनियामकीय उपचार की परिकल्पना करता है, जो जनता की निधियों का लाभ नहीं उठा रहे हैं और जिनका ग्राहक इंटरफेस नहीं है। इस पहल के लिए मौजूदा नियमों की समीक्षा चल रही है। इसके अलावा, एनबीएफसी द्वारा वास्तविक जोखिम विशेषताओं के साथ अवसंरचना के उधार के लिए जोखिम भार को संरेखित करने और अवसंरचना के वित्तपोषण की लागत को इष्टतम बनाने की दृष्टि से, एक सिद्धांत-आधारित ढांचा पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में, बेहतर जोखिम मूल्यांकन और पूंजी आबंटन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परामर्श हेतु एक मसौदा ढांचा जारी किया गया है।

ऋण या निवेश संकेंद्रण मानदंड - सरकारी एनबीएफसी

1.15 जनवरी 2024 में जारी एक मसौदा परिपत्र में सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी की प्रत्येक श्रेणी पर लागू क्रेडिट संकेंद्रण मानदंडों का विस्तार करने और उन्हें दी गई किसी भी मौजूदा व्यवस्था को वापस लेने का प्रस्ताव है। सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा उल्लंघनों (breaches) को परिपक्वता तक चलाने की अनुमति दी जाएगी। रिज़र्व बैंक वर्तमान में इस मामले पर अंतिम परिपत्र जारी करने की प्रक्रिया में है।

सहकारी बैंक

1.16 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन मजबूत अभिशासन, पेशेवर प्रबंधन, समय पर निगरानी और सुदृढ़ता के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता है।[8] नए यूसीबी के लाइसेंस को 2004 से रोक दिया गया है। हाल की अवधि में इस क्षेत्र में सकारात्मक घटनाक्रम की पहचान करते हुए, रिज़र्व बैंक ने नए यूसीबी के लाइसेंस पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया है।

1.17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के ग्राहकों को उपलब्ध वित्तीय उत्पादों के समुच्चय का विस्तार करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए, आरआरबी, यूसीबी और आरसीबी के लिए दिशानिर्देशों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, इन संस्थानों के लिए पैराबैंकिंग गतिविधियों पर निदेशों को सरल बनाने और अद्यतन करने के लिए एक व्यापक मसौदा नीति प्रस्तावित है।

मुख्य जोखिम अधिकारी

1.18 वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति पर सामंजस्यपूर्ण निदेश प्रक्रियाधीन हैं।

नेट ओपन पोजीशन

1.19 विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना, स्वर्ण सहित विदेशी मुद्रा में एक विनियमित इकाई की नेट ओपन पोजीशन के संदर्भ में की जाती है। आरई की विभिन्न श्रेणियों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अधिक संरेखण और सुसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है।

---

[7] साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी - एनबीएफसी को मजबूत करना, चेन्नई में आयोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सम्मेलन में 28 मार्च, 2025 को श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण।

[8] एक साथ काम करना, मजबूत हो रहा है: एक समुत्थानशील यूसीबी क्षेत्र के लिए जिम्मेदार शासन, शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए संगोष्ठी, सीएबी, पुणे में 11 जुलाई, 2025 को श्री स्वामीनाथन जे. का समापन भाषण।

नागरिक और विनियामक सेवाएं

1.20 रिज़र्व बैंक का संशोधित नागरिक चार्टर 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ, जो अपनी सेवा वितरण में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई है। चार्टर में अब 204 सेवाएं हैं और उनकी समयसीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है। सभी विनियामक सेवाएं, 'प्रवाह' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। यह आरई और व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन को डिजीटाइज करने के साथ-साथ उनसे प्राप्त अनुरोध और संदर्भ को संसाधित करने के लिए एक सुरक्षित, केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल है।

3. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

डिजिटल भुगतान

1.21 रिज़र्व बैंक ने उभरते जोखिमों से प्रणाली की सुरक्षा करते हुए वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए फिनटेक और पारितंत्र[9] के लिए एक सॉफ्ट-टच विनियमन दृष्टिकोण अपनाया। अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से समावेशी बनाने के लिए भी विभिन्न उपाय किए गए। मार्च 2025 के अंत में, 15 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के 514 जिलों को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सक्षम किया गया, जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास कम से कम एक डिजिटल भुगतान मोड तक पहुंच थी।[10] हर वर्ष मार्च में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए डिजिटल भुगतान तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, सभी सिस्टम प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा जारी सुगम्यता मानकों के अनुरूप अपनी भुगतान प्रणालियों/उपकरणों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली तक पहुंच का विस्तार

1.22 बड़ी मात्रा और/या उच्च मूल्य के भुगतान लेनदेन में लगी गैर-बैंक संस्थाओं की अतिरिक्त श्रेणियों के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों जैसे तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के लिए प्रत्यक्ष सदस्यता प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। इससे निपटान की समयसीमा कम होने, संकेंद्रण जोखिमों को कम करने और अधिक प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सीमा पार भुगतान दक्षता को आगे बढ़ाना

1.23 रिज़र्व बैंक ने हाल ही में सीमा पार आवक भुगतान की दक्षता बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा प्रकाशित किया है। आंतरिक कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करके, भुगतान सूचना प्रोटोकॉल को मानकीकृत करके, और लगभग तत्काल निपटान तंत्र को अपनाकर, दिशानिर्देशों से प्रतिनिधि बैंकिंग चैनल के माध्यम से सीमा पार आवक भुगतान में देरी को संबोधित करने की उम्मीद है।

भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण

1.24 रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से भारतीय भुगतान लिखतों की वैश्विक स्वीकृति को बढ़ावा देने और विस्तारित करने के उपायों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सीमा पार व्यापारी (पी2एम) भुगतानों के लिए क्यूआर-आधारित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) स्वीकृति को सक्षम करना; सीमा पार विप्रेषण की सुविधा के लिए यूपीआई को अन्य देशों में तेजी से भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ना; और इसी तरह की त्वरित भुगतान प्रणाली और घरेलू कार्ड योजना के विकास के लिए अन्य देशों में यूपीआई और रुपे प्रौद्योगिकी स्टैक की पेशकश करना शामिल है।

---

[9] 10 मार्च 2025 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के उद्घाटन के अवसर पर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन।

[10] वित्तीय समावेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाना- एक विनियामकीय परिप्रेक्ष्य, 09 जून 2025 को मुंबई में वित्तीय समावेशन के लिए आयोजित एचएसबीसी के कार्यक्रम में श्री एम. राजेश्वर राव का संबोधन।

रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण[11]

1.25 रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव रखा। सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए, अधिकृत डीलर (एडी), बैंकों को भूटान, नेपाल और श्रीलंका के अनिवासियों को रुपये का ऋण देने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने आईएनआर आधारित लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के लिए पारदर्शी संदर्भ दरें स्थापित करने का प्रस्ताव किया। विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते की शेष राशि को कॉर्पोरेट बॉण्ड और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश के लिए पात्र बनाया गया है।

4. उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाना

1.26 तकनीकी नवोन्मेष वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को नया आकार दे रहा है। समय के साथ, वित्त में प्रौद्योगिकी की भूमिका परिचालन दक्षता में सुधार से पहले मैनुअल, खंडित प्रक्रियाओं को स्वचालित और केंद्रीकृत करने और ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के तरीके को तेजी से नया आकार देने की और स्थानांतरित हो गई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) तेजी से वित्तीय नवाचारों के लिए नींव प्रदान कर रहा है[12] और समावेशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिनटेक वित्तीय नवाचारों को आगे बढ़ा रहा है और डिजिटल विभाजन को पाटने के साथ-साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। रिज़र्व बैंक नवोन्मेष को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम विनियामक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। 'हार्बिंगर' पहल के माध्यम से, रिजर्व बैंक घरेलू और वैश्विक बाजारों के व्यक्तियों और संस्थाओं को समस्या विवरण के माध्यम से निर्दिष्ट क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है ।

एकीकृत ऋण इंटरफेस

I.27 एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) विविध आंकड़ा स्रोतों से सूचना तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे यह ऋण देने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डीपीआई के रूप में स्थापित हो जाता है। यह मानकीकृत, प्रोटोकॉल-आधारित, संरचना और ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) ढ़ाचें के माध्यम से वित्तीय सेवा प्रदाताओं और कई आंकड़ा प्रदाताओं को एक साथ लाता है। प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर काम करते हुए, यूएलआई उधारदाताओं और आंकड़ा प्रदाताओं के बीच जटिल वन-टू-वन एकीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे उधारदाताओं को प्लेटफ़ॉर्म से एक बार जुड़ने और कुशल ऋण मूल्यांकन तथा निर्णय लेने के लिए आवश्यक आंकड़ा की एक विस्तृत शृंखला तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ई-केसीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूएलआई जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और आरआरबी के ग्राहकों तक भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। 12 दिसंबर 2025 तक यूएलआई से 41 बैंकों और 23 एनबीसीएफसी सहित 64 ऋणदाता जुड़े हुए हैं। ये ऋणदाता 12 विभिन्न प्रकार की ऋण यात्राओं[13] के लिए यूएलआई के माध्यम से 136 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमाणीकरण और सत्यापन सेवाएं, आठ राज्यों से भूमि रिकॉर्ड डेटा, उपग्रह सेवा, लिप्यंतरण, संपत्ति खोज सेवाएं, डेयरी अंतर्दृष्टि और ऋण गारंटी शामिल हैं। कुशल ऋण मूल्यांकन और निर्णय सक्षमता के लिए अतिरिक्त डेटा सेवाओं और डेटा स्रोतों को प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जा रहा है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

I.28 भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी), डिजिटल रुपया (ई₹), विशिष्ट उपयोग के मामलों के साथ एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित हो रही है। सीबीडीसी-

[11] भारतीय रिज़र्व बैंक (2025). विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 1 अक्तूबर.

[12] परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां और बैंकिंग: प्रमुख मुद्दे, श्री टी. रबी शंकर द्वारा मुंबई में 7 नवंबर, 2025 को 12वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव - 2025 में दिया गया मुख्य भाषण।

[13] किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल मवेशी, एमएसएमई (गैर-जमानती), आवास, व्यक्तिगत, ट्रैक्टर, सूक्ष्म व्यवसाय, वाहन, डिजिटल गोल्ड, ई-मुद्रा, पेंशन और डेयरी रखरखाव ऋण।

रिटेल में, राज्य सरकारों की विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के तहत कई पायलट परियोजना का परीक्षण किया गया। व्यक्तियों के लिए, चुनिंदा बैंकों के साथ उपयोगकर्ता स्तर की प्रोग्रामेबिलिटी शुरू की गई, जो व्यक्तियों को प्रोग्राम की गई डिजिटल मुद्रा को अन्य व्यक्तियों को अंतरित करने में सक्षम बनाएगी। सीमा पार के क्षेत्र के संबंध में, रिज़र्व बैंक ने यूएई और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय रूप से बातचीत की और हाल ही में बीआईएस इनोवेशन हब के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय परियोजनाओं में भी शामिल हुआ।

फिनटेक क्षेत्र

I.29 रिज़र्व बैंक फिनटेक क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, 2024-25 में लगभग 500 परस्पर वार्तालाप कार्यक्रम किए गए। इसके अतिरिक्त, फिनटरेक्ट और फिनक्वायरी जैसे संरचित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नव प्रवर्तकों और उद्यमियों के साथ नियमित रूप से चर्चाएं भी होती रहती है। 2024-25 के दौरान, फिनटेरैक्ट के 12 संस्करण और फिनक्वायरी के 10 संस्करण आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 1,100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। रिज़र्व बैंक ने फिनटेक क्षेत्र के लिए अधिक जानकारी पूर्ण और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सक्षम बनाने के लिए गतिविधियों, उत्पादों और प्रौद्योगिकी स्टैक पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने हेतु एक फिनटेक रिपॉजिटरी भी स्थापित की है। फिनटेक क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 2024 में इस क्षेत्र में एक स्व-विनियामकीय संस्था (एसआरओ) को मान्यता प्रदान की ताकि फिनटेक कंपनियां बुनियादी अभिशासन मानकों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ काम कर सकें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

I.30 वित्तीय क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वैकल्पिक आंकड़ा का उपयोग करके ऋण जोखिम मूल्यांकन और स्कोरिंग को बढ़ा सकती है, जिससे उधारदाताओं को उन ग्राहकों को ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सकता है जिनके पास पारंपरिक क्रेडिट इतिहास[14] नहीं है। निरंतर अद्यतन से, एआई वास्तविक समय में धोखाधड़ी और फर्जी खातों का पता लगाने में सुधार कर सकता है, साथ ही उधारकर्ताओं की जरूरतों और वित्तीय प्रवाह के अनुरूप अति-व्यक्तिगत ऋण समाधान प्रदान कर सकता है। एआई के माध्यम से ऋण मूल्यांकन और केवाईसी का स्वचालन लागत को कम करता है, वितरण में तेजी लाता है और दूरस्थ क्षेत्रों में छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। इसी तरह, शिकायत निवारण प्रक्रिया में एआई को एकीकृत करने से - शिकायत दर्ज करने से लेकर निपटान करने तक - के परिणामस्वरूप एक सहज, कुशल और डेटा-संचालित प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जिससे कार्य-निपटान समय कम हो सकता है।

I.31 तथापि, एआई में कई वृद्धिशील जोखिम शामिल हैं, जैसे मॉडल की व्याख्या में कमी, डेटा/अवधारणा में विचलन, स्वचालन के प्रति अत्यधिक संतुष्टि और एआई की निगरानी में कौशल की कमी, जिससे प्रणालीगत त्रुटियां या ऋण मूल्यांकन में त्रुटियां हो सकती हैं। अनुसंधान एजेंसियों को डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथ्म पूर्वग्रह और नैतिक विचारों जैसी चुनौतियों के प्रति सचेत रहना चाहिए।[15]

I.32 इन चुनौतियों को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक का लक्ष्य एक ऐसा परितंत्र विकसित करना है जिसमें प्रणालीगत स्थिरता से समझौता किए बिना वित्तीय नवोन्मेष फलता-फूलता रहे। ऋण, परिचालन और अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों में आरई द्वारा मॉडलों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, और वित्तीय क्षेत्र में एआई को जिम्मेदार और नैतिक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सभी मॉडलों पर लागू होने वाली एक व्यापक मॉडल जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव दिया है और दिसंबर 2024 में फ्री-एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए ढांचा)

---

[14] नवोन्मेष और विवेक को संतुलित करना - भारत के वित्तीय भविष्य में एआई की भूमिका, श्री एम. राजेश्वर राव का मुख्य भाषण, सीएनबीसी-टीवी18 बैंकिंग रूपांतरण सम्मेलन, मुंबई के तीसरे संस्करण में, 16 सितंबर, 2025।

[15] शिकायत निवारण में परिवर्तन: एआई से लाभ, श्री संजय मल्होत्रा का उद्घाटन भाषण, 17 मार्च, 2025, आरबीआई ओमबड्समैन, मुंबई के वार्षिक सम्मेलन में।

समिति का गठन किया गया था जिसने अगस्त 2025 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफ़ारिशों की जांच करने के बाद रिज़र्व बैंक यथा आवश्यक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार/अद्यतन करेगा।

5. वित्तीय समावेशन

I.33 सतत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न पहलें की हैं, जैसे कि वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना, वित्तीय साक्षरता परियोजनाओं के लिए केंद्र शुरू करना और डिजिटल भुगतान परितंत्र के विस्तार और गहनता कार्यक्रम को लागू करना। वित्तीय प्रणाली में किए गए नीतिगत प्रयासों को दर्शाते हुए, रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2017 में 43.4 से बढ़कर मार्च 2025 में 67.0 हो गया। इस सूचकांक की व्यापकता और मापदंडों में सुधार के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025-30

I.34 राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (एनएसएफआई): 2025-30 को 1 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। एनएसएफआई: 2025-30 का उद्देश्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों से वित्तीय समावेशन परितंत्र को मजबूत करना है, ताकि आजीविका सहायकों, प्रभावी वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और मजबूत ग्राहक संरक्षण द्वारा समर्थित समान, जिम्मेदार, उपयुक्त और किफायती वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण की दिशा में काम किया जा सके।

1.35 वित्तीय समावेशन पहल के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की भी समीक्षा की जा रही है और एलबीएस के तहत डेटा रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत पोर्टल पर काम किया जा रहा है।

1.36 रिज़र्व बैंक जुलाई से अक्टूबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक खातों के पुनःकेवाईसी के लिए देश व्यापी अभियान में सक्रिय रूप से शामिल था। रिज़र्व बैंक खाता धारकों की अदावी जमा राशि के निपटान के लिए एक अभियान से भी जुड़ा था।

उद्गम पोर्टल

1.37 उद्गम पोर्टल एक ही स्थान पर कई बैंकों में अदावी जमाओं / खातों की खोज की सुविधा प्रदान करता है; और प्रत्येक बैंक के दावे / निपटान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर एक एकीकृत पोर्टल विकसित करने के लिए काम कर रहा है ताकि बचतकर्ताओं और खुदरा निवेशकों को बैंक जमा, पेंशन निधि, शेयर और लाभांश जैसे सभी आस्ति-वर्गों में सभी अदावी आस्तियों का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके। एकीकृत पोर्टल नागरिकों के लिए उनके अदावी निधियों का पता लगाना सुगम बनायेगा ।

6. उपभोक्ता संरक्षण

I.38 उपभोक्ता संरक्षण वित्तीय प्रणाली में विश्वास और भरोसे को मजबूत करने का आधार है। यह सब ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार और एक कुशल शिकायत निवारण तंत्र पर निर्भर करता है। उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन शिकायतों में वृद्धि चिंता का विषय बनी हुई है। इस संबंध में, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है।

आंतरिक ओमबड्समैन

I.39 आरई में आंतरिक ओमबड्समैन (आईओ) तंत्र की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2025 में मसौदा मास्टर निदेश जारी किया। यह शिकायतों को आईओ के पास भेजने से पहले आरई के भीतर द्वि-स्तरीय शिकायत निवारण संरचना का प्रस्ताव करता है, और शिकायतकर्ताओं को मुआवजा देने और उनसे संपर्क करने की शक्तियाँ प्रदान करके आईओ का सशक्तिकरण करता है। इन उपायों से ग्राहकों की शिकायतों का समय पर और सार्थक समाधान करने, सेवा मानकों तथा उपभोक्ता विश्वास में सुधार करने में मदद मिलेगी।

ओमबड्समैन योजना

I.40 रिज़र्व बैंक - आंतरिक ओमबड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 आरई के ग्राहकों को एक त्वरित, लागत प्रभावी और त्वरित वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है। इस योजना की व्यापक समीक्षा की गई, तथा परिचालन अनुभव, हितधारकों की प्रतिक्रिया और वैश्विक सर्वोतम प्रथाओं के आधार पर अक्टूबर 2025 में एक मसौदा योजना जारी की गई। इसके अलावा, इस योजना का दायरा राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों तक बढ़ाया गया, जो पहले नाबार्ड के तहत थे, और यह 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ। ग्रामीण सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक पहुंच की अनुमति देकर, यह योजना शिकायत निवारण को मजबूत करेगी और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाएगी।

1.41 ग्राहक केंद्रित उपाय के एक हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले दो महीने का विशेष अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य आरबीआई ओमबड्समैन के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों को हल करना है।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) 2.0

1.42 रिज़र्व बैंक ने बेहतर ग्राहक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के साथ वर्तमान प्रणाली के उन्नयन के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) 2.0 का विकास किया है।

डिजिटल धोखाधड़ी

I.43 अब तक लागू किए गए कई ग्राहक सुरक्षा उपायों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन के प्रमाणीकरण पर एक सिद्धांत-आधारित ढांचा घोषित किया, जबकि साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए आरई के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन और निर्दिष्ट नंबरिंग शृंखलाएं शुरू की गईं। रिज़र्व बैंक डिजिटल और साइबर-सक्षम धोखाधड़ी को रोकने और ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों को विकसित करने और संचालित करने के लिए गृह मंत्रालय सहित हितधारकों के साथ काम करना जारी रखता है। आरई को मजबूत आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने, सभी स्तरों पर पर्याप्त शिकायत निवारण अधिकारियों को सुनिश्चित करने और डिजिटल धोखाधड़ी को दूर करने के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है।

I.44 रिज़र्व बैंक की हाल ही के पहलों में MuleHunter.ai™ का विकास शामिल है, जिसका उद्देश्य संभावित अवैध खातों की पहचान और उन्हें चिह्नित करने के लिए सिस्टम-व्यापी शिक्षण को सुगम बनाना है, जिसे 17 दिसंबर 2025 तक 23 बैंकों में लागू किया जा चुका है; और एक डिजिटल भुगतान आसूचना प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) जो जोखिम भरे लेनदेन को चिह्नित करने और धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए जानकारी साझा करने के लिए एआई का लाभ उठाता है।

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना

I.45 अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता से संबंधित अनुदेश, जो 2017 में जारी किए गए थे, बैंकिंग परिदृश्य में बड़े बदलावों को देखते हुए, जिसमें नए भुगतान चैनलों का उदय, डिजिटल लेनदेन की उच्च मात्रा और विकसित होते धोखाधड़ी पैटर्न शामिल हैं, ग्राहक सुरक्षा में सुधार के लिए समीक्षा की जा रही है। इससे ग्राहकों की सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है।

ऋणों की गलत बिक्री और वसूली पर दिशानिर्देश

1.46 आरई द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री का ग्राहकों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होता है। इसलिए, गलत बिक्री की रोकथाम से संबंधित पहलुओं सहित वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री पर आरई की विभिन्न श्रेणियों को व्यापक निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, वसूली एजेंटों की नियुक्ति और ऋणों की वसूली से संबंधित आचरण संबंधी मामलों पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करने और इस संबंध में सामंजस्यपूर्ण निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है।

जमाराशि बीमा

I.47 जमाराशि बीमा वित्तीय सुरक्षा जाल का एक प्रमुख तत्व है। नैतिक खतरे की समस्या को कम करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2025 में मौजूदा फ्लैट रेट प्रीमियम प्रणाली से हटकर जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रीमियम में जाने के फ्रेमवर्क को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें प्रति वर्ष मूल्यांकन योग्य जमा के प्रति ₹100 पर 12 पैसे का मौजूदा फ्लैट-रेट प्रीमियम अधिकतम सीमा के रूप में कार्य करता है। प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य प्रीमियम दरों को बैंकों के जोखिम प्रोफाइल से जोड़कर ठोस जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है और इस तरह बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाना है।

7. जलवायु वित्त

I.48 जलवायु जोखिम - भौतिक और संक्रमण दोनों - वित्तीय स्थिरता के लिए भौतिक खतरे पैदा करते हैं, ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों को प्रभावित करते हैं। लचीलेपन को मजबूत करने के लिए, मजबूत डाटा अवसंरचना और सूचना प्रवाह तंत्र द्वारा समर्थित व्यापक जलवायु जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता है। प्रस्तावित रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) और जलवायु-जोखिम संबंधी प्रकटीकरण को विकसित करने के लिए चल रहे कार्य वित्तीय जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन में जलवायु विचारों को एकीकृत करने की दिशा में एक व्यवस्थित बदलाव को दर्शाते हैं। इसके साथ ही, प्रौद्योगिकी को एक सहायक कारक के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन जोखिमों पर आधारित विषय-तटस्थ समूह के तहत 'ऑन-टैप' अनुप्रयोगों के प्रस्ताव और इस क्षेत्र में सतत नवोन्मेष को बढ़ावा देने की पहल के रूप में विनियामक सैंडबॉक्स के तहत धारणीय वित्त शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरई) को संरचित कौशल विकास में निवेश करने और बोर्ड स्तर पर मार्गदर्शन तथा शीर्ष नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है ताकि भौतिक और संक्रमणकालीन जोखिमों और धारणीय वित्त को मुख्य रणनीति में एकीकृत किया जा सके। जलवायु वित्त एक राष्ट्रीय अनिवार्यता और सामूहिक जिम्मेदारी दोनों है और इसके लिए विनियामकों, संस्थानों, सरकारों और वैश्विक हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।[16]

8. समग्र मूल्यांकन

I.49 बैंक और एनबीएफसी मजबूत पूंजी बफर, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और सुदृढ आय द्वारा सुदृढ़ बने हुए हैं, जिससे उत्पादक क्षेत्रों और कम सेवा वाली आबादी के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो रहा है। रिज़र्व बैंक घरेलू स्तर पर सुरक्षित और अंतर-संचालित डिजिटल भुगतान और वैश्विक भुगतान प्रणालियों के साथ उनके एकीकरण को जारी रखता है। यह वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी को जिम्मेदार तरीके से अपनाने और वैकल्पिक डेटा के उपयोग को भी सक्षम बना रहा है। रिज़र्व बैंक की विनियाकीय और पर्यवेक्षी नीतियां साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, धोखाधड़ी को कम करने, ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने, जलवायु जोखिम जागरूकता को एकीकृत करने और वित्तीय स्थिरता को एक व्यापक लक्ष्य के रूप में संरक्षित करने पर केंद्रित हैं। स्थिरता के साथ वित्तीय नवाचारों का संतुलन, जनता के विश्वास की मजबूती और सतत संवृद्धि का समर्थन, रिज़र्व बैंक की नीतियों के मार्गदर्शक बने रहेंगे।

[16] भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर आयोजित नीति संगोष्ठी में 13 मार्च, 2025 को श्री संजय मल्होत्रा का मुख्य भाषण।

II वैश्विक बैंकिंग घटनाक्रम

वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र आघात-सहनीय बना रहा जैसा कि मज़बूत पूँजी बफर, उच्च लीवरेज अनुपात और बेहतर लाभप्रदता में परिलक्षित होता है। अपनी वर्तमान मज़बूती के बावजूद, व्यापार नीति की अनिश्चितता के बीच वैश्विक जीडीपी की वृद्धि धीमी होने की उम्मीद है, जबकि मुद्रास्फीति में कमी आएगी। केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति में सहजता दिखाई है। वैश्विक विनियामकीय और पर्यवेक्षी पहल बैंकों और गैर-बैंकों के अंतर्संबंधों के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्रिप्टो-आस्तियों के एकीकरण से उत्पन्न चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रही हैं। नीति निर्माताओं को बढ़ती व्यापार और भू-राजनीतिक अनिश्चितता, तकनीकी नवाचारों और जलवायु जोखिमों के बीच वित्तीय प्रणाली में उभरते जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

परिचय

II.1 वर्ष 2025 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने आघात-सहनीयता दिखाई, जिसे प्रारंभिक अत्यधिक आयात, सुगम वित्तीय स्थितियों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में प्रोत्साहनकारी राजकोषीय रुख का समर्थन प्राप्त हुआ, *हालाँकि* दूसरी छमाही में मंदी के कुछ संकेत मिले। ऊर्जा की कीमतों में कमी और माँग में कमी के कारण मुद्रास्फीति सौम्य बनी रही। हालाँकि, व्यापार नीति की अनिश्चितता, भू-आर्थिक विखंडन, भू-राजनीतिक तनाव और उच्च ऋण स्तर, आर्थिक परिदृश्य पर दबाव डाल रहे हैं।

II.2 वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, मज़बूत पूँजी बफर और बेहतर लाभप्रदता का लाभ उठाया। वैश्विक वित्तीय बाजार कम फंडिंग स्प्रेड और इक्विटी कीमतों में उछाल के साथ अस्थिर बने रहें। पूँजी बाज़ार और ऋण मध्यस्थता में गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों (एनबीएफआई) की भूमिका बढ़ रही है। फिर भी, धीमी वैश्विक वृद्धि और एनबीएफआई में बैंकों के एक्सपोजर में विस्तार के बीच जोखिमपूर्ण आस्तियों का मूल्यांकन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये वैश्विक बदलाव वित्तीय प्रणाली में कमियाँ पैदा कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की ओर ऋण के निरंतर अंतरण और बैंकों व गैर-बैंकिंग संस्थाओं के एक्सपोजर में वृद्धि के कारण, सॉवरेन बॉण्ड बाज़ारों में दबाव सीधे बैंकों तक पहुँच सकता है। एनबीएफआई के बढ़ते आकार और बैंकों के बढ़ते एक्सपोजर ने वित्तीय प्रणाली में जोखिम लेने और परस्पर जुड़ाव को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ार वृहद वित्तीय अनिश्चितता के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं, जिससे अन्य आस्ति वर्गों में भी इसका प्रभाव-विस्तार फैलने का जोखिम बढ़ गया है और वित्तीय स्थितियां सख्त हो गई हैं। नीति निर्माता लीवरेज, चलनिधि बेमेलता और सीमा पार प्रभाव – विस्तार से होने वाले जोखिमों के प्रति सतर्क रहे, भले ही स्टेबलकॉइन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे वित्तीय नवाचार का उपयोग बाजार संरचनाओं और पर्यवेक्षी प्रथाओं को नया रूप दे रहे हों। इस माहौल में, वित्तीय स्थिरता के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

II.3 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के विकास को शामिल किया है। खंड 2 में वर्तमान वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थितियों की समीक्षा की गई है। खंड 3 में वर्तमान वैश्विक बैंकिंग नीति विकासक्रम की चर्चा की है। खंड 4 में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन की जांच की है, इसके बाद खंड 5 में टियर 1 पूंजी स्थिति के आधार पर विश्व के शीर्ष 100 बैंकों का विश्लेषण किया गया है। खंड 6 में एक समग्र मूल्यांकन के साथ समापन किया है।

2. वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थितियाँ

II.4 व्यापार और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच, वैश्विक वृद्धि दर 2024 के 3.3 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2025 में 3.2 प्रतिशत और 2026 में 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।[1] यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता को दर्शाता है, जिसे आंशिक रूप से व्यापार और निवेश में प्रारंभिक वृद्धि और कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय विस्तार से समर्थन प्राप्त है। फिर भी, वैश्विक वृद्धि महामारी-पूर्व ऐतिहासिक औसत 3.7 प्रतिशत से नीचले स्तर पर बनी हुई है।[2] व्यापार नीति की अनिश्चितता और संरक्षणवाद के कारण भविष्य के लिए जोखिम भी नकारात्मक पक्ष की ओर झुके हुए हैं जो निवेश को कम कर सकते हैं और आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) 2025 में 4.2 प्रतिशत और 2026 में 4.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के लिए यह दर 1.6 प्रतिशत है (चार्ट II.1ए)। आसान वित्तीय स्थितियाँ, ईएमडीई के लिए लाभकारी हैं क्योंकि वे नीतिगत ढाँचें में सुधार के कारण आघात-सहनीयता प्रदर्शित करती रहती हैं।

II.5 वैश्विक मुद्रास्फीति सौम्य बनी हुई है, और कम माँग एवं कम ऊर्जा कीमतों के कारण, हेडलाइन मुद्रास्फीति 2025 में घटकर 4.2 प्रतिशत और 2026 में 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बहरहाल, ईएमडीई (4.7 प्रतिशत) की तुलना में एई (2026 में 2.2 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति के पहले के लक्ष्य पर वापस पहुँचने का अनुमान है (चार्ट II.1बी)।

II.6 केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2024 की दूसरी छमाही से नीतिगत दरों को घटाकर मुद्रास्फीति में कमी और वृद्धि में कमी की प्रतिक्रिया दी। यह 2022-2023 के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई मौद्रिक सख्ती की लंबी अवधि से एक महत्वपूर्ण उलटफेर था। हालांकि, केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाया गया यह नीतिगत मार्ग लक्ष्य से ऊपर मुद्रास्फीति की स्थिरता के साथ-साथ विकास और श्रम बाजार की चिंताओं से प्रेरित देशों में भिन्न होता है। जून 2024 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने अपनी पहली दर कटौती के बाद से नीतिगत दरों में संचयी 250 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी की, जबकि अगस्त 2024 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने सहजता चक्र की शुरुआत के बाद दरों

चार्ट II.1: संवृद्धि और मुद्रास्फीति

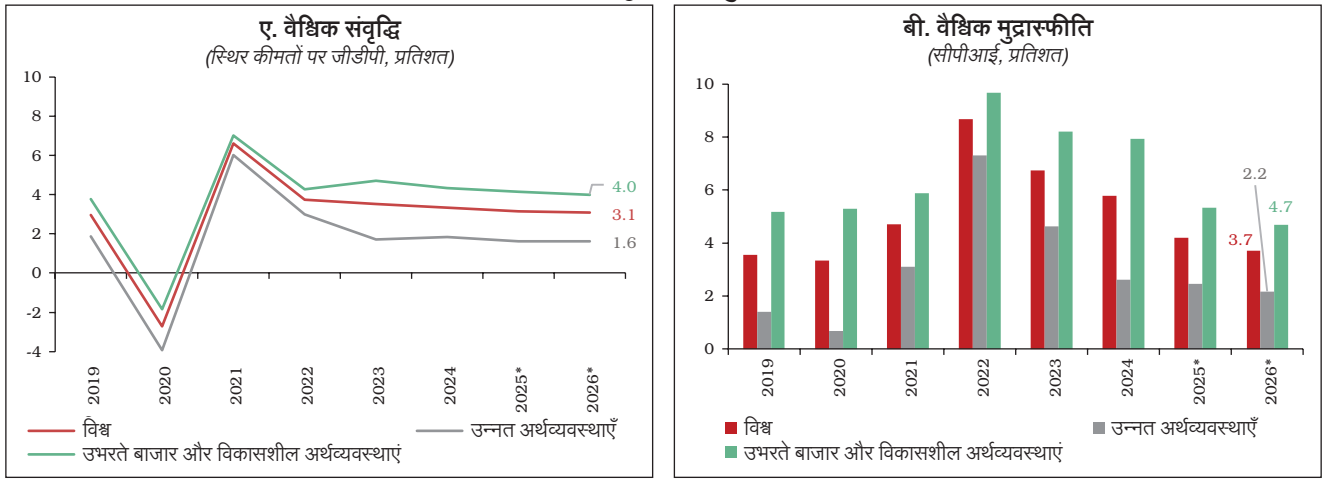

*: पूर्वानुमान।
स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2025, आईएमएफ।

[1] आईएमएफ (2025)। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अक्टूबर।

[2] 2010 से 2019 तक वैश्विक विकास का 10 वर्षीय औसत।

में कुल 150 आधार अंकों की कटौती की। सितंबर 2024 में यूएस फेडरल रिज़र्व ने नीतिगत दर को सहज करना शुरू कर दिया, जिसमें अब तक 175 आधार अंकों की संचयी कमी हुई है। इसके विपरीत, मार्च 2024 से बैंक ऑफ जापान ने बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए 85 आधार अंकों की संचयी वृद्धि के साथ एक मौद्रिक सख्ती चक्र अपनाया (चार्ट II.2ए)। ब्रिक्स समूह में, दक्षिण अफ्रीका ने सितंबर 2024 में नीतिगत दर में कटौती की जिसके बाद भारत ने फरवरी 2025 में और रूस ने जून 2025 में यह कदम उठाया। अगस्त 2023 से विराम के बाद, चीन ने जुलाई 2024 में नीतिगत दर को और कम किया। ब्राज़ील ने सितंबर 2024 से एक मौद्रिक सख्ती चक्र अपनाया है, जिसमें मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य तक लाने के लिए नीतिगत दर में 450 आधार अंकों की वृद्धि की है (चार्ट II.2बी)।

II.7 प्रस्तावित उच्च अमेरिकी आयात शुल्क लगाने की प्रतिक्रिया में, संरक्षणवाद के बावजूद, प्रारंभिक रूप से अत्यधिक आयात और निर्यात के कारण विश्व व्यापार मजबूत बना रहा। वैश्विक व्यापार की मात्रा 2025 में 3.6 प्रतिशत की दर से तेजी से बढ़ने का अनुमान है, जो 2026 में 2.3 प्रतिशत तक धीमी हो जाएगी।[3] 2024 में एई के चालू खाते की अधिशेष की तुलना में 2025 में घाटा होने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से अमेरिका में जारी व्यापार घाटे और यूरो क्षेत्र में अधिशेष में कमी के कारण है। ईएमडीई में, चालू खाता अधिशेष 2025 में जीडीपी के 1.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहने का अनुमान है, जो 2026 में घटकर 0.6 प्रतिशत हो जाएगा (चार्ट II.3ए)। इसका एक कारण संभावित टैरिफ से पहले किए गए एहतियाती व्यापार से चीन के लिए अधिशेष में वृद्धि होना है।

II.8 वर्ष 2025 में एई के लिए सामान्य सरकारी सकल ऋण मामूली रूप से बढ़कर जीडीपी का 110.2 प्रतिशत और 2026 में जीडीपी का 111.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। ईएमडीई भी उच्च ब्याज भुगतान और संवृद्धि में नरमी के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात में 2025 में 72.7 प्रतिशत और 2026 में 75.8 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान से बढ़ते राजकोषीय दबाव में हैं (चार्ट II.3बी)।

चार्ट II.2: मौद्रिक नीति दरें

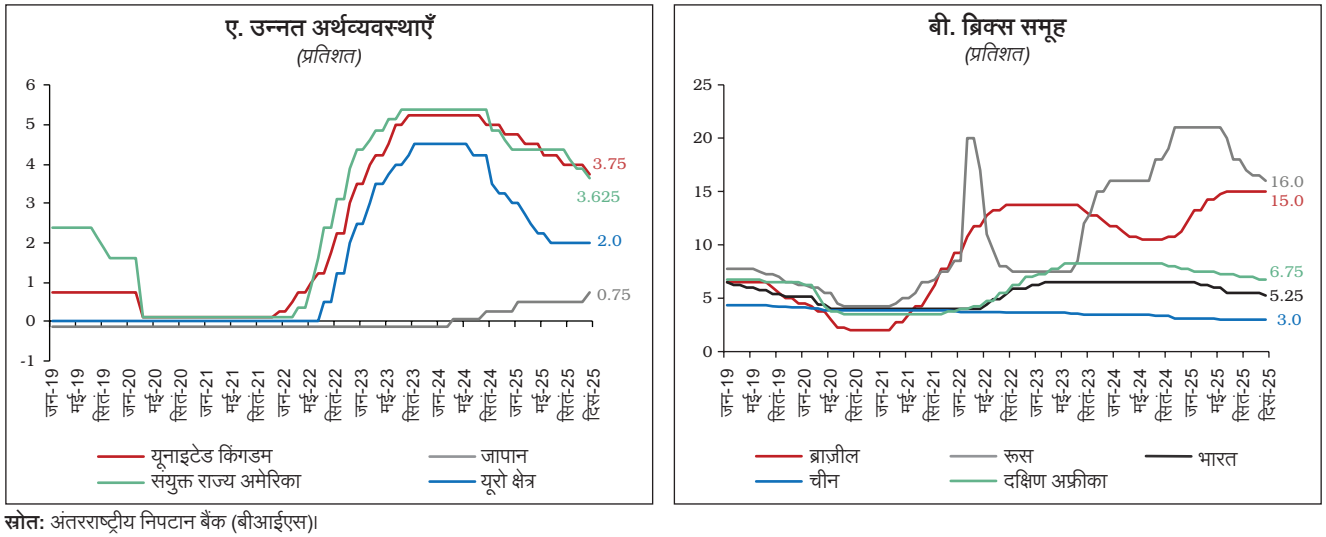

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)।

[3] आईएमएफ (2025)। *वैश्विक आर्थिक परिदृश्य* (डब्ल्यूईओ), अक्टूबर।

चार्ट II.3: चालू खाता शेष और सामान्य सरकारी कर्ज

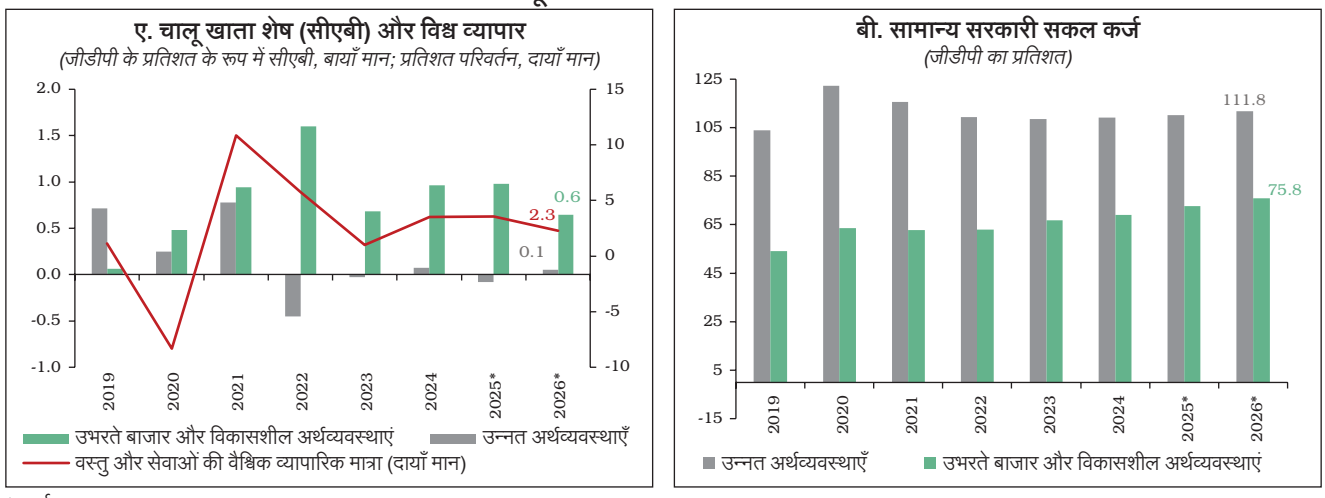

*: पूर्वानुमान।
स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2025, आईएमएफ।

3. वैश्विक बैंकिंग नीति घटनाक्रम

II.9 बढ़ते व्यापार और आर्थिक नीति अनिश्चितता के बीच वैश्विक परिदृश्य और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण बाजार में आई उथल-पुथल और मार्च 2023 के बैंकिंग दबाव ने यह दर्शाया है कि सतर्कता, सक्रिय नीतिगत प्रतिक्रियाओं और वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से समस्याएँ शीघ्र ही दूर हो सकती हैं। विनियामक और केंद्रीय बैंक, एनबीएफआई के बढ़ते आकार और बैंकों के साथ उनके गहरे संबंधों, वित्तीय प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्रिप्टो-आस्तियों के एकीकरण, और जलवायु परिवर्तन के मंडराते खतरे से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के उपाय कर रहे हैं।

3.1 आघात-सहनीय वित्तीय संस्थानों का निर्माण[4]

II.10 विवेकपूर्ण विनियमन और प्रभावी पर्यवेक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने 1 जनवरी 2023 से प्रभावी बासेल III फ्रेमवर्क के सभी पहलुओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी है। सितंबर 2025 तक, अधिकांश सदस्य क्षेत्राधिकारों ने बासेल III के अंतिम तत्वों को लागू करने वाले अपने नियम प्रकाशित किए हैं। सितंबर 2024 के अंत से, अंतिम बासेल III मानक 27 सदस्य क्षेत्रों में से 40 प्रतिशत से अधिक में लागू हुए हैं। संशोधित ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम मानकों के साथ ही आउटपुट फ़्लोर, अब लगभग 80 प्रतिशत सदस्य क्षेत्रों में प्रभावी हुए हैं, जबकि ऋण मूल्यांकन समायोजन मानक लगभग 70 प्रतिशत में और संशोधित बाज़ार जोखिम मानक लगभग 40 प्रतिशत में प्रभावी हुए हैं।

II.11 अन्य बासेल III मानकों पर भी आगे प्रगति हुई है जिनकी कार्यान्वयन तारीख 1 जनवरी 2023 से पहले थी। सितंबर 2024 के अंत से, एक अतिरिक्त क्षेत्र ने गैर-केंद्रीय समाशोधित व्युत्पन्नी (एनसीसीडी) के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को लागू किया है, जबकि दूसरे ने बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को लागू करने का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, दो सदस्य क्षेत्रों ने क्रिप्टो-आस्तियों पर अंतिम विनियम प्रकाशित किए हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, फेडरल

[4] बीआईएस (2025)। समयबद्धता पर आरसीएपी: बेसल III कार्यान्वयन डैशबोर्ड, 3 अक्टूबर अपडेट।

रिजर्व बोर्ड ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए दबाव परीक्षण मॉडल और परिदृश्यों को प्रकाशित करते हुए अपने पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण ढाँचे को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा।

3.2 साइबर आघात-सहनीयता

II.12 तेजी से डिजिटल होनेवाले और परस्पर जुड़े परिवेश में, साइबर और परिचालन संबंधी घटनाएँ वित्तीय स्थिरता के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन गई हैं। पर्यवेक्षी प्राधिकरण व्यवधानों पर नज़र रखने और प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए समय पर घटना रिपोर्टिंग पर निर्भर हैं, लेकिन क्षेत्रों में खंडित ढाँचे चुनौतियाँ पेश करते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने अप्रैल 2025 में, घटना रिपोर्टिंग एक्सचेंज के प्रारूप (एफआईआरई) पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें विखंडन को कम करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय फर्मों के लिए अनुपालन आसान बनाने के लिए एक मानकीकृत रिपोर्टिंग प्रारूप पेश किया गया।[5] इसे निजी क्षेत्र के साथ घनिष्ठ सहयोग से विकसित किया गया है और साथ ही, इसे तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं और वित्तीय क्षेत्र से बाहर की संस्थाओं पर भी लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैश्विक कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, एफएसबी ने एक टैक्सोनॉमी पैकेज भी जारी किया है जिसमें एक डेटा मॉडल शामिल है, जो एफआईआरई के मशीन-पठनीय प्रारूपों को सक्षम बनाता है।[6]

3.3 प्रतिभूतिकरण पर जी20 वित्तीय विनियामकीय सुधार

II.13 वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद शुरू किए गए विनियामकीय सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार, हितों के टकराव का समाधान, बैंकों के प्रतिभूतिकरण जोखिमों के लिए विनियामकीय पूंजी व्यवस्था को मजबूत करना और प्रतिभूतिकरण से जुड़े प्रोत्साहनों को संरेखित करना था। एफएसबी ने जुलाई 2024 में जारी परामर्श रिपोर्ट पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर जनवरी 2025 में इन सुधारों का मूल्यांकन करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यह पाया गया है कि विनियामकीय सुधारों ने प्रतिभूतिकरण बाजारों की आघात-सहनीयता में सुधार लाया और वित्तपोषण गतिविधि पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव का कोई ठोस सबूत नहीं है।[7] जीएफसी में भूमिका निभाने वाली जटिल संरचनाओं, जैसे सबप्राइम आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, संपार्श्विक ऋण दायित्वों और पुनर्प्रतिभूतिकरण में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है, जबकि बाजार पारदर्शिता में सुधार हुआ है। इसके अलावा, मूल्यांकन में पाया गया है कि इन सुधारों ने बैंकों से एनबीएफआई क्षेत्र में जोखिम अंतरित करने में मदद की है, क्योंकि बैंक उच्च-श्रेणीकृत किश्तों में निवेश करने की ओर बढ़ गए हैं। यह बदलाव आंशिक रूप से गैर-बैंकों की बढ़ती भूमिका और प्रतिभूतिकरण बाजारों में उनकी बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है।

3.4 गैर-बैंक व्यावसायिक स्थावर संपदा बाजार में कमियाँ[8]

II.14 व्यावसायिक स्थावर संपदा (सीआरई) बाजार ने महामारी के बाद से कार्यालयों और खुदरा स्थानों की मांग में कमी और वर्ष 2022-2023 में मौद्रिक नीति में सख्ती के बाद उच्च उधारी लागतों के कारण महत्वपूर्ण दबाव का अनुभव किया है। हालांकि बैंक सीआरई के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बने हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में गैर-बैंक निवेशकों, विशेष रूप से संपत्ति निधि और स्थावर संपदा निवेश न्यासों का भागीदारी में एक बड़ा हिस्सा है।

II.15 एफएसबी ने इन गैर-बैंक सीआरई निवेशकों से जुड़ी तीन मुख्य कमजोरियों – असीमित अवधिवाली निधियों में चलनिधि की बेमेलता, उच्च वित्तीय लीवरेज और आस्ति मूल्यांकन में अस्पष्टता पर प्रकाश डाला। रिपोर्ट में बैंकों और

---

[5] एफएसबी (2025)। घटना रिपोर्टिंग एक्सचेंज पर प्रारूप (एफआईआरई): अंतिम रिपोर्ट, अप्रैल।

[6] एफएसबी (2025)। घटना रिपोर्टिंग एक्सचेंज पर (एफआईआरई) प्रारूप: वर्गीकरण पैकेज, अप्रैल।

[7] एफएसबी (2025)। प्रतिभूतिकरण पर जी20 वित्तीय विनियामकीय सुधारों के प्रभावों का मूल्यांकन: अंतिम रिपोर्ट, जनवरी।

[8] एफएसबी (2025)। गैर-बैंक व्यावसायिक वास्तविक संपदा निवेशकों में कमियाँ, जून।

इन गैर-बैंक सीआरई निवेशकों के बीच अंतर्संबंधों के कारण एक चौथी व्यापक भेद्यता पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में प्रभाव- विस्तार की संभावना बढ़ जाती है।

3.5 गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता

II.16 पिछले दशक में वास्तविक अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण में एनबीएफआई की भूमिका का विस्तार हुआ है, और 2024 में वैश्विक वित्तीय आस्तियों में इस क्षेत्र का हिस्सा 51.0 प्रतिशत रहा। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट, मार्च 2020 की बाजार उथल-पुथल, मार्च 2021 की आर्केगोस की विफलता और 2022 में पण्य बाजारों की उथल-पुथल के अनुभव दर्शाते हैं कि एनबीएफआई प्रणालीगत जोखिम भी पैदा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। एफएसबी ने बैंकों और एनबीएफआई के बीच के संबंधों के तीन मुख्य रूपों पर प्रकाश डाला है: (i) निधीयन और जमा संबंध, जहां गैर-बैंक बैंकों में जमा रखते हैं; (ii) बैंकों द्वारा गैर-बैंकों को उधार, रेपो और अन्य क्रेडिट एक्सपोजर; और (iii) निवेश निधियों, बीमाकर्ताओं,और पेंशन निधियों में बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की धारिता।[9] एफएसबी प्रणालीगत जोखिम पैदा करने वाली कमियों का आकलन और समाधान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मानक-निर्धारण निकायों के साथ सहयोग कर रहा है। नीति का उद्देश्य चलनिधि की मांग में अत्यधिक वृद्धि को कम करना; दबाव में चलनिधि आपूर्ति की आघात-सहनीयता को बढ़ाना; और प्राधिकारियों एवं बाजार सहभागियों की जोखिम निगरानी और तैयारी में सुधार करना रहा है। इस दिशा में सुधारों का कार्यान्वयन जारी है, हालाँकि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गति असमान है।

II.17 समय के साथ, एनबीएफआई क्षेत्र अधिक विविधतापूर्ण और तेजी से जटिल होता गया है, जिसके व्यावसायिक मॉडल और कार्यनीतियाँ लगातार विकसित हो रही हैं और अक्सर लीवरेज का उपयोग कर रही हैं। एनबीएफआई क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लीवरेज और चलनिधि के असंतुलन से उत्पन्न कमज़ोरियाँ, जिनके कारण बाज़ार में दबाव की घटनाएँ हुईं, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भी जारी हैं।[10] एफएसबी यह सिफ़ारिश करता है कि प्राधिकारियों को : (i) एनबीएफआई लीवरेज द्वारा उत्पन्न वित्तीय स्थिरता जोखिमों की पहचान और निगरानी के लिए एक घरेलू ढांचा स्थापित करना चाहिए; और (ii) लचीले, लक्षित और आनुपातिक तरीके से पहचाने गए वित्तीय स्थिरता जोखिमों का समाधान करने के लिए नीतिगत उपायों का चयन, डिजाइन और जांच करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

II.18 ये घटनाएँ एनबीएफआई क्षेत्र में चलनिधि संबंधी दबाव से निपटने के लिए नीतिगत समायोजन की आवश्यकता को भी उजागर करती हैं, जो बाजार के तनाव के समय मार्जिन और संपार्श्विक मांग में वृद्धि से उत्पन्न होता है।[11] एफएसबी केंद्रीय और गैर-केंद्रीय समाशोधित व्युत्पन्नी और प्रतिभूति बाजारों में मार्जिन और संपार्श्विक कॉल के लिए गैर-बैंक बाजार सहभागियों की चलनिधि संबधी तैयारी को बढ़ाने के लिए समाधान निश्चित करता है।

II.19 एफएसबी ने डेटा से संबंधित कई चुनौतियों की पहचान की है जो कमियों का प्रभावी ढंग से आकलन करने की प्राधिकारियों की क्षमता में बाधा डालती हैं। तदनुसार, इसने गैर-बैंक क्षेत्र से उत्पन्न वित्तीय स्थिरता जोखिमों की पहचान, आकलन और उन्हें कम करने की प्राधिकारियों की क्षमता को मजबूत करने के लिए जुलाई 2025 में एक गैर-बैंक डेटा टास्क फोर्स की स्थापना की है। एफएसबी ने गैर-बैंक डेटा चुनौतियों से निपटने के लिए एक कार्ययोजना भी पेश की है, जिसमें दो उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र अर्थात मुख्य वित्तीय बाजारों में लीवरेज्ड ट्रेडिंग कार्यनीतियों और निजी वित्त शामिल हैं।[12]

3.6 जलवायु और प्रकृति-संबंधी जोखिम

II.20 जलवायु परिवर्तन योजनाओं ने वित्तीय संस्थानों और गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जलवायु-संबंधी जोखिमों के

[9] एफएसबी (2025)। गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, दिसंबर।

[10] एफएसबी (2025)। गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता की आघात-सहनीयता बढ़ाना: प्रगति रिपोर्ट, जुलाई।

[11] एफएसबी (2024)। मार्जिन और संपार्श्विक मांग के लिए चलनिधि उपलब्धता: अंतिम रिपोर्ट, दिसंबर।

[12] एफएसबी (2025)। गैर-बैंक डेटा चुनौतियों से निपटने के लिए एफएसबी कार्य योजना, जुलाई।

प्रबंधन हेतु अपनी कार्यनीतियों और दृष्टिकोणों को संप्रेषित करने के साधन के रूप में प्रमुखता प्राप्त की है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों से निपटने के अपने रोडमैप के एक हिस्से के रूप में, एफएसबी ने जनवरी 2025 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वित्तीय स्थिरता के लिए संक्रमण योजनाओं की प्रासंगिकता का आकलन किया गया।[13] यह रिपोर्ट तीन माध्यमों से जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों से निपटने में संक्रमण योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है - बेहतर जोखिम प्रबंधन में योगदान, निवेश निर्णयों को सूचित करना और वित्तीय प्रणाली तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था दोनों में संक्रमण और भौतिक जोखिमों की वृहद निगरानी में अधिकारियों की सहायता करना। चूँकि ये भविष्योन्मुखी जानकारी प्रदान करती हैं, इसलिए संक्रमण योजनाओं में वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने की क्षमता होती है।

3.7 सीमा-पार भुगतान

II.21 2020 में, जी20 ने तेज़, सस्ते, अधिक पारदर्शी और समावेशी सीमा-पार भुगतानों के लिए एक रोडमैप आरंभ किया और इस संबंध में वैश्विक मात्रात्मक लक्ष्यों के एक समूह का समर्थन किया। अक्टूबर 2025 में, एफएसबी ने इस जी20 रोडमैप पर समेकित प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की।[14] रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि हालाँकि रोडमैप की अधिकांश गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन प्रयासों में अभी तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है, और वर्ष 2025 के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक केवल मामूली सुधार ही दिखा रहे हैं। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना की पारदर्शिता में मामूली सुधार के साथ सीमा-पार भुगतानों तक पहुँच व्यापक बनी रही। हालाँकि थोक सीमा-पार भुगतान की वैश्विक गति में सुधार हुआ है, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भिन्नताएँ बनी हुई हैं और थोक भुगतान प्राप्त करने की गति के मामले में दक्षिण एशिया पिछड़ रहा है। ऐसे भुगतानों की औसत वैश्विक लागत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्न जैसे एशिया-प्रशांत में सबसे कम और उप-सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक है। साथ ही, सीमा-पार भुगतान को बढ़ाने के लिए घरेलू भुगतान अवसंरचना का आधुनिकीकरण और बैंक तथा गैर-बैंक भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

3.8 क्रिप्टो-आस्तियाँ

II.22 स्टेबलकॉइन – एक या एक से अधिक कागज़ी मुद्राओं का संदर्भ देकर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई क्रिप्टो-आस्तियाँ - डिजिटल आस्ति पारितंत्र का एक प्रमुख घटक बन गई हैं। स्टेबलकॉइन का बाजार पूंजीकरण सितंबर 2025 के अंत तक लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया।[15] स्टेबलकॉइन के बढ़ते उपयोग से मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता दोनों के लिए चिंताएँ बढ़ रही हैं, विशेष रूप से ईएमडीई में, क्योंकि इनका व्यापक उपयोग केंद्रीय बैंकों के मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर नियंत्रण को कमजोर कर सकता है। स्टेबलकॉइन के प्रसार से मुद्रा प्रतिस्थापन, मौद्रिक नीति संचरण का प्रभाव कमजोर होने और बैंकिंग मध्यस्थता के जोखिम भी उत्पन्न होते हैं।[16]

II.23 अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अनुसार, किसी भी प्रकार की मुद्रा को मौद्रिक प्रणाली की रीढ़ बनने के लिए तीन परीक्षणों अर्थात एकरूपता, लोच और अखंडता से गुजरना होगा। इन मानकों के आधार पर मूल्यांकन किए जाने पर स्टेबलकॉइन खराब प्रदर्शन करते हैं। स्टेबलकॉइन अक्सर अलग-अलग विनिमय दरों पर कारोबार करते हैं, जिससे एकरूपता कमज़ोर होती है। वे लोच परीक्षण में भी विफल हो जाते हैं क्योंकि जारीकर्ता के तुलन पत्र का इच्छानुसार विस्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, असीम प्रचलित ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल वाहक उपकरण के रूप में, स्टेबलकॉइन जारीकर्ता की निगरानी के बिना संचालित

[13] एफएसबी (2025)। वित्तीय स्थिरता के लिए संक्रमण योजनाओं की प्रासंगिकता, जनवरी।

[14] एफएसबी (2025)। सीमा-पार भुगतान बढ़ाने के लिए जी20 रोडमैप: 2025 के लिए समेकित प्रगति रिपोर्ट, अक्टूबर।

[15] आईएमएफ (2025)। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अक्टूबर।

[16] स्टेबलकॉइन्स – क्या वित्तीय प्रणाली में इनकी कोई भूमिका है? श्री टी रबी शंकर द्वारा 12 दिसंबर 2025 को मुंबई में आयोजित मिंट वार्षिक बीएफएसआई सम्मेलन 2025 में दिया गया मुख्य भाषण।

सारणी II.1: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में स्टेबलकॉइन के लिए विनियमावली

देश	विनियम	प्रमुख विशेषताएँ
1	2	3
संयुक्त राज्य अमेरिका	गाईडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फोर यू.ऍस् स्टेबलकॉइन्स (जीईएनआईयूएस) एक्ट[17]	उच्च चल आस्तियों के जारीकर्ताओं की धारिता के मामले में 100 प्रतिशत बैकअप के साथ दोहरा फेडरल-स्टेट विनियमन।
यूरोपीय संघ	मार्केट्स इन क्रिप्टो-असेट्स (माइका) रेगुलेशन 2024[18]	स्टेबलकॉइन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है - आस्ति-संदर्भित टोकन और ई-मनी टोकन। जारीकर्ताओं को यूरोपीय संघ के प्राधिकार क्षेत्र के भीतर काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
सिंगापुर	मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (ऍम्एऍस्) स्टेबलकॉइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2023[19]	सिंगापुर डॉलर या सिंगापुर में जारी की जानेवाली किसी भी जी10 मुद्रा से जुडी हुई एकल-मुद्रा स्टेबलकॉइन पर लागू।
जापान	रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो-असेट्स एंड स्टेबलकॉइन[20]	केवल बैंक, निधि अंतरण सेवा प्रदाता, और ट्रस्ट कंपनियां डिजिटल-मुद्रा प्रकार के स्टेबलकॉइन जारी करने के हकदार हैं।

होते हैं, जिससे अखंडता से समझौता होता है और धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे वित्तीय अपराधों के लिए उनके उपयोग के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।[21]

II.24 स्टेबलकॉइन औपचारिक विनियामक निगरानी के तहत विकसित हो रहे हैं, और कई देशों ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए स्टेबलकॉइन विनियम लागू किए हैं (सारणी II.1)। एफएसबी ने नवंबर 2025 में क्रिप्टो-आस्ति गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अपने वैश्विक विनियामक ढांचे की एक अनुवर्ती रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट से पता चला है कि क्रिप्टो-आस्ति गतिविधियों और वैश्विक स्टेबलकॉइन को विनियमित करने में प्रगति हुई है, फिर भी महत्वपूर्ण कमियां बनी हुई हैं। वैश्विक स्टेबलकॉइन विनियमन खंडित है, तथा सीमा पार समन्वय अपर्याप्त है, जिससे प्रभावी निगरानी और प्रणालीगत जोखिमों के लिए समय पर प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।[22]

3.9 कृत्रिम बुद्धिमत्ता और टोकनाइजेशन

II.25 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में नवाचार को बढ़ावा देकर, दक्षता बढ़ाकर और आघात-सहनीयता को मज़बूत करके वित्तीय प्रणाली को नया रूप देने की क्षमता है। यह विनियामक अनुपालन में मदद कर सकता है, उन्नत डेटा विश्लेषण को सक्षम बना सकता है, व्यक्तिगत वित्तीय उत्पाद तैयार कर सकता है और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार कर सकता है। हालाँकि, एफएसबी ने प्रमुख एआई-संबंधित कमियों की पहचान की है जिनका वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है।[23] इसने वित्तीय प्रणाली में एआई अपनाने और संबंधित कमज़ोरियों की निगरानी का समर्थन करने के लिए कई संकेतकों की पहचान की। इनमें वित्तीय संस्थान में एआई अपनाने की सीमा का मापन, तृतीय-पक्ष एआई सेवा प्रदाताओं की सकेंद्रितता और एआई संबंधित साइबर घटनाओं की निगरानी शामिल है।[24]

II.26 2024 के अंत में, केंद्रीय बैंक सांख्यिकी पर इरविंग फिशर समिति ने एआई अपनाने की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए छह आयामों : (i) दायरा और हित; (ii) अपेक्षाएँ; (iii) अनुप्रयोग; (iv) संगठनात्मक नीतियाँ, अनुशासन और जोखिम; (v) आईटी स्टैक; और (vi) सहयोगात्मक रणनीतियाँ को शामिल करते हुए एक सर्वेक्षण किया।[25] सर्वेक्षण में दो प्रमुख निष्कर्ष सामने आए: पहला, एआई के प्रभावी उपयोग के लिए मज़बूत अनुशासन ढाँचे की आवश्यकता है, जो

[17] दी गाईडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फोर यूएस स्टेबलकोइन्स (जीनियस) एक्ट। स्टेबलकॉइन विधान: 2025 के जीईएनआईयूएस अधिनियम का अवलोकन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूएसए।

[18] http://esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica.

[19] https://www.sgpc.gov.sg/api/file/getfile/Media%20Release_MAS%20Finalises%20Stablecoin%20Regulatory%20Framework.pdf?path=/sgpcmedia/media_releases/mas/press_release/P-20230815-2/attachment/Media%20Release_MAS%20Finalises%20Stablecoin%20Regulatory%20Framework.pdf.

[20] https://www.fsa.go.jp/en/news/2022/20220914-2/02.pdf.

[21] बीआईएस (2025)। वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, जून।

[22] एफएसबी (2025)। क्रिप्टो-आस्ति गतिविधियों के लिए एफएसबी वैश्विक विनियामक ढांचे पर विषयगत समीक्षा।

[23] बीआईएस (2024)। कृत्रिम बुद्धिमता के वित्तीय स्थिरता निहितार्थ, नवंबर।

[24] एफएसबी (2025)। वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता और संबंधित कमियों को अपनाने पर निगरानी, अक्टूबर।

[25] बीआईएस (2025)। केंद्रीय बैंकों में कृत्रिम बुद्धिमता का अनुशासन और कार्यान्वयन, आईएफसी रिपोर्ट संख्या 18।

अभी भी विकसित हो रहे हैं; और दूसरा, एआई के कार्यान्वयन में आईटी बुनियादी ढांचे के तालमेल की जरूरत पर ज़ोर देना शामिल है, क्योंकि बढ़ती अभिगणना माँगों के कारण लागत बढ़ती है और क्लाउड-आधारित समाधान मापनीयता प्रदान करते हुए डेटा सुरक्षा और संप्रभुता संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा क्लोज्ड बनाम ओपन-स्रोत एआई मॉडल के चुनाव से संबंधित है।

II.27 टोकनाइजेशन — पारंपरिक बहीखातों से प्रोग्राम योग्य प्लेटफ़ॉर्म पर वास्तविक या वित्तीय आस्तियों पर दावों का पंजीकरण अगली पीढ़ी के वित्तीय बाजार अवसंरचना के एक प्रमुख तत्व के रूप में उभर रहा है। बीआईएस ने मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के विकास में अगले चरण के रूप में टोकनाइजेशन की पहचान की है, क्योंकि यह संदेश भेजने, समाधान और आस्ति हस्तांतरण को एक ही परिचालन में एकीकृत करने में सक्षम बनाता है।[26] यह रिपोर्ट मौजूदा प्रणालियों में टकराव को कम करने और अधिक लचीले और स्वचालित अनुबंध तंत्रों को प्रस्तुत करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालती है। टोकनाइजेशन सीमा-पार भुगतानों में, मध्यस्थों की वर्तमान शृंखला और अनुक्रमिक खाता अद्यतनों को एकल, एकीकृत प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करके प्रतिनिधि बैंकिंग को सुव्यवस्थित कर सकता है। यह बेहतर संपार्श्विक प्रबंधन, मार्जिनिंग और वितरण-*बनाम*-भुगतान प्रक्रियाओं के माध्यम से पूंजी बाजारों के कामकाज में भी सुधार कर सकता है।

II.28 टोकनाइजेशन की पहल वैश्विक स्तर पर गति पकड़ रही है। बीआईएस के एक अध्ययन[27] ने टोकनयुक्त सरकारी बॉण्ड के मामले का आकलन किया, और टोकनयुक्त वित्तीय पारितंत्र, केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि और वाणिज्यिक बैंक धन में एक आधारभूत तत्व बनने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला। सरकारी बॉण्ड का टोकनाइजेशन, जो 2024 में लगभग 80 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बकाया राशि के साथ वैश्विक वित्तीय आस्तियों के सबसे बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार था, विश्वास को बढ़ा सकता है, निपटान दक्षता बढ़ा सकता है और मौद्रिक संचालन का समर्थन कर सकता है। हालाँकि, अध्ययन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये लाभ मापनीयता, विनियामक स्पष्टता और सहायक अवसंरचना पर निर्भर हैं।

4. वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

II.29 दिसंबर 2024 के अंत में, उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र में बैंक ऋण में गिरावट आई, जबकि एई में ऋण संवृद्धि नकारात्मक रही (चार्ट II.4ए)। हालाँकि 2024 की दूसरी छमाही में मौद्रिक नीति में सहजता दी जाने लगी थी, लेकिन संचलन में लंबे अंतराल के कारण ऋण की सख्त शर्तों ने 2024 तक गतिविधियों पर असर डाला।[28] 2025 की पहली छमाही में, दोनों समूहों में ऋण वृद्धि में तेजी आई, हालांकि अलग-अलग देशों में इसमें भिन्नता देखी गई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका अपवाद रहें, जहाँ 2023 की तुलना में 2024 में ऋण संवृद्धि में बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.4बी और सी)। उच्च आय वृद्धि और वित्तीय समावेशन के विस्तार में सफलता के कारण, ब्राज़ील ने सख्त मौद्रिक नीति के बावजूद मज़बूत ऋण संवृद्धि का प्रदर्शन किया।[29]

---

[26] बीआईएस (2025)। वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, जून।

[27] एल्डासोरो, आई., कॉर्नेली, जी., फ्रॉस्ट, जे., कू विल्केंस, पी., लेवरिक, यू., और श्रीति, वी. (2025)। *सरकारी बॉण्ड का टोकनाइजेशन: मूल्यांकन और रोडमैप। बीआईएस बुलेटिन* सं.107, जुलाई।

[28] क्वाग्लिएटी, एल. (2024)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल के ऋण में बढ़ोतरी एवं कमी: संचालक और प्रभाव। *ओईसीडी अर्थशास्त्र विभाग वर्किंग पेपर्स*, सं.1826।

[29] https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/10/09/Explaining-Strong-Credit-Growth-in-Brazil-Despite-High-Policy-Rates.

चार्ट II.4: निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण

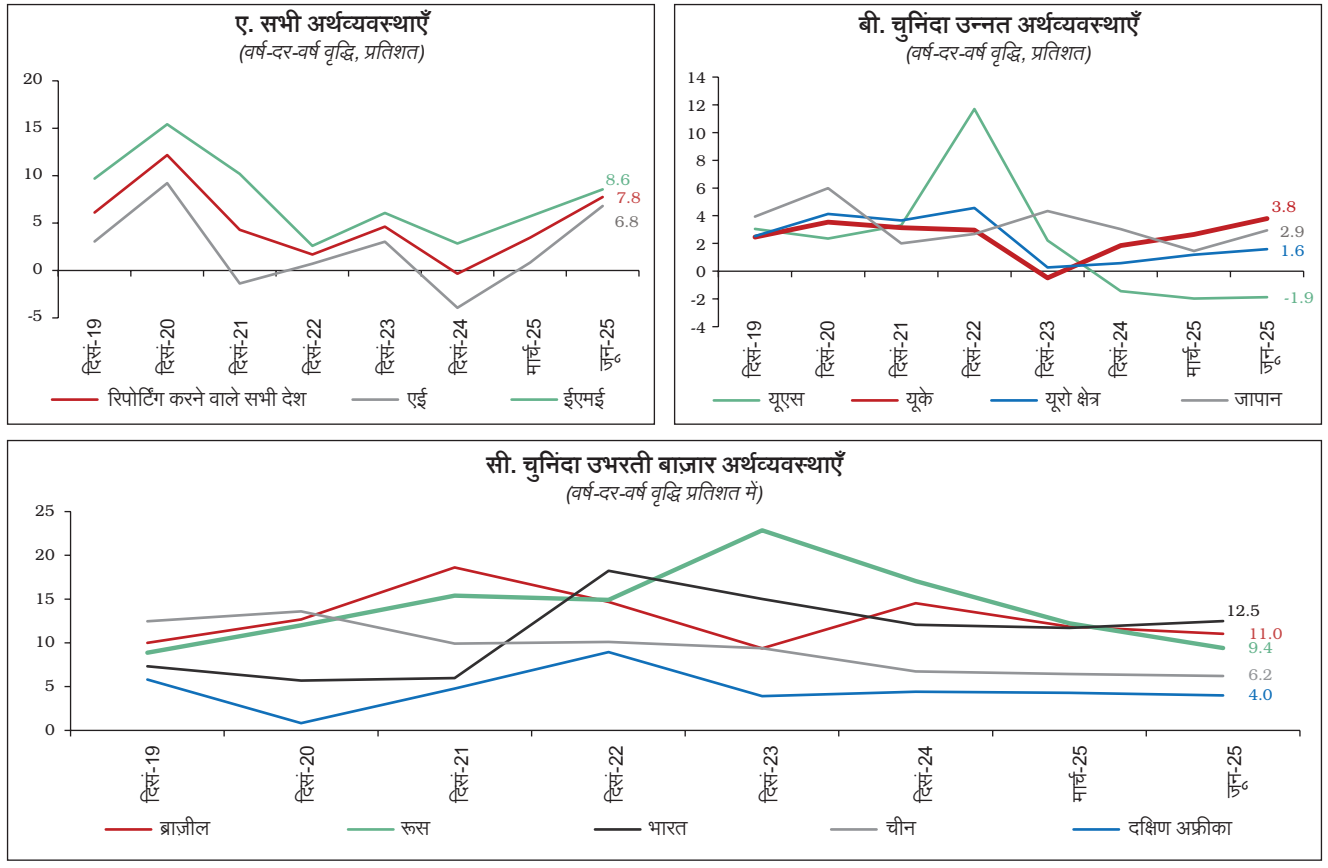

स्रोत: कुल ऋण सांख्यिकी, बीआईएस।

4.1 आस्ति गुणवत्ता

II.30 वर्ष 2024 में, कुल सकल ऋणों में अनर्जक ऋणों के अनुपात (एनपीएल अनुपात) द्वारा मापी जानेवाली बैंकों की आस्ति गुणवत्ता चुनिंदा एई के लिए बिगड़ गई (सारणी II.2)। वर्ष 2024 में कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मामूली वृद्धि के बावजूद, मुख्य रूप से कॉर्पोरेट ऋण बही (विशेष रूप से व्यावसायिक स्थावर संपत्ति और छोटे एवं मध्यम ऋण) के कारण, यूरो क्षेत्र के बैंकों का एनपीएल अनुपात कम रहा।[30] अधिकांश ईएमडीई के लिए, आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसमें वियतनाम भी शामिल है, जहाँ प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से स्थावर संपत्ति में संकट के कारण उच्च एनपीएल अनुपात बना रहा।[31]

4.2 प्रावधान कवरेज अनुपात

II.31 उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बैंक की ऋण हानियों के प्रति उच्च आघात-सहनीयता दर्शाता है। वर्ष 2024 में कुछ कमी के बावजूद, चुनिंदा एई में, अमेरिका स्थित बैंकों ने उच्चतम पीसीआर बनाए रखा (चार्ट II.5ए)। हालाँकि, अन्य एई में यह अनुपात 50 प्रतिशत से नीचे रहा। ईएमडीई के बीच, चीन में बैंकों ने उच्च पीसीआर बनाए रखा और 2024 में इस अनुपात में सुधार हुआ (चार्ट II.5बी)।

[30] https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability publications/fsr/html/ecb.fsr202505~0cde5244f6.en.html#toc2.

[31] वियतनाम संबंधी वार्षिक परामर्श रिपोर्ट (2024)। एएसईएएन+3 समष्टि आर्थिक अनुसंधान कार्यालय। https://amro-asia.org/wp-content/uploads/2025/03/2024-Vietnam-ACR_publication_21Feb2025.pdf पर उपलब्ध है।

सारणी II.2: आस्ति गुणवत्ता
(एनपीएल अनुपात)

(प्रतिशत)

देश	2015	2020	2023	2024	ति1:2025	ति2:2025
1	2	3	4	5	6	7
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ						
ऑस्ट्रेलिया	0.89	1.11	0.85	0.99	1.06	लागू नहीं
कनाडा	0.52	0.53	0.45	0.57	0.65	0.68
जापान	1.47	1.22	1.28	1.10	1.10	लागू नहीं
यूके	1.01	0.98	0.98	1.02	0.98	0.96
यूएस	1.47	1.07	0.85	0.97	0.95	0.93
यूरो क्षेत्र						
फ्रांस	3.52	2.38	2.06	2.09	2.07	लागू नहीं
जर्मनी	लागू नहीं	लागू नहीं	1.54	1.77	1.73	1.79
इटली	18.06	4.36	2.71	2.77	लागू नहीं	2.71
नीदरलैंड	2.71	1.88	1.55	1.64	1.58	1.48
स्पेन	5.09	2.85	3.06	2.87	2.82	2.69
उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
ब्राज़ील	2.85	1.87	2.84	2.72	3.08	लागू नहीं
चीन	1.67	1.84	1.59	1.50	1.51	1.49
भारत	5.88	7.94	3.36	2.50	2.34	2.35
इंडोनेशिया	2.32	2.64	1.96	1.94	2.01	2.05
मेक्सिको	2.60	2.56	2.08	2.02	2.00	2.10
फिलीपीन्स	1.89	3.53	3.19	3.20	3.26	3.27
रूस	8.38	8.16	4.51	4.58	लागू नहीं	लागू नहीं
दक्षिण अफ्रीका	3.12	5.18	4.72	4.54	4.60	लागू नहीं
थाईलैंड	2.68	3.23	2.76	2.81	2.92	लागू नहीं
वियतनाम	2.76	1.87	5.41	4.85	4.91	लागू नहीं

लागू नहीं – डेटा उपलब्ध नहीं।

टिप्पणियाँ: 1. रूस के लिए 2024 के लिए डेटा ति1:2024 से संबंधित है।
2. जापान के लिए वार्षिक डेटा अगले वर्ष की पहली तिमाही से संबंधित है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

4.3 बैंक लाभप्रदता

II.32 वर्ष 2024 में आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) द्वारा मापी गई लाभप्रदता, मामूली गिरावट के साथ ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में अधिकांश एई में बढ़ी (चार्ट II.6ए)। ईएमडीई ने भी कुछ अपवादों को छोड़कर, सामान्यतः लाभप्रदता में सुधार दिखाया (चार्ट II.6बी)। 2024 में, बढ़ते निवल ब्याज मार्जिन और बड़े बैंकों के लिए आस्ति प्रबंधन, परामर्शी और व्यापारिक सेवाओं के मजबूत प्रदर्शन ने राजस्व में वृद्धि की। साथ ही, सभी क्षेत्रों में ऋण हानि प्रावधानों में हुई कमी आरओए का एक महत्वपूर्ण चालक रही है।[32]

4.4 पूँजी पर्याप्तता

II.33 बैंकों ने अपने पूँजी स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे उनकी हानि को सहने की क्षमता बढ़ी है। विनियामक जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) द्वारा मापी गई पूँजी पर्याप्तता, सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बासेल III मानदंडों से ऊपर बनी हुई है। आईएमएफ के वैश्विक दबाव परीक्षण से पता चलता है कि वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र मोटे तौर पर आघात-सहनीय बना हुआ है।

चार्ट II.5: प्रावधान कवरेज अनुपात
(अनर्जक ऋणों के प्रतिशत के रूप में एनपीएल प्रावधान)

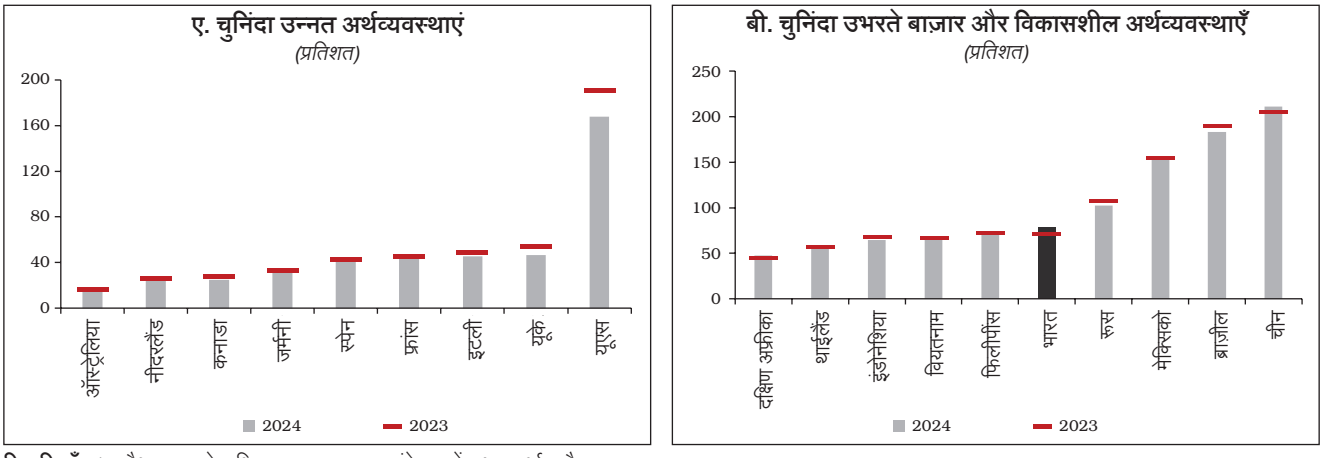

टिप्पणियाँ: 1. डैश लाइन से अधिक बड़ा बार आकार संकेतक में सुधार दर्शाता है।
2. रूस के लिए 2024 के लिए डेटा ति1:2024 से संबंधित है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

[32] आईएमएफ (2025)। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल।

चार्ट II.6: आस्तियों पर प्रतिलाभ

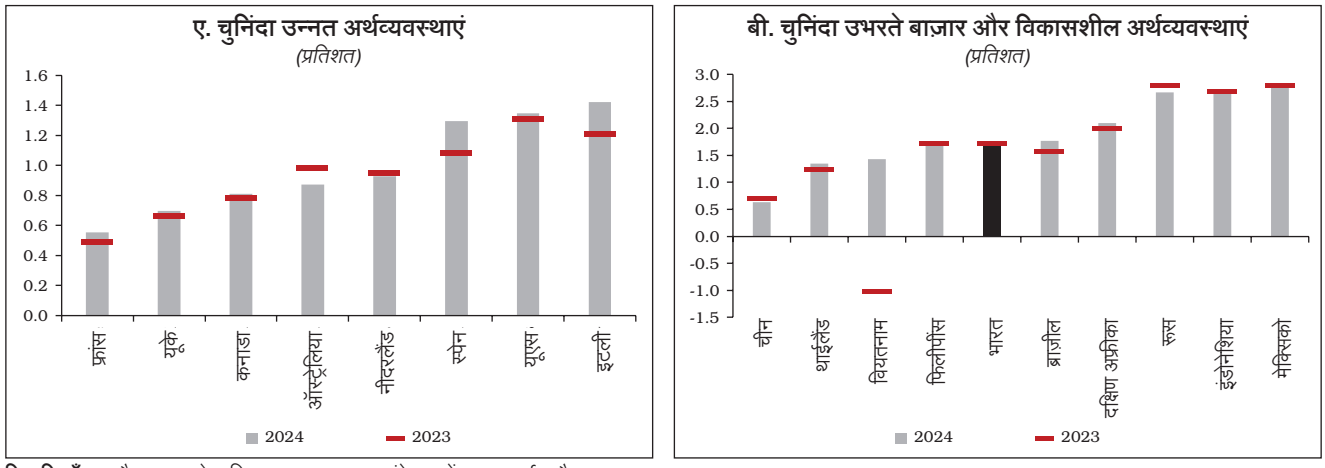

टिप्पणियाँ: 1. डैश लाइन से अधिक बड़ा बार आकार संकेतक में सुधार दर्शाता है।
2. रूस के लिए 2024 के लिए डेटा ति1:2024 से संबंधित है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

हालाँकि, गंभीर मुद्रास्फीति जनित मंदी के परिदृश्य में, बैंकों का सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1) अनुपात, जो वैश्विक बैंक आस्तियों का लगभग 18 प्रतिशत है, 7 प्रतिशत से नीचे आ गया है।[33] यह अधिकांश क्षेत्रों में बेहतर पूँजीकरण के कारण 2023 के दबाव परीक्षण परिणामों से बेहतर है।

II.34 एई में, यूके स्थित बैंकों ने उच्च पूँजी बफर बनाए रखा, *हालांकि* अमेरिका स्थित बैंकों ने 2024 में कुछ सुधार के साथ, निम्नतर सीआरएआर बनाए रखा। यूरो क्षेत्र में, प्रतिधारित आय के रूप में उच्च आंतरिक पूँजी सृजन का बैंकों के पूँजी अनुपात पर एक मजबूत सकारात्मक प्रभाव जारी रहा।[34] ईएमडीई में पूंजी अनुपात मिश्रित पैटर्न दर्शाता है, जिसमें इंडोनेशियाई बैंक ने 2024 में सीआरएआर को 25 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा है (सारणी II.3)।

4.5 लीवरेज अनुपात

II.35 कुल आस्तियों में विनियामक टियर 1 पूंजी के रूप में परिभाषित लीवरेज अनुपात यह मापता है कि बैंक आस्तियों को किस हद तक इक्विटी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है,

सारणी II.3: जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में विनियामकीय पूंजी अनुपात

(प्रतिशत)

देश	2015	2020	2023	2024	ति1:2025	ति2:2025
1	2	3	4	5	6	7
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ						
ऑस्ट्रेलिया	13.8	17.6	19.9	20.2	20.5	लागू नहीं
कनाडा	14.2	16.1	17.1	16.8	16.9	17.5
जापान	15.9	16.6	16.4	16.7	16.7	लागू नहीं
यूके	19.6	21.6	21.3	21.3	20.7	20.5
यूएस	14.1	16.3	15.9	16.3	16.3	16.8
यूरो क्षेत्र						
फ्रांस	16.4	19.5	19.5	19.8	19.8	लागू नहीं
जर्मनी	लागू नहीं	लागू नहीं	19.9	20.5	20.1	20.5
इटली	14.8	19.3	19.4	19.7	लागू नहीं	19.8
नीदरलैंड	20.1	22.8	21.1	20.9	21.2	21.6
स्पेन	14.7	17.0	17.1	17.5	17.8	17.8
उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
ब्राज़ील	16.4	19.1	17.9	17.1	17.0	लागू नहीं
चीन	13.5	14.7	15.1	15.7	15.3	15.6
भारत	12.7	15.6	15.6	16.4	17.0	17.4
इंडोनेशिया	18.9	22.1	25.8	25.1	23.7	24.3
मेक्सिको	15.0	17.7	18.8	19.1	19.9	20.0
फिलीपींस	15.3	16.3	16.3	15.8	15.9	15.7
रूस	12.7	13.8	13.1	12.9	लागू नहीं	लागू नहीं
दक्षिण अफ्रीका	14.2	16.6	16.1	16.3	16.1	लागू नहीं
थाईलैंड	17.1	19.8	19.6	20.1	20.4	लागू नहीं
वियतनाम	12.8	11.1	11.7	12.3	12.4	लागू नहीं

लागू नहीं – डेटा उपलब्ध नहीं।

टिप्पणियाँ: 1. रूस के लिए 2024 के लिए डेटा ति1:2024 से संबंधित है।
2. जापान के लिए वार्षिक डेटा अगले वर्ष की पहली तिमाही से संबंधित है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

[33] आईएमएफ (2025)। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अक्टूबर। वैश्विक तनाव परीक्षण में 29 देशों के 669 बैंकों की जांच की गई, जो वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों का 74 प्रतिशत है।

[34] ईसीबी (2025)। वित्तीय स्थिरता समीक्षा। नवंबर।

चार्ट II.7: लीवरेज अनुपात

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में विनियामकीय टियर I पूंजी)

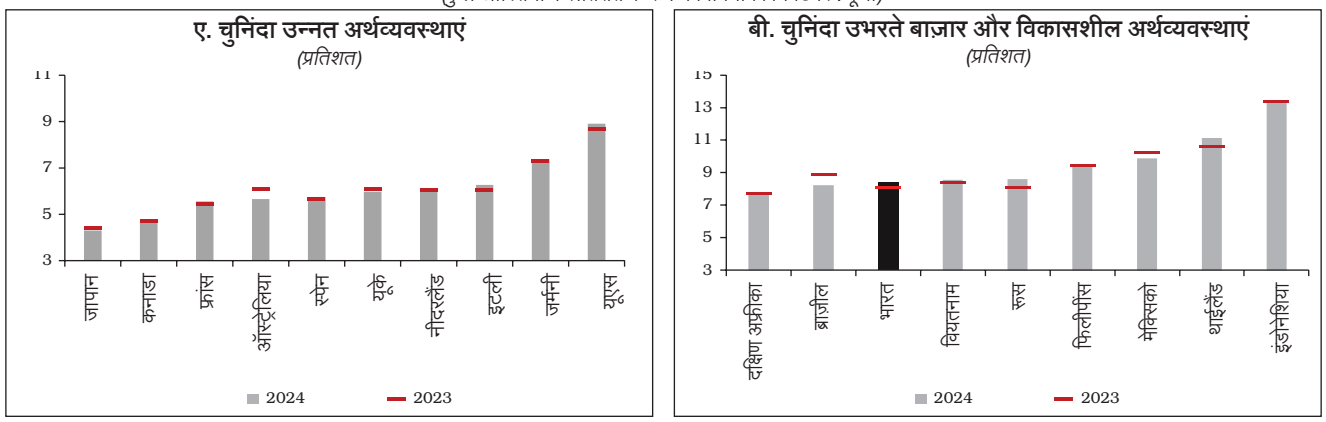

टिप्पणियाँ: 1. डैश लाइन से अधिक बड़ा बार आकार संकेतक में सुधार दर्शाता है।
2. रूस के लिए 2024 के लिए डेटा ति1:2024 से संबंधित है।
3. जापान के लिए वार्षिक डेटा अगले वर्ष की पहली तिमाही से संबंधित है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

जो अत्यधिक जोखिम एक्सपोजर के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। एई और ईएमडीई दोनों में बैंकों ने लीवरेज अनुपात को 3.0 प्रतिशत की न्यूनतम बासेल III आवश्यकता से चरम स्तर पर बनाए रखा। एई में, अमेरिका में स्थित बैंकों ने उच्च लीवरेज अनुपात बनाए रखना जारी रखा (चार्ट II.7ए)। दिसंबर 2024 में, ईसीबी ने अत्यधिक लीवरेज के जोखिम के कारण बैंकों पर पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता ज़ाहिर की है। लीवरेज अनुपात स्तंभ 2 की आवश्यकता के अधीन बैंक-विशिष्ट अनिवार्य आवश्यकताएं न्यूनतम आवश्यक 3 प्रतिशत के लीवरेज अनुपात के अतिरिक्त 10 से 40 आधार अंकों के बीच थी।[35] ईएमडीई में बैंकों ने आम तौर पर एई की तुलना में उच्चतर लीवरेज अनुपात बनाए रखा और 2024 में कई अर्थव्यवस्थाओं में इस अनुपात में सुधार आया (चार्ट II.7बी)।

4.6 वित्तीय बाजार संकेतक

II.36 टैरिफ और व्यापार नीति अनिश्चितता वित्तीय बाजार में बढ़ती अस्थिरता से जुड़ी हैं। 2 अप्रैल 2025 को टैरिफ की घोषणा के बाद की अचानक सख्ती से, वैश्विक स्तर पर आस्ति कीमतों में आई तेजी और कमजोर डॉलर ने दुनिया भर में वित्तीय स्थिति को आसान बना दिया। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र में, बैंक इक्विटी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई, जो बढ़ते व्यापार तनाव और उनके वैश्विक संवृद्धि एवं वित्तीय स्थिरता पर संभावित प्रभाव के बारे में निवेशकों की चिंताओं को दर्शाती है। हालांकि, 9 अप्रैल को घोषित टैरिफ के कार्यान्वयन पर 90-दिनों के विराम के बाद, शेयर सूचकांकों में सुधार के संकेत दिखाई दिए। हाल ही में, उम्मीद से अधिक मजबूत यूरोपीय बैंक की कमाई, जो बाजार में उतार-चढ़ाव पर व्यापार से बढ़ी थी, ने उनके शेयर की कीमतों का समर्थन किया है (चार्ट II.8ए)।[36] टैरिफ की घोषणा के बाद, अप्रैल 2025 में हाल की ऊंचाई के बाद, ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड कम हो गए हैं, जो बेहतर बाज़ार धारणा और कम कथित चूक जोखिम को दर्शाते हैं (चार्ट II.8बी)।

5. विश्व के सबसे बड़े बैंक

II.37 वर्ष 2024 में भी टियर 1 पूँजी के आधार पर विश्व के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में चीन का दबदबा बना रहेगा (चार्ट

[35] बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रेस विज्ञप्ति (2024)। यूरोपीय सेंट्रल बैंक, दिसंबर।

[36] उइसल, पी., लिंच, के. एंड ज़ेर, आई. (2025)। अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ घोषणा और यूरोपीय बैंक स्टॉक कार्यनिष्पादन। एफईडीएस टिप्पणियाँ, वाशिंगटन: बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिज़र्व सिस्टम, अगस्त, 26।

चार्ट II.8: बैंकों की स्थिति के बाज़ार-आधारित संकेतक

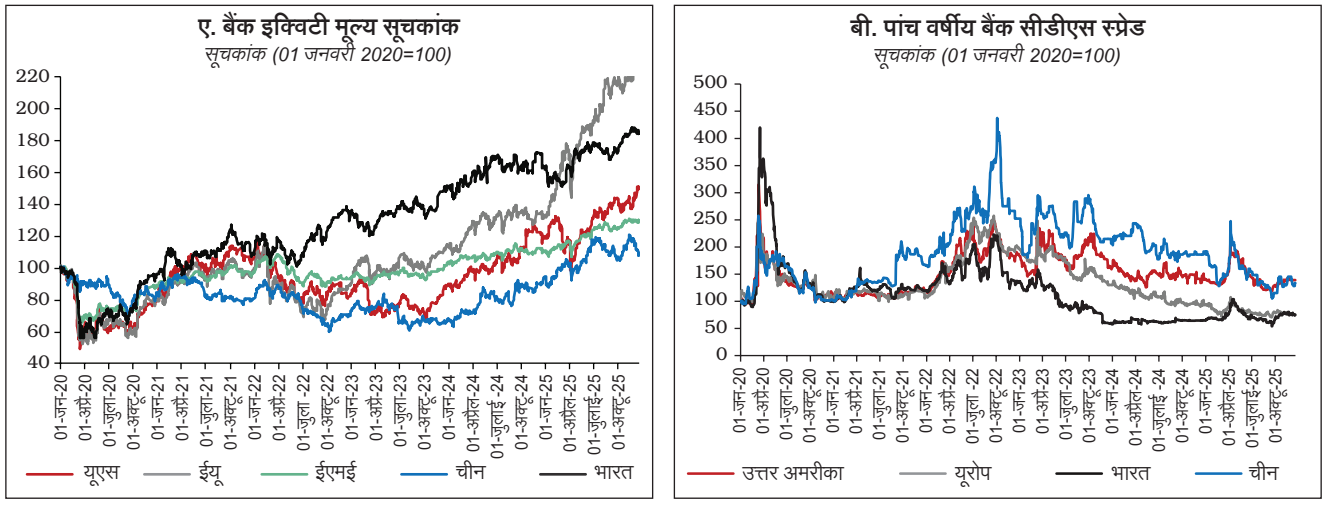

स्रोत: रिफाइनिटिव डेटास्ट्रीम; और ब्लूमबर्ग।

II.9ए)। कुल आस्तियों के संदर्भ में, 2020 और 2024 के बीच वितरण में बदलाव आया, जहाँ एई की हिस्सेदारी घटी, और चीन तथा अन्य ईएमडीई दोनों अपने-अपने हिस्सेदारी में वृद्धि कर रह हैं (चार्ट II.9बी)। एई के सबसे बड़े बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट और स्थानीय बाजारों पर ध्यान बढ़ाने की प्रवृत्ति जारी रही।

II.38 वर्ष 2024 में, ईएमडीई में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर एनपीएल अनुपात वाले बैंकों के कम अनुपात में परिलक्षित होता है। इसके विपरीत, एई में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में मामूली गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, विश्व के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में शामिल सभी चीनी बैंकों ने लगातार अपना एनपीएल अनुपात 2 प्रतिशत से नीचे बनाए रखा (चार्ट II.10ए)। शीर्ष 100 बैंकों में सभी चीनी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात जो हानि अवशोषण क्षमता का एक संकेतक है, 100 प्रतिशत से ऊपर रहा। अन्य ईएमडीई में, जिन बैंकों का पीसीआर 100 प्रतिशत से ऊपर था, उनकी हिस्सेदारी एक

चार्ट II.9: टियर I पूंजी के अनुसार शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का संवितरण

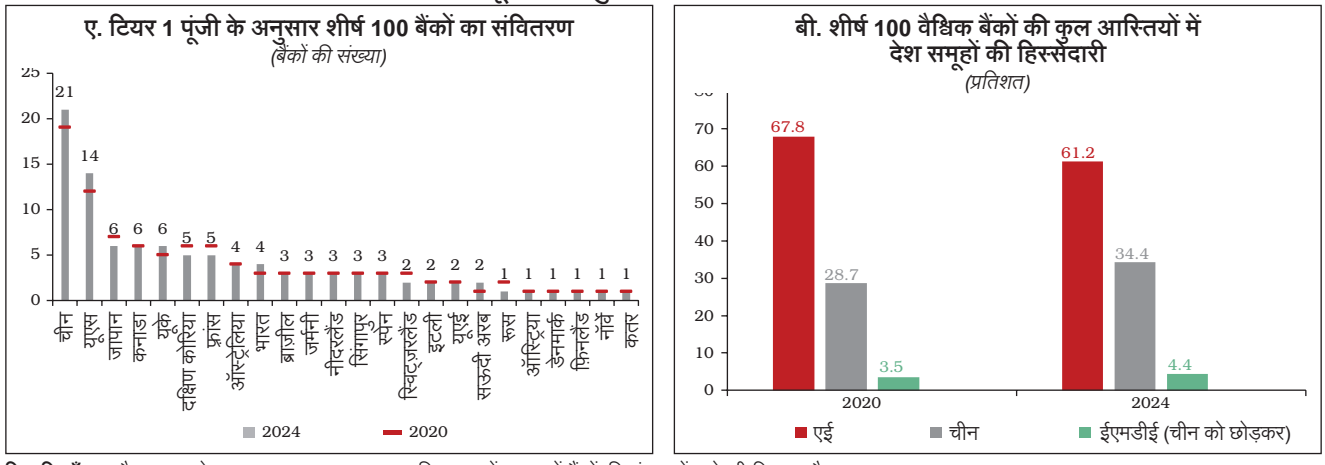

टिप्पणियाँ: 1. डैश लाइन से ऊपर का बार आकार 2020 की तुलना में 2024 में बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाता है।
2. डेटा लेबल 2024 में बैंकों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्रोत: बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

चार्ट II.10: शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता

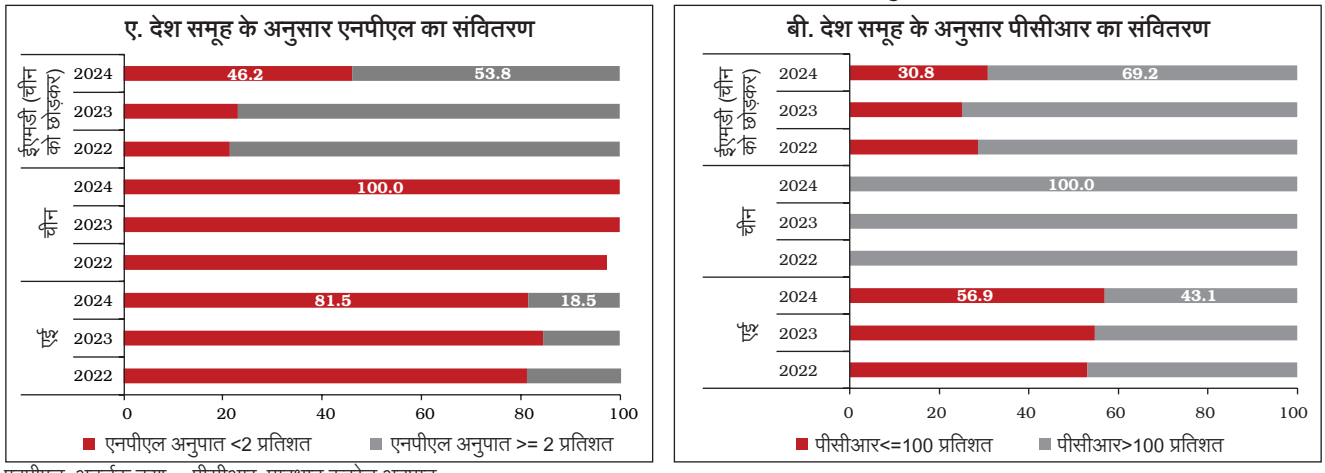

एनपीएल: अनर्जक ऋण पीसीआर: प्रावधान कवरेज अनुपात

टिप्पणी: लीजेंड्स में दिए गए आंकड़े कुल में बैंकों की प्रतिशत हिस्सेदारी दर्शाते हैं।

स्रोत: बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

वर्ष पहले के 75.0 प्रतिशत से 2024 में घटकर 69.2 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, एई में 50 प्रतिशत से अधिक बैंकों में पीसीआर 100 प्रतिशत से कम था। (चार्ट II.10बी)।

II.39 बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बनी रहने से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली ने आघात -सहनीयता का प्रदर्शन किया। 2024 में, ईएमडीई (चीन को छोड़कर) और एई में बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात का मॉडल क्लास 16 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर था, जबकि चीन में बैंकों का मॉडल क्लास 12-14 प्रतिशत के बीच रहा। चीन और अन्य ईएमडीई ने 2020 की तुलना में 2024 में उच्चतम पूंजी ब्रैकेट में बैंकों की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्शाई (चार्ट II.11ए)। बड़े वैश्विक बैंकों का लीवरेज अनुपात, जिसकी गणना टियर 1 पूंजी और कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में की जाती है, 2024 में मजबूत हुआ। चीन और अन्य ईएमडीई के बैंकों ने लीवरेज अनुपात में उल्लेखनीय सुधार दिखाया, जिसमें मॉडल क्लास उच्च स्तर की ओर बढ़ा। एई में, मॉडल वर्ग चार से छह प्रतिशत पर रहा (चार्ट II.11बी)।

II.40 लाभप्रदता के संदर्भ में, ईएमडीई (चीन को छोड़कर) के शीर्ष बैंकों ने एई और चीनी समकक्षों की तुलना में बेहतर लाभप्रदता प्रदर्शित करना जारी रखा। ईएमडीई में 2024 में एक से दो प्रतिशत की सीमा में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) वाले बैंकों की उच्चतर संकेंद्रितता थी। चीन में, 95 प्रतिशत बैंकों का आरओए शून्य से एक प्रतिशत के दायरे में था (चार्ट II.11सी)। लागत-से-आय अनुपात बैंक की परिचालन दक्षता का एक प्रमुख माप है। चीनी बैंकों ने उभरती और उन्नत दोनों अर्थव्यवस्थाओं के अपने समकक्षों की तुलना में अधिक दक्षता का प्रदर्शन किया, जो उनके लगातार निम्नतर लागत-से-आय अनुपात का पता लगाता है (चार्ट II.11डी) ।

6. समग्र मूल्यांकन

II.41 वैश्विक समष्टि आर्थिक परिस्थितियाँ व्यापार तनावों और भू-आर्थिक विखंडनों के बीच अस्थिर बनी रहीं। विकास के दृष्टिकोण के लिए जोखिमों में गिरावट बनी रही। विकास में कमी और मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ, अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने 2024 से मौद्रिक नीति में सहजता चक्र जारी रखें। वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र मज़बूत पूँजी स्थिति और बेहतर लाभप्रदता के समर्थन से व्यापक रूप से आघात-सहनीय बना रहा, जबकि 2024 में बैंक ऋण संवृद्धि में कमी आई। हालांकि गैर-बैंक

चार्ट II.11: शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की सुदृढ़ता

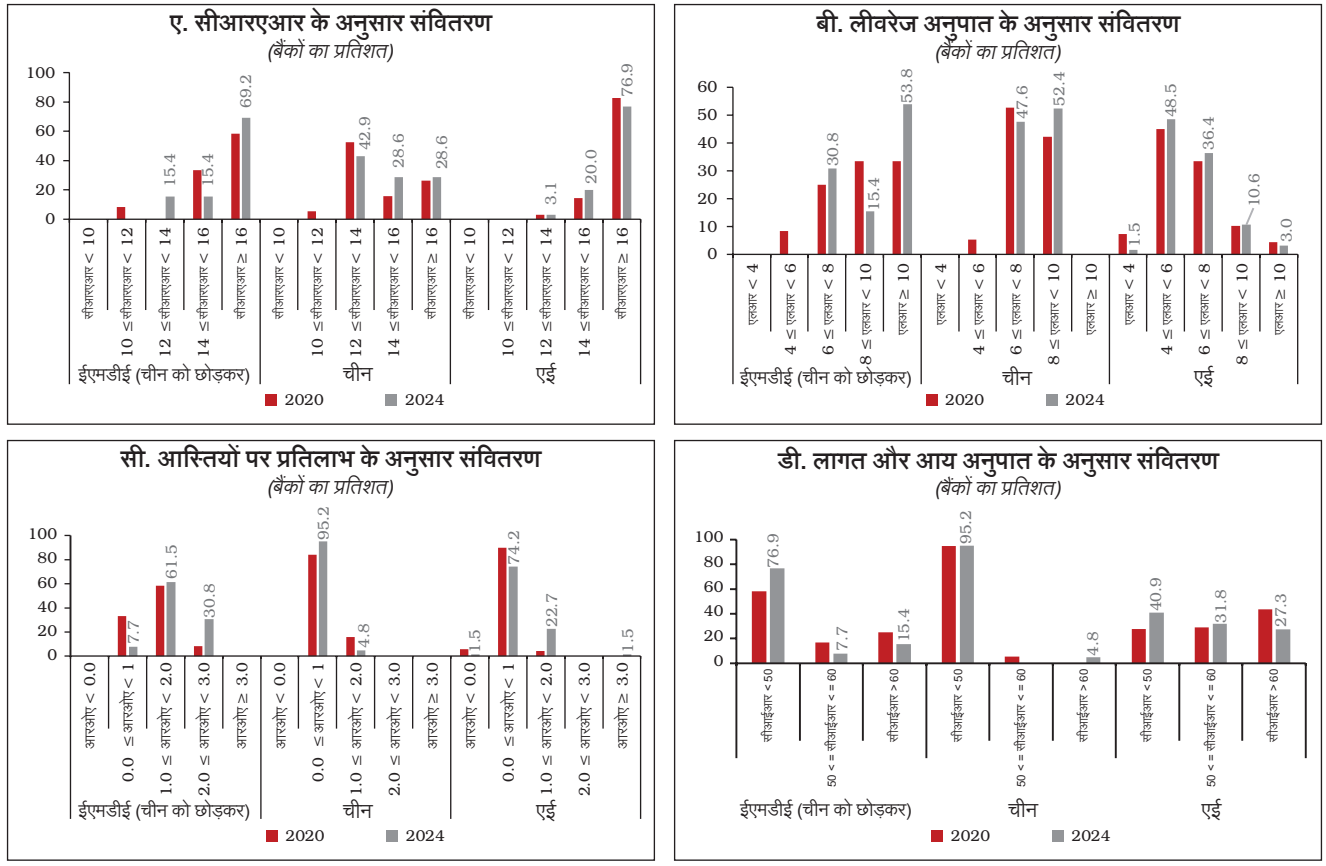

स्रोत: बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

वित्तीय संस्थानों के प्रति एक्सपोजर संभावित कमियां पैदा करते हैं, फिर भी प्रणाली-व्यापी दबाव संकेतक नियंत्रित बने हुए हैं।

II.42 वित्तीय स्थिरता की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक वैश्विक विकास को समर्थन देने के लिए एक विश्वसनीय माध्यम बने रहें, मज़बूत पर्यवेक्षण, प्रभावी समष्टि विवेकपूर्ण ढाँचों और अंतर्संबंधों की बढ़ी हुई निगरानी के माध्यम से निरंतर सतर्कता महत्वपूर्ण होगी। बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति में विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अलावा, समष्टि-वित्तीय स्थिरता के लिए राजकोषीय अनुशासन और संतुलित मौद्रिक नीतिगत कदम भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

III घरेलू नीतिगत परिवेश

वर्ष 2025-26 के दौरान, जून 2025 से 'तटस्थ' रुख बनाए रखते हुए मौद्रिक नीति में नरमी जारी रही, ताकि बदलती समष्टि-वित्तीय स्थितियों के बीच उचित वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन बनाया जा सके। रिज़र्व बैंक ने सुचारू मौद्रिक नीति संचरण के लिए पर्याप्त प्रणाली-स्तरीय चलनिधि सुनिश्चित की। विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों में विनियामक अनुदेशों के समेकन, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने, विवेकपूर्ण मानदंडों के सामंजस्य को बढ़ावा देने और उभरते जोखिमों का समाधान करने के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, अभिशासन मानकों एवं पारदर्शिता में सुधार लाने तथा विनियमित संस्थाओं के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास जारी रहे।

परिचय

III.1 भू-राजनीतिक जोखिमों, व्यापार नीति अनिश्चितता और वित्तीय बाजार में अस्थिरता सहित विकट वैश्विक बाधाओं के बावजूद, भारतीय वित्तीय प्रणाली वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान सुदृढ़ बनी रही। यह समुत्थानशीलता एक स्थिर समष्टि आर्थिक वातावरण, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक नीतियों और एक दक्ष विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे द्वारा समर्थित थी। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के लिए उभरते जोखिमों और चुनौतियों के प्रति सतर्कता बरती, वहीं वित्तीय नवोन्मेष और डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करना जारी रखा। विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने, ऋण ढांचों में सामंजस्य स्थापित करने, चलनिधि जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने, पारदर्शिता एवं उचित ऋण प्रथाओं के माध्यम से ग्राहक संरक्षण बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल और सह-उधार ढांचे सहित उपायों के एक व्यापक समूह के माध्यम से विनियामक प्रयासों को और मजबूत किया गया। नीतिगत उपायों ने जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करने के साथ-साथ विनियमित संस्थाओं (आरई) की साइबर-सुदृढ़ता को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इन उपायों ने, बदले में, तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में वित्तीय स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में मदद की।

III.2 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय विभिन्न क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक की प्रमुख नीतिगत पहलों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। खंड 2 वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान किए गए प्रमुख मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। खंड 3 में समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी पहलों की समीक्षा की गई है। वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों से संबंधित नीतिगत उपायों पर खंड 4 में चर्चा की गई है, इसके बाद खंड 5 में वित्तीय बाजार संबंधी घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है। खंड 6 और 7 क्रमशः उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहलों तथा ऋण वितरण को बढ़ाने एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उपायों की जांच करता है। खंड 8 में सुरक्षित और समावेशी तरीके से भुगतान प्रणाली के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का विवरण दिया गया है। खंड 9 एक समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय का समापन करता है।

2. समष्टि आर्थिक नीति निर्धारण

III.3 रिज़र्व बैंक ने आर्थिक संवृद्धि का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति में एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि मुद्रास्फीतिकारक दबाव में कमी ने नीतिगत समायोजन के लिए राह बना दी। नीतिगत रेपो दर को वर्ष 2023-24 से 2024-25 की तीसरी तिमाही तक 6.50 प्रतिशत पर स्थिर रखने के बाद, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी और अप्रैल 2025, दोनों महीनों में 25-25 आधार अंक घटा दिए, इसके बाद जून 2025 में 50 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी आयी और दिसंबर 2025 में नवीनतम 25 बीपीएस की कमी के साथ संचयी रूप से 125 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी के बाद यह 5.25 प्रतिशत पर रही।

III.4 वैश्विक अनिश्चितता के बीच सौम्य घरेलू मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और सामान्य वृद्धि की पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने अप्रैल 2025 में नीतिगत रुख को 'तटस्थ' से बदल कर 'समायोजित' करने का निर्णय लिया। तेजी से बदलती वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच वृद्धि को और समर्थन देने के लिए सीमित गुंजाइश को स्वीकार करते हुए, एमपीसी ने उचित वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन बनाने के लिए जून 2025 में अपने तटस्थ रुख को पुनः अपना लिया। इसके साथ ही, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली को - खुले बाजार में खरीद, यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी के माध्यम से - मौद्रिक नीति संचरण में सुधार करने में मदद करने के लिए पर्याप्त चलनिधि प्रदान की।

वर्ष 2024-25 के दौरान के घटनाक्रम

III.5 रिज़र्व बैंक ने 2024-25 की चौथी तिमाही में चलनिधि वृद्धि के कई उपाय किए, जिनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित करने के लिए मीयादी रेपो नीलामी, खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद और यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप शामिल हैं। प्रणालीगत चलनिधि जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान अधिशेष से दिसंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान घाटे में बदल गई, और मार्च 2025 के अंत तक पुनः अधिशेष की स्थिति में आ गई। 2024-25 के दौरान, घर्षणात्मक चलनिधि को प्रबंधित करने के लिए दो-तरफ़ा फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन प्रमुख तंत्र थे।

III.6 पर्याप्त चलनिधि स्थितियों को दर्शाते हुए, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) – जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य होती है - 2024-25 के दौरान व्यापक रूप से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की सीमा में बनी रही। संपार्श्विक खंड में एकदिवसीय दरें, डब्ल्यूएसीआर के साथ ताल-मेल में रहीं। मुद्रा बाजार के अन्य क्षेत्रों में, 2024-25 के दौरान तदनुरूपी परिपक्वता वाली खजाना बिल (टी-बिल) दरों पर जमा प्रमाण पत्र (सीडी) एवं वाणिज्यिक पत्र (सीपी) दरों का औसत दैनिक स्प्रेड बढ़ गया, जो मुख्य रूप से ऐसी लिखतों के उच्च निर्गम को दर्शाता है।

III.7 केंद्र सरकार द्वारा कम बाजार उधार आवश्यकताओं, वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों[1] में भारत सरकार की प्रतिभूतियों को शामिल करने, रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि अंतर्वेशन, घरेलू मौद्रिक नीति में नरमी के चक्र की शुरुआत तथा अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफलों में नरमी से सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण वर्ष के दौरान सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई। जी-सेक प्रतिफलों के अनुसरण में कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफलों में भी नरमी आई, हालांकि उसमें स्प्रेड का विस्तार हुआ।

वर्ष 2025-26 के दौरान के घटनाक्रम

III.8 बदलती समष्टि-वित्तीय स्थितियों और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि अंतर्वेशन करना जारी रखा। दिसंबर 2024 से रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान प्रणाली चलनिधि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। चलनिधि स्थितियों को और सुगम बनाने और बैंकिंग प्रणाली

[1] जून 2024 में जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉण्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट, जनवरी 2025 में ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स और सितंबर 2025 में एफटीएसई रसेल इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉण्ड इंडेक्स।

को अधिक स्थिरता प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने जून 2025 में सीआरआर में 100 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की, जो निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत तक कम हुई, जिसे सितंबर और नवंबर 2025 के बीच क्रमबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया था।[2]

III.9 अधिशेष चलनिधि को दर्शाते हुए, डब्ल्यूएसीआर मोटे तौर पर रेपो दर से नीचे रहा। अधिशेष चलनिधि के कारण 11 जून 2025 से दैनिक परिवर्तनीय रेपो दर (वीआरआर) नीलामी को बंद करने के बाद, अलग-अलग परिपक्वता (2 से 7 दिन) के परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन 27 जून 2025 से शुरू हुए। उन्होंने अधिशेष चलनिधि को अवशोषित किया और डब्ल्यूएसीआर को नीतिगत दर के साथ उत्तरोत्तर संरेखित किया। वर्ष 2025-26 (18 दिसंबर तक) के दौरान नीतिगत रेपो दर पर डब्ल्यूएसीआर का स्प्रेड औसतन (-) 13 आधार अंक रहा, और संपार्श्विक खंडों में एकदिवसीय दरें भी तालमेल में रहीं। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि एवं नीतिगत दर में कटौती के मद्देनजर, 3 महीने के टी-बिल, सीडी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी सीपी पर प्रतिफल में 2025-26 (18 दिसंबर तक) के दौरान कमी आयी। बॉण्ड बाजार में अल्पावधि बॉण्डों के प्रतिफल में काफी गिरावट आई, जबकि वैश्विक अनिश्चितता और मांग-आपूर्ति असंतुलन के कारण दीर्घावधि बॉण्ड प्रतिफल में थोड़ी कम गिरावट देखी गई। फरवरी 2025 से 125 आधार अंकों की संचयी नीतिगत दर कटौती का संचरण, वर्ष के दौरान बैंकों की जमा और ऋण दरों में जारी रहा।

चलनिधि प्रबंधन ढांचा

III.10 रिज़र्व बैंक ने आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की अनुशंसाओं और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर 30 सितंबर 2025 को संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को अंतिम रूप दिया। एकदिवसीय भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर), मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बनी हुई है, जिसमें व्यवस्थित विकास और सुचारू संचरण सुनिश्चित करने के लिए अन्य एकदिवसीय मुद्रा बाजार दरों की निरंतर निगरानी की जाती है। सममित कॉरिडोर प्रणाली को बरकरार रखा गया है, केंद्र में नीति रेपो दर है तथा एसडीएफ और एमएसएफ क्रमशः ±25 आधार अंकों पर न्यूनतम और उच्चतम सीमा निर्धारित करते हैं।

III.11 अल्पकालिक/अस्थायी चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए, 14-दिवसीय वीआरआर/वीआरआरआर परिचालन का मुख्य लिखत के रूप में उपयोग समाप्त कर दिया गया था। इसे मुख्य रूप से 7-दिवसीय वीआरआर/वीआरआर परिचालन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जबकि अन्य अवधियों (एकदिवसीय से 14 दिन) के लिए परिचालन रिज़र्व बैंक के विवेकाधीन आयोजित किए जाएंगे।

3. विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियाँ

III.12 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में कई दशकों में अपनी विनियमित संस्थाओं को जारी किए गए सभी बैंकिंग/गैर-बैंकिंग अनुदेशों को समेकित करने के लिए एक वृहत अभ्यास शुरू किया। वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि सहित 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं में सुनियोजित 244 कार्य-वार मास्टर निदेशों (डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण पर सात नए मास्टर निदेशों सहित) में 9,000 से अधिक अनुदेशों की जांच की गई और समेकित किए गए। समेकन के बाद, 9,445 परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया था। इससे आरई के लिए विनियामक अनुदेशों की उपलब्धता में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे उनकी अनुपालन लागत कम हो जाएगी, साथ ही प्रत्येक प्रकार की इकाई के लिए प्रत्येक अनुदेश की प्रयोजनीयता पर स्पष्टता में सुधार होगा। यह कारोबारी सुगमता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भी कार्य करता है।

[2] 6 जून 2025 को घोषित सीआरआर में, 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 आधार अंकों की चार समान शृंखलाओं में कमी की गई थी।

3.1 ऋण सूचना रिपोर्टिंग

III.13 रिज़र्व बैंक ने 06 जनवरी 2025 को ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश जारी किए। इन निदेशों ने संवेदनशील ऋण डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करते हुए ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित किया। इसने उपभोक्ताओं को संबंधित मामलों पर उनकी ऋण सूचना और शिकायत निवारण तक पहुंचने के लिए तंत्र भी प्रदान किया। इसके बाद, मास्टर निदेश को वापस ले लिया गया और उसमें प्रत्येक आरई के लिए निहित अनुदेश 28 नवंबर 2025 को अलग से जारी किए गए।

III.14 ऋण हामीदारी प्रक्रियाओं में ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) पर ऋण संस्थाओं (सीआई) की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, सीआई द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना की अधिक निरंतर, सटीक और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए 4 दिसंबर 2025 को संशोधन निदेश जारी किए गए थे।

3.2 परियोजना वित्त

III.15 विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा अवसंरचना और गैर-अवसंरचना (वाणिज्यिक स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा-आवासीय मकान सहित) क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा स्थापित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2025 को परियोजना वित्त संबंधी निदेश जारी किए, जिन्हें बाद में 28 नवंबर 2025 को जारी समेकित निदेशों के तहत सम्मिलित किया गया है। इन निदेशों में ऋणदाताओं के लिए लचीलेपन को संतुलित करते हुए, मजबूत जोखिम सुरक्षा उपायों के साथ दबाव के समाधान के लिए सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रमुख उपायों में वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख को बढ़ाने के लिए युक्तिसंगत समयसीमाएँ शामिल हैं – अवसंरचना परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष तक तथा गैर-अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दो वर्ष तक – साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 1 प्रतिशत (वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए 1.25 प्रतिशत) के साथ शुरू होने वाले सुविचारित मानक आस्ति प्रावधानीकरण शामिल हैं, जो प्रत्येक तिमाही के आस्थगन के साथ बढ़ता जाता है। समग्र रूप से, यह ढांचा निर्माणाधीन एक्सपोजर में निष्पादन संबंधी विलंब से जुड़े जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम करते हुए, परियोजना के समय पर और अनुशासित वित्तपोषण का समर्थन करना चाहता है।

3.3 सूक्ष्म वित्त ऋणों पर जोखिम भार की समीक्षा

III.16 आवास, शिक्षा, वाहन ऋण और स्वर्ण द्वारा रक्षित ऋण को छोड़कर, उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार 16 नवंबर 2023 को बढ़ाकर 125 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसके बाद, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2025 को उपभोक्ता ऋण की प्रकृति में, सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए जोखिम भार को संशोधित कर 100 प्रतिशत कर दिया। विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो में सम्मिलित होने के लिए अर्हता मानदंडों को पूरा करने वाले अन्य सूक्ष्म वित्त ऋणों पर 75 प्रतिशत का जोखिम भार जारी रहेगा, जो निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) द्वारा दिए गए सभी सूक्ष्म वित्त ऋणों पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार होगा।

3.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एक्सपोजर

III.17 निधीयन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता को संबोधित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को ऐसे मामलों में एनबीएफसी के लिए एससीबी के एक्सपोजर पर लागू जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की, जहां बाहरी रेटिंग के आधार पर मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम था। एक समीक्षा के उपरांत, 25 फरवरी 2025 को एनबीएफसी को बैंक ऋण देने पर जोखिम भार को संबंधित बाहरी रेटिंग के साथ संरेखित स्तरों पर बहाल किया गया था, ऐसे मामलों में जहां ऐसी रेटिंग 100 प्रतिशत से कम जोखिम भार निर्धारित करती हैं।

3.5 चलनिधि कवरेज अनुपात फ्रेमवर्क में संशोधन

III.18 प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के चलते चलनिधि जोखिमों में सहवर्ती वृद्धि को दूर करने, बैंकों की अल्पावधि चलनिधि सुदृढ़ता को मजबूत करने और वैश्विक मानकों के साथ और भी तालमेल बिठाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले बासेल III चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानदंडों को संशोधित किया। संशोधित दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के साथ सक्षम गैर-वित्तीय लघु कारोबार ग्राहकों से खुदरा जमाराशियों और असुरक्षित थोक निधीयन के लिए अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत रन-ऑफ फैक्टर[3] निर्धारित किया गया है और यह कि स्तर-1 उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों के रूप में मूल्यवर्गित सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को एलएएफ और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत मार्जिन आवश्यकताओं के अनुरूप लागू हेयरकट के लिए समायोजित किया जाएगा। दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अन्य वैध इकाई श्रेणी, जहां 100 प्रतिशत रन-ऑफ दर लागू होती है, में बैंकों/बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय सेवाओं के कारोबार में संलग्न इकाइयों से जमाराशियाँ और अन्य निधीयन शामिल होंगे, जबकि गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स (40 प्रतिशत रन-ऑफ दर के लिए पात्र) में ट्रस्ट, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी, व्यक्तियों का संघ, आदि भी सम्मिलित होंगे।

3.6 डिजिटल ऋण

III.19 डिजिटल ऋण भारत की वित्तीय प्रणाली में एक प्रमुख नवाचार के रूप में उभरा है। साथ ही, इसकी तीव्र वृद्धि ने अपविक्रय, डेटा-गोपनीयता उल्लंघन, अनुचित प्रथाओं, असपष्ट ब्याज दरें और शुल्क तथा अनैतिक वसूली विधियों जैसी चिंताओं को जन्म दिया है, विशेष रूप से अन्य पक्ष के ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) की भागीदारी के बाद। जनता के विश्वास की रक्षा करने, पारदर्शिता में सुधार लाने और उत्तरदायी आचरण सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2025 को डिजिटल ऋण निदेश जारी किए, जिनमें डिजिटल ऋण पर पहले के सभी विनियामक अनुदेशों को समेकित किया गया (बाद में 28 नवंबर 2025 को जारी ऋण सुविधाओं पर निदेशों के तहत समेकित किया गया)। निदेशों ने दो नए उपाय प्रस्तुत किए: (i) कई आरई के साथ साझेदारी करने वाले एलएसपी को निष्पक्ष तरीके से ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उधारकर्ता निष्पक्ष रूप से उनकी तुलना कर सकें, जिससे उधारकर्ताओं के पास अधिक विकल्प हों, उधारदाताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो और पक्षपाती उत्पाद नियोजन के जोखिम कम हों; और (ii) उधारकर्ताओं को डिजिटल ऋण देने वाले ऐप की वैधता और आरई के साथ संबंध को सत्यापित करने और धोखाधड़ी प्रथाओं पर अंकुश लगाने में मदद करने के लिए डिजिटल ऋण देने वाली एप्लिकेशन्स की एक केंद्रीय निर्देशिका का निर्माण।

3.7 स्वर्ण एवं चांदी के संपार्श्विक के एवज में उधार देना

III.20 आरई में विवेकपूर्ण और आचरण-संबंधी अंतराल को दूर करने तथा एक सिद्धांत-आधारित और सामंजस्यपूर्ण ढांचे की दिशा में बढ़ने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2025 को स्वर्ण एवं चांदी के संपार्श्विक के एवज में उधार देने संबंधी निदेश जारी किए। कम मूल्य के ऋणों की आवश्यकता वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार के लिए, स्वर्ण और चांदी के संपार्श्विक के एवज में उपभोग ऋणों के लिए मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात पर विनियामक सीमा को पुनः समायोजित गया। ₹2.5 लाख तक के ऋणों के लिए 75 प्रतिशत की पिछली एलटीवी सीमा को बढ़ाकर 85 प्रतिशत तथा ₹2.5 लाख से अधिक लेकिन ₹5 लाख तक के ऋणों के लिए 80 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि ₹5 लाख से अधिक राशि के ऋणों के लिए 75 प्रतिशत की पूर्ववत सीमा को बरकरार रखा गया। सहकारी बैंकों और आरआरबी पर पूर्ववत लागू स्वर्ण

[3] रन-ऑफ फैक्टर, जमाराशियों के उस अनुमानित प्रतिशत को दर्शाता है जो एक बैंक दबावग्रस्त अवधि के दौरान आहरित या अंतरित करने की प्रत्याशा करता है।

संपार्श्विक के एवज में ऋण के एकबारगी पुनर्भुगतान की राशि की विशिष्ट सीमा को हटा दिया गया था।

III.21 निविष्टि के रूप में स्वर्ण का उपयोग करने वाले उद्योगों में संलग्न उधारकर्ताओं का समर्थन करने और ऋण तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को स्वर्ण एवं चांदी के संपार्श्विक के एवज में उधार देने संबंधी निदेशों में संशोधन किया। जबकि बैंकों को आम तौर पर स्वर्ण की खरीद के लिए ऋण देने या अपरिष्कृत स्वर्ण/चांदी के संपार्श्विक के बदले ऋण देने से प्रतिबंधित किया जाता है, पहले के दिशानिर्देशों में एससीबी को जौहरियों को आवश्यकता-आधारित कार्यशील पूंजी ऋण देने की अनुमति दी गई थी। रिज़र्व बैंक ने टियर 3 और 4 यूसीबी को भी अनुमति दी है कि वे उन उधारकर्ताओं को आवश्यकता-आधारित कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करें जो स्वर्ण या चांदी का कच्चे माल के रूप में, या अपने विनिर्माण या औद्योगिक प्रसंस्करण गतिविधि में निविष्टि के रूप में उपयोग करते हैं।

3.8 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी संशोधन

III.22 ग्राहकों के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) अद्यतनीकरण की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को केवाईसी निदेशों में संशोधन किया। एकल ग्राहक के संबंध में, जिसे कम जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, विनियमित संस्था सभी लेनदेनों की अनुमति देगी और केवाईसी के लिए अपनी नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर या 30 जून 2026 तक, जो भी बाद में हो, केवाईसी अद्यतनीकरण सुनिश्चित करेगी। ऐसे ग्राहकों के खातों की नियमित निगरानी की जाएगी। बैंकों को केवाईसी में कोई परिवर्तन न होने या केवल पते के विवरण में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राहकों से स्व-घोषणा प्राप्त करने के लिए कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग करने की अनुमति है, या तो बायोमेट्रिक ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक विकल्प उपलब्ध होने तक भौतिक रूप में, जिसमें बीसी पावती प्रदान करते हैं और बैंक अंतिम जिम्मेदारी बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, आरई को केवाईसी की नियत तारीख से पहले कम-से-कम तीन अग्रिम नोटिस भेजने होंगे, जिसमें एक पत्र द्वारा भेजा जाएगा तथा नियत तारीख के बाद कम-से-कम तीन अनुस्मारक भेजने होंगे, जिनके साथ केवाईसी को अद्यतन करने के लिए स्पष्ट अनुदेश, मदद मांगने के लिए आगे के स्तर पर भेजने के लिए विकल्प (एस्केलेशन ऑप्शन्स) और अननुपालन के प्रभाव की जानकारी संलग्न होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी संचार रिकॉर्ड किए गए हैं, इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 तक किया जाना आवश्यक है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में शिविर आयोजित करें और गहन अभियान चलाएं ताकि केवाईसी खातों के आवधिक अद्यतनीकरण में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटान किया जा सके।

III.23 ग्राहकों, विशेष रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण (ईबीटी), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) और छात्रवृत्ति खातों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को केवाईसी के अद्यतनीकरण/आवधिक अद्यतनीकरण पर अनुदेशों में संशोधन किया। संशोधित ढांचा कारोबार प्रतिनिधियों को आधार ओटीपी, डिजिलॉकर, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी), एवं डिजिटल और गैर-डिजिटल चैनलों के माध्यम से स्व-घोषणा जैसे मौजूदा विकल्पों के अलावा केवाईसी अद्यतनीकरण में सहायता करने की अनुमति देता है।

III.24 केवाईसी अनुपालन में उपलब्धता, समावेशिता और स्पष्टता को और बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2025 में केवाईसी निदेशों में पुनः संशोधन जारी किए। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) आरई यह सुनिश्चित करें कि ऑनबोर्डिंग या केवाईसी अद्यतनीकरण आवेदनों को समुचित विचार के बिना अस्वीकार नहीं किया जाए तथा अस्वीकृति के कारण विधिवत दर्ज किया जाएँ; (ii) ₹50,000 या उससे अधिक के सामयिक लेन-देनों और किसी भी अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण के लिए किसी अन्य पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक समुचित सावधानी पर निर्भरता बढ़ाना; (iii) आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की एक वैध विधि के रूप में आधार फेस ऑथेंटिकेशन को शामिल करना; और (iv) वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के दौरान यह सुनिश्चित करना कि जीवंतता जांच में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वर्जित नहीं किया जाएगा।

3.9 बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावाकृत जमाराशियाँ

III.25 रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को निष्क्रिय खातों और अदावाकृत जमाराशियों पर अपने अनुदेशों में संशोधन किया। बैंकों को अब ग्राहकों को सभी शाखाओं (गैर-घरेलू शाखाओं सहित) में ऐसे खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए केवाईसी अद्यतन करने की अनुमति देनी होगी, और वीडियो केवाईसी (वी-सीआईपी) का विकल्प भी प्रदान करना होगा। बैंक इन खातों के सक्रियण हेतु केवाईसी अद्यतनीकरण की सुविधा के लिए अधिकृत कारोबार प्रतिनिधियों का उपयोग कर सकते हैं।

III.26 अदावाकृत जमाराशियों के स्टॉक को कम करने तथा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में नवीन अभिवृद्धि के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2025 को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय खाते और अदावाकृत जमाराशियों के त्वरित भुगतान की सुविधा के लिए योजना शुरू की। इस अवधि के दौरान, बैंक, खातों की निष्क्रियता अवधि और अदावाकृत जमाराशि की मात्रा, निष्क्रिय खातों के पुनः सक्रियण और उचित दावेदारों को भुगतान की गई अदावाकृत जमाराशियों के लिए अलग-अलग भुगतान हेतु पात्र होंगे।

3.10 ऋणों पर पूर्व-भुगतान शुल्क

III.27 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए किफायती और पारदर्शी वित्तपोषण सुनिश्चित करने तथा विनियमित संस्थाओं द्वारा अलग-अलग प्रथाओं और प्रतिबंधात्मक खंडों को अपनाने से ग्राहकों को होने वाली शिकायतों की रोकथाम के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2025 को ऋणों पर पूर्व-भुगतान शुल्क निदेश 2025 जारी किए, जो 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद संस्वीकृत या नवीनीकृत ऋणों और अग्रिमों के मामले में लागू होंगे। इन निदेशों के तहत, विनियमित संस्थाएं, अन्य बातों के साथ-साथ, अस्थिर दर ऋणों और अग्रिमों के लिए निम्नलिखित निदेशों का पालन करेंगी: (i) गैर-कारोबारी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को दिए गए ऋणों पर कोई पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं होगा; और (ii) व्यक्तियों और एमएसई को कारोबारी उद्देश्यों के लिए आरई की निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा दिए गए ऋणों पर कोई पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं, जो प्रारंभिक सीमा के अधीन होगा [उदाहरण के लिए, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), आरआरबी, ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी), एनबीएफसी-मध्यम स्तर और टियर 3 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ₹50 लाख तक के ऋण)]।

3.11 वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश

III.28 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश के लिए विनियामक दिशानिर्देशों को अद्यतन और सुव्यवस्थित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 29 जुलाई 2025 को निदेश जारी किए। निदेशों के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं: (i) एआईएफ योजना में एकल विनियमित संस्था का योगदान उसकी मूल निधि (कॉर्पस) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, और सभी आरई द्वारा सामूहिक योगदान 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; (ii) यदि कोई आरई किसी एआईएफ योजना में पाँच प्रतिशत से अधिक का निवेश करती है जिसमें आरई की देनदार कंपनी के लिए अधोवाही (डाउनस्ट्रीम) गैर-इक्विटी एक्सपोजर है, तो उसे प्रत्यक्ष एक्सपोजर राशि तक सीमित आनुपातिक एक्सपोजर के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करना होगा; और (iii) यदि आरई का योगदान गौण इकाइयों के रूप में है, तो पूरे निवेश की कटौती उसकी पूंजीगत निधियों से की जानी चाहिए, आनुपातिक रूप से टियर -1 और टियर -2 पूंजी, दोनों से, जहां भी लागू हो।

3.12 सह-उधार व्यवस्थाएँ

III.29 एक स्पष्ट विनियामक ढांचा प्रदान करने एवं विनियमित संस्थाओं के बीच सह-उधार व्यवस्थाओं (सीएलए) के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2025 को सह-उधार व्यवस्था संबंधी निदेश जारी किए। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी इन निदेशों का उद्देश्य विवेकपूर्ण और आचरण मानकों, पारदर्शिता और परिचालन स्पष्टता को सुनिश्चित करना है। प्रमुख उपायों में शामिल हैं: (i) सभी ऋणों के लिए सह-उधार ढांचे का विस्तार करना – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) या अन्यथा; (ii) मूल ऋणदाता द्वारा न्यूनतम ऋण प्रतिधारण को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना; (iii) बकाया ऋणों के 5 प्रतिशत तक चूक हानि गारंटी कवर की

अनुमति देना; और (iv) विनियामक अंतरपणन से बचने के लिए 15 दिनों के भीतर ऋण जोखिम अंतरण को अनिवार्य करना। ये निदेश उधारकर्ता के लिए सुरक्षा उपायों और बाजार अनुशासन को भी मजबूत करते हैं। सामूहिक रूप से, इन उपायों का उद्देश्य हामीदारी मानकों में सुधार करते हुए सह-उधार बाजार के विकास को प्रोत्साहित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सह-उधार संरचनाओं के दुरुपयोग को रोकना है।

3.13 गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं

III.30 गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाओं जैसे गारंटी, साख-पत्र एवं सह-स्वीकृतियों पर दिशानिर्देशों को सुसंगत और समेकित करने के साथ-साथ अवसंरचना वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण स्रोतों को व्यापक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2025 को गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं पर निदेश जारी किए। यह ढांचा स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक गारंटियों को मान्यता देता है तथा सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों द्वारा गारंटी जारी करने की विशिष्ट सीमाओं सहित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों को भी लागू करता है। आंशिक ऋण वर्धन (पीसीई) दिशानिर्देशों के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तनों में बाजार के विकास के साथ विवेकपूर्ण निगरानी को संतुलित करने के लिए, पीसीई के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं के दायरे का विस्तार और युक्तिकरण शामिल है।

3.14 विनियमन निरूपण के लिए रूपरेखा

III.31 यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनियमन[4] निरूपण और संशोधन एक पारदर्शी, परामर्शी और मानकीकृत दृष्टिकोण का पालन करते हों, रिज़र्व बैंक ने 7 मई 2025 को विनियमन निरूपण के लिए रूपरेखा जारी की। यह ढांचा रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमों का मसौदा तैयार करने, संशोधन करने और समीक्षा करने के लिए व्यापक सिद्धांत स्थापित करता है। प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं: (i) एक मसौदा जारी करने के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श और अन्य बातों के साथ-साथ, विनियमन के उद्देश्य पर प्रकाश डालने वाले विवरणों का एक ब्यौरा; (ii) प्रभाव विश्लेषण (जहां तक संभव हो); (iii) प्राप्त जन-सुझावों के उत्तर का सामान्य विवरण जारी करना; और (iv) घोषित उद्देश्यों, प्राप्त अनुभव, परिवर्तित वातावरण में प्रासंगिकता और अतिरेक को कम करने की गुंजाइश जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक समीक्षा।

3.15 नामांकन सुविधा संबंधी निदेश

III.32 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं नामांकन नियमों में संशोधन के साथ, नामांकन सुविधा पर विनियामक अनुदेशों को संरेखित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 28 अक्टूबर 2025 को जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकर और बैंकों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं में नामांकन सुविधा संबंधी निदेश जारी किए। इन निदेशों के तहत, सभी बैंकों को नामांकन सुविधा प्रदान करनी होगी और ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में सूचित करना होगा, आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर समुचित सत्यापन के बाद नामांकन रिकॉर्ड और स्वीकार करना होगा, तथा पासबुक/खाता विवरण/सावधि जमा रसीद में नामिती के विवरण के साथ "नामांकन पंजीकृत" प्रदर्शित करना होगा।

3.16 बैंकों के दिवंगत ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान

III.33 दिवंगत ग्राहकों के परिवारों को होने वाली मुश्किल और असुविधा को कम करने के लिए तथा दावों के निपटान की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2025 को बैंकों के दिवंगत ग्राहकों के संबंध में दावों के निपटान निदेश जारी किए। एक वैध नामांकन या उत्तरजीविता खंड वाले खातों के लिए, बैंक, कानूनी दस्तावेजों जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन का पत्र, वसीयत प्रमाणपत्र की आवश्यकता

[4] इस रूपरेखा के प्रयोजन के लिए, "विनियमों" में सभी विनियमन, निदेश, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं, आदेश, नीतियों, विनिर्देशों और मानकों को शामिल किया गया है, जैसा कि बैंक द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों द्वारा या उनके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

के बिना सीधे नामिती या उत्तरजीवी को शेष राशि का भुगतान करेंगे, बशर्ते कि नामिती/उत्तरजीवी की पहचान और ग्राहक की मृत स्थिति सत्यापित हो और कोई भी अदालत का आदेश बैंक को भुगतान करने या नामिती/उत्तरजीवी को भुगतान प्राप्त करने से अवरोधित नहीं करता है। बिना नामिती/उत्तरजीविता खंड वाले खातों के लिए, बैंक, परिपत्र में निर्धारित एक प्रारंभिक सीमा या दावे के निपटान के लिए उनके द्वारा तय की जाने वाली उच्च सीमा निर्धारित करेंगे। इसके अलावा, परिपत्र में निर्धारित दस्तावेजों को बैंकों के विवेक पर छोड़ने के बजाय प्राप्त किया जाएगा। सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं तक पहुंच, समान सरलीकृत नियमों का पालन करती है। बैंकों को 15 कैलेंडर दिवसों के भीतर दावों का निपटान करना होगा अन्यथा दावेदार को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

3.17 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ताओं के बकायों के निपटान पर दिशानिर्देश

III.34 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा बकाया राशि के एकबारगी निपटान (ओटीएस) पर लागू मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई और 20 जनवरी 2025 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि: (i) बकाया राशि की वसूली के सभी संभावित तरीकों की जांच करने और ओटीएस को उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प मानने के बाद उधारकर्ता के साथ निपटान किया जाना चाहिए; (ii) ₹1 करोड़ से अधिक के कुल बकाया मूल्य वाले खातों के साथ-साथ धोखाधड़ी अथवा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के सभी खातों का निपटान, पेशेवरों की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा प्रस्ताव की जांच किए जाने के बाद किया जाना चाहिए और उसके बाद कम-से-कम दो स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए; और (iii) ₹1 करोड़ से कम के कुल बकाया मूल्य वाले खातों का निपटान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो संबंधित वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण में संलग्न था, उसी वित्तीय आस्ति के ओटीएस प्रस्ताव के प्रसंस्करण/अनुमोदन का हिस्सा नहीं होगा।

3.18 अग्रिमों पर ब्याज दर

III.35 ऋणदाताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करते हुए, उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को अग्रिम पर ब्याज दर निदेशों में संशोधन के माध्यम से अस्थिर दर वाले ऋणों को नियंत्रित करने वाले ढांचे को संशोधित किया। पूर्व में, जबकि अस्थिर दर-खुदरा एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋणों को बाहरी बेंचमार्क के साथ आधारित किया गया था, बैंक तीन वर्षों में केवल एक बार ऐसी ब्याज दरों में स्प्रेड घटकों (ऋण जोखिम प्रीमियम के अलावा) में बदलाव कर सकते थे। इसके अलावा, आरई को ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित वैयक्तिक ऋणों के संबंध में उधारकर्ताओं को निश्चित दरों पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया था। यह संशोधन बैंकों को न्यायसंगत आधार पर, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से और बैंक की नीति के संदर्भ में ग्राहक प्रतिधारण के लिए तीन वर्ष से पहले अन्य स्प्रेड घटकों को कम करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, आरई अपनी इच्छानुसार, रीसेट के समय उधारकर्ताओं को अपनी बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प दे सकते हैं।

3.19 *बासेल III पूंजी विनियमन - अतिरिक्त टियर 1 पूंजी स्थायी कर्ज लिखत सीमा*

III.36 विदेशी बाजारों के माध्यम से बैंकों को अपनी टियर 1 पूंजी को बढ़ाने के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को विदेशी मुद्रा/रुपये

में मूल्यवर्गित बॉण्डों में अंकित स्थायी कर्ज लिखतों पर लागू मौजूदा पात्र सीमा को संशोधित किया।

3.20 स्वर्ण धातु ऋण

III.37 पात्र उधारकर्ता खंडों में मौजूदा स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) योजना को सुसंगत बनाने और बैंकों को अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने अपेक्षित सार्वजनिक चर्चा के बाद 4 दिसंबर 2025[5] को जीएमएल पर व्यापक और सिद्धांत-आधारित विनियमन जारी किए हैं। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) बैंक को अपनी नीति के अनुसार जौहरियों (आभूषण निर्यातकों के अलावा) को जीएमएल के लिए पुनर्भुगतान अवधि तय करने की अनुमति देना, जो जौहरी के कार्यशील पूंजी चक्र के अनुरूप हो और 270 दिनों की सीमा (मौजूदा 180 दिनों से संशोधित) के अधीन हो; और (ii) उन जौहरियों को जीएमएल की अनुमति देकर पात्रता का विस्तार करना जो स्वयं विनिर्माता नहीं हैं, लेकिन विनिर्माण फर्मों/कारीगरों/सुनारों को रोजगार के आधार पर आभूषणों के अपने विनिर्माण को आउटसोर्स करते हैं।

3.21 बृहत् एक्सपोजर ढाँचा तथा अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोजर

III.38 भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के एक्सपोजर के विवेकपूर्ण निरूपण को स्पष्ट करने तथा बृहत् एक्सपोजर ढाँचे (एलईएफ) तथा अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोजर (आईटीई) के तहत कतिपय मानदंडों को संरेखित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2025 को वाणिज्यिक बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन संबंधी संशोधन निदेश जारी किए। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को उनके अपने समूह के भीतर अलग-अलग वैध इकाइयों के लिए एक्सपोजर को आईटीई के तहत माना जाएगा। इसके अलावा, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं की उनके प्रधान कार्यालय के लिए एक्सपोजर की गणना एलईएफ के तहत की जाएगी और इस तरह के एक्सपोजर, केंद्रीय रूप से समाशोधित या अन्यथा, पर सकल आधार पर विचार किया जाएगा; (ii) विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के लिए सभी एक्सपोजर के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) लाभ के दायरे में विस्तार; (iii) ऋण संपरिवर्तन कारकों और सीआरएम ऑफसेटों के उपयोग की अनुमति देकर एलईएफ के साथ आईटीई संगणना का संरेखण; और (iv) चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों के बजाय आईटीई सीमा को टियर 1 पूंजी से जोड़ना।

3.22 डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण का युक्तिकरण

III.39 इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के बढ़ते महत्व को स्वीकारते हुए और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल बैंकिंग चैनल प्रारंभ करने के लिए एक समेकित और अद्यतनीकृत ढांचा 28 नवंबर 2025 को जारी किया गया था।

3.23 बैंकों द्वारा कारोबार और निवेश के स्वरूपों पर अनुदेश

III.40 बैंकों को जोखिम वहन करने वाली गतिविधियों से दूर करने के साथ-साथ एक सुव्यवस्थित बैंक समूह संरचना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंकों द्वारा कारोबार एवं निवेश के स्वरूपों पर अंतिम अनुदेश 5 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं (i) इस सिद्धांत का समावेश कि कारोबार के प्रत्येक खंड का निष्पादन बैंक समूह में प्राथमिकता के साथ एक ही इकाई द्वारा किया जाए; (ii) ऋण कारोबार करने वाली बैंकों की समूह इकाइयों के लिए विशिष्ट शर्तों का निर्धारण, (iii) बैंकों द्वारा समूह-व्यापी पूंजी आयोजना और आबंटन के लिए ढांचे की आवश्यकता; (iv) बैंक समूह द्वारा किसी इकाई में निवेश करने के लिए सामान्य अनुमति सीमा में छूट (बैंक के निवेश के साथ या

[5] भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2025 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2025।

उसके बिना); और (v) एआरसी के लिए किसी एक बैंक के प्रायोजन को एक एआरसी तक सीमित करना, जिसमें एक बैंक समूह की एक एआरसी में कुल शेयरधारिता 20 प्रतिशत से कम तक सीमित हो।

3.24 लेनदेन खातों से संबंधित निदेश

III.41 उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को लागू करने के साथ-साथ ऋणदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए, लेन-देन खातों[6] के परिचालन पर प्रतिबंध लगाए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह ऋणदाता बैंक (बैंकों) के माध्यम से भेजे जाएँ। प्रतिबंधों के अंतर्निहित इरादे को बनाए रखते हुए, उन्हें तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए अनुदेशों की समीक्षा की गई। इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा 11 दिसंबर 2025 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए थे। चूंकि नकदी ऋण खाता मुख्य रूप से एक कार्यशील पूंजी सुविधा है, इसलिए ऐसे खातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, जो बैंक उधारकर्ता के लिए बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोजर में; या उधारकर्ता[7] के लिए बैंकिंग प्रणाली के कुल निधि-आधारित एक्सपोजर में न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हों, वे बिना प्रतिबंधों के चालू खातों और ओवरड्राफ्ट खातों को बनाए रख सकते हैं।

3.25 बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देशों को वापस लेना

III.42 बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देश अगस्त 2016 में प्रस्तुत किए गए थे, जिनका उद्देश्य किसी एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के प्रति बैंकिंग प्रणाली के कुल ऋण जोखिम से उत्पन्न होने वाले संकेंद्रण जोखिम को दूर करना और ऐसे बड़े कॉरपोरेट्स को अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना था। समीक्षा के बाद, दिशानिर्देशों की शुरुआत के बाद से कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए बैंक वित्तपोषण के प्रोफाइल में स्पष्ट परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, 1 अक्टूबर 2025 को दिशानिर्देशों को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया था। हितधारकों की प्रतिक्रिया की जांच के बाद, 4 दिसंबर 2025 को बाजार तंत्र संबंधी ढांचे पर मौजूदा अनुदेशों का निरसन करने का निर्णय लिया गया। जबकि बृहत् एक्सपोजर ढांचा एकल बैंक-स्तर पर संकेंद्रण जोखिम का समाधान करता है, बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर संकेंद्रण जोखिम की निगरानी और प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता निगरानी के भाग के रूप में किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

3.26 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए अर्हक आस्ति मानदंड की समीक्षा

III.43 सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों, उद्योग-जगत से प्राप्त फीडबैक एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) को अपनी आस्तियों को अपेक्षाकृत कम संवेदनशील क्षेत्रों में विविधतापूर्वक निवेशित करने की अनुमति देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2025 को एनबीएफसी-एमएफआई के लिए अर्हक आस्ति (क्यूए) मानदंड को कुल आस्तियों के 75 प्रतिशत के पूर्ववत निर्देश से संशोधित कर कुल आस्तियों का 60 प्रतिशत (अमूर्त आस्तियों द्वारा समाशोधित) कर दिया।

सहकारी बैंक

3.27 शहरी सहकारी बैंकों के विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण

III.44 अधिक जोखिमपूर्ण स्थावर संपदाओं के लिए जोखिम को संतुलित करते हुए वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए ऋण

---

[6] चालू खातों, नकदी ऋण खातों और ओवरड्राफ्ट खातों को सामूहिक रूप से लेनदेन खाते कहा जाता है।

[7] ये शर्तें उन ग्राहकों के लिए लागू होती हैं जिनके लिए बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, जबकि ₹10 करोड़ से कम के कुल एक्सपोजर के मामले में, बैंक बिना किसी प्रतिबंध के चालू खाता या ओवरड्राफ्ट खाता बनाए रख सकता है।

प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, 24 फरवरी 2025 को स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) एक्सपोजर के लिए यूसीबी के ऋणों की विवेकपूर्ण सीमाओं और संदर्भ मापदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया। एक यूसीबी के 'व्यक्तियों को दिये गए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के आवास ऋण' और 'स्थावर संपदा क्षेत्र - व्यक्तियों को दिये गए आवास ऋण को छोड़कर' के कुल एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमा को संशोधित कर उसके कुल ऋणों एवं अग्रिमों के क्रमशः 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत पर संशोधित किया गया, जो पहले सभी स्थावर संपदा एक्सपोजर के लिए कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत पर निर्धारित थी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए, पात्र व्यक्तियों को दिए जाने वाले आवास ऋण के लिए कोई समग्र ऋण सीमा निर्धारित नहीं की गई है। टियर 3 और टियर 4 यूसीबी द्वारा दिए जाने वाले वैयक्तिक आवास ऋणों की मात्रा की सीमा को ₹1.40 करोड़ की पिछली सीमा से बढ़ाकर क्रमशः ₹2 करोड़ और ₹3 करोड़ कर दिया गया था। यूसीबी के कम मूल्य के ऋण के लिए पूंजी से जुड़ी मौद्रिक सीमा को भी टियर-1 पूंजी के 0.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत कर दिया गया, साथ-ही-साथ ऐसे ऋणों पर स्थिर सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर दिया गया। यह उल्लेख करना उचित होगा कि यूसीबी को 31 मार्च 2026 तक अपने कुल ऋण और अग्रिमों का कम-से-कम 50 प्रतिशत हिस्सा कम मूल्य वाले ऋणों के रूप में रखना होगा।

3.28 सहकारी बैंकों के लिए कारोबार प्राधिकरण

III.45 यूसीबी, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की कारोबारी गतिविधियों के प्राधिकरण, विनियमन और रिपोर्टिंग के ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2025 को शहरी सहकारी बैंक - शाखा प्राधिकरण निदेश, 2025 और ग्रामीण सहकारी बैंक - शाखा प्राधिकरण निदेश, 2025 जारी किए। इन निदेशों ने यूसीबी पर लागू पहले के वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को कारोबार प्राधिकरण के लिए नए पात्रता मानदंड (ईसीबीए) के साथ बदल दिया और इसे आरसीबी के लिए भी विस्तारित किया गया। तदनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से कम-से-कम 1 प्रतिशत अंक अधिक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), 3 प्रतिशत या उससे कम की निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और निवल लाभ बनाए रखें, सीआरआर/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के निर्देशों का पालन करें तथा कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और अभिशासन मानकों को कार्यान्वित करें।

III.46 यूसीबी को जमाराशि आकार के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें उच्च स्तर सख्त विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं। टियर 3 और 4 में बड़े यूसीबी को, न्यूनतम मूल्यांकित निवल मालियत ₹50 करोड़ और ईसीबीए अनुपालन के साथ, अपने राज्य से बाहर अपने परिचालन का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी, जो कि रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से प्रति वर्ष दो राज्यों तक के साथ-साथ प्रत्येक प्रस्तावित राज्य में कम-से-कम पांच शाखाओं के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पूंजी के अधीन था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक यूसीबी को अपने पूरे जिले में विस्तार करने तथा ईसीबीए के अनुरूप होने पर, पूर्व अनुमोदन के बिना, पंजीकरण वाले राज्य के भीतर तीन अतिरिक्त जिलों तक विस्तार करने की अनुमति दी गई थी।

3.29 जलवायु परिवर्तन जोखिम

III.47 वैश्विक घटनाक्रमों के साथ-साथ घरेलू पारितंत्र की परिपक्वता को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन जोखिमों के लिए विनियामक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक आरई में विशिष्ट क्षमताओं और तकनीकी विशेषज्ञता के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बिल्डिंग ब्लॉक दृष्टिकोण का पालन कर रहा है। इस दिशा में, वर्ष भर में व्यापक हितधारक चर्चाएँ और क्षमता निर्माण पहलें की गईं, जिनमें बोर्ड के सदस्यों और आरई के शीर्ष प्रबंधन को सुग्राही बनाना भी शामिल था। रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली

(आरबी-सीआरआईएस)[8] को कार्यशील बनाने के संबंध में कार्य प्रक्रियाधीन है।

4. प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष

III.48 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए समीक्षा अवधि के दौरान प्रौद्योगिकीय प्रगति की एक शृंखला शुरू की। प्रमुख उपायों में शामिल हैं: (i) वित्तीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित और पारदर्शी रूप से अंगीकृत करने को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उत्तरदायी और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा को जारी करना; (ii) सभी विनियामक आवेदनों का डिजिटलीकरण करने वाले एक एकीकृत वेब-आधारित पोर्टल 'प्रवाह' की शुरुआत; और (iii) साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए .bank.in एवं .fin.in जैसे विशिष्ट इंटरनेट डोमेन का प्रारंभ। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम दो कारक प्रमाणीकरण ढांचे को मजबूत करने और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक सिद्धांत-आधारित प्रमाणीकरण ढांचा जारी किया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। साथ मिलकर, ये प्रयास भारत में एक सुरक्षित, सहज और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

4.1 एआई के उत्तरदायी और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा

III.49 रिज़र्व बैंक ने 13 अगस्त 2025 को एआई (फ्री-एआई) के उत्तरदायी और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा जारी की, जिसमें वित्तीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी और नैतिक अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की गई, और जोखिम न्यूनीकरण के साथ नवाचार को संतुलित किया गया। एआई को एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो वित्तीय समावेशन, दक्षता और ग्राहक सेवा में लाभ प्रदान करती है, वहीं, पूर्वाग्रह, अस्पष्टता, साइबर सुरक्षा खतरों और डेटा गोपनीयता चिंताओं जैसे जोखिम उत्पन्न करती है। एआई अंगीकरण हेतु मार्गदर्शन करने के लिए, फ्री-एआई समिति ने सर्वेक्षण, हितधारक परामर्श आयोजित किए और सात सूत्र विकसित किए - विश्वास, लोगों को प्राथमिकता, अवरोध के बजाय नवाचार, जवाबदेही, निष्पक्षता और इक्विटी, डिजाइन द्वारा समझने योग्य, तथा सुरक्षा, सुदृढ़ता एवं धारणीयता – जो मूल सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं।

III.50 यह रूपरेखा तीन स्तंभों के माध्यम से नवोन्मेष को बढ़ावा देती है - अवसंरचना, नीति और क्षमता - जिनमें साझा वित्तीय क्षेत्र डेटा प्लेटफॉर्म, एआई नवोन्मेष परीक्षण-स्थल (इनोवेशन सैंडबॉक्स), स्वदेशी क्षेत्र-विशिष्ट एआई मॉडल, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ एकीकरण, वित्तपोषण सहायता तथा आरई एवं विनियामकों, दोनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसी पहलें शामिल हैं। जोखिमों को कम करने के लिए, यह निम्न अभिशासन, सुरक्षा और आश्वासन उपायों को स्थापित करता है: बोर्ड अनुमोदित एआई नीतियां, डेटा जीवनचक्र और मॉडल अभिशासन, एआई-विशिष्ट उत्पाद अनुमोदन, साइबर सुरक्षा, रेड-टीमिंग, व्यवसाय निरंतरता योजना, घटना की रिपोर्टिंग, एआई इन्वेंटरी, लेखा परीक्षाएँ और सार्वजनिक प्रकटीकरण।

III.51 रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए दो अलग-अलग सर्वेक्षणों से लघु यूसीबी, एनबीएफसी और एआरसी के बीच एआई के सीमित अंगीकरण के बारे में पता चला, जो मुख्य रूप से सरल नियम-आधारित या मध्यम जटिल मशीन लर्निंग (एमएल) मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, जबकि बड़े बैंक प्रारंभिक चरण के एआई अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं। अंगीकरण बाधाओं में उच्च लागत, प्रतिभा अंतराल, अपर्याप्त डेटा और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, जबकि समावेशन-उन्मुख उपयोगकर्ता दृष्टिकोण सहायिका (यूज केसेस) वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग, बहुभाषी चैटबॉट, स्वचालित केवाईसी और एजेंट बैंकिंग में संभावना दर्शाती हैं।

4.2 विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म (प्रवाह)

III.52 विनियमित संस्थाओं और व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों, अनुरोधों और संदर्भों को प्रस्तुत और संसाधित करने के लिए

[8] जलवायु से संबंधित डेटा अंतराल को पाटने और आरई द्वारा व्यापक जलवायु जोखिम आकलन को सक्षम करने के लिए, आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में एक डेटा रिपॉजिटरी, यथा रिजर्व बैंक – जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) के निर्माण की घोषणा की।

एक सुरक्षित, केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल 'प्रवाह' को पारदर्शी तरीके से सेवाओं की निर्बाध और तेज़ डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 28 मई 2024 को सफलतापूर्वक आरंभ किया गया था। 'प्रवाह' को रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्यप्रवाह एप्लिकेशन 'सारथी' के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे आवेदनों के पूरे प्रसंस्करण जीवनचक्र का संपूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित होता है। 'प्रवाह' ने विनियमित संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए कारोबारी सुगमता लायी है। रिज़र्व बैंक ने 1 मई 2025 से सभी विनियमित संस्थाओं के लिए विशिष्ट रूप से 'प्रवाह' पोर्टल के माध्यम से विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करना अनिवार्य किया है। 18 दिसंबर 2025 तक, 'प्रवाह' में 191 सेवाओं से संबंधित फॉर्म उपलब्ध हैं।

4.3 विशिष्ट इंटरनेट डोमेन - .bank.in एवं .fin.in

III.53 डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों का सामना करने के लिए, 22 अप्रैल 2025 को भारतीय बैंकों के लिए '.bank.in' के रूप में एक विशेष इंटरनेट डोमेन प्रस्तुत किया गया। इसे बाद में '.fin.in' के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में गैर-बैंक संस्थाओं तक विस्तारित करने का प्रस्ताव था। इन डोमेन का उद्देश्य ग्राहकों को वैध बैंक वेबसाइटों की पहचान कराने और फिशिंग एवं अन्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करने में मदद करना है। 1 दिसंबर 2025 तक, 638 बैंकों ने डोमेन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें से 479 बैंक '.bank.in' डोमेन में स्थानांतरित (माइग्रेट) हो चुके हैं।

4.4 डिजिटल भुगतान लेनदेनों के लिए अधिप्रमाणन तंत्र

III.54 भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान पारितंत्र की सुरक्षा और सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2025 को डिजिटल भुगतान लेनदेन निदेशों के लिए अधिप्रमाणन तंत्र जारी किए। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी इन निदेशों में प्रमाणीकरण के कारकों में से कम-से-कम एक गतिशील रूप से बनाए जाने या सिद्ध किए जाने की आवश्यकता होगी। यह मजबूती, अंतर-परिचालनीयता और जोखिम-आधारित जांच पर जोर देता है, जबकि गैर-अनुपालन के मामले में जारीकर्ताओं को ग्राहकों के नुकसान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाता है। यह डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुपालन को भी अनिवार्य बनाता है और सीमा-पार कार्ड-नॉट-प्रेजेंट लेनदेन को मान्य करने के लिए तंत्र पेश करता है, जिससे डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा और विश्वास, दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

5. वित्तीय बाजार

III.55 भारत में वित्तीय बाजार पूंजी के कुशल संग्रहण और आबंटन को सुगम बनाकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निवेश और चलनिधि के अवसर प्रदान कर, वित्तीय बाजार मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक पूंजी निर्माण में योगदान करते हैं। इसके अलावा, वे बचत को प्रोत्साहित करके, वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर और व्यवसायों के विस्तार के लिए उन्हें धन संग्रह में सक्षम बनाकर आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हैं। जैसे-जैसे भारत अपने वित्तीय पारितंत्र का उदारीकरण और डिजिटलीकरण जारी रखता है, समावेशी और सुदृढ़ आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए सुविनियमित और गहन वित्तीय बाजारों का महत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिशा में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमों को सरल बनाकर और नवाचारों को प्रोत्साहित करके वित्तीय बाजारों में पैठ बढ़ाने और उन्हें विकसित करने के प्रयासों को आगे जारी रखा है।

5.1 पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) निदेश

III.56 रेपो लेनदेन पर मौजूदा निदेशों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियाँ, सूचीबद्ध कॉरपोरेट बॉण्ड और डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र और कर्ज ईटीएफ की इकाइयाँ पात्र प्रतिभूतियों के रूप में शामिल हैं। समीक्षा के उपरांत, नगरपालिका कर्ज प्रतिभूतियों को रेपो लेनदेन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में शामिल

किया गया है। इससे ऐसी प्रतिभूतियों की चलनिधि को बढ़ावा मिलेगा और नगरपालिका बॉण्ड के लिए बाजार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, साथ ही रेपो और रिवर्स रेपो बाजारों के लिए उपलब्ध लिखतों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।

5.2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

III.57 इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करते हुए, 16 जून 2025 को जारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मास्टर निदेशों ने 2018 के ढांचे, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को छोड़कर प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा लिखतों और डेरिवेटिव्स जैसे पात्र लिखतों में लेनदेन को सुगम बनाता है, का स्थान लिया। इस ढांचे में परिचालन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन के लिए विस्तृत आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें निष्पक्ष पहुंच नियम, ऑनबोर्डिंग में समुचित सावधानी, व्यापार-पूर्व और पश्चात पारदर्शी प्रकटीकरण, विवाद समाधान, निगरानी, सूचना सुरक्षा, वार्षिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/ सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा-परीक्षाएँ, व्यवसाय निरंतरता आयोजना और डेटा संरक्षण संबंधी सख्त मानदंड शामिल हैं। यह ढांचा प्राधिकरण को भी सुव्यवस्थित करता है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल है, और छूट प्राप्त संस्थाओं के लिए परिचालन लोच के साथ विनियामक निगरानी को संतुलित करता है।

5.3 सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक दलालों (ब्रोकर) की तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान तक पहुंच

III.58 पहुंच को व्यापक बनाने की दृष्टि से, सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंक दलालों को अपने ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान [निगोशिएट डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम)] तक सीधी पहुंच प्रदान की गई है। ये ब्रोकर इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और शर्तों के अधीन एनडीएस-ओएम तक पहुंच स्थापित (एक्सेस) सकते हैं।

5.4 सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) की शुरुआत

III.59 बीमा निधियों जैसे दीर्घावधि निवेशकों को ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाएँ प्रस्तुत की गई हैं, जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में बॉण्ड का उपयोग करने वाले डेरिवेटिव के कुशल मूल्य निर्धारण की सुविधा भी प्रदान करेंगी।

5.5 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉरपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश - छूट

III.60 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को निवेश में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2025 को सामान्य मार्ग के तहत कॉरपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए छूट की घोषणा की। विशेष रूप से, कर्ज लिखतों में अल्पकालिक निवेश सीमा और संकेंद्रण सीमा का पालन करने की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

5.6 मुद्रा बाजार खंडों के लिए बाजार समय का विस्तार

III.61 बाजार के विकास को सुगम बनाने, मूल्य निर्धारण को बढ़ाने और चलनिधि आवश्यकताओं को अनुकूलित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने मुद्रा बाजार के संपार्श्विक और असंपार्श्विक, दोनों खंडों के बाजार समय में बदलाव की घोषणा की। माँग मुद्रा लेनदेन के लिए मार्केट ट्रेडिंग समय 1 जुलाई 2025 से शाम 5:00 बजे के बजाय शाम 7:00 बजे तक और बाजार रेपो और त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपी) लेनदेन के लिए, 1 अगस्त 2025 से दोपहर 2.30/3.00 बजे के बजाय शाम 4:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

6. उपभोक्ता संरक्षण

III.62 रिज़र्व बैंक की ग्राहक संरक्षण नीतियों ने उभरती डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, जागरूकता बढ़ाने और मजबूत शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया। उपभोक्ता जागरूकता के लिए, रिज़र्व बैंक छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं जैसे विशिष्ट समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए टाउन-हॉल बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के प्रशिक्षुओं को उनके प्रायोजक बैंकों के माध्यम से जागरूकता पुस्तिकाएं वितरित करने सहित कई पहलें कर रहा है।

6.1 वॉयस और एसएमएस वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ संस्थागत सुरक्षा उपाय

III.63 वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2025 को दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें सभी आरई को ग्राहक मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग कर की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का निदेश दिया गया। आरई को दूरसंचार विभाग (डीओटी) के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) पर उपलब्ध मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची का उपयोग करने का निर्देश दिया गया जिससे ग्राहक डेटाबेस की निगरानी और छंटाई की जा सके। आरई को पंजीकृत मोबाइल नंबरों को सत्यापित और अद्यतन करने के लिए भी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए रद्द किए गए नंबरों से जुड़े खातों की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता थी। आरई को यह भी निर्देश दिया गया कि वे ''संचार साथी'' पोर्टल पर प्रकाशित होने वाले डीआईपी पर अपने सत्यापित ग्राहक सेवा नंबर साझा करें, सेवा/लेन-देन कॉल करने के लिए केवल '1600xx' नंबर सीरीज़ का उपयोग करें और प्रचार कॉल के लिए '140xx' नंबर सीरीज़ का उपयोग करें, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के वाणिज्यिक संचार दिशानिर्देशों का पालन करें और व्यापक जागरूकता उपाय करें।

7. ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

III.64 रिज़र्व बैंक लगातार यह स्वीकार करता रहा है कि सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए पहुंच और जागरूकता, दोनों की आवश्यकता होती है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने समावेशन के माँग पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए कई वित्तीय साक्षरता पहलें शुरू की हैं। इनमें वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) के माध्यम से आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता सामग्री का वर्धन और उसका आवधिक अद्यतन शामिल हैं। पहुंच के साथ-साथ जागरूकता को बढ़ावा देकर, इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं का जिम्मेदार और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे व्यापक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को मजबूत किया जा सके।

7.1 स्वर्ण एवं चांदी को स्वैच्छिक रूप से गिरवी रखना - कृषि एवं एमएसएमई ऋण

III.65 रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति उधारकर्ता करने की घोषणा की। इसके अलावा, अपनी उपलब्ध आस्तियों का उपयोग करके अपनी ऋण पात्रता में सुधार करने के इच्छुक किसानों को अधिक सुलभता प्रदान करने के लिए, 11 जुलाई 2025 को यह स्पष्ट किया गया कि कृषि एवं एमएसएमई ऋणों के लिए संपार्श्विक-मुक्त सीमा तक संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण एवं चांदी को स्वैच्छिक रूप से गिरवी रखने को कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

7.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

III.66 रिज़र्व बैंक ने व्यापक समीक्षा और हितधारक परामर्श के बाद संशोधित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। प्रमुख बदलावों में पीएसएल कवरेज का विस्तार करने के लिए कई श्रेणियों, विशेषकर आवास क्षेत्र में ऋण सीमा में वृद्धि, 'नवीकरणीय ऊर्जा' क्षेत्र के अंतर्गत ऋण के लिए व्यापक पात्रता, और यूसीबी के लिए संशोधित समग्र पीएसएल

लक्ष्य, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई) (जो भी अधिक हो), का 60 प्रतिशत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इन दिशानिर्देशों में 'कमजोर वर्ग' श्रेणी के तहत पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार हुआ है और यूसीबी द्वारा वैयक्तिक महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को हटा दिया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण के लक्ष्यीकरण और प्रवाह में सुधार करना है।

III.67 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए पीएसएल मानदंडों को संशोधित किया, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होंगे। नए ढांचे के तहत, एसएफबी के लिए समग्र पीएसएल दायित्व एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, के 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। एसएफबी अपने एएनबीसी या सीईओबीएसई का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों, जैसे कृषि, एमएसएमई, आवास एवं कमजोर वर्गों आदि को मौजूदा पीएसएल निर्देशों के अनुसार आबंटित करना जारी रखेंगे। शेष 20 प्रतिशत, पहले के 35 प्रतिशत लचीले आबंटन की जगह लेता है, जिसे ऐसी किसी भी पीएसएल श्रेणियों को आबंटित किया जा सकता है जहां बैंक के पास प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है।

8. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

III.68 रिज़र्व बैंक प्रौद्योगिकी-जनित नवाचारों, उपलब्धता उपायों और वैश्विक लोकसंपर्क पहलों के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली को बढ़ाने में अग्रणी रहा है। रिज़र्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के व्यापक विनियमन, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) ऑपरेटरों के लिए समुचित सावधानी की अनिवार्यता, तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के लिए लाभार्थी के नाम का सत्यापन, निरंतर चेक समाशोधन और थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी प्रीपेड भुगतान लिखतों के लिए यूपीआई एक्सेस, के माध्यम से डिजिटल भुगतान सुरक्षा और भुगतान प्रणालियों की दक्षता को मजबूत किया। उच्च लागत, धीमी गति और सीमा-पार भुगतान में अपर्याप्त पहुंच और पारदर्शिता की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, सीमा-पार विप्रेषणों के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबद्धता, विदेशों में व्यापारिक स्थानों पर यूपीआई की क्विक रेस्पोंस (क्यूआर) कोड आधारित स्वीकृति और यूपीआई जैसी राष्ट्रिक भुगतान प्रणालियों के नियोजन के लिए भागीदार क्षेत्राधिकार के साथ सहयोग के माध्यम से, यूपीआई की वैश्विक पहुंच का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा, अन्य देशों को उनकी राष्ट्रिक घरेलू कार्ड योजना के विकास के लिए रुपे टेक्नोलॉजी स्टैक की भी पेशकश की गई है। ये निरंतर प्रयास एक एकीकृत, सुदृढ़ और वैश्विक रूप से सम्बद्ध डिजिटल भुगतान पारितंत्र के निर्माण की रणनीतिक दृष्टि को दर्शाते हैं।

8.1 पेमेंट एग्रीगेटर का विनियमन

III.69 पेमेंट एग्रीगेटर्स संबंधी अभिशासन, पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2025 को पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए) के विनियमन पर मास्टर निदेश जारी किया। यह पीए और सीमा-पार परिचालन पर पूर्व दिशानिर्देशों को समेकित करता है और भारत में पेमेंट एग्रीगेशन के क्षेत्र में कार्यरत सभी बैंक और गैर-बैंक संस्थाओं के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा स्थापित करता है। यह पात्रता मानदंड, न्यूनतम पूंजी, अभिशासन मानकों और केवल विश्वसनीय और वित्तीय रूप से सुदृढ़ संस्थाओं को परिचालन अनुमति देने के लिए उपयुक्त एवं उचित परीक्षणों के साथ एक कठोर प्राधिकरण प्रक्रिया स्थापित करता है। पीए को धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता विश्वास की रक्षा करने के लिए व्यापारियों की पूरी केवाईसी और उनकी एएमएल जांच करनी होगी तथा एस्क्रो खाता परिचालन विनियमित करने होंगे ताकि उनका यथोचित

उपयोग, लेखांकन, रिपोर्टिंग और चलनिधि प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

8.2 आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) - एईपीएस टचप्वाइंट ऑपरेटरों के संदर्भ में समुचित सावधानी

III.70 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित *आधार* सक्षम भुगतान प्रणाली, *आधार* प्रमाणीकरण का उपयोग करके अंतर-परिचालनीय बैंकिंग लेनदेन को सक्षम बनाती है। एईपीएस लेनदेन की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ाने के लिए, एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों (एटीओ) को विशेष रूप से पहचानना, उनकी ऑनबोर्डिंग को सुव्यवस्थित करना और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार, 27 जून 2025 को, रिज़र्व बैंक ने एटीओ के लिए सख्त समुचित सावधानी और जोखिम प्रबंधन संबंधी निदेश जारी किए, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। अधिग्राहक बैंकों को एटीओ की पूरी केवाईसी करनी होगी (या यदि पहले से ही बीसी/सब-एजेंट द्वारा फुल केवाईसी की गई है तो मौजूदा केवाईसी को स्वीकार कर सकते हैं), आवधिक अद्यतन सुनिश्चित करने होंगे, और यदि कोई एटीओ तीन महीने से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है तो फिर से केवाईसी करनी होगी। बैंकों को लेन-देन निगरानी प्रणालियों के माध्यम से एटीओ की गतिविधियों की लगातार निगरानी भी करनी होगी, परिचालन मापदंड (जैसे स्थान, लेनदेन की मात्रा और गति) स्थापित करने होंगे और उनकी आवधिक समीक्षा करनी होगी और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन उपायों को मजबूत करना होगा। इन उपायों का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी को रोकना और एईपीएस में ग्राहकों के विश्वास की रक्षा करना है।

8.3 लाभार्थी खाता नाम लुक-अप सुविधा की शुरुआत

III.71 इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में त्रुटियों को कम करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए लाभार्थी खाता नाम लुक-अप सुविधा लागू की गई। रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग के जरिए यह सुविधा उपलब्ध कराएं। यूपीआई और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) में पहले से उपलब्ध सुविधा की तरह, यह सुविधा प्रेषकों को भुगतान लेनदेन शुरू करने से पहले लाभार्थी के खाते के नाम को सत्यापित करने की अनुमति देती है। एनपीसीआई द्वारा विकसित इस सुविधा को प्रेषक द्वारा दर्ज किए गए खाता संख्या और भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (आईएफएससी) के आधार पर लाभार्थी बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) से खाते का नाम प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

8.4 चेक ट्रंकेशन प्रणाली के तहत चेकों का निरंतर समाशोधन

III.72 चेक समाशोधन में तेजी लाने और निपटान जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से, 4 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई परियोजना के पहले चरण में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान लागू किया गया। इसके तहत, पहले प्रयोग की जा रही बैच प्रोसेसिंग अप्रोच के बजाय कारोबार समय के दौरान चेक को स्कैन और प्रस्तुत कर कुछ ही घंटों में पारित किया जाता है और यह लगातार आधार पर किया जाता है। निपटान सकारात्मक या मान्य पुष्टि के आधार पर होता है, जबकि अस्वीकृत चेक का निपटान नहीं किया जाता है। एक बार निपटान पूरा हो जाने के बाद, प्रस्तुतकर्ता बैंकों को ग्राहक खातों में तुरंत राशि जमा करनी होगी। इसमें निपटान के बाद से एक घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

8.5 थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखतों के लिए यूपीआई एक्सेस

III.73 रिज़र्व बैंक ने पूर्ण-केवाईसी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) धारकों को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने/प्राप्त करने की अनुमति दी। जबकि बैंक के यूपीआई ऐप के माध्यम से बैंक खाते को लिंक करके या किसी थर्ड-पार्टी यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके बैंक खातों से यूपीआई भुगतान किया जा सकता है, वहीं पीपीआई के लिए समान सुविधा उपलब्ध नहीं थी। केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए एप्लिकेशन का उपयोग करके ही पीपीआई से यूपीआई लेनदेन किया जा सकता था। अब थर्ड-पार्टी यूपीआई एप्लिकेशन्स पर पूर्ण-केवाईसी पीपीआई को खोजना और उसे जोड़ना अनुमत है।

9. समग्र मूल्यांकन

III.74 भारतीय वित्तीय क्षेत्र एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है, जो बाजार की बदलती गतिशीलता, प्रौद्योगिकीय नवाचारों और उपभोक्ताओं और व्यवसायों के परिष्कृत व्यवहार द्वारा आकार ले रहा है। रिज़र्व बैंक के नीतिगत उपायों का उद्देश्य बैंकों की सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, ऋण प्रवाह को बढ़ाना, कारोबारी सुगमता में सुधार करना, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना और भारतीय रुपये का और अधिक अंतरराष्ट्रीयकरण करना है।

III.75 वर्तमान के अनिश्चित वैश्विक माहौल में, ये पहलें उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को वित्तपोषित करने, जोखिम का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने और उभरती चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से प्रतिउत्तर देने के लिए विनियमित संस्थाओं की क्षमता को समर्थन प्रदान करेंगी। भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विनियामक प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़कर, रिज़र्व बैंक एक मजबूत, समावेशी और दक्ष वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, जनता के विश्वास को बढ़ाने और धारणीय संवृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

IV वाणिज्यिक बैंक

भारत में बैंकिंग क्षेत्र वर्ष 2024-25 के दौरान समुत्थानशील बना रहा, जिसे मजबूत तुलन पत्र, निरंतर लाभप्रदता और बेहतर आस्ति गुणवत्ता का समर्थन मिला। बैंक ऋण और जमाराशि वृद्धि संयमित तरीके से दोहरे अंकों में बनी रही। सभी बैंक समूहों में पूंजी और चलनिधि बफर विनियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहे। मजबूत बैंकिंग क्षेत्र जोखिमों के विरुद्ध बफर प्रदान करते हैं, जो विवेकपूर्ण विनियमन के साथ मिलकर, निरंतर ऋण प्रवाह के लिए स्थितियां निर्मित करते हैं।

परिचय[1]

IV.1 वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र समुत्थानशील बना रहा, जिसके तुलन पत्र में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाराशि और ऋण में वृद्धि दोहरे अंकों में हुई, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यह धीमी रही। वर्ष 2025 में नीतिगत दर को कम किए जाने से इसका जमा और उधार दरों पर इसका प्रभाव रहा। आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता मजबूत रही। बैंकों ने, पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्ति अनुपात और लीवरेज अनुपात, जो विनियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर है, के साथ अपनी मजबूत पूंजीगत स्थिति बनाए रखी है। सकल अनर्जक आस्ति अनुपात का बहु-दशकीय निचले स्तर आने, लीवरेज अनुपात का लगातार पांचवें वर्ष गिरने और प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार होने से आस्तियों की गुणवत्ता और मजबूत हुई। चलनिधि कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधीयन अनुपात के साथ चलनिधि बफर, बैंक-समूहों में विनियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहे। विशिष्ट क्षेत्रों की सेवा करने वाले अलग-अलग बैंकों ने भी अपने परिचालन के स्तर में वृद्धि देखी, उनके प्रदर्शन संकेतक व्यापक रूप से मजबूत रहे।

IV.2 एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन में निरंतर वृद्धि के साथ डिजिटल भुगतान की मात्रा और मूल्य में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई। डिजिटल भुगतान परितंत्र में प्रगति वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा रही है। 01 अक्तूबर 2025 को, रिज़र्व बैंक ने बैंकों की ऋण गतिविधियों के दायरे को व्यापक बनाने, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को बढ़ाने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव रखा, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए निक्षेप बीमा फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना शामिल है।

IV.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्याय को 17 खंडों में संयोजित किया गया है। खंड 2 में तुलन पत्र से संबन्धित गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है, इसके बाद खंड 3 और 4 में क्रमशः वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय सुदृढ़ता का आकलन किया गया है। खंड 5 बैंक ऋण और इसकी क्षेत्रवार गतिशीलता पर केंद्रित है। खंड 6 में वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व के स्वरूप पर चर्चा की गई है। कॉरपोरेट अभिशासन को खंड 7 में प्रस्तुत किया गया है। भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन को खंड 8 में शामिल किया गया है। इसके बाद भुगतान प्रणालियों (खंड 9), बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी का अंगीकरण (खंड 10), उपभोक्ता संरक्षण (खंड 11) और वित्तीय समावेशन (खंड 12) से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों से संबंधित गतिविधियों की चर्चा खंड 13 से 16 तक में की गई है। खंड 17 में घरेलू वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय का समापन किया गया है।

[1] इस पूरे अध्याय में, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, जुलाई 2023 के बाद से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़ों में एक निजी क्षेत्र के बैंक के साथ एक गैर-बैंक का विलय शामिल है।

2. तुलन पत्र का विश्लेषण

IV.4 मार्च 2025 के अंत में, भारत के वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), 21 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी), 44 विदेशी बैंक (एफबी), 11 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 6 भुगतान बैंक (पीबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और दो स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शामिल थे।[2] इन 139 वाणिज्यिक बैंकों में से 135 को अनुसूचित बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि चार गैर-अनुसूचित थे।[3]

IV.5 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) (आरआरबी को छोड़कर) के समेकित तुलन पत्र में वर्ष 2024-25 के दौरान 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान यह 15.5 प्रतिशत थी (सारणी IV.1 और परिशिष्ट सारणी IV.1)। आस्तियों के मामले में, वर्ष 2024-25 में बैंक ऋण

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी	72,877	75,209	32,832	33,781	1,18,319	1,37,462	7,844	8,307	5,001	5,303	2,36,873	2,60,063
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	9,56,917	11,32,923	12,14,000	14,19,882	1,79,507	2,05,019	32,957	36,339	-2,365	-2,141	23,81,016	27,92,021
3. जमाराशियां	1,29,04,944	1,41,96,270	75,61,434	85,02,193	10,08,119	11,08,188	2,50,896	3,15,401	16,184	25,131	2,17,41,578	2,41,47,183
3.1. मांग जमाराशियां	8,00,415	9,52,585	9,88,296	10,65,197	3,46,863	3,83,121	10,895	13,685	76	89	21,46,546	24,14,678
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	41,83,455	43,18,072	20,23,907	21,41,306	57,827	63,020	59,691	68,666	16,108	25,042	63,40,988	66,16,106
3.3. मीयादी जमा	79,21,074	89,25,613	45,49,230	52,95,690	6,03,430	6,62,046	1,80,310	2,33,050	0	0	1,32,54,044	1,51,16,400
4. उधारियां	10,24,003	11,84,026	12,84,429	11,64,192	2,03,073	3,37,436	28,255	30,022	713	1,930	25,40,474	27,17,607
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	5,34,493	5,53,322	4,28,932	4,62,542	1,96,692	2,63,798	15,328	15,394	5,135	6,320	11,80,579	13,01,376
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,54,93,234**	**1,71,41,751**	**1,05,21,628**	**1,15,82,590**	**17,05,711**	**20,51,903**	**3,35,280**	**4,05,463**	**24,668**	**36,543**	**2,80,80,520**	**3,12,18,250**
1. आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	6,18,769	7,08,963	5,32,750	5,60,941	1,05,980	1,26,006	17,503	26,780	3,004	3,555	12,78,007	14,26,245
2. बैंको के पास शेष जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	4,34,252	5,42,068	1,89,051	2,86,458	74,865	1,46,574	6,259	5,777	4,313	6,488	7,08,740	9,87,364
3. निवेश	40,50,865	42,68,092	23,23,647	26,37,218	8,07,328	9,26,786	74,283	87,286	14,286	23,445	72,70,409	79,42,827
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी)	34,84,382	35,89,786	19,88,718	22,47,035	7,35,661	8,40,631	63,873	70,755	14,271	23,418	62,86,905	67,71,625
ए) भारत में	34,23,192	35,14,009	19,73,422	22,24,022	7,25,476	7,94,906	63,873	70,755	14,271	23,418	62,00,234	66,27,110
बी) भारत के बाहर	61,190	75,777	15,296	23,013	10,185	45,725	0	0	0	0	86,671	1,44,515
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	5	149	0	0	0	0	0	0	0	0	5	149
3.3 गैर-स्वीकृत प्रतिभूतियों में	5,66,477	6,78,157	3,34,929	3,90,183	71,667	86,155	10,410	16,531	15	27	9,83,499	11,71,053
4. ऋण और अग्रिम	95,06,329	1,07,50,234	68,61,388	74,76,925	5,48,443	6,19,967	2,26,148	2,72,481	0	0	1,71,42,309	1,91,19,608
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	3,57,393	4,04,154	1,50,663	1,54,634	85,242	88,163	1,444	3,097	0	0	5,94,742	6,50,048
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	33,64,717	39,02,589	19,59,717	23,25,667	2,38,921	2,71,680	26,945	38,359	0	0	55,90,301	65,38,295
4.3 मीयादी ऋण	57,84,218	64,43,492	47,51,009	49,96,625	2,24,280	2,60,124	1,97,758	2,31,024	0	0	1,09,57,266	1,19,31,265
5. अचल आस्तियां	1,18,864	1,28,705	56,768	65,826	5,956	6,042	3,353	4,205	1,189	1,354	1,86,130	2,06,132
6. अन्य आस्तियां	7,64,154	7,43,689	5,58,022	5,55,220	1,63,139	2,26,527	7,733	8,936	1,876	1,701	14,94,925	15,36,073

टिप्पणियाँ : 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं है।
2. घटक अपने संबंधित योग में समान नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि संख्या को ₹ करोड़ तक में पूर्णांकित किया गया है।
3. वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार आंकड़ों का मिलान किया जाता है और भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ में प्रकाशित किया जाता है, जिसे इस रिपोर्ट के साथ जारी किया जा रहा है और यह https://www.dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

[2] 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी एक एसएफबी के दूसरे के साथ विलय के बाद वर्ष 2024-25 में एसएफबी की संख्या 12 से घटकर 11 हो गई।

[3] वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने या अन्यथा शामिल किए जाने के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित में वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2025 के अंत में, दो पीबी, अर्थात जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और दो एलएबी, अर्थात कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे।

और निवेश में क्रमश: 11.5 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देयताओं के मामले में, वर्ष 2024-25 में जमा में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

IV.6 विलय के प्रभाव को छोड़कर, वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ऋण और निवेश में वृद्धि क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत थी, जबकि 2023-24 में यह क्रमशः 16.0 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत थी। विलय के प्रभाव को छोड़कर, वर्ष 2024-25 में जमा वृद्धि 11.4 प्रतिशत थी, जबकि एक वर्ष पहले यह 13.4 प्रतिशत थी (चार्ट IV.1)।

IV.7 एससीबी के समेकित तुलन पत्र में पीएसबी की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में घटकर 54.9 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2024 के अंत में 55.2 प्रतिशत थी। इसी अवधि में पीवीबी की हिस्सेदारी 37.5 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 37.1 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, वर्ष 2024-25 के दौरान एफबी, एसएफबी और पीबी की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। इसके अलावा, एससीबी के कुल अग्रिमों में पीएसबी की हिस्सेदारी बढ़कर 56.2 प्रतिशत हो गई, जबकि कुल जमाराशि में उनकी हिस्सेदारी घटकर 58.8 प्रतिशत रह गया।

IV.8 वर्ष 2024-25 के दौरान जमा, उधार, निवेश और ऋण के संदर्भ में एससीबी की समेकित तुलन पत्र की संरचना व्यापक रूप से विगत वर्ष के समान ही रही। हालाँकि, बैंक समूहों में संरचना भिन्न थी (चार्ट IV.2)। उधार में कमी होने से पीवीबी की कुल देयताओं में जमाराशि की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। पीएसबी की कुल देयताओं में जमाराशि का हिस्सा घट गया।

2.1 देयताएं

IV.9 निजी और विदेशी बैंकों के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 में एससीबी की जमाराशि वृद्धि में कमी आई (चार्ट IV.3ए)। घटक-वार यह कमी मुख्य रूप से सावधि जमाराशियों की वृद्धि में मंदी के कारण आई थी। सख्ती की अवधि (मई 2022-जनवरी 2025) के दौरान नीति रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी वृद्धि के मुकाबले एससीबी की भारित औसत सावधि जमा दरों में 259 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि हुई। बाद में सख्ती की अवधि में ढील देने से नीति दर में 100 बीपीएस (फरवरी-जून 2025)[4] की कटौती के बाद एससीबी ने भारित औसत सावधि जमा दरों में 105 बीपीएस (अक्तूबर 2025 तक) की कमी की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में जमा दरों में अपेक्षाकृत अधिक संचरण दिखाया (चार्ट IV.3 बी और सी)।

चार्ट IV.1: एससीबी की चयनित संकलित राशियां

(मार्च के अंत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, प्रतिशत)

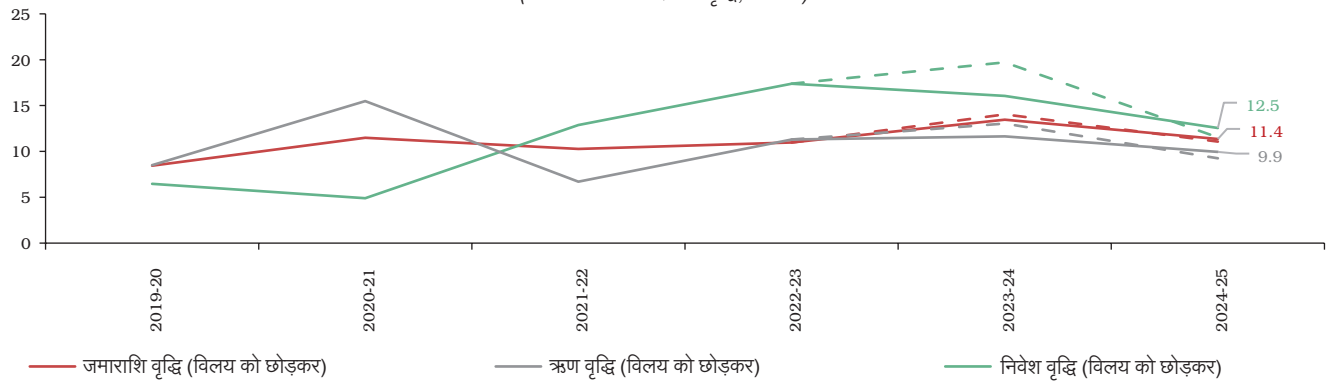

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. विलय को छोड़कर यह दर्शाता है कि गैर-बैंक के निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को बाहर रखा गया है।
3. आंकड़े लेबल विलय के प्रभाव को छोड़कर संबंधित चर को दर्शाते हैं।
4. बिंदीदार रेखाएं विलय के प्रभाव सहित संबंधित चर का प्रतिनिधित्व करती हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

[4] 5 दिसंबर 2025 को नीतिगत दर को और 25 आधार अंकों तक कम करके 5.25 प्रतिशत कर दिया गया।

चार्ट IV.2: बैंक समूह-वार तुलन पत्र संघटन

(मार्च के अंत में कुल आस्तियों/देनदारियों का हिस्सा प्रतिशत में)

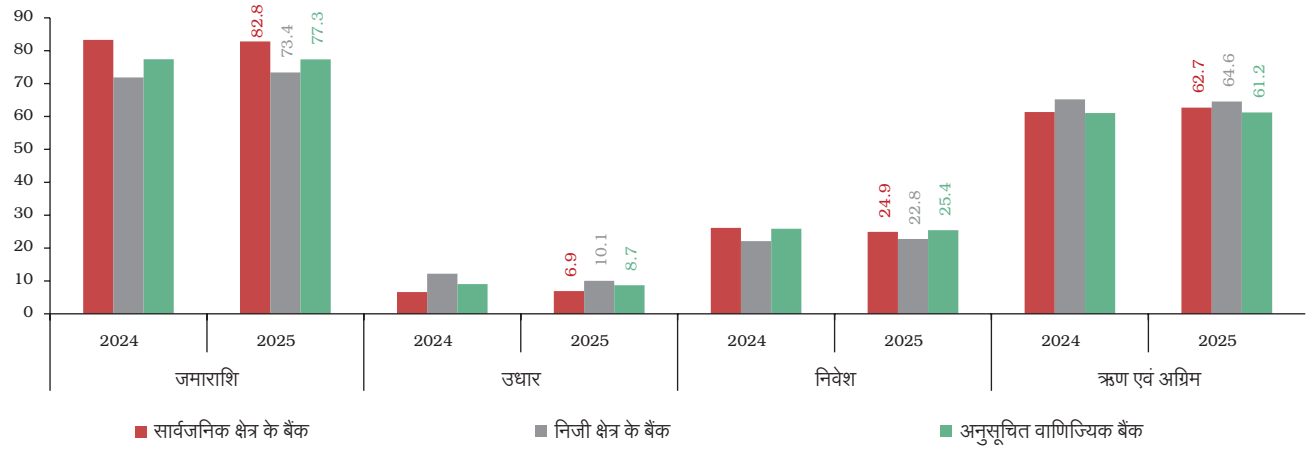

टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

2.2 *आस्तियां*

IV.10 वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक समूहों में बैंक ऋण वृद्धि में गिरावट आई (चार्ट IV.4)।

IV.11 नीति दर में परिवर्तन का ऋण दरों तक संचरण विभिन्न चरणों और बैंक समूहों में भिन्न रहा। सख़्ती के दौरान, एससीबी ने नीति रेपो दर में की गई 250 आधार

चार्ट IV.3: बैंक जमाराशि वृद्धि और बैंकों की जमा दरों में मौद्रिक संचरण

ए. जमाराशि वृद्धि में भारित योगदान

(मार्च के अंत में वर्ष दर वर्ष वृद्धि, प्रतिशत)

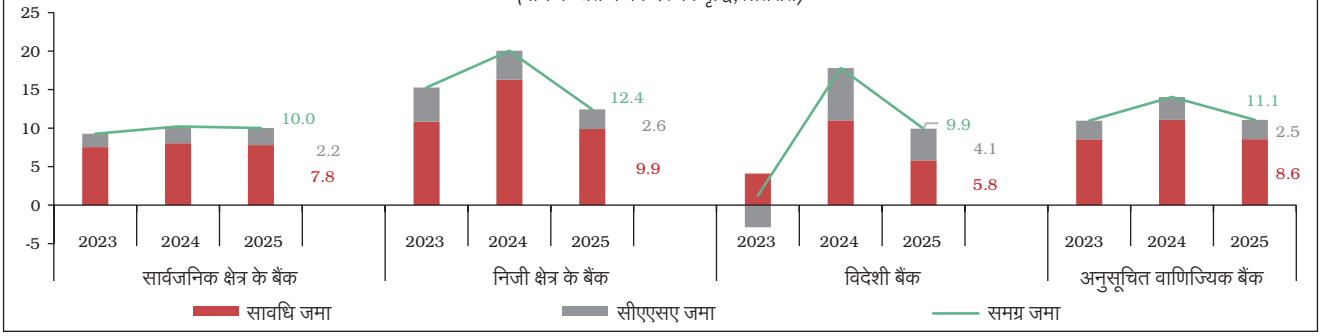

बी. सख्ती चक्र में भारित औसत सावधि जमा दरों में संचरण (नया जमा)

(आधार अंक)

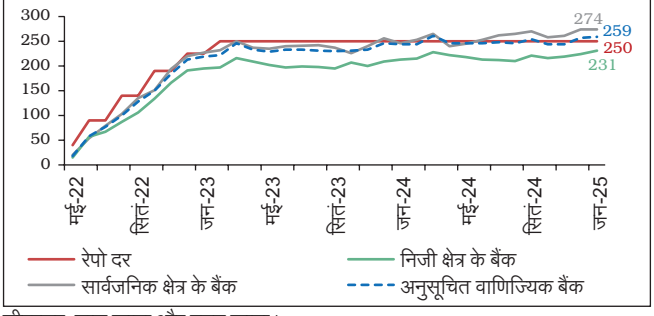

सी. नरमी चक्र में भारित औसत सावधि जमा दरों में संचरण (नया जमा)

(आधार अंक)

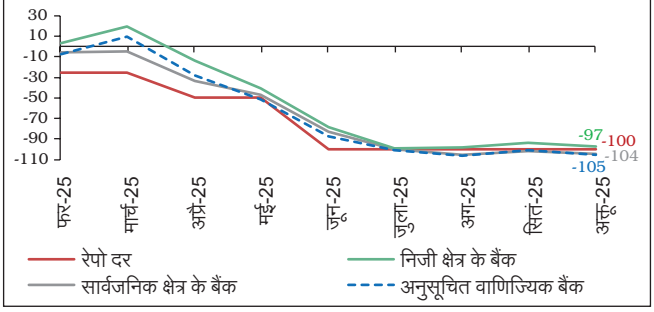

सीएएसए: चालू खाता और बचत खाता।
* 5 दिसंबर, 2025 को नीतिगत दर को 25 बीपीएस घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया।
टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
स्रोत: बैंकों और आरबीआई के वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.4: बैंक समूह-वार ऋण वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

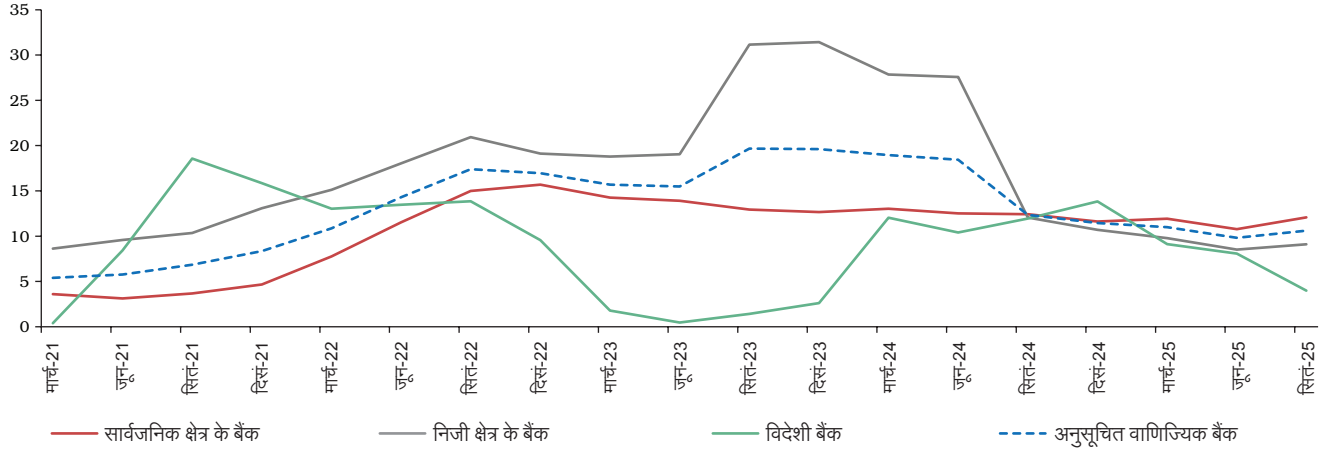

टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
स्रोत: जमा और ऋण का स्थानिक वितरण, आरबीआई।

अंकों की वृद्धि (मई 2022–जनवरी 2025) में से 182 आधार अंकों तक नए ऋणों पर भारित औसत ऋण दर में संचारित किया। उसके बाद, नरमी के दौरान (फरवरी-जून 2025)[5] में 100 आधार अंकों की नीति दर कटौती के एवज में 69 आधार अंकों (अक्तूबर 2025 तक) का संचरण हुआ। पीएसबी और पीवीबी के बीच संचरण विषम रहा (चार्ट IV.5 ए और बी)।

IV.12 वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी में निवेश वृद्धि सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश के कारण धीमी हो गई। एसएलआर स्वीकृत प्रतिभूतियों में एससीबी के निवेश का हिस्सा पिछले वर्ष के 82.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 80.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.6ए)। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां एससीबी के एसएलआर निवेश पर हावी थीं, जबकि गैर-एसएलआर निवेश मुख्य रूप से कर्ज प्रतिभूतियां थी। एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेशों में

चार्ट IV.5: बैंक उधार दरों में मौद्रिक संचरण

ए. सख्ती चक्र में भारित औसत ऋण दरों में संचरण (नया ऋण)

(आधार अंक)

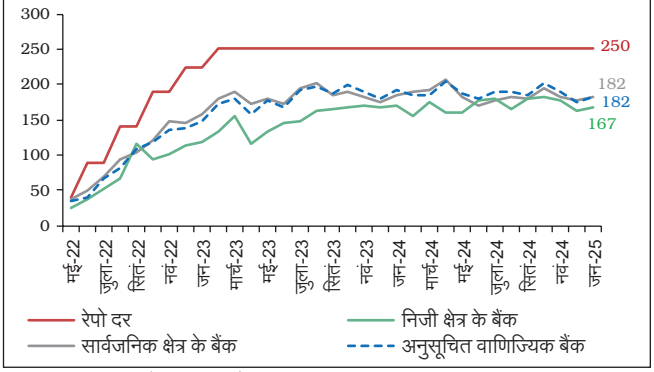

बी. नरमी चक्र में भारित औसत ऋण दरों में संचरण (नया ऋण)*

(आधार अंक)

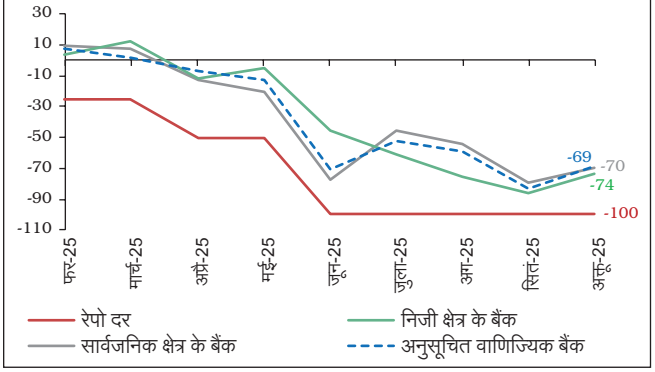

* 5 दिसंबर, 2025 को नीति दर को 25 बीपीएस घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया।
टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई।

[5] 5 दिसंबर 2025 को नीतिगत दर को और 25 आधार अंकों तक कम करके 5.25 प्रतिशत कर दिया गया।

चार्ट IV.6: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(मार्च के अंत में)

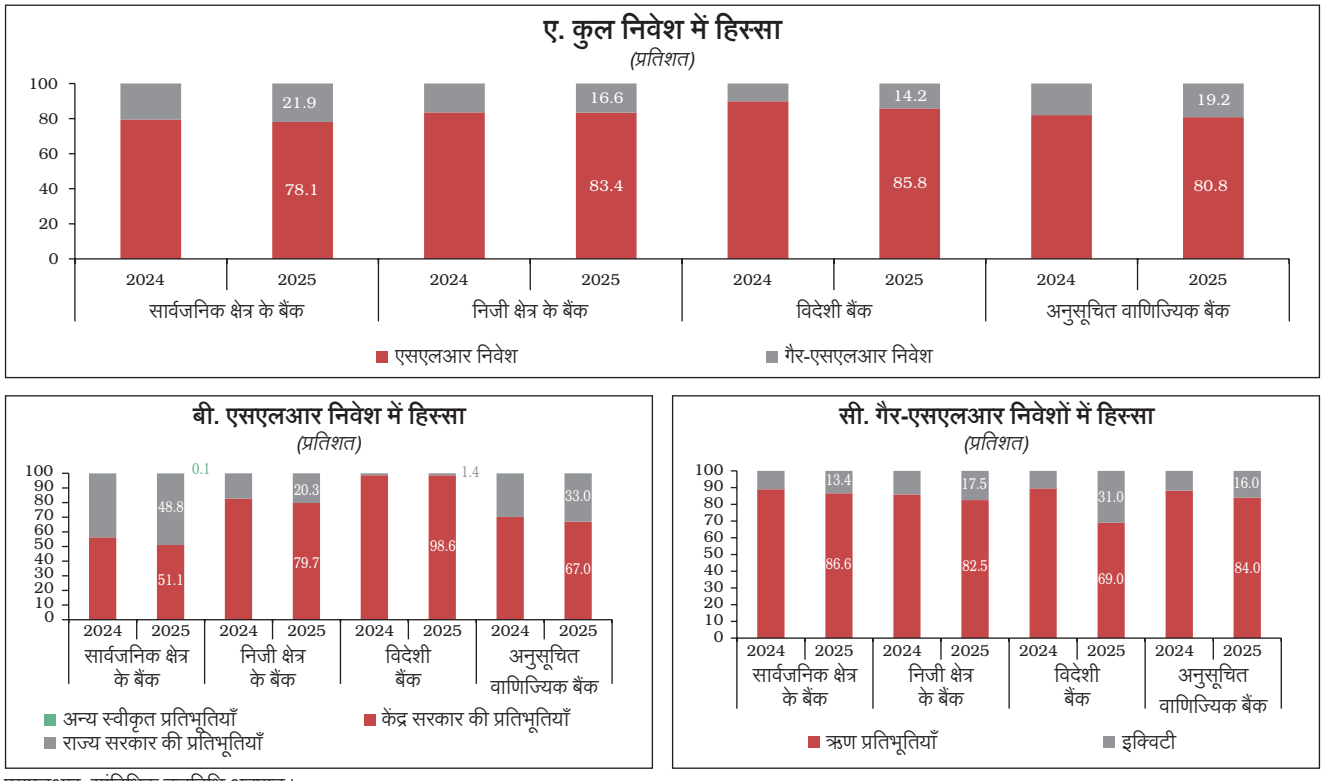

एसएलआर: सांविधिक चलनिधि अनुपात।

टिप्पणी: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
2. पुर्णांकन के कारण घटकों का योग 100 नहीं हो सकता है।

स्रोत: परोक्ष विवरणी (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और इक्विटी की हिस्सेदारी क्रमशः वर्ष के दौरान बढ़ी (चार्ट IV.6बी और सी)।

IV.13 पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2024-25 के दौरान, ऋण जमा वृद्धि अंतर कम हो गया (चार्ट IV.7)। मार्च 2025 के अंत में एससीबी का ऋण जमा अनुपात 79.2 प्रतिशत था, जबकि मार्च 2024 के अंत में यह 78.8 प्रतिशत था। नवंबर 2025 के अंत में एससीबी का ऋण जमा अनुपात 80.05 प्रतिशत रहा।[6]

2.3 आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल

IV.14 आस्तियों और देयताओं के बीच परिपक्वता में बेमेल होना बैंकिंग प्रणाली में स्वाभाविक हैं, क्योंकि जमाराशि, जो निधियों का मुख्य स्रोत हैं, आम तौर पर अल्पावधिक से मध्यम अवधि के होते हैं, जबकि ऋण आम तौर पर मध्यम अवधि तक बढ़ाए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में अल्पावधिक[7] बकेट में परिपक्वता बेमेल बढ़ा, हालांकि यह पूर्व-महामारी स्तरों के सापेक्ष कम रहा (चार्ट IV.8)।

IV.15 मार्च 2025 के अंत में, कुल जमाराशि में अल्पावधिक जमा की हिस्सेदारी सभी बैंक समूहों में बढ़ गई। भुगतान बैंकों को छोड़कर, यह प्रमुख श्रेणी की बनी रही। निजी और विदेशी बैंकों के नेतृत्व में एससीबी के लिए अल्पावधिक उधार में बढ़ोत्तरी हुई। पीएसबी और पीवीबी दोनों के ऋण और अग्रिम

[6] धारा (सेक्शन)-42 के पाक्षिक विवरणी के आधार पर। यह आंकड़ा 28 नवंबर, 2025 को समाप्त पखवाड़े से मेल खाता है।

[7] अल्पावधि को एक वर्ष तक, मध्यम अवधि को एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि दीर्घ अवधि को पांच वर्ष से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट IV.7: ऋण-जमा वृद्धि में अंतराल

(प्रतिशत अंक)

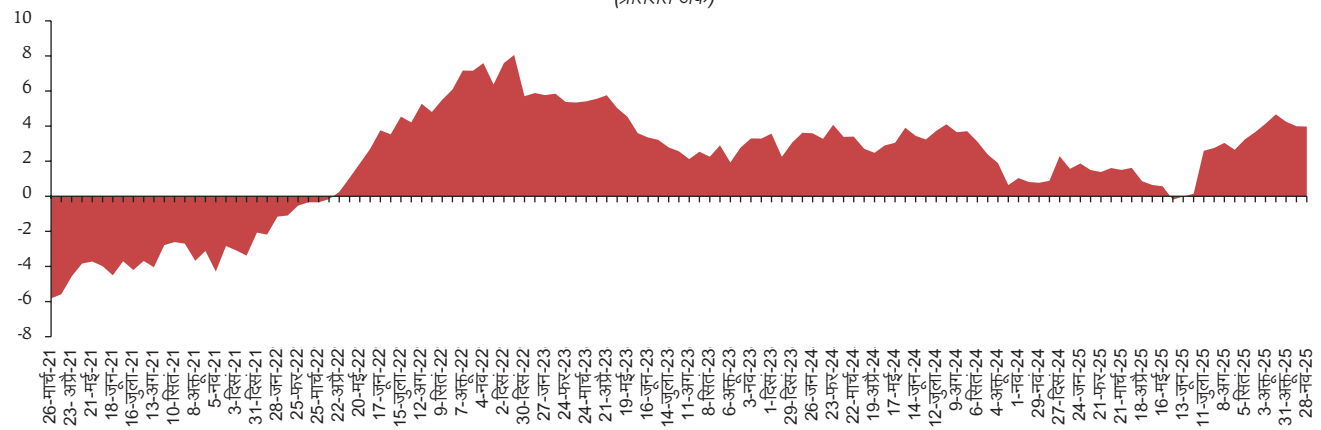

टिप्पणियां: 1. जुलाई 2023 से 27 जून 2025 तक के आंकड़ों में गैर बैंक के निजी क्षेत्र बैंक में विलय का प्रभाव नहीं है।
2. ऋण-जमा वृद्धि में अंतर को ऋण वृद्धि और जमाराशि वृद्धि में अंतर से आंकलित किया जाता है।

स्रोत: आरबीआई।

मध्यम अवधि की श्रेणी में केंद्रित थे। पीएसबी का निवेश आम तौर पर दीर्घ अवधि के लिखतों में था, जबकि अन्य सभी बैंक समूहों ने अल्प अवधि एक्सपोजर को प्राथमिकता दी (सारणी IV.2)।

2.4 अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

IV.16 लगातार दो वर्षों की गिरावट के बाद, वर्ष 2024-25 में भारतीय बैंकों की देयताओं की तुलना में अंतरराष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात बढ़ गया (चार्ट IV.9)। वर्ष के दौरान भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की वृद्धि में बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि नोस्ट्रो बैलेन्स और विदेशों में स्थानन (प्लेसमेंट) में वृद्धि हुई, अनिवासियों को ऋण और निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण दिए गए। भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में वृद्धि, मुख्य रूप से अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपये खातों और अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी

चार्ट IV.8: परिपक्वता समूह-वार आस्तियों एवं देयताओं का अंतराल

(कुल आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत)

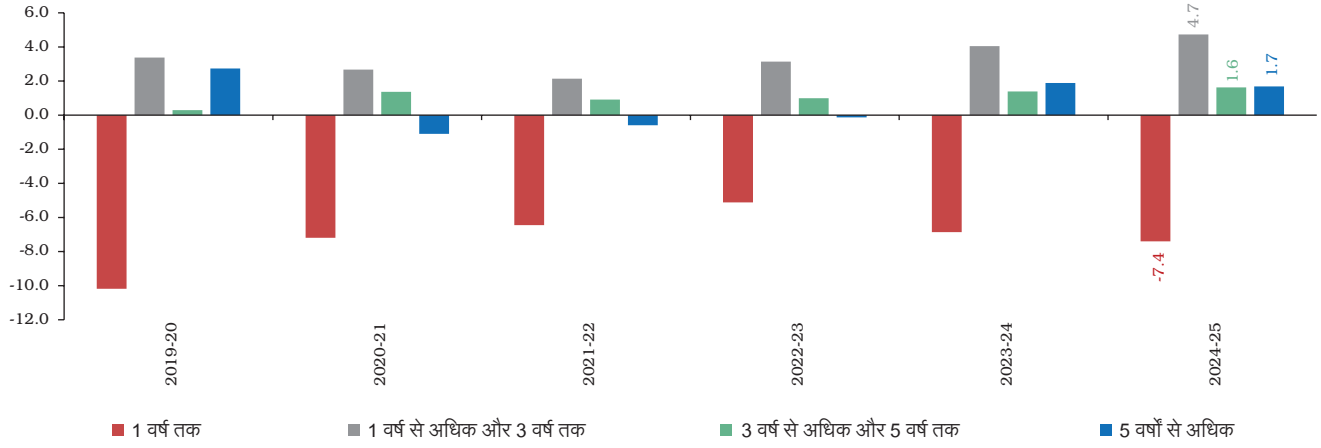

टिप्पणियाँ: 1. आस्तियों में ऋण और अग्रिम एवं निवेश शामिल हैं।
2. देयताओं में जमाराशियाँ और उधारियाँ शामिल हैं।
3. अंतराल की गणना आस्तियों में से देयताओं को घटाकर की जाती है।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

सारणी IV.2: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

देयताएँ/आस्तियाँ	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		पीबी		एससीबी	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियाँ												
ए) 1 वर्ष तक	38.4	39.6	39.3	39.4	62.2	63.3	49.0	55.7	22.6	29.1	39.9	40.8
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	22.0	21.7	27.9	26.2	30.7	29.8	44.8	38.5	77.4	70.9	24.7	24.0
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	11.0	10.8	8.3	8.9	7.1	6.9	4.5	3.9	0.0	0.0	9.8	9.9
डी) 5 वर्ष से अधिक	28.7	27.9	24.5	25.4	0.0	0.0	1.7	1.8	0.0	0.0	25.6	25.4
II. उधारियाँ												
ए) 1 वर्ष तक	58.1	53.1	33.8	44.7	82.8	89.8	51.3	48.5	100.0	93.3	47.7	54.0
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	16.7	16.0	37.8	27.0	16.2	8.5	35.7	34.6	0.0	6.7	27.5	20.0
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	6.9	7.4	9.9	9.8	0.4	0.4	7.3	9.1	0.0	0.0	7.9	7.6
डी) 5 वर्ष से अधिक	18.3	23.6	18.6	18.5	0.6	1.4	5.8	7.7	0.0	0.0	16.9	18.5
III. ऋण एवं अग्रिम												
ए) 1 वर्ष तक	28.0	28.4	27.3	28.6	59.5	58.7	37.7	38.1	-	-	28.9	29.6
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	36.5	36.1	34.6	34.8	23.8	23.6	36.0	32.6	-	-	35.3	35.1
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.1	11.5	12.5	12.3	8.2	8.7	10.1	11.6	-	-	12.1	11.7
डी) 5 वर्ष से अधिक	23.4	24.0	25.6	24.3	8.5	8.9	16.3	17.7	-	-	23.7	23.5
IV. निवेश												
ए) 1 वर्ष तक	22.4	21.5	58.6	59.9	83.9	83.6	68.6	68.2	99.2	92.8	41.4	42.2
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	16.2	13.5	17.2	15.1	10.4	9.9	25.9	25.1	0.4	2.6	16.0	13.7
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	11.9	15.4	6.1	6.3	1.6	2.2	4.0	4.9	0.1	0.8	8.8	10.7
डी) 5 वर्ष से अधिक	49.4	49.6	18.1	18.7	4.1	4.4	1.5	1.8	0.3	3.8	33.8	33.4

- : लागू नहीं।
टिप्पणियाँ: 1. आँकड़े, तुलन-पत्र के प्रत्येक घटक में प्रत्येक परिपक्वता समूह की हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।
2. पूर्णांकन के कारण संभावना है कि घटकों का योग 100 तक नहीं हो।
3. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी के आँकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

की वृद्धि में मंदी होने से धीमी हुई (परिशिष्ट सारणी IV.2 और IV.3)।

चार्ट IV.9: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ और देयताएं
(प्रतिशत)

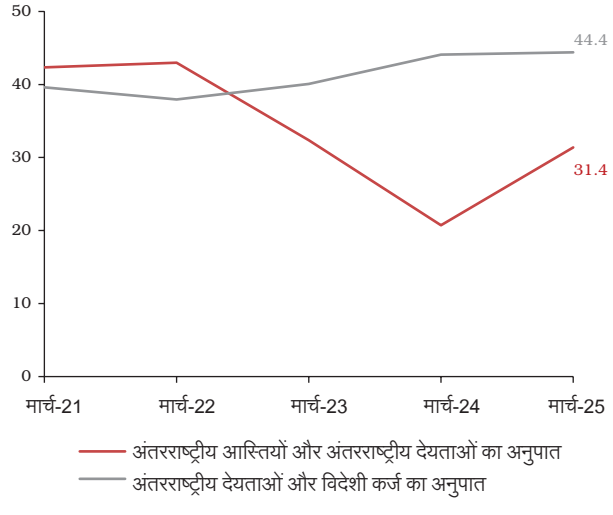

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, आरबीआई।

IV.17 वर्ष 2024-25 के दौरान हांगकांग को छोड़कर सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.4)। गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र पर भारतीय बैंकों के अंतरराष्ट्रीय दावों का हिस्सा कम हुआ, जबकि बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों पर दावों में वृद्धि हुई (चार्ट IV.10ए और परिशिष्ट सारणी IV.5)। अवशिष्ट परिपक्वता के संदर्भ में, वर्ष 2024-25 के दौरान इसके हिस्से में गिरावट के बावजूद अधिकांश अंतरराष्ट्रीय दावें प्रकृति में अल्पावधिक थे, (चार्ट IV.10बी)।

2.5 तुलन पत्र से इतर परिचालन

IV.18 वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि तेज हो गई, जो मुख्य रूप से वायदा विनिमय संविदाओं में वृद्धि से प्रेरित थी। तुलन पत्र के आकार के

चार्ट IV.10: भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(मार्च के अंत में)

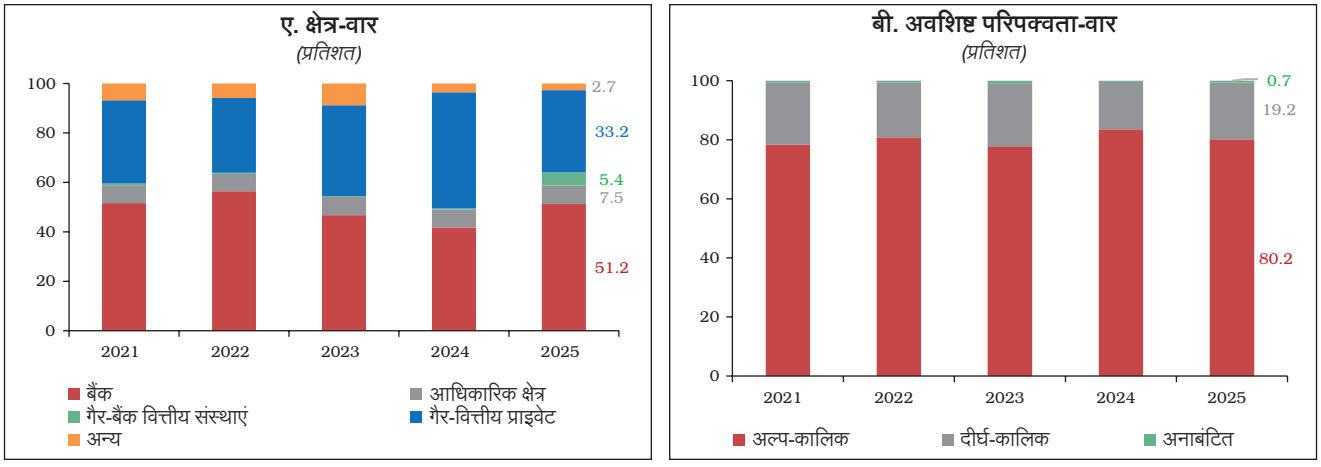

टिप्पणी: अल्पकालिक और दीर्घकालिक दावों को क्रमशः एक वर्ष तक और एक वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले दावों के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, आरबीआई।

अनुपात के रूप में एससीबी का तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 161.9 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2024 के अंत में 138.6 प्रतिशत था (चार्ट IV.11ए और परिशिष्ट सारणी IV.6)। एससीबी के कुल तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी आधे से अधिक रही। बैंकिंग क्षेत्र की आकस्मिक देयताओं में पीवीबी की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में 29.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 32.5 प्रतिशत हो गई, जबकि पीएसबी की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में 18.8 प्रतिशत से गिरकर 12.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.11बी)।

3. वित्तीय प्रदर्शन

IV.19 एससीबी की लाभप्रदता मजबूत बनी रही, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1.4 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 1.3 प्रतिशत था । एससीबी की इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) मोटे तौर पर स्थिर रहा । वर्ष 2024-25 के दौरान पीएसबी के आरओए और आरओई

चार्ट IV.11: बैंकों की तुलनपत्रेतर देयताएं

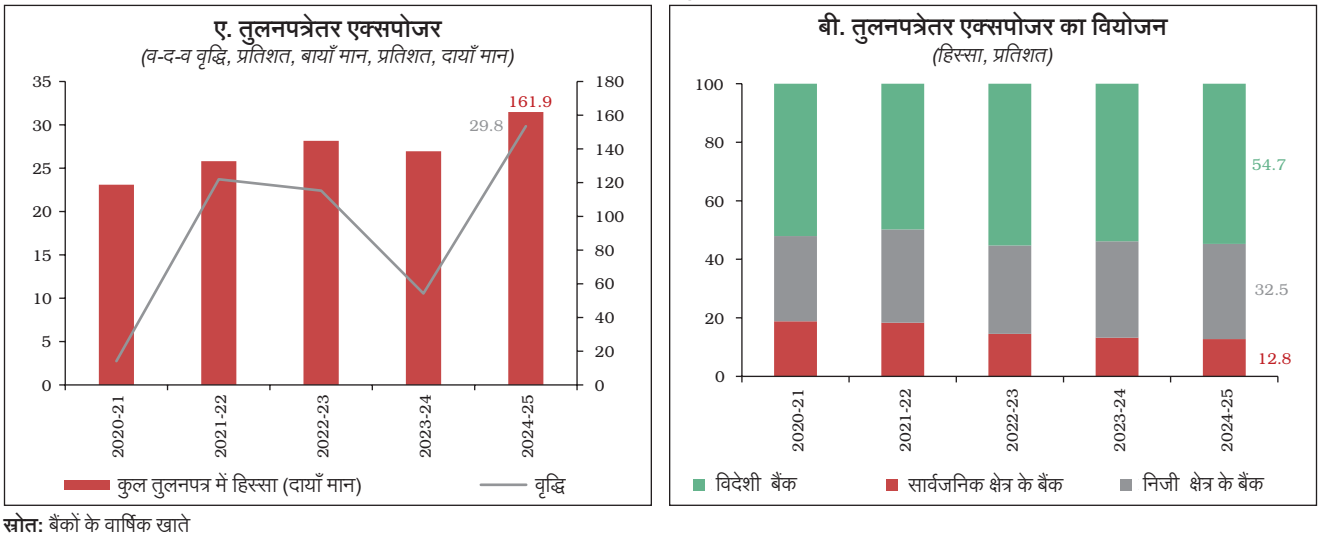

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते

चार्ट IV.12: लाभप्रदता अनुपात

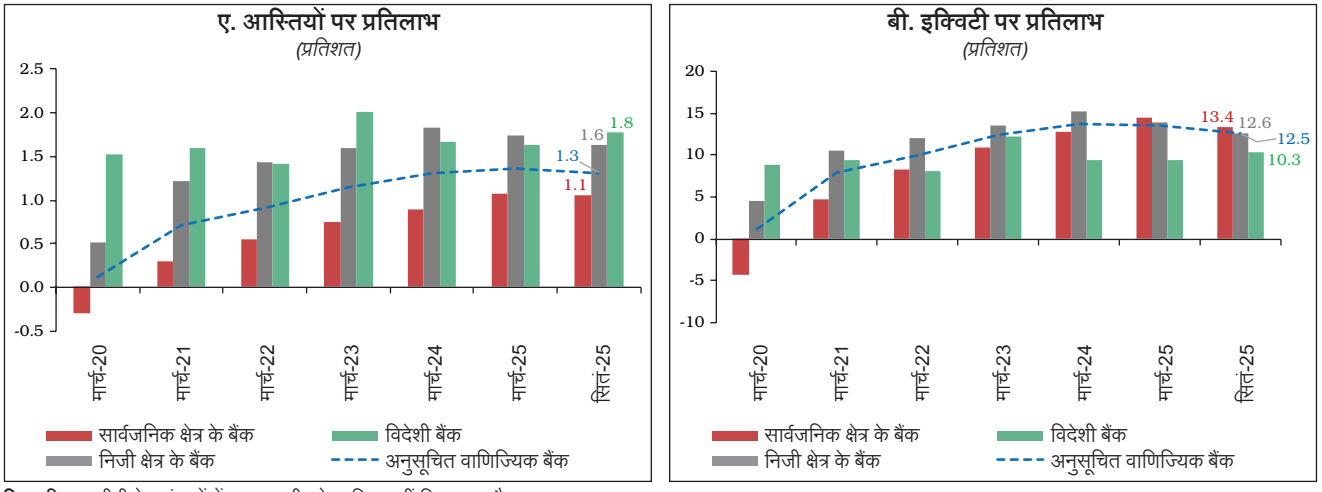

टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

में सुधार देखा गया जबकि पीवीबी के मामलें में कमी आई। वर्ष 2025-26 के प्रथम छमाही के दौरान, एससीबी का आरओए और आरओई क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.12ए और बी)।

IV.20 वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी के निवल लाभ में वृद्धि हुई, हालांकि यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में धीमी रही। यह आंशिक रूप से निवल ब्याज आय वृद्धि में कमी के प्रभाव को दर्शाता है। परिचालन व्यय के वृद्धि में काफी कमी

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय और व्यय में रुझान

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		पीबी		एससीबी	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ए. आय	12,12,665 (24.8)	13,65,244 (12.6)	9,41,870 (36.4)	10,70,709 (13.7)	1,29,838 (20.1)	1,46,580 (12.9)	45,400 (34.3)	54,223 (19.4)	7,102 (19.0)	6,937 (-2.3)	23,36,876 (29.1)	26,43,694 (13.1)
i) ब्याज आय	10,66,243 (25.3)	11,89,294 (11.5)	7,96,578 (36.8)	9,10,560 (14.3)	1,06,045 (27.3)	1,20,478 (13.6)	39,647 (33.0)	46,782 (18.0)	1,416 (64.6)	1,694 (19.7)	20,09,929 (29.9)	22,68,809 (12.9)
ii) अन्य आय	1,46,422 (21.7)	1,75,951 (20.2)	1,45,292 (34.2)	1,60,149 (10.2)	23,794 (-4.1)	26,101 (9.7)	5,753 (43.8)	7,441 (29.3)	5,686 (11.4)	5,243 (-7.8)	3,26,946 (24.6)	3,74,885 (14.7)
बी. व्यय	10,71,463 (23.6)	11,86,881 (10.8)	7,66,573 (35.3)	8,81,498 (15.0)	1,02,953 (32.0)	1,16,665 (13.3)	39,181 (32.2)	50,727 (29.5)	7,103 (21.5)	6,743 (-5.1)	19,87,273 (28.5)	22,42,514 (12.8)
i) व्यय किया गया ब्याज	6,58,611 (35.0)	7,60,165 (15.4)	4,29,739 (56.0)	5,08,877 (18.4)	46,996 (48.4)	55,866 (18.9)	17,474 (43.9)	22,336 (27.8)	353 (43.8)	537 (52.2)	11,53,173 (42.9)	13,47,782 (16.9)
ii) परिचालन व्यय	2,95,090 (20.9)	3,03,100 (2.7)	2,39,146 (18.1)	2,61,471 (9.3)	34,713 (24.2)	38,708 (11.5)	17,186 (30.7)	20,247 (17.8)	6,634 (18.9)	6,070 (-8.5)	5,92,769 (20.2)	6,29,596 (6.2)
जिनमें से: वेतन बिल	1,84,025 (27.2)	1,77,894 (-3.3)	90,290 (27.9)	98,841 (9.5)	10,460 (3.9)	11,211 (7.2)	8,498 (26.8)	10,321 (21.4)	1,215 (32.9)	977 (-19.5)	2,94,488 (26.4)	2,99,244 (1.6)
iii) प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,17,761 (-12.8)	1,23,615 (5.0)	97,688 (10.5)	1,11,150 (13.8)	21,244 (15.8)	22,092 (4.0)	4,521 (3.8)	8,144 (80.1)	116 (488.4)	135 (16.9)	2,41,331 (-2.0)	2,65,137 (9.9)
सी. परिचालन लाभ	2,58,964 (8.1)	3,01,979 (16.6)	2,72,986 (28.4)	3,00,362 (10.0)	48,130 (-0.8)	52,006 (8.1)	10,740 (26.1)	11,640 (8.4)	114 (-18.9)	330 (187.9)	5,90,934 (16.0)	6,66,316 (12.8)
डी. निवल लाभ	1,41,202 (34.9)	1,78,364 (26.3)	1,75,297 (41.2)	1,89,211 (7.9)	26,886 (-10.8)	29,915 (11.3)	6,219 (49.4)	3,496 (-43.8)	-1 -	194 -	3,49,603 (32.8)	4,01,180 (14.8)
ई. निवल ब्याज आय (एनआईआई) (एआई-बीआई)	4,07,632 (12.2)	4,29,128 (5.3)	3,66,839 (19.5)	4,01,683 (9.5)	59,049 (14.4)	64,612 (9.4)	22,173 (25.5)	24,446 (10.3)	1,063 (72.9)	1,157 (8.9)	8,56,756 (15.7)	9,21,027 (7.5)
एफ़. निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.8	2.6	3.9	3.6	3.6	3.4	7.4	6.6	4.5	3.8	3.3	3.1

-: लागू नहीं।
टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. एनआईएम को औसत आस्ति के प्रतिशत के रूप में एनआईआई के रूप में परिभाषित किया गया है।
3. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत भिन्नता को संदर्भित करते हैं।
4. प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ करोड़ तक पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट IV.13: निवल ब्याज आय और निवल ब्याज मार्जिन

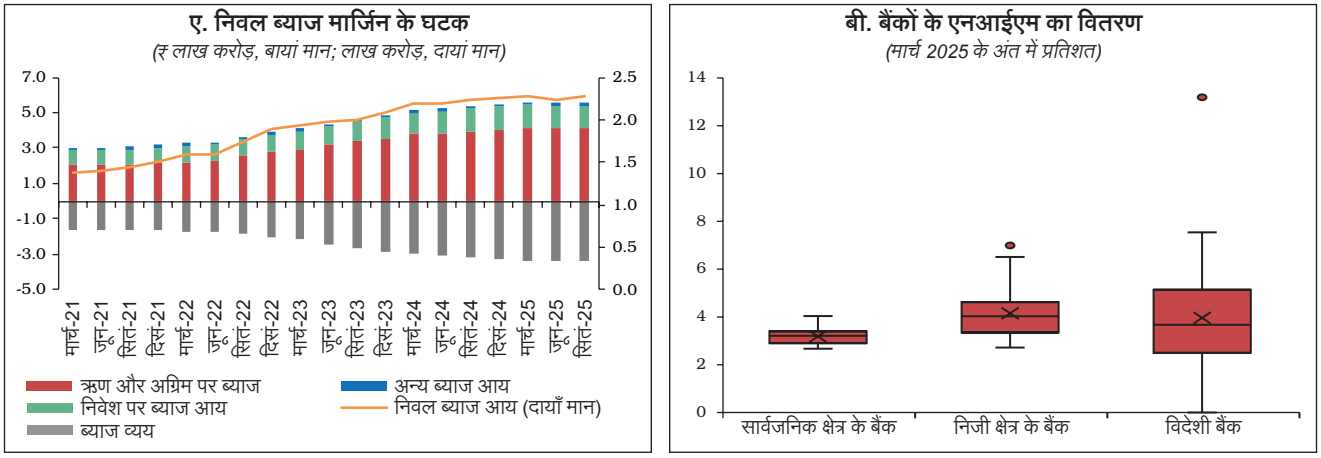

टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट की विचरण रेखाएँ अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का संकेत हैं। एक रंगीन बॉक्स पहले चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक के बीच की दूरी दिखाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दिखाती है, जबकि 'X' माध्य दिखाता है।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

आई, जबकि पिछले वर्ष में गिरावट के मुकाबले वर्ष 2024-25 के दौरान प्रावधान और आकस्मिक व्यय में वृद्धि हुई (सारणी IV.3)।

IV.21 एससीबी का ब्याज व्यय और ब्याज आय अनुपात वर्ष 2024-25 में बढ़कर 59.4 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 57.4 प्रतिशत था (सारणी IV.3 और चार्ट IV.13ए)। एससीबी का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 3.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 3.1 प्रतिशत हो गया। पीवीबी के लिए औसत एनआईएम सबसे अधिक रहा, इसके बाद एफबी और पीएसबी का स्थान रहा। पीएसबी ने सीमित अंतर-बैंक भिन्नता के साथ अपेक्षाकृत समान एनआईएम बनाये रखें, जबकि एफबी ने अपने एनआईएम में उच्चतम प्रसार बनाया और उसके बाद पीवीबी का स्थान रहा (चार्ट IV.13बी)।

IV.22 मार्च 2025 के अंत में एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) (बट्टे खाते में डालने के लिए समायोजित नहीं) 76.3 प्रतिशत पर स्थिर रहा। वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएसबी का पीसीआर बढ़कर 78.5 प्रतिशत हो गया, जबकि

चार्ट IV.14: प्रावधान कवरेज अनुपात
(प्रतिशत)

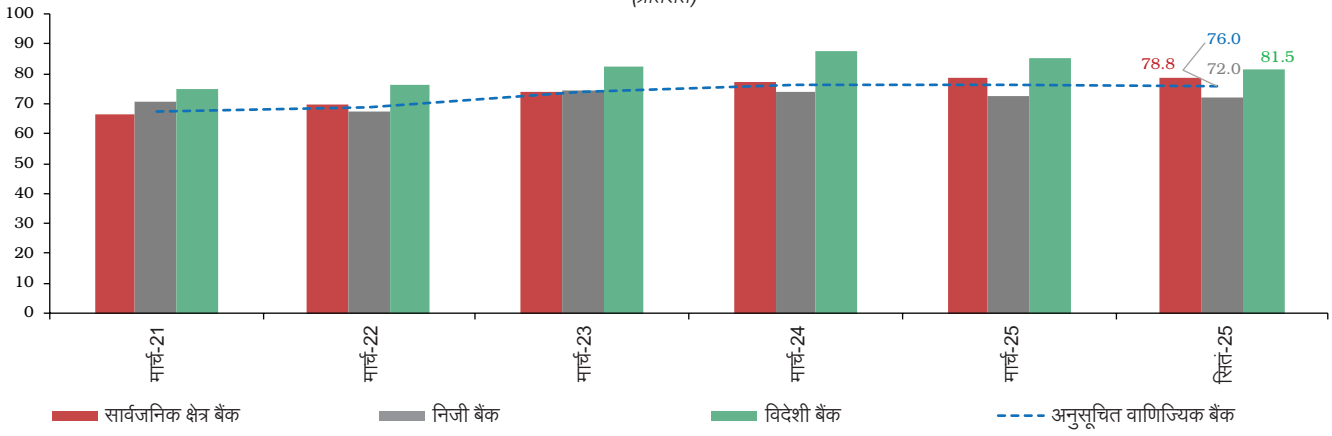

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. प्रावधान कवरेज अनुपात को बट्टे खाते के साथ समायोजित नहीं किया गया है।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.4: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह	वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधियों की लागत	अग्रिम पर प्रतिलाभ	निवेश पर प्रतिलाभ	निधियों पर प्रतिलाभ	स्प्रेड (कॉलम 8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	2023-24	4.8	7.3	5.0	8.5	6.7	8.0	3.0
	2024-25	5.0	7.3	5.2	8.5	6.8	8.0	2.8
पीवीबी	2023-24	4.8	9.2	5.4	10.4	6.8	9.5	4.1
	2024-25	5.1	8.2	5.5	10.0	6.8	9.2	3.7
एफबी	2023-24	3.8	5.6	4.1	8.7	6.8	7.6	3.5
	2024-25	4.0	5.1	4.2	8.5	6.7	7.4	3.2
एसएफबी	2023-24	6.8	8.2	7.0	17.0	6.8	14.5	7.5
	2024-25	7.1	8.1	7.2	16.2	6.8	13.9	6.7
पीबी	2023-24	2.0	11.2	2.4	10.0	7.6	7.6	5.2
	2024-25	1.9	11.7	2.4	9.1	6.7	6.7	4.3
एससीबी	2023-24	4.8	8.1	5.1	9.4	6.7	8.6	3.5
	2024-25	5.0	7.5	5.3	9.2	6.8	8.5	3.2

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. जमा की लागत = जमा पर भुगतान किया गया ब्याज/(वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत)।
3. उधार की लागत = (व्यय किया गया ब्याज - जमा पर ब्याज) / (वर्तमान और पिछले वर्ष के उधारों का औसत)।
4. निधियों की लागत = व्यय किया गया ब्याज/(वर्तमान और पिछले वर्ष की जमा राशि और उधार का औसत)
5. अग्रिमों पर प्रतिलाभ= अग्रिमों पर अर्जित ब्याज/(वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत)।
6. निवेश पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज/(वर्तमान और पिछले वर्ष के निवेश का औसत)।
7. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिम पर अर्जित ब्याज + निवेश पर अर्जित ब्याज) / (वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों और निवेशों का औसत)।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे और आरबीआई स्टाफ की वार्षिक गणना।

पीवीबी के लिए यह 72.6 प्रतिशत तक कम हो गया। सितंबर 2025 के अंत में एससीबी का पीसीआर 76.0 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.14)।

IV.23 वर्ष 2024-25 के दौरान, निधि की लागत में वृद्धि के साथ-साथ निधि पर प्रतिलाभ में कमी के परिणामस्वरूप एससीबी के लिए स्प्रेड कम हो गया। एसएफबी ने सबसे व्यापक स्प्रेड रिकॉर्ड करना जारी रखा, जो उनके अग्रिमों पर अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरों को दर्शाता है (सारणी IV.4)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

4.1 पूंजी पर्याप्तता

IV.24 भारत में बैंकों के लिए जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में न्यूनतम विनियामकीय पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की आवश्यकता 9 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित 11.5 प्रतिशत) निर्धारित की गई है और टियर 1 पूंजी आवश्यकता 7 प्रतिशत निर्धारित की गई है ये दोनों, बासेल III अपेक्षाओं से एक प्रतिशत अंक अधिक हैं।[8] मार्च 2025 के अंत में, सभी बैंक समूह सीआरएआर और टियर 1 पूंजी की न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकताओं से ऊपर अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे। मार्च 2025 के अंत में एससीबी का सीआरएआर बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया, जिसमें सभी पीएसबी और पीवीबी में वृद्धि देखी गई। मार्च 2025 के अंत में पीएसबी और पीवीबी में हुए सुधार से एससीबी के टियर 1 पूंजी अनुपात में 15.5 प्रतिशत तक सुधार हुआ (सारणी IV.5)। एससीबी का सीआरएआर सितंबर 2025 के अंत में 17.2 प्रतिशत रहा।

IV.25 वर्ष 2024-25 में पीएसबी की तुलना में पीवीबी के मामले में सीआरएआर और कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात में व्यापक अंतर देखा गया। वर्ष के दौरान पीएसबी और पीवीबी दोनों के माध्य और माध्यिका सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट IV.15 ए और बी)।

[8] एसएफबी के लिए न्यूनतम विनियामकीय सीआरएआर आवश्यकता 15.0 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जिसमें कुल जोखिम-भारित आस्तियों का कम से कम 7.5 प्रतिशत टियर 1 पूंजी की आवश्यकता है।

सारणी IV.5: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घटक-वार पूँजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		एससीबी	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूँजीगत निधियां	**11,74,245**	**13,55,864**	**12,83,455**	**14,64,071**	**2,70,646**	**3,11,060**	**41,603**	**47,390**	**27,69,949**	**31,78,386**
i) टियर 1 पूँजी	9,94,510	11,66,550	11,55,051	13,42,472	2,43,842	2,82,833	37,330	41,475	24,30,733	28,33,330
ii) टियर 2 पूँजी	1,79,735	1,89,314	1,28,404	1,21,599	26,804	28,227	4,273	5,915	3,39,216	3,45,056
2. जोखिम भारित आस्ति	**75,59,396**	**84,23,011**	**72,14,513**	**80,03,960**	**14,18,639**	**16,57,665**	**1,92,331**	**2,20,390**	**1,63,84,879**	**1,83,05,026**
3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	**15.5**	**16.1**	**17.8**	**18.3**	**19.1**	**18.8**	**21.6**	**21.5**	**16.9**	**17.4**
जिनमें से: टियर 1	13.2	13.8	16.0	16.8	17.2	17.1	19.4	18.8	14.8	15.5
टियर 2	2.4	2.2	1.8	1.5	1.9	1.7	2.2	2.7	2.1	1.9

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. हो सकता है पूर्णांकन के कारण प्रतिशत में आकड़े कुल में न जुड़े।

स्रोत: परोक्ष विवरणी, आरबीआई।

IV.26 वर्ष 2024-25 के दौरान कर्ज का निजी स्थानन (प्लेसमेंट), योग्य संस्थागत स्थानन और पूंजी बाजार में इक्विटी के प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधनों में वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संचालित थी, जिन्होंने निजी स्थानन के माध्यम से मुख्यत: ऋण साधनों के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि में 36.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (सारणी IV.6)।

4.2 लीवरेज और चलनिधि

IV.27 लीवरेज अनुपात एक गैर-जोखिम आधारित बैकस्टॉप उपाय है जो बासेल III जोखिम-आधारित पूंजी ढांचे का पूरक है। भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के लिए न्यूनतम लीवरेज अनुपात की आवश्यकता 4 प्रतिशत है और अन्य एससीबी के लिए 3.5 प्रतिशत है। एससीबी के लीवरेज अनुपात - कुल जोखिमों के लिए टियर 1 पूंजी का अनुपात – मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गया, जिसमें पीएसबी और पीवीबी में सुधार हुआ। चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - जिसे अल्पावधि में चलनिधि के दबाव का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - बैंकों को दबावग्रस्त परिस्थितियों में 30 दिनों के निवल व्यय को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मार्च 2025 के अंत में, एससीबी के लिए एलसीआर बढ़कर 132.6 प्रतिशत हो गया। यह सभी बैंक समूहों के लिए 100 प्रतिशत की विनियामकीय आवश्यकता से काफी ऊपर रहा (सारणी IV.7)।

चार्ट: IV.15: बैंक समूह-वार सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात
(मार्च के अंत में)

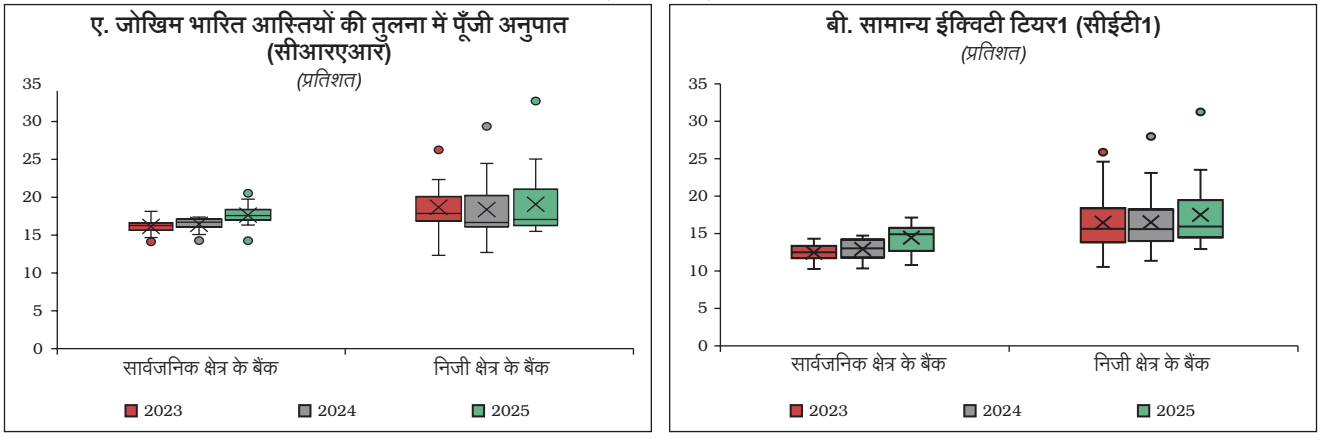

टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट के व्हिस्कर्स अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का संकेत हैं। एक रंगीन बॉक्स पहले चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक के बीच की दूरी दिखाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दिखाती है, जबकि 'X' माध्य दिखाती है।

स्रोत: परोक्ष विवरणी, आरबीआई।

सारणी IV.6: निजी स्थानन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (नवंबर तक)	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	27	70,260	26	97,380	28	1,33,000	6	40,719
पीवीबी	14	52,903	14	33,426	8	16,419	11	18,192
एफबी	2	224	0	0	0	0	0	0
कुल	**43**	**1,23,387**	**40**	**1,30,806**	**36**	**1,49,418**	**17**	**58,912**

टिप्पणियाँ: 1. ऋण का निजी स्थानन, पात्र संस्थागत स्थानन और अधिमानी आवंटन शामिल करें।
2. 2025-26 के लिए आंकड़े अनंतिम है।
3. घटक आइटम पूर्णांक के कारण कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: सेबी, बीएसई और एनएसई।

IV.28 निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि एक बैंक का उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण उसके एक वर्ष के दृष्टिकोण में सतत आधार पर आवश्यक स्थिर वित्तपोषण से अधिक हो। भारत में बैंकों को न्यूनतम एनएसएफआर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 100 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। मार्च 2025 के अंत में, एससीबी का एनएसएफआर 126.4 प्रतिशत था, जो विनियामकीय आवश्यकता से बहुत अधिक था (सारणी IV.8)। सितंबर 2025 के अंत में एससीबी का एनएसएफ़आर 124.7 प्रतिशत रहा।

4.3 अनर्जक आस्तियां

IV.29 वर्ष 2018-19 से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति देखी गई, जिसे उनके सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपातों द्वारा मापा जाता है, जो वर्ष 2024-25 के दौरान भी जारी रही। एससीबी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2025 के अंत में 2.2 प्रतिशत के बहु-दशकीय निचले स्तर पर आ गया, जो मार्च 2024 के अंत में 2.7 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 के दौरान, वसूली और उन्नयन के कारण जीएनपीए में लगभग 42.8 प्रतिशत की कमी आई। मार्च 2025 के अंत में निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात भी घटकर 0.5 प्रतिशत हो गया, जो आंशिक रूप से उच्च प्रावधान को दर्शाता है (सारणी IV.9)। पर्यवेक्षी डेटा के अनुसार, सितंबर 2025 के अंत में, एससीबी के जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात क्रमश: 2.1 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत रहें।

IV.30 वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी का गिरावट अनुपात, जो वर्ष की शुरुआत में मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में एनपीए में नई वृद्धि को मापता है, इसमें लगातार पांचवें वर्ष भी गिरावट आई और मार्च 2025 के अंत में यह 1.4 प्रतिशत हो गया। पीएसबी और पीवीबी दोनों के गिरावट अनुपात में गिरावट आई, हालांकि यह पीवीबी के लिए अधिक

सारणी IV.7: लीवरेज अनुपात और चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(प्रतिशत)

	लीवरेज अनुपात			चलनिधि व्याप्ति अनुपात		
	मार्च-24	मार्च-25	सितं-25	मार्च-24	मार्च-25	सितं-25
1	2	3	4	5	6	7
पीएसबी	6.0	6.3	6.2	129.3	132.1	133.7
पीवीबी	9.7	10.2	10.3	127.1	128.6	122.1
एफबी	10.8	10.3	10.6	145.0	149.6	157.0
एसएफबी	11.0	10.0	9.3	153.3	153.7	142.5
एससीबी	**7.8**	**8.0**	**8.2**	**130.3**	**132.6**	**131.7**

टिप्पणी: एससीबी के लिए आंकड़ों में आरआरबी और पीबी को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: परोक्ष विवरणी, आरबीआई।

सारणी IV.8: निवल स्थिर निधीयन अनुपात
(मार्च 2025 के अंत तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

	उपलब्ध स्थिर निधीयन	आवश्यक स्थिर निधीयन	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
पीएसबी	1,22,35,851	96,31,010	127.0
पीवीबी	82,16,358	65,85,675	124.8
एफबी	8,74,072	6,61,384	132.2
एसएफबी	2,87,381	2,26,049	127.1
एससीबी	**2,16,13,661**	**1,71,04,118**	**126.4**

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।

स्रोत: परोक्ष विवरणियां, आरबीआई।

सारणी IV.9: बैंक समूह द्वारा अनर्जक आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी	पीवीबी	एफबी	एसएफबी	एससीबी
1	2	3	4	5	6
कुल एनपीए					
2023-24 के लिए अंतिम शेष	3,39,541	1,29,164	6,523	5,590	4,80,818
2024-25 के लिए प्रारंभिक शेष	3,39,541	1,29,164	6,523	5,391	4,80,619
वर्ष 2024-25 के दौरान योग	82,762	1,21,735	7,256	14,607	2,26,359
वर्ष 2024-25 के दौरान कमी	1,38,653	1,18,224	8,458	10,009	2,75,344
i. वसूली	33,630	29,320	2,779	1,963	67,693
ii. उन्नयन	13,847	30,360	3,322	2,559	50,087
iii. बट्टे खाते में	91,176	58,544	2,357	5,486	1,57,563
2024-25 के लिए अंतिम शेष	**2,83,650**	**1,32,674**	**5,321**	**9,989**	**4,31,634**
कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल एनपीए*					
2023-24	3.5	1.9	1.2	2.4	2.7
2024-25	2.6	1.8	0.9	3.6	2.2
निवल एनपीए					
2023-24	72,544	31,594	812	1,796	1,06,745
2024-25	55,634	35,069	776	3,910	95,388
निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए					
2023-24	0.8	0.5	0.1	0.8	0.6
2024-25	0.5	0.5	0.1	1.4	0.5

*: संबंधित बैंकों के वार्षिक खातों से कुल एनपीए और परोक्ष विवरणियों (वैश्विक परिचालन) से कुल अग्रिम लेकर गणना की जाती है।

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।

2. 1 अप्रैल, 2024 से एक एसएफबी का दूसरे में विलय होने के कारण, 2023-24 का अंतिम शेष 2024-25 के प्रारंभिक शेष के बराबर नहीं है। विलय किए गए एसएफबी से संबंधित ₹199.54 करोड़ का शेष एनपीए वर्ष 2024-25 के दौरान कुल जीएनपीए योग में शामिल किया गया है।

3. निवल एनपीए=कुल एनपीए - कटौती; निवल अग्रिम=कुल अग्रिम - कटौती। कटौतियों में: i) आस्ति वर्गीकरण के अनुसार एनपीए खातों के मामले में रखे गए प्रावधान; ii) डीआईसीजीसी/ईसीजीसी के प्राप्त हुए दावे और लंबित समायोजन के लिए रखे गए; iii) आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ और उचंत खाते या किसी अन्य समान खाते में रखा गया; iv) एनपीए खातों के संबंध में विविध खाते में शेष राशि (ब्याज पूंजीकरण - पुनर्गठित खाते); और v) अस्थायी प्रावधान शामिल हैं।

4. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते और परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

रहा (चार्ट IV.16 ए और बी)। एससीबी के लिए गिरावट अनुपात सितंबर 2025 के अंत में 1.3 प्रतिशत रहा।

IV.31 आस्ति गुणवत्ता में इन लाभों को दर्शाते हुए, मार्च 2025 के अंत में पीएसबी और एफबी के कारण में एससीबी

चार्ट IV.16: सकल अनर्जक आस्तियों में कमी

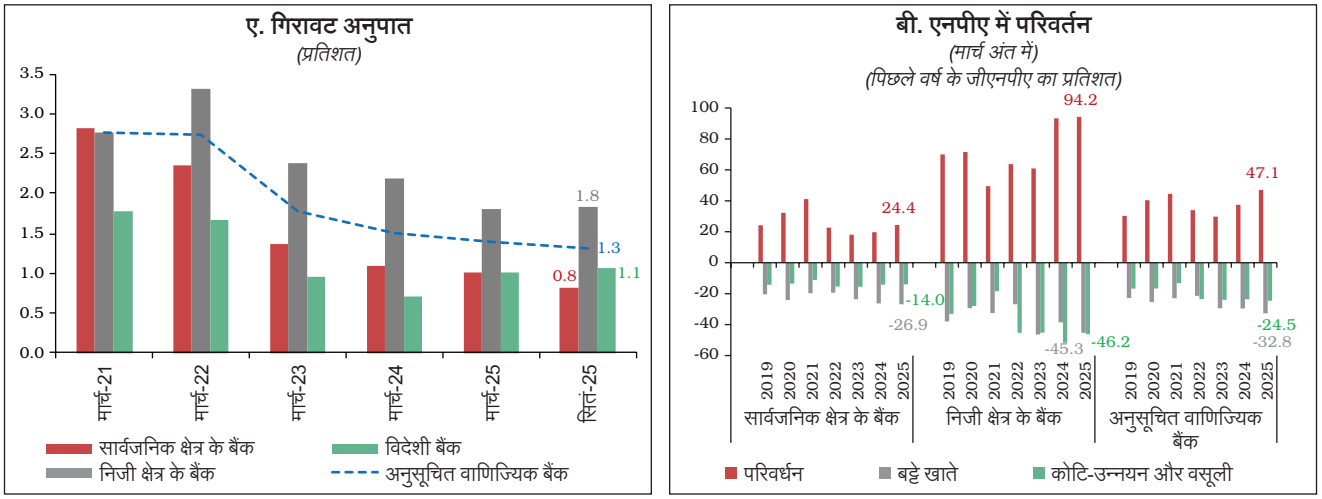

स्रोत: परोक्ष विवरणी (वैश्विक परिचालन), आरबीआई और बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी IV.10: बैंक समूह द्वारा ऋण आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मार्च अंत	मानक आस्तियां		अमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानिकर आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएसबी	2024	84,24,922	96.3	58,576	0.7	1,78,483	2.0	83,681	1.0
	2025	95,38,365	97.2	56,039	0.6	1,34,813	1.4	82,561	0.8
पीवीबी	2024	66,96,942	98.2	44,199	0.6	52,944	0.8	26,397	0.4
	2025	72,94,711	98.2	58,336	0.8	50,019	0.7	22,021	0.3
एफ़बी	2024	5,39,598	98.8	1,344	0.2	4,228	0.8	950	0.2
	2025	6,12,992	99.1	1,520	0.2	2,629	0.4	1,172	0.2
एसएफ़बी	2024	2,24,245	97.6	4,005	1.7	1,514	0.7	71	0.0
	2025	2,68,585	96.4	8,423	3.0	1,498	0.5	68	0.0
एससीबी	2024	1,58,85,707	97.2	1,08,125	0.7	2,37,169	1.5	1,11,099	0.7
	2025	1,77,14,653	97.7	1,24,317	0.7	1,88,959	1.0	1,05,822	0.6

*: सकल अग्रिम का प्रतिशत के अनुसार।

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।
2. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

के लिए कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का अनुपात बढ़ गया (सारणी IV.10)।

IV.32 मार्च 2025 के अंत में एससीबी के कुल अग्रिमों में बड़े उधार खातों[9] की हिस्सेदारी मोटे तौर पर 43.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। वर्ष 2024-25 में एससीबी के सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में विशेष उल्लेख खाता-0 (एसएमए-0), विशेष उल्लेख खाता-2 (एसएमए-2)[10] और एनपीए, समग्र और बड़े उधार खातों दोनों में गिरावट आई। वर्ष 2024-25 के दौरान पीएसबी में एसएमए-1 में वृद्धि होने से एससीबी के लिए विशेष उल्लेख खाता-1 (एसएमए-1) अनुपात में वृद्धि हुई, (चार्ट IV.17)।

IV.33 महामारी के पश्चात समाधान फ्रेमवर्क 1.0 और 2.0 की शुरुआत के बाद वर्ष 2021-22 में एससीबी के पुनर्गठित

चार्ट IV.17: संपूर्ण दबाव बनाम बड़े उधार खातों का दबाव

(मार्च अंत में, बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में)

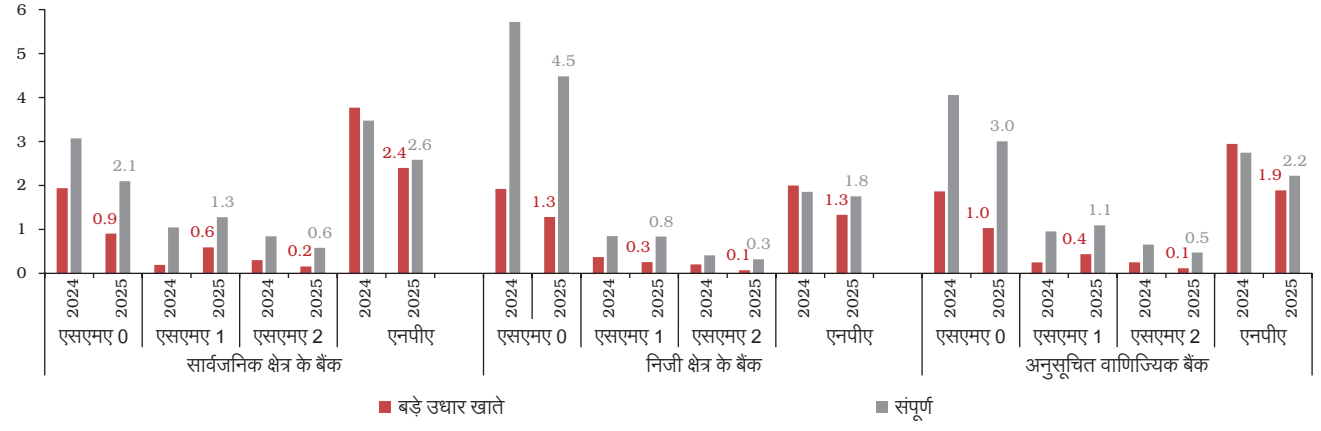

टिप्पणियाँ: 1. बड़े उधार खातों और संपूर्ण खातों के अनुपात की गणना उनसे संबंधित बकाया राशियों के प्रतिशत के रूप में की जाती हैं।
2. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।

स्रोत: सीआरआईएलसी डेटाबेस और परोक्ष विवरणी (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

[9] बड़े उधार खाते से तात्पर्य उन खातों से है जिनमें कुल ऋण ₹5 करोड़ या उससे अधिक हैं।

[10] एसएमए-0 खाते वे हैं जिनमें मूलधन या ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है, लेकिन खाते में प्रारंभिक दबाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एसएमए-1 खाता वे हैं जिनमें मूलधन या ब्याज भुगतान 31-60 दिनों के बीच बकाया है। एसएमए-2 खाता वे हैं जिनमें मूलधन या ब्याज भुगतान 61-90 दिनों के बीच बकाया है।

खातों में काफी वृद्धि हुई थी। इसके बाद, आरएसए को लागू करने की समय-सीमा की समाप्ति और आस्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाते हुए, पुनर्गठित खातों की संख्या में गिरावट आई। नतीजतन, वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएसबी[11] के कारण एससीबी के समग्र और बड़े उधार खातों के लिए पुनर्गठित मानक अग्रिम अनुपात में गिरावट आई। मार्च 2025 के अंत में पीएसबी की तुलना में पीवीबी के पास सकल अग्रिमों में पुनर्गठित मानक अग्रिमों का हिस्सा कम था (चार्ट IV.18)।

चार्ट IV.18 : पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात

(कुल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में आरएसए)

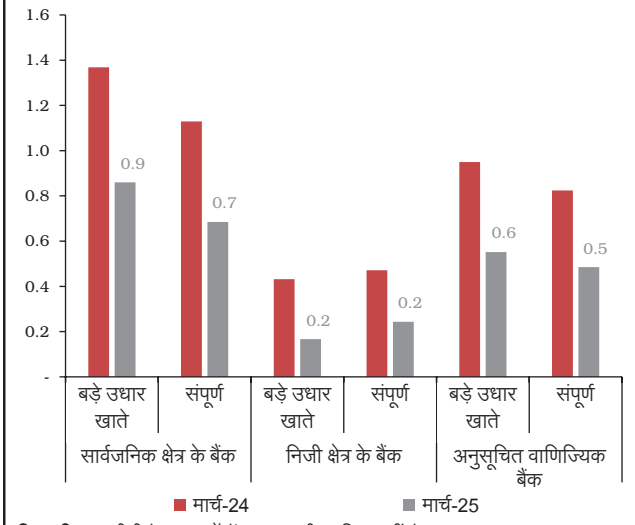

टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।

स्रोत: सीआरआईएलसी डेटाबेस और परोक्ष विवरणी (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

4.4 वसूली

IV.34 वर्ष 2024-25 के दौरान, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान के लिए भेजे गए मामलों की संख्या में कमी आई। सरफेसी अधिनियम के तहत समाधान के लिए संदर्भित मामलों में शामिल राशि वर्ष 2024-25 में कम हो गई, जबकि वसूली दर बढ़कर 31.5 प्रतिशत हो गई। आईबीसी के तहत वसूली दर भी वर्ष 2024-25 में बढ़कर 36.6 प्रतिशत हो गई। आईबीसी वसूली का प्रमुख माध्यम बना रहा, इसके बाद सरफेसी का स्थान रहा। वर्ष 2024-25 में कुल वसूली राशि में आईबीसी की हिस्सेदारी बढ़कर 52.4 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 49.5 प्रतिशत था (सारणी IV.11)। आईबीसी के तहत, सितंबर 2025 के अंत में वसूली योग्य मूल्य परिसमापन मूल्य का 170.1 प्रतिशत था, जबकि सितंबर 2024 के अंत में यह 161.1 प्रतिशत था।

सारणी IV.11: विभिन्न माध्यमों से वसूला गया एससीबी का एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली माध्यम	2023-24				2024-25 (पी)			
	संदर्भित मामलों की संख्या	संबंधित राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम 4 कॉलम 3 के प्रतिशत में	संदर्भित मामलों की संख्या	संबंधित राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम 8 कॉलम 7 के प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालत	1,23,41,783	1,81,934	3,308	1.8	1,49,12,705	1,97,907	4,742	2.4
डीआरटी	30,806	79,414	13,527	17.0	34,430	1,29,516	12,363	9.5
सरफेसी कानून	2,16,571	1,19,554	30,416	25.4	2,15,709	1,03,180	32,466	31.5
आईबीसी @	1,004	1,63,943	46,340	28.3	732	1,49,045	54,528	36.6
कुल	**1,25,90,164**	**5,44,845**	**93,591**	**17.2**	**1,51,63,576**	**5,79,648**	**1,04,099**	**18.0**

पी : अनंतिम। डीआरटी: ऋण वसूली न्यायाधिकरण।

* : निर्दिष्ट वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि को दर्शाता है, जो उस वर्ष के दौरान संदर्भित मामलों के साथ-साथ पिछले वर्षों के मामलों के संदर्भ में भी हो सकती है।

@ : राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरणों (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले।

स्रोत: परोक्ष विवरणी, आरबीआई, और भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

[11] पुनर्गठित मानक अग्रिम अनुपात सकल अग्रिमों में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है।

IV.35 बैंकों ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए की बिक्री के माध्यम से अपने तुलन पत्र को ठीक करना जारी रखा। वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी के लिए पिछले वर्ष के जीएनपीए की तुलना में आस्ति बिक्री के अनुपात में वृद्धि हुई, यहां तक कि बैंकों ने अन्य चैनलों के माध्यम से वसूली जारी रखी। वर्ष 2024-25 के दौरान, निरपेक्ष रूप से, पीवीबी और विदेशी बैंकों के लिए एआरसी को आस्तियों की बिक्री में वृद्धि हुई, जबकि पीएसबी के लिए इसमें गिरावट आई (चार्ट IV.19ए)। एआरसी द्वारा अधिग्रहित आस्तियों का बही मूल्य उनकी अधिग्रहण लागत की तुलना में तेज गति से बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2025 के अंत में अधिग्रहण लागत – बहिमूल्य अनुपात में गिरावट आई (चार्ट IV.19बी)।

IV.36 एआरसी द्वारा अधिग्रहित आस्तियों के बकाया बही मूल्य में 57.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आंशिक रूप से स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाइजेशन निधि के अधिग्रहण के प्रभाव को दर्शाता है। जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियों में पिछले वर्ष के 15.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2024-25 के दौरान 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिग्रहित आस्तियों के बही मूल्य के लिए जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियों का अनुपात मार्च 2025 के अंत में 27.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 19.8 प्रतिशत हो गया। कुल प्रतिभूति प्राप्तियों में बैंकों के अंशदान की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में घटकर 58.9 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष 59.1 प्रतिशत थी। अन्य निवेशकों (योग्य संस्थागत खरीदारों) की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 13.1 प्रतिशत से बढ़कर 13.8 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की बकाया प्रतिभूति प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिभूति प्राप्तियों को पूरी तरह से भुनाया गया, जो इस माध्यम से वसूली का एक संकेतक है, जो पिछले वर्ष के दौरान 38.2 प्रतिशत से बढ़कर 41.8 प्रतिशत हो गया। (सारणी IV.12)।

4.5 बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी

IV.37 धोखाधड़ी वित्तीय संस्थानों को प्रतिष्ठा, परिचालन और व्यावसायिक जोखिमों के लिए उजागर करके कई चुनौतियां पेश करती है, साथ ही ग्राहकों के विश्वास को कमजोर करती है 2024-25 के दौरान, बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी के कुल मामलों में कमी आयी है, यद्यपि धोखाधड़ी में शामिल राशि में वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से 27 मार्च, 2023 के भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करने के बाद ₹18,336 करोड़ के 122 धोखाधड़ी मामलों की दोबारा जांच और नई रिपोर्टिंग के कारण

चार्ट IV.19: एआरसी को दवाबग्रस्त आस्तियों की बिक्री

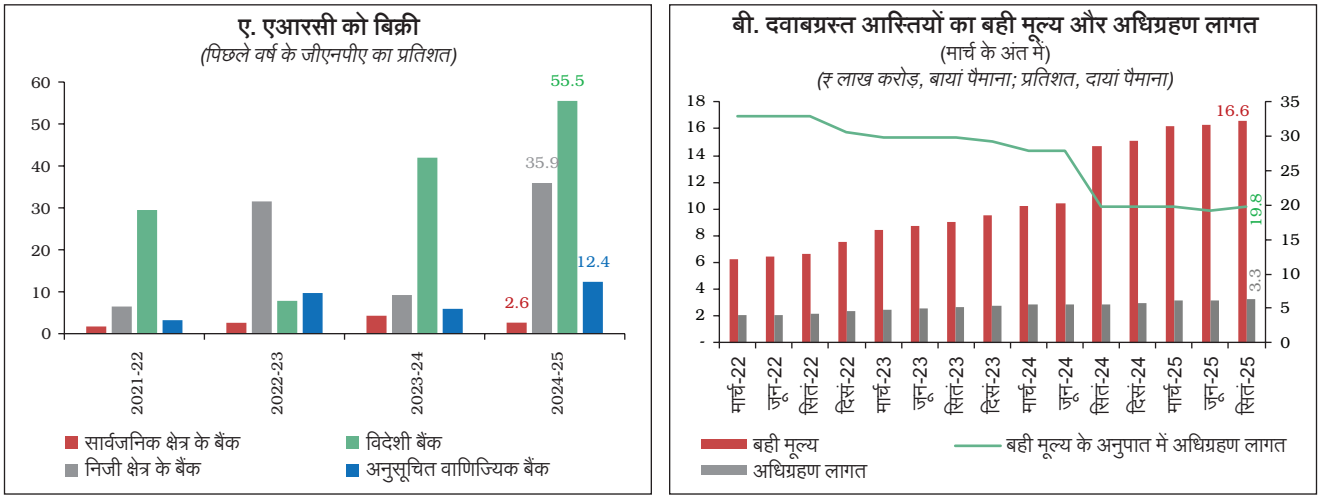

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण और परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.12: परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रतिभूतीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2023	2024	2025
1	2	3	4
रिपोर्टिंग एआरसी की संख्या	28	27	27
1. अधिग्रहित परिसंपत्ति का बही मूल्य	8,39,126	10,25,429	16,19,124
2. एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियाँ	2,46,290	2,83,323	3,20,887
3. द्वारा सब्सक्राइब की गई प्रतिभूति प्राप्तियाँ			
(क) बैंक	1,49,253	1,67,517	1,89,025
(ख) एआरसी	49,519	57,283	64,656
(ग) वित्तीय संस्थागत निवेशक	19,383	21,495	22,778
(घ) अन्य (अर्हक संस्थागत खरीददार)	28,135	37,027	44,427
4. पूर्णत: मोचित प्रतिभूति प्राप्तियों की राशि	41,257	53,243	60,688
5. आंशिक रूप से मोचित प्रतिभूति प्राप्तियों की राशि	65,610	84,938	1,06,875
6. बकाया प्रतिभूति प्राप्तियाँ	1,39,422	1,45,140	1,53,323

टिप्पणियाँ: 1. तिमाही के अंत में कुल (संचयी/स्टॉक आंकड़े)
2. पूर्णांक के कारण घटक मद कुल में नहीं जोड़ सकते है।

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियाँ।

हुआ (सारणी IV.13 और परिशिष्ट सारणी IV.7)।[12] धोखाधड़ी की घटना की तारीख के आधार पर, 2024-25 के दौरान, कुल मामलों की संख्या के मामले में कार्ड/इंटरनेट धोखाधड़ी का हिस्सा 66.8 प्रतिशत था। राशि के संदर्भ में, अग्रिम-संबंधित धोखाधड़ी का हिस्सा 33.1 प्रतिशत था। (सारणी IV.14)।

IV.38 2024-25 में, रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी मामलों में से 59.3 प्रतिशत पीवीबी के थे , जबकि इसमें शामिल राशि का 70.7 प्रतिशत पीएसबी का था (चार्ट IV.20 ए और बी)। पीवीबी के भीतर, कार्ड/इंटरनेट से संबंधित धोखाधड़ी की हिस्सेदारी संख्या के हिसाब से सबसे अधिक थी, जबकि 2024-25 में अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी की मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। इसके विपरीत, पीएसबी ने मामलों की संख्या और इसमें शामिल राशि दोनों के संदर्भ में अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी का सबसे अधिक

सारणी IV.13: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25		2024-25 (अप्रैल-सितंबर)		2025-26 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अग्रिम	3,989	15,065	4,113	9,160	7,934	31,911	3,518	15,521	4,255	17,501
कार्ड/इंटरनेट	6,699	277	29,080	1,457	13,469	520	13,081	484	195	14
नकद	1,485	159	484	78	306	39	205	18	116	27
चेक/डीडी, *आदि*।	118	25	127	42	122	74	49	54	51	8
खाता समाशोधन *आदि*।	18	3	17	2	6	2	3	1	2	6
जमा	652	259	2,002	240	1,207	521	934	363	222	131
विदेशी मुद्रा लेनदेन	13	12	19	38	23	16	6	1	21	124
अंतर-शाखा खाते	3	0	29	10	14	26	3	0	19	19
तुलन पत्र से इतर	13	280	10	199	8	270	-	-	3	1
अन्य	472	422	171	35	790	1,392	587	127	208	3,684
कुल	**13,462**	**16,502**	**36,052**	**11,261**	**23,879**	**34,771**	**18,386**	**16,569**	**5,092**	**21,515**

-: शून्य/नगण्य।

टिप्पणियाँ: 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के वर्ष से कई साल पहले हो सकती है।
4. इसमें शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियाँ हैं और उठाए गए नुकसान की मात्रा को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उठाया गया नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं हैं कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि को डायवर्ट (विपथन) किया गया हो।
5. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने के कारण 30 सितंबर, 2025 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा राशि ₹1,28, 031 करोड़ की धोखाधड़ी के 942 मामले वापस लिए गए हैं।
6. 2024-25 से संबंधित आंकड़ों में पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 18,336 करोड़ रुपये की राशि के 122 मामलों में धोखाधड़ी का वर्गीकरण शामिल है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुन: जांच के बाद और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नए सिरे से रिपोर्ट किए गए हैं।
7. 15 जुलाई, 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी करने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं जो बैंक (बैंकों) पर की गई धोखाधड़ी के रूप में सामने आए हैं।

स्रोत: आरबीआई।

[12] नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने के कारण पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान इन्हें धोखाधड़ी वर्गीकरण से हटा दिया गया था।

सारणी IV.14: घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2022-23 से पहले		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अग्रिम	8,192	64,974	4,728	3,319	5,006	4,142	2,214	1,159	151	42
कार्ड/इंटरनेट	1,902	191	11,994	628	27,663	1,192	7,756	252	128	4
नकद	584	61	1,057	121	473	72	219	40	58	8
चेक/डीडी, *आदि*।	79	31	113	24	103	39	98	52	25	3
खाता समाशोधन *आदि*।	12	4	15	1	13	2	1	1	2	6
जमा	559	325	762	222	1,994	255	701	325	67	24
विदेशी मुद्रा लेनदेन	28	79	21	47	12	3	3	61	12	1
अंतर-शाखा खाते	15	5	22	1	12	37	13	11	3	1
तुलन पत्र से इतर	24	713	4	-	4	28	2	9	-	-
अन्य	298	3,324	422	515	250	86	608	1,587	63	22
कुल	**11,693**	**69,707**	**19,138**	**4,878**	**35,530**	**5,856**	**11,615**	**3,497**	**509**	**111**

:- शून्य / नगण्य

टिप्पणियाँ: 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. घटना की तारीख के आधार पर आंकड़े कुछ समय अवधि के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि देर से रिपोर्ट किए गए लेकिन पहले हुए धोखाधड़ी मामले भी इसमें जुड़ जाएंगे।
4. सारणी में आंकड़े वित्त वर्ष 2022-23 से 30 सितंबर, 2025 तक रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित हैं।
5. इसमें शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियाँ हैं और उठाए गए नुकसान की मात्रा को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उठाया गया नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं हैं कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि को डायवर्ट (विपथन) किया गया हो।
6. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने के कारण 30 सितंबर, 2025 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा राशि रु. 128031करोड़ की धोखाधड़ी के 942 मामले वापस ले लिए गए हैं।
7. 2024-25 से संबंधित आंकड़ों में पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 18,336 करोड़ रुपये की राशि के 122 मामलों में धोखाधड़ी का वर्गीकरण शामिल है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुन: जांच के बाद और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नए सिरे से रिपोर्ट किए गए हैं।
8. 15 जुलाई, 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी करने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं जो बैंक (बैंकों) पर की गई धोखाधड़ी के रूप में सामने आए हैं।

स्रोत: आरबीआई।

हिस्सा रिपोर्ट किया। 2024-25 के दौरान शामिल संख्या और राशि दोनों में सभी बैंक समूहों में कार्ड/इंटरनेट धोखाधड़ी की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। सभी बैंक समूहों (राशि के संदर्भ में पीएसबी को छोड़कर) में संख्या और राशि दोनों के संदर्भ

चार्ट IV.20: बैंक समूह-वार धोखाधड़ी

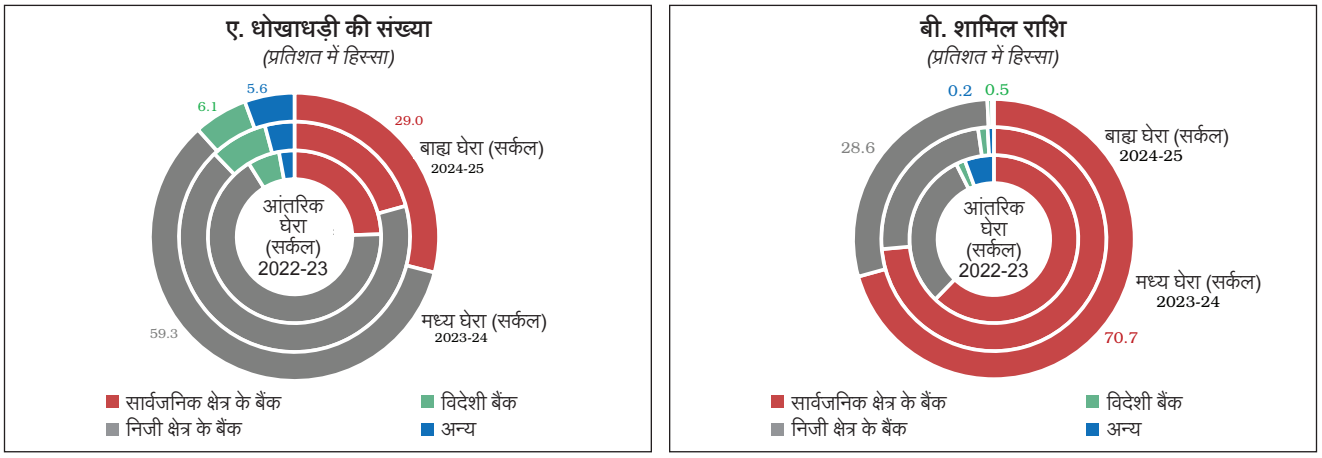

टिप्पणियाँ: 1. रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी।
2. अन्य में वित्तीय संस्थान, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.21: परिचालन-वार धोखाधड़ी का क्षेत्र

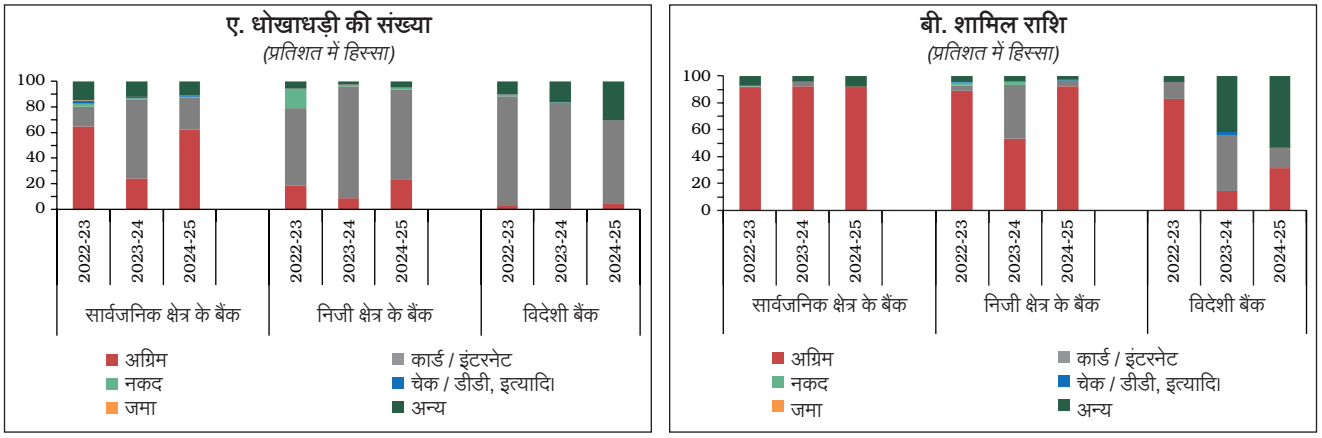

डीडी: डिमांड ड्राफ्ट।

टिप्पणियाँ: 1. रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी।

2. अन्य में समाशोधन खाते, विदेशी मुद्रा लेनदेन, अंतर-शाखा खाते, अनिवासी खाते, तुलन पत्र से इतर खाते और अन्य शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

में अग्रिम-संबंधित धोखाधड़ी का हिस्सा बढ़ गया, मुख्य रूप से पुनर्वर्गीकृत धोखाधड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अग्रिमों से जुड़ा हुआ है (चार्ट IV.21 ए और बी)।

4.6 प्रवर्तन कार्रवाई

IV.39 प्रवर्तन कार्रवाइयां विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने, विश्वास योग्य निवारक प्रभाव बनाने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने का प्रयास करती हैं। 2024-25 के दौरान, आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड की घटनाएँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), पीबी और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी विनियमित संस्थाओं में बढ़ी है।[13] हालांकि, दंड राशि सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को छोड़कर पिछले वर्ष की तुलना में सभी विनियमित संस्थाओं में कम हुई है। (सारणी IV.15)।

सारणी IV.15: प्रवर्तन कार्रवाइयां

विनियमित इकाई	2023-24		2024-25	
	दण्ड आरोपण घटनाएँ	कुल दण्ड (₹ करोड़)	दण्ड आरोपण घटनाएँ	कुल दण्ड (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	16	23.68	8	11.11
निजी क्षेत्र के बैंक	12	24.90	15	14.80
सहकारी बैंक	215	12.07	264	15.63
विदेशी बैंक	3	7.04	6	3.52
भुगतान बैंक	1	5.39	1	0.27
लघु वित्त बैंक	1	0.29	2	0.72
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4	0.12	6	0.59
एनबीएफसी/एआरसी	22	11.53	37	7.29
एचएफसी	3	0.08	13	0.83
सीआईसी	4	1.01	1	0.02
कुल	**281**	**86.11**	**353**	**54.78**

एनबीएफसी: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एआरसी: परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, एचएफसी: आवास वित्त कंपनियां, सीआईसी: क्रेडिट सूचना कंपनियां।

स्रोत: आरबीआई।

5. क्षेत्रवार बैंक ऋण : वितरण और अनर्जक आस्तियां

IV.40 2024-25 के दौरान बैंक ऋण संवृद्धि में कमी आई, जो सभी क्षेत्रों में मंदी को दर्शाती है, हालांकि यह दोहरे अंकों में बनी रही। व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में मंदी सबसे अधिक स्पष्ट थी, इसके बाद सेवा, कृषि और उद्योग का स्थान रहा । मार्च 2025 के अंत में कुल बैंक ऋण में सेवाओं और व्यक्तिगत ऋणों के हिस्से में वृद्धि हुई, जबकि उद्योग और कृषि के हिस्से में गिरावट दर्ज की गई। औद्योगिक क्षेत्र के भीतर, मध्यम उद्योगों

[13] मौद्रिक दंड लगाने के प्रमुख कारणों में *अन्य बातों के साथ-साथ*, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में अदावी जमा के अंतरण पर प्रावधानों का अनुपालन न करना; एक्सपोजर मानदंड, आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड; सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म पर जानकारी की रिपोर्टिंग; क्रेडिट सूचना कंपनियों को ऋण जानकारी प्रस्तुत करना; ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता सीमित करना; निदेशक संबंधित ऋण; अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, अन्य में धोखाधड़ी वर्गीकरण और विनियमित संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग हैं।

ने ऋण वृद्धि में तेजी देखी, जबकि सूक्ष्म एवं लघु और बड़े उद्योगों में गिरावट दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में , संवृद्धि में मुख्य रूप से व्यापार और अन्य सेवाओं का योगदान था। मार्च 2025 के अंत में व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि के वाहकों में प्रमुख उप-क्षेत्र आवास ऋण में संवृद्धि रहा। (सारणी IV.16)। अक्टूबर 2025 के अंत में, एक वर्ष पूर्व की तुलना में कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बैंक ऋण संवृद्धि में तेज़ी आई। ।

IV.41 2024-25 के दौरान, बैंक ऋण में नरमी के बावजूद, वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह बढ़ा, जो गैर-बैंक संसाधनों से प्रवाह में तेजी से प्रेरित था। 2024-25 के दौरान गैर-बैंक स्रोतों से वित्त पोषण में वृद्धि मुख्य रूप से उत्साहजनक घरेलू पूंजी बाजारों से प्रेरित थी, जो सहज बाजार स्थितियों के बीच उच्च इक्विटी जारी करने और कॉर्पोरेट बॉण्ड प्लेसमेंट में वृद्धि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा बढ़े हुए ऋण प्रवाह और अल्पकालिक बाहरी ऋण में उछाल (चार्ट IV.22 ए और बी) में परिलक्षित होती है।

सारणी IV.16: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	की स्थिति के अनुसार बकाया					प्रतिशत भिन्नता (वर्ष-दर-वर्ष)		
	मार्च-23	मार्च-24	अक्टू-24	मार्च-25	अक्टू-25	मार्च-24	मार्च-25	अक्टू-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	**17,26,410**	**20,71,251**	**22,05,579**	**22,87,060**	**24,02,610**	**20.0**	**10.4**	**8.9**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और वृहद)	**33,66,406**	**36,82,393**	**38,12,250**	**39,85,660**	**41,92,700**	**9.4**	**8.2**	**10.0**
2.1. सूक्ष्म और लघु	6,33,289	7,33,123	7,57,113	7,98,473	9,53,572	15.8	8.9	25.9
2.2. मध्यम	2,68,286	3,06,425	3,38,367	3,63,245	3,98,071	14.2	18.5	17.6
2.3. वृहद	24,64,831	26,42,844	27,16,770	28,23,942	28,41,057	7.2	6.9	4.6
3. सेवाएं, *जिनमें से*	**37,18,805**	**45,47,237**	**47,29,329**	**50,93,565**	**53,45,246**	**22.3**	**12.0**	**13.0**
3.1. परिवहन परिचालक	1,92,059	2,32,379	2,49,128	2,61,575	2,75,525	21.0	12.6	10.6
3.2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	24,924	25,917	30,581	32,915	39,584	4.0	27.0	29.4
3.3. पर्यटन, होटल और रेस्तरां	69,342	77,816	80,012	83,366	91,529	12.2	7.1	14.4
3.4. व्यापार	8,72,340	10,24,408	10,78,651	11,84,550	12,27,077	17.4	15.6	13.8
3.5. वाणिज्यिक भू संपदा	3,22,591	4,60,263	4,99,115	5,23,264	5,69,245	42.7	13.7	14.1
3.6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)*	13,42,539	15,23,054	15,35,999	16,35,102	17,03,567	13.4	7.4	10.9
3.7. अन्य सेवाएं**	7,20,969	9,85,815	10,15,601	11,23,459	11,80,689	36.7	14.0	16.3
4. व्यक्तिगत ऋण, *जिनमें से*	**41,82,767**	**53,46,691**	**56,64,806**	**59,71,696**	**64,55,946**	**27.8**	**11.7**	**14.0**
4.1. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	20,985	23,445	23,415	23,201	23,646	11.7	-1.0	1.0
4.2. आवास (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित)	19,91,164	27,18,712	28,71,841	30,10,477	31,87,475	36.5	10.7	11.0
4.3. सावधि जमा के समक्ष अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमा आदि सहित)	1,22,484	1,25,082	1,27,906	1,41,842	1,50,287	2.1	13.4	17.5
4.4. शेयर, बांड *आदि* के समक्ष व्यक्तियों को अग्रिम।	7,633	8,492	9,060	10,080	10,006	11.3	18.7	10.4
4.5. क्रेडिट कार्ड बकाया	2,04,708	2,57,016	2,81,392	2,84,366	3,03,073	25.6	10.6	7.7
4.6. शिक्षा	96,482	1,19,380	1,30,308	1,37,456	1,49,442	23.7	15.1	14.7
4.7. वाहन ऋण	4,87,597	5,73,391	6,01,970	6,22,793	6,77,349	17.6	8.6	12.5
4.8. स्वर्ण आभूषणों के समक्ष ऋण	89,370	93,301	1,47,724	2,06,284	3,37,580	4.4	121.1	128.5
5. बैंक ऋण	**1,36,75,235**	**1,64,32,164**	**1,74,19,532**	**1,82,43,972**	**1,93,90,500**	**20.2**	**11.0**	**11.3**
5.1 गैर-खाद्य ऋण	**1,36,55,330**	**1,64,09,083**	**1,73,89,477**	**1,82,07,441**	**1,93,20,128**	**20.2**	**11.0**	**11.1**

* : एनबीएफसी में आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई), लघु वित्त संस्थान (एमएफआई), गोल्ड लोन में लगे एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

** : "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएं शामिल हैं जो सेवाओं के तहत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े पाक्षिक धारा-42 विवरणी पर आधारित होते हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को शामिल किया जाता है, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित होते हैं, जिसमें चुनिंदा बैंक शामिल हैं जो महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार तक सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.22: भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

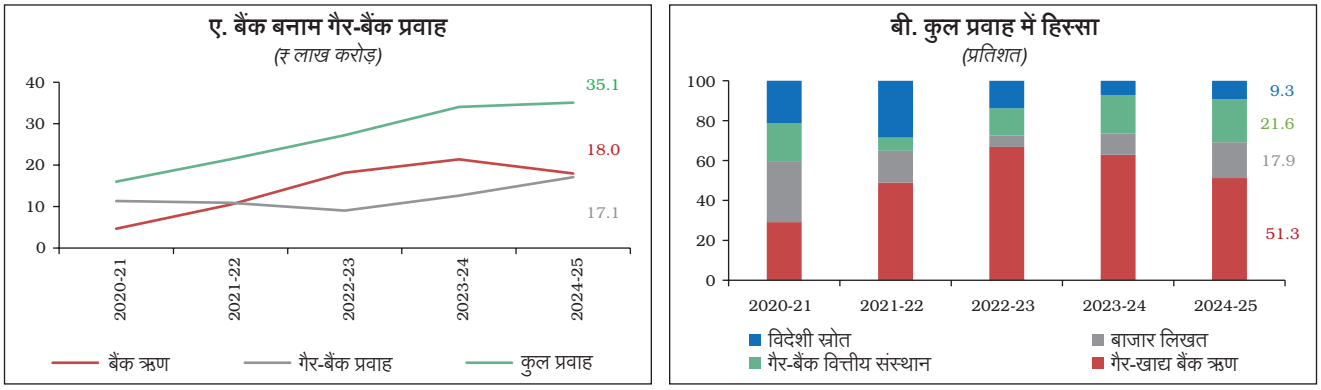

टिप्पणियाँ: 1. बैंक ऋण के लिए आंकड़े धारा-42 विवरणी के आधार पर गैर-खाद्य बैंक ऋण से संबंधित हैं।
2. गैर-बैंक प्रवाह में बाजार लिखतों, गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों और विदेशी स्रोतों से प्रवाह शामिल हैं।
3. बाजार लिखतों में इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मिश्रित लिखत और वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं; गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई); और विदेशी स्रोतों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी वाणिज्यिक उधार और विदेश से अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई ; सेबी; नाबार्ड; एक्जिम बैंक; सिडबी; एनएचबी; एनबीएफआईडी; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

IV.42 मार्च 2025 के अंत में एससीबी के क्षेत्रवार जीएनपीए अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न थे। कृषि क्षेत्र ने उच्चतम जीएनपीए अनुपात दर्ज किया, जबकि खुदरा ऋण के मामले में यह सबसे कम था। मार्च 2025 के

चार्ट IV.23: क्षेत्रवार सकल अनर्जक आस्ति अनुपात

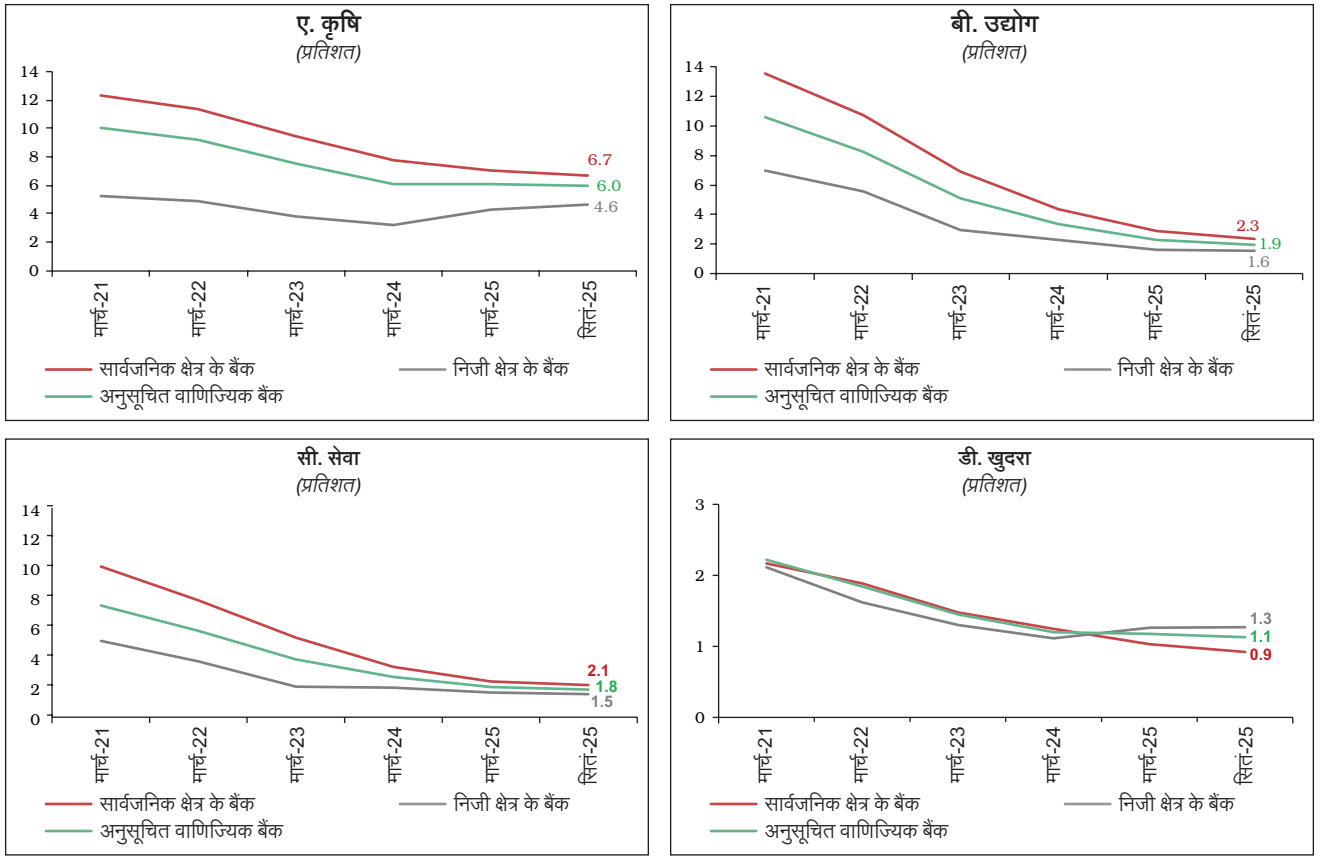

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

अंत में दोनों - पीएसबी और पीवीबी के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। हालांकि, खुदरा क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पीवीबी की तुलना में पीएसबी का जीएनपीए अनुपात अधिक था। सितंबर 2025 के अंत में, सभी क्षेत्रों में एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा (चार्ट IV.23)।

IV.43 खुदरा ऋण क्षेत्र में, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का जीएनपीए अनुपात सबसे अधिक था, इसके बाद क्रेडिट कार्ड प्राप्यों और शिक्षा ऋण का स्थान रहा। मार्च 2025 के अंत में शिक्षा ऋण और आवास ऋण की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, क्रेडिट कार्ड प्राप्यों और वाहन ऋण के लिए यह कमजोर हुई (चार्ट IV.24ए)। सेवाओं के क्षेत्र में, डाक और दूरसंचार क्षेत्र को छोड़कर सभी उप-क्षेत्रों में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसने इस क्षेत्र के भीतर उच्चतम जीएनपीए अनुपात दर्ज किया (चार्ट IV.24बी)। पेय पदार्थों और तंबाकू को छोड़कर सभी औद्योगिक उप-क्षेत्रों में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सुधार के बावजूद चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग में उद्योगों के भीतर उच्चतम जीएनपीए अनुपात बना रहा (चार्ट IV.24सी)।

IV.44 सितंबर 2025 के अंत में खुदरा क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण और शिक्षा ऋण में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में और सुधार देखा गया, जबकि चमड़े और चमड़े के उत्पादों में कुछ सुधार के बावजूद उद्योग के भीतर सबसे अधिक जीएनपीए अनुपात जारी रहा। इसके विपरीत, क्रेडिट कार्ड प्राप्य और डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र ने मार्च 2025 के अंत की तुलना में सितंबर 2025 के अंत में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया।

चार्ट IV.24: विभिन्न उप-क्षेत्रों में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात

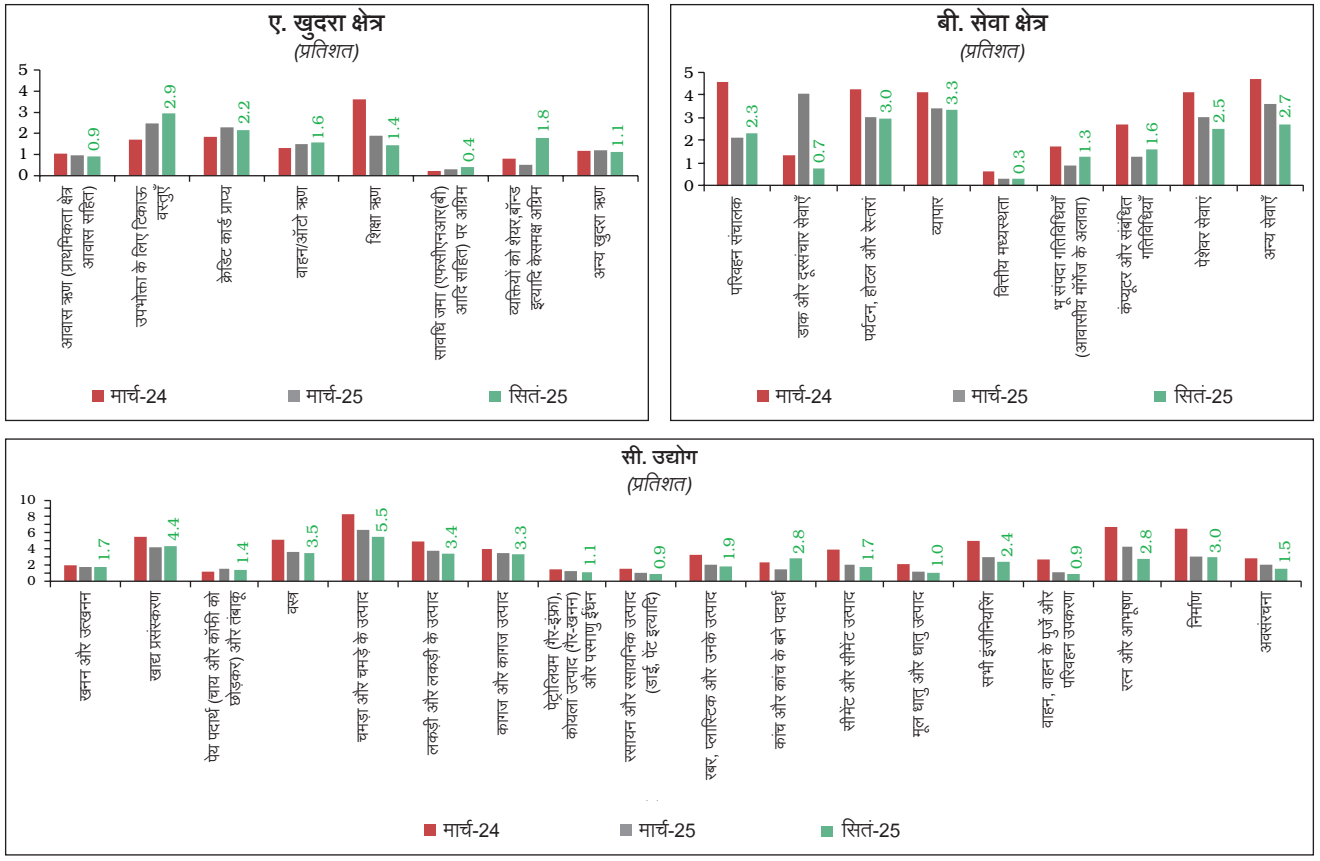

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

5.1 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

IV.45 वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए एससीबी की ऋण वृद्धि कम हो गई, हालांकि यह दोहरे अंकों में बनी रही। बैंक समूहों में, पीएसबी की एमएसएमई को ऋण वृद्धि में तेजी आई, जबकि पीवीबी के लिए यह कम हो गई (सारणी IV.17)। एससीबी के कुल समायोजित निवल बैंक ऋण के अनुपात के रूप में एमएसएमई ऋण मार्च 2025 के अंत में 19.0 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च 2024 के अंत में यह 19.3 प्रतिशत था।

5.2 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

IV.46 एससीबी के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में 2024-25 में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पूर्व इसमें 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। संवृद्धि में नरमी का नेतृत्व पीवीबी ने किया, जबकि पीएसबी ने मामूली वृद्धि दर्ज की। सभी बैंक समूह अपने समग्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे (सारणी IV.18)। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत बकाया कुल राशि में 2024-25 के दौरान 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पूर्व इसमें 10.8 प्रतिशत की वृद्धि

सारणी IV.17: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

1	2	3	4	5
		2022-23	2023-24	2024-25
पीएसबी	खातों की संख्या	138.6 (-7.4)	144.5 (4.2)	124.6 (-13.7)
	बकाया राशि	10,84,954 (13.5)	12,22,687 (12.7)	14,15,994 (15.8)
पीवीबी	खातों की संख्या	58.0 (-35.2)	89.4 (54.2)	79.8 (-10.7)
	बकाया राशि	10,60,173 (12.7)	13,35,238 (25.9)	14,84,158 (11.2)
एसएफबी	खातों की संख्या	15.1 (-35.0)	20.4 (34.8)	35.9 (75.8)
	बकाया राशि	29,661 (1.2)	67,086 (126.2)	91,002 (35.6)
एफबी	खातों की संख्या	1.6 (-26.3)	2.7 (72.5)	2.8 (4.1)
	बकाया राशि	85,349 (0.0)	1,00,261 (17.5)	1,17,808 (17.5)
एससीबी	खातों की संख्या	213.3 (-19.4)	257.0 (20.5)	243.2 (-5.4)
	बकाया राशि	22,60,135 (12.4)	27,25,272 (20.6)	31,08,962 (14.1)

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े वर्ष – दर- वर्ष वृद्धि दर को इंगित करते हैं।
2. एससीबी के लिए आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।
3. पूर्णांक के कारण घटक मद कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.18: बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

(मार्च 2025 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य/उप-लक्ष्य (एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	**40/75***	**35,91,872**	**42.3**	**27,06,678**	**44.3**	**2,64,854**	**41.8**	**1,63,079**	**84.3**	**67,26,484**	**43.6**
जिनमें से											
कृषि	18.0	15,77,732	18.6	10,94,193	17.9	52,440	18.6	46,867	24.2	27,71,232	18.4
लघु और सीमांत किसान	10.0	9,46,088	11.1	6,12,276	10.0	32,658	11.6	31,334	16.2	16,22,355	10.7
गैर-कॉर्पोरेट व्यक्तिगत किसान#	13.8	12,62,213	14.8	8,41,598	13.8	41,658	14.8	44,678	23.1	21,90,147	14.5
सूक्ष्म उद्यम	7.5	7,64,969	9.0	5,33,164	8.7	24,762	8.8	65,972	34.1	13,88,867	9.2
कमजोर वर्ग	12.0	11,64,885	13.7	7,63,710	12.5	35,674	12.6	56,959	29.5	20,21,228	13.4

एएनबीसी: समायोजित शुद्ध बैंक ऋण; सीईओबीएसई: तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण।

*: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य 75 प्रतिशत है। 1 अप्रैल, 2025 से लक्ष्य को संशोधित कर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

#: गैर-कॉर्पोरेट किसानों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों लक्ष्य प्राप्ति के प्रणाली-व्यापी औसत पर आधारित है। 2024-25 के लिए, लागू प्रणाली वार आंकड़ा 13.8 प्रतिशत है।

टिप्पणियाँ: 1. बकाया राशि और उपलब्धि प्रतिशत वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए बैंकों की औसत उपलब्धि पर आधारित है।
2. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।
3. 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, केवल 40 प्रतिशत का कुल पीएसएल लक्ष्य लागू होता है।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।
5. पूर्णांक के कारण घटक मद कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

हुई थी। मार्च 2025 के अंत में केसीसी के तहत कुल संख्या और बकाया राशि में एससीबी की हिस्सेदारी क्रमशः 37.5 प्रतिशत और 58.9 प्रतिशत थी। क्षेत्र-वार, दक्षिणी क्षेत्र में कुल केसीसी के तहत बकाया राशि का सबसे अधिक हिस्सा था, जबकि उत्तरी क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का केसीसी के तहत बकाया राशि में सबसे अधिक हिस्सा था (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

IV.47 पीएसएलसी-सामान्य और सूक्ष्म उद्यमों के नेतृत्व में 2024-25 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) की कुल व्यापार (ट्रेडिंग) मात्रा में 36.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पीएसएलसी की चार श्रेणियों में लघु और सीमांत किसान (एसएमएफ) श्रेणी में सबसे अधिक व्यापार दर्ज किया गया। यह कुछ विशेषीकृत बैंकों द्वारा एसएमएफ को ऋण देने की सकेंद्रणीयता और अन्यों की अपने प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से इस उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी को दर्शाता है (चार्ट IV.25)।

IV.48 वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र के बैंक पीएसएलसी के सबसे बड़े क्रेता और विक्रेता बने रहे। पीएसएलसी के क्रेता के रूप में पीएसबी की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जबकि पीएसएलसी के विक्रेताओं के रूप में उनकी हिस्सेदारी में गिरावट आई। आरआरबी पीएसएलसी के दूसरे सबसे बड़े विक्रेता बने रहे, जो

चार्ट IV.25: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों की व्यापार (ट्रेडिंग) मात्रा

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

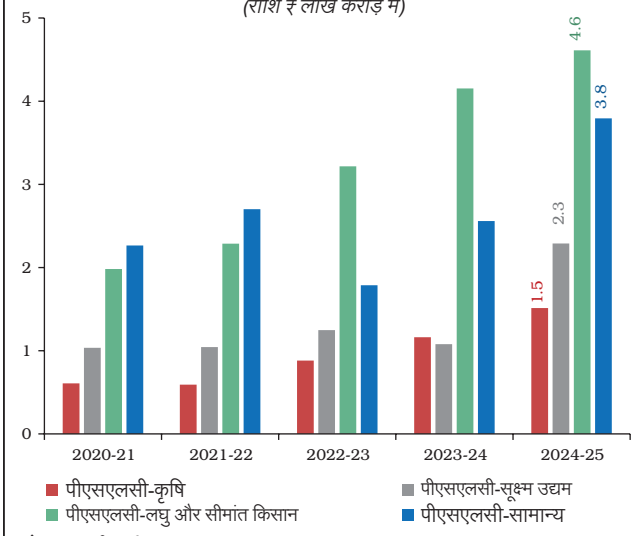

स्रोत: आरबीआई।

उनके केंद्रित ऋण पोर्टफोलियो और ग्रामीण ऋण में तुलनात्मक लाभ को दर्शाता है (चार्ट IV.26ए और बी)।

IV.49 वर्ष 2024-25 में कृषि ऋण संवृद्धि में कमी के बीच, पिछले तीन वर्षों में लगातार गिरावट के बाद, पीएसएलसी-कृषि पर भारित औसत प्रीमियम में वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 में पीएसएलसी-एसएमएफ के लिए प्रीमियम भी बढ़ा और सभी श्रेणियों में सबसे अधिक रहा। वर्ष 2024-25 में पीएसएलसी-

चार्ट IV.26: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र बाजार में क्रेता और विक्रेता

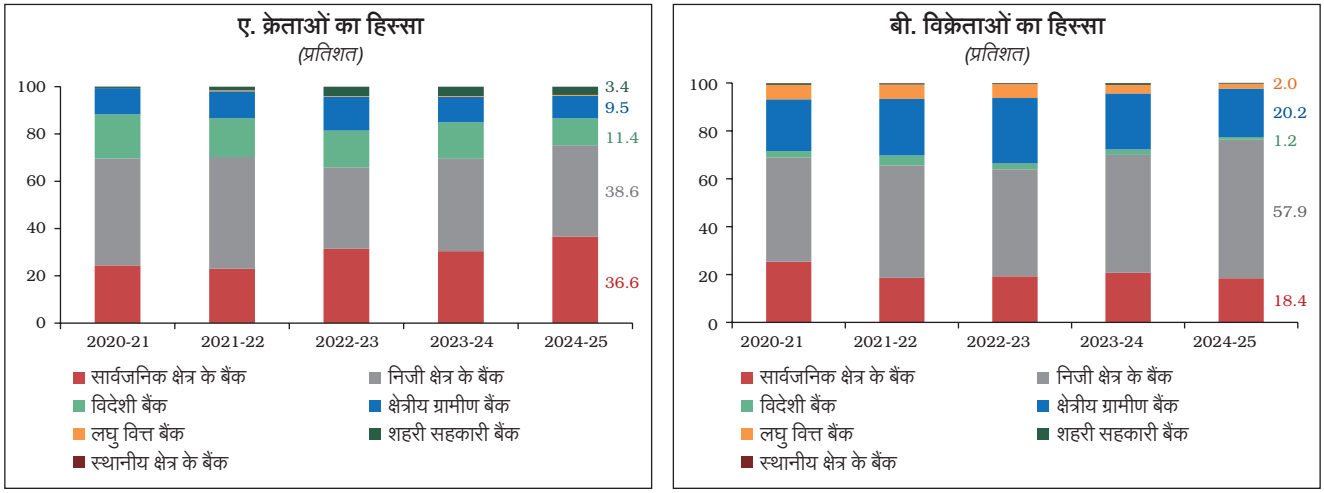

स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.19: पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम

(प्रतिशत)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2024-25 (अप्रैल-सितंबर)	2025-26 (अप्रैल-सितंबर)
1	2	3	4	5	6	7	8
पीएसएलसी-कृषि	1.55	1.37	0.62	0.24	0.48	0.29	1.30
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम	0.88	0.95	0.16	0.04	0.01	0.01	0.01
पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान	1.74	2.01	1.68	1.74	1.95	1.94	2.77
पीएसएलसी-सामान्य	0.46	0.60	0.19	0.02	0.01	0.01	0.01

स्रोत: आरबीआई।

सूक्ष्म उद्यम (माइक्रो एंटरप्राइजेज) और पीएसएलसी-सामान्य पर प्रीमियम में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट जारी रही (सारणी IV.19)।

IV.50 2021-22 से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रखते हुए, जीएनपीए अनुपात एक वर्ष पूर्व के 4.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 4.0 प्रतिशत रह गया। बहरहाल, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के एनपीए में गिरावट के कारण एससीबी के कुल जीएनपीए में प्राथमिकता क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024-25 में बढ़कर 64.7 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 58.2 प्रतिशत थी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जीएनपीए में सबसे अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र का है (सारणी IV.20)।

IV.51 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)/तुलन पत्र इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण (सीईओबीएसई) का 42.3 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दिया, हालांकि, क्षेत्र का उनके कुल एनपीए में 72.6 प्रतिशत योगदान है। इसकी तुलना में, पीवीबी का प्राथमिकता क्षेत्र एक्सपोजर 44.3 प्रतिशत रहा, जिसका उनके कुल एनपीए

सारणी IV.20: बैंकों के क्षेत्रवार जीएनपीए

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	प्राथमिकता क्षेत्र		*जिनमें से*						गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		सूक्ष्म और लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पीएसबी												
2024	2,09,837	65.4	1,07,647	33.6	78,592	24.5	23,598	7.4	1,10,903	34.6	3,20,740	100
2025	1,98,557	72.6	1,07,818	39.4	70,708	25.9	20,032	7.3	74,856	27.4	2,73,413	100
पीवीबी												
2024	49,986	40.5	21,211	17.2	18,340	14.8	10,435	8.4	73,553	59.5	1,23,540	100
2025	63,520	48.7	31,050	23.8	21,041	16.1	11,429	8.8	66,856	51.3	1,30,376	100
एफबी												
2024	1,796	27.5	162	2.5	1,315	20.2	318	4.9	4,728	72.5	6,523	100
2025	1,659	31.2	147	2.8	1,235	23.2	277	5.2	3,662	68.8	5,321	100
एसएफबी												
2024	4,030	72.1	1,878	33.6	1,179	21.1	973	17.4	1,561	27.9	5,590	100
2025	7,602	76.1	3,978	39.8	2,254	22.6	1,370	13.7	2,387	23.9	9,989	100
एससीबी												
2024	2,65,649	58.2	1,30,898	28.7	99,426	21.8	35,324	7.7	1,90,744	41.8	4,56,393	100
2025	2,71,338	64.7	1,42,992	34.1	95,238	22.7	33,108	7.9	1,47,761	35.3	4,19,099	100

*: कुल एनपीए का प्रतिशत।

टिप्पणियाँ: 1. घटक मद पूर्णांक के कारण कुल में नहीं जोड़ सकते हैं।
2. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

में 48.7 प्रतिशत योगदान है। एसएफबी के लिए, उनके एएनबीसी/सीईओबीएसई में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का हिस्सा मार्च 2025 के अंत में घटकर 84.3 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पूर्व 90.6 प्रतिशत था, जबकि उनके कुल एनपीए में प्राथमिकता क्षेत्र के एनपीए का अनुपात 72.1 प्रतिशत से बढ़कर 76.1 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.18 और सारणी IV.20)।

5.3 संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

IV.52 परिसंपत्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव में निहित जोखिमों को देखते हुए पूंजी बाजार और भू-संपदा में बैंकों के एक्सपोजर को संवेदनशील माना जाता है। वार्षिक लेखा आंकड़ों के आधार पर[14] मार्च 2025 के अंत में, एससीबी का अपने कुल ऋणों और अग्रिमों के हिस्से के रूप में इन संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर 27.1 प्रतिशत रहा , जो मोटे तौर पर पिछले वर्ष के समान रहा। (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

IV.53 पीवीबी ने पिछले वर्ष में तीव्र वृद्धि के बाद 2024-25 के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर की संवृद्धि में तीव्र गिरावट देखी, जो विलय के प्रभाव को दर्शाता है. इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी बाजारों में एक्सपोजर संवृद्धि में तेजी आई, जबकि भू-संपदा क्षेत्र (चार्ट IV.27 ए और बी) के मामले में इसमें मामूली रूप से गिरावट आई।

5.4 गैर-जमानती ऋण

IV.54 गैर-जमानती ऋण, वे हैं जो मूर्त संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं है, चूक की स्थिति में बैंकों के लिए उच्च ऋण जोखिम होता है। मार्च 2025 के अंत में, एससीबी के सकल अग्रिमों में गैर-जमानती ऋणों की हिस्सेदारी लगातार दूसरे वर्ष घटकर 24.5 प्रतिशत रह गई। यह आंशिक रूप से नवंबर 2023 में घोषित रिज़र्व बैंक के जोखिम नियंत्रण उपायों के प्रभाव को दर्शाता है। विदेशी बैंकों के पास गैर-जमानती अग्रिमों का सबसे अधिक हिस्सा बना रहा, जबकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में धीरे-धीरे परिवर्तित हुई है (चार्ट IV.28ए)। गैर-जमानती ऋणों के लिए बैंक-वार ऋण एक्सपोजर का मध्यमान, माध्यिका और प्रसार विदेशी बैंकों में सबसे अधिक था। 2024-25 में, गैर-जमानती ऋणों के लिए पीवीबी के मध्यमान एक्सपोजर में गिरावट आई, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में माध्यिका में वृद्धि हुई। पीएसबी

चार्ट IV.27: संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों का एक्सपोजर

(मार्च के अंत में)

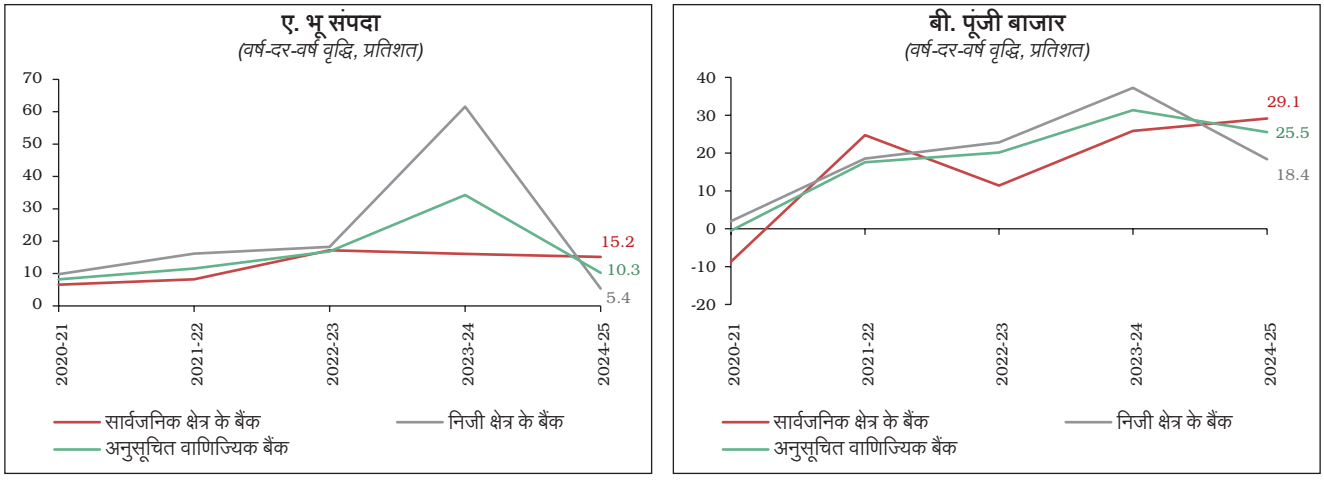

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

[14] भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां।

चार्ट IV.28: बैंकों के गैर-जमानती अग्रिमों का हिस्सा

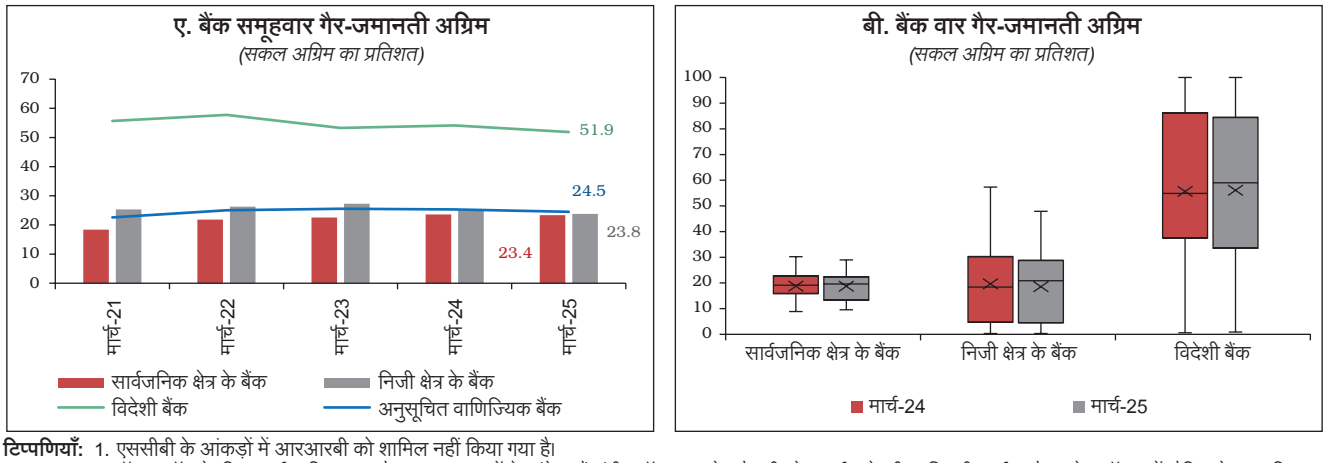

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. बॉक्सप्लॉट के व्हिसकर्स अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के संकेत हैं। रंगीन बॉक्स पहले और तीसरे चतुर्थक के बीच की दूरी दर्शाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दर्शाती है, जबकि 'X' माध्य दर्शाती है।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

के लिए समान, हालांकि कम स्पष्ट, पैटर्न देखा गया था (चार्ट IV.28बी)।

6. स्वामित्व का स्वरूप

IV.55 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुख्य रूप से भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। 2024-25 के दौरान, छह पीएसबी में सरकार की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज हुई क्योंकि उन्होंने पूंजी बाजार से इक्विटी फंड जुटाए थे। उनमें से, मार्च 2025 के अंत में पांच बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक थी (चार्ट IV.29ए और परिशिष्ट सारणी IV.10)।[15]

IV.56 पीवीबी में संस्थागत और विदेशी निवेशकों की उच्च हिस्सेदारी के कारण स्वामित्व का स्वरूप अधिक विविध है (चार्ट IV.29बी)। पीवीबी के लिए कुल विदेशी निवेश सीमा 74 प्रतिशत और पीएसबी के लिए 20 प्रतिशत है।[16]

चार्ट IV.29: बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप

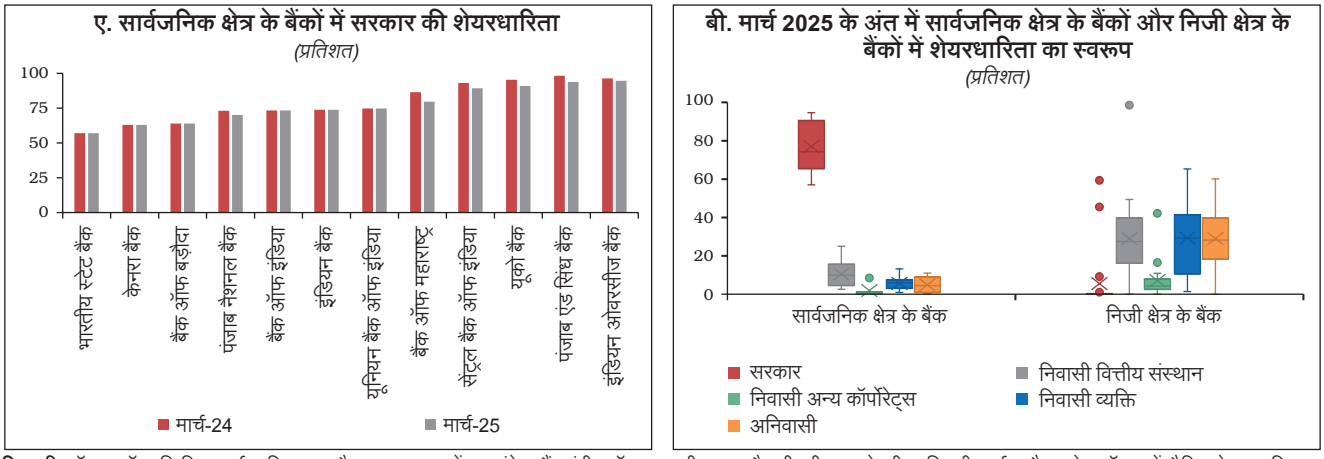

टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट की व्हिसकर्स अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का संकेत हैं। रंगीन बॉक्स पहली मात्रा और तीसरी मात्रा के बीच की दूरी दर्शाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दर्शाती है, जबकि 'X' माध्य दर्शाती है।

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू), आरबीआई।

[15] भारत सरकार ने 19 जुलाई, 2024 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सेबी की 25 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1 अगस्त, 2026 तक छूट दी है।

[16] पीवीबी पर लागू कुल विदेशी निवेश सीमा ही एसएफबी, पीबी और एलएबी पर लागू है।

7. कॉरपोरेट अभिशासन

IV.57 संसाधनों के आवंटन में दक्षता, जमाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन महत्वपूर्ण है।

7.1 बोर्डों का संघटन

IV.58 स्वतंत्र निदेशक विशेष रूप से रणनीति, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्तियों और मानक आचरण के मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय प्रदान करके बोर्ड के विचार-विमर्श में योगदान करते हैं। रिज़र्व बैंक ने 26 अप्रैल, 2021 को बोर्ड की कुछ विशेष समितियों की संरचना; बोर्ड के अध्यक्ष और बैठकों; निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक; और बैंकों में मजबूत और पारदर्शी जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेने के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुदेश जारी किए।[17] मार्च 2025 के अंत में, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की औसत हिस्सेदारी पीवीबी के लिए 63 प्रतिशत और एसएफबी के लिए 67 प्रतिशत थी (सारणी IV.21)।[18]

IV.59 बैंकों को बोर्ड की एक जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) का गठन करना होता है, जिसमें बहुमत गैर-कार्यकारी निदेशकों का हो। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। पीवीबी का अनुपात, जिसमें अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य नहीं है, मार्च 2024 के अंत में 38 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 33 प्रतिशत रह गया। एसएफबी के मामले में, मार्च 2025 के अंत में यह अनुपात बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2024 के अंत में 33 प्रतिशत था।

7.2 कार्यपालक प्रतिकर

IV.60 अल्पकालिक जोखिम लेने और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, 4 नवंबर, 2019 को, रिज़र्व बैंक ने बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के प्रतिकर पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।[19] मार्च 2024 के अंत में, प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के कुल पारिश्रमिक में वास्तविक परिवर्तनीय वेतन का औसत हिस्सा पीवीबी के

सारणी IV.21: बोर्ड और उसकी समितियों में स्वतंत्र निदेशक
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत में हिस्सेदारी)

बैंक समूह	बोर्ड		बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी)		नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)		बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निजी क्षेत्र के बैंक	65	63	70	69	85	86	87	89
लघु वित्त बैंक	67	67	73	75	79	80	82	84

टिप्पणी: सारणी में दिए गए आंकड़े किसी विशेष बैंक समूह के औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट; और बैंकों की वेबसाइट्स।

[17] इन दिशानिर्देशों को बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक (अभिशासन) निदेश, 2025 के तहत एक साथ कर दिया गया है, जो वाणिज्यिक बैंकों, एसएफ़बी और अन्य बैंकों के लिए अलग से जारी किए गए हैं।

[18] इन अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया है कि बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे; बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेने वाले आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता / योग्यता होनी चाहिए; नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से एक जोखिम प्रबंध समिति का सदस्य होगा; बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

[19] इन दिशानिर्देशों को बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक (अभिशासन) निदेश, 2025 के तहत एक साथ कर दिया गया है, जो वाणिज्यिक बैंकों, एसएफ़बी और अन्य बैंकों के लिए अलग से जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के लिए प्रतिकर का एक बड़ा हिस्सा (कम से कम 50 प्रतिशत) परिवर्तनशील होना चाहिए और व्यक्तिगत, व्यवसाय-इकाई और फर्म-व्यापी संकेतकों के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए जो पर्याप्त रूप से निष्पादन को मापते हैं। दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि लक्षित परिवर्तनीय वेतन निश्चित वेतन का 200 प्रतिशत (200 प्रतिशत से अधिक) है, तो लक्षित परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत (67 प्रतिशत) गैर-नकद घटकों के माध्यम से होगा।

चार्ट IV.30: एमडी और सीईओ के कुल पारिश्रमिक के घटक

(मार्च के अंत में)

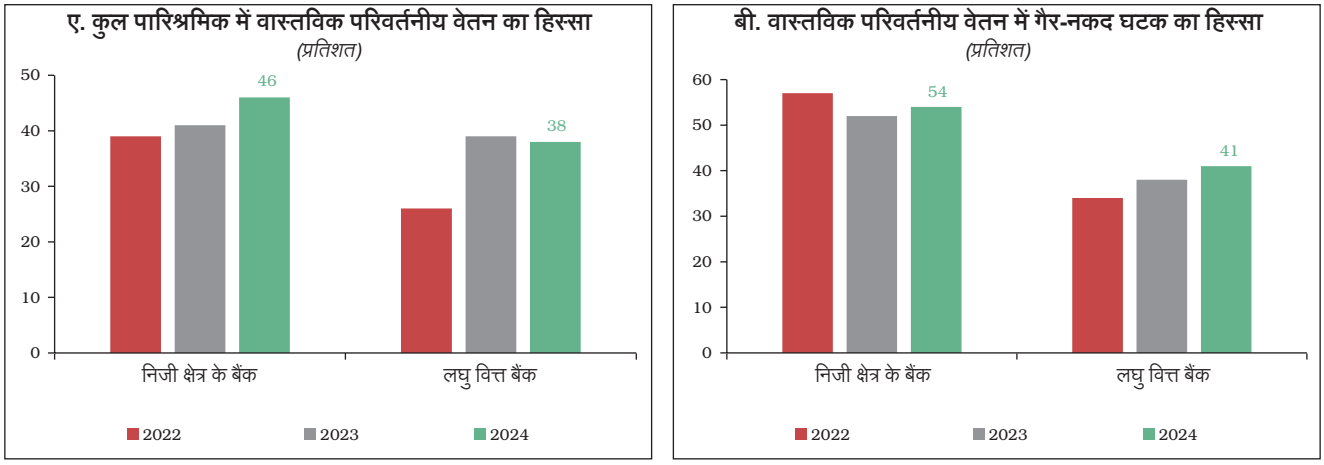

टिप्पणी: चार्ट में आंकड़े किसी विशेष बैंक समूह के औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

लिए बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया, जबकि एसएफबी के लिए यह घटकर 38 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.30ए)। एमडी और सीईओ के वास्तविक परिवर्तनीय वेतन में गैर-नकद घटक की औसत हिस्सेदारी एक वर्ष पूर्व की तुलना में मार्च 2024 के अंत में पीवीबी और एसएफबी दोनों के लिए बढ़ी है (चार्ट IV.30बी)।

8. भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

IV.61 मार्च 2025 के अंत में, वर्ष के दौरान एक बैंक के बाहर निकलने के बाद, भारत में शाखा/पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मोड के माध्यम से काम करने वाले विदेशी बैंकों की संख्या घटकर 44 हो गई। विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या में

सारणी IV.22: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन
(मार्च के अंत में)

अवधि	शाखा/पूर्ण स्वामित्व सहायक मोड के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की संख्या	शाखाएं#	
1	2	3	4
2022	45	861	34
2023	44	782	33
2024	45	780	31
2025	44	775	31

#: दो विदेशी बैंकों, अर्थात् एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक (इंडिया) लिमिटेड की शाखाएं शामिल हैं जो पूर्ण स्वामित्व सहायक मोड के माध्यम से काम कर रही हैं।
स्रोत: आरबीआई।

परिवर्तन वैश्विक व्यापार रणनीति और व्यावसायिक मूल्य इष्टतमीकरण के उनके निरंतर पुन: संरेखण को दर्शाता है। वर्ष के दौरान भारत में प्रतिनिधि कार्यालय रखने वाले विदेशी बैंकों की संख्या अपरिवर्तित रही (सारणी IV.22)।

IV.62 भारतीय बैंकों ने भी शाखाओं, सहायक कंपनियों, प्रतिनिधि कार्यालयों, संयुक्त उद्यम बैंकों और अन्य कार्यालयों के माध्यम से अपने विदेशी परिचालन के संचालन के लिए विदेशों में भौगोलिक उपस्थिति बनाए रखी (चार्ट IV.31)। सार्वजनिक

चार्ट IV.31: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

(मार्च के अंत में संख्या)

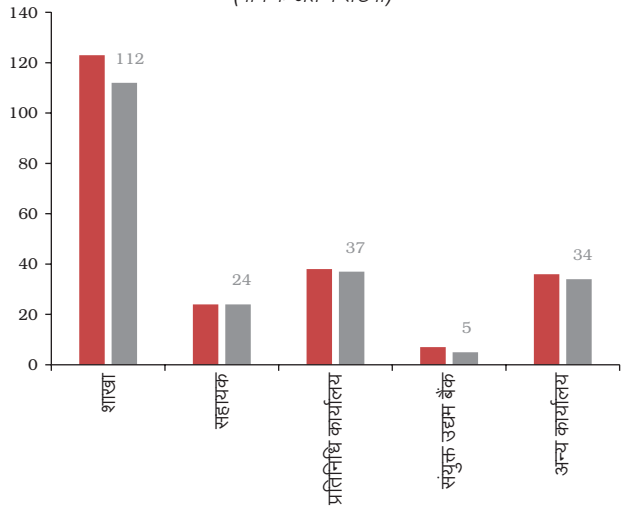

टिप्पणी: आंकड़ों में गिफ्ट सिटी में भारतीय बैंको की आईएफएससी बैंकिंग ईकाइयाँ शामिल नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई।

क्षेत्र के बैंकों की अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में व्यापक विदेशी उपस्थिति रही (परिशिष्ट सारणी IV.11)।

9. भुगतान प्रणालियाँ

IV.63 भारत की भुगतान प्रणालियों ने बुनियादी ढांचा स्वीकृति, उपलब्धता और उपयोगकर्ता अपनाने के मामले में तेजी से प्रगति देखी है और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक अभिन्न भूमिका निभा रही हैं। विशेष रूप से, डिजिटल भुगतान उत्पाद तकनीकी प्रगति, मजबूत और समर्थक विनियामक ढांचे और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने की नीतिगत पहल से कई गुना बढ़ गए हैं। भुगतान विजन 2025 के अनुरूप, रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहल प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, मजबूत, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

9.1 डिजिटल भुगतान

IV.64 वर्ष 2024-25 के दौरान, डिजिटल भुगतान में मूल्य के संदर्भ में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भारत के कुल भुगतान का 97.6 प्रतिशत है। इसके विपरीत, वर्ष के दौरान पेपर-आधारित लिखत [इंस्ट्रूमेंट्स (चेक)] के माध्यम से भुगतान में गिरावट आई, जो शेष 2.4 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। मात्रा के संदर्भ में, छोटे मूल्य के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के बीच डिजिटल भुगतान में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, खुदरा डिजिटल भुगतान का औसत मूल्य 2023-24 के दौरान ₹4,382 से घटकर 2024-25 के दौरान ₹3,830 हो गया (चार्ट IV.32)।

IV.65 एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की लेनदेन की मात्रा में बहुल हिस्सेदारी है, जबकि उच्च मूल्य के लेनदेन का सुविधा प्रदाता तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) की मूल्य के तौर पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, जबकि डेबिट कार्ड के उपयोग में गिरावट आई है, हाल की अवधि में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान वृद्धि जारी रही (सारणी IV.23)।

IV.66 भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई), जिसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था और अर्द्ध-वार्षिक गणना की जाती है, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के प्रसार को दर्शाता है। सूचकांक में पांच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं: भुगतान सक्षमकर्ता; भुगतान बुनियादी ढांचा - मांग-पक्ष कारक; भुगतान बुनियादी

चार्ट IV.32: खुदरा डिजिटल भुगतान के लेनदेन की मात्रा और औसत मूल्य

(करोड़, बायाँ पैमाना; ₹, दायाँ पैमाना)

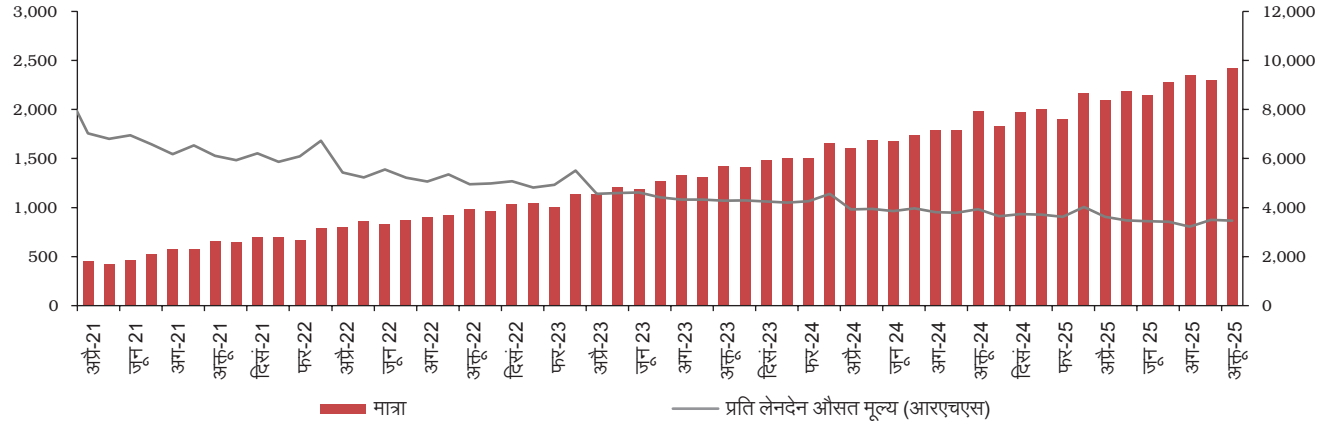

टिप्पणी: खुदरा डिजिटल भुगतान में AePS निधि अंतरण, एपीबीएस, आईएमपीएस, एनएसीएच, एनईएफ़टी, यूपीआई, भीम आधार पे, एनईटीसी, कार्ड भुगतान और प्रीपेड भुगतान उपकरण शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.23: भुगतान प्रणाली संकेतक

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
1. वृहद मूल्य के जमा अंतरण- आरटीजीएस	2,426	2,700	3,025	14,99,46,286	17,08,86,670	20,13,87,682
2. जमा अंतरण	9,83,621	14,86,107	20,61,015	5,50,09,620	6,75,42,859	7,98,81,976
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण)	6	4	4	356	261	190
2.2 एपीबीएस	17,834	25,888	32,964	2,47,535	3,90,743	5,54,034
2.3 ईसीएस जमा	0	0	0	0	0	0
2.4 आईएमपीएस	56,533	60,053	56,250	55,85,441	64,95,652	71,39,110
2.5 एनएसीएच जमा	19,257	16,227	16,939	15,41,815	15,25,104	16,70,223
2.6 एनईएफटी	52,847	72,640	96,198	3,37,19,541	3,91,36,014	4,44,61,464
2.7 यूपीआई	8,37,144	13,11,295	18,58,660	1,39,14,932	1,99,95,086	2,60,56,955
3. नामे अंतरण और सीधा नामे	15,343	18,250	21,660	12,89,611	16,87,658	22,08,583
3.1 भीम आधार पे	214	194	230	6,791	6,112	6,907
3.2 ईसीएस नामे	0	0	0	0	0	0
3.3 एनएसीएच नामे	13,503	16,426	19,762	12,80,219	16,78,769	21,99,327
3.4 एनईटीसी (बैंक खातों से जुड़ा हुआ)	1,626	1,629	1,668	2,601	2,777	2,349
4. कार्ड भुगतान	63,325	58,470	63,861	21,52,245	24,23,563	26,05,110
4.1 क्रेडिट कार्ड	29,145	35,610	47,741	14,32,255	18,31,134	21,09,197
4.2 डेबिट कार्ड	34,179	22,860	16,120	7,19,989	5,92,429	4,95,914
5. प्रीपेड भुगतान उपकरण	74,667	78,775	70,254	2,87,111	2,83,048	2,16,751
6. कागज आधारित लिखत	7,109	6,632	6,095	71,72,904	72,12,333	71,13,350
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**11,39,382**	**16,44,302**	**22,19,815**	**20,86,84,872**	**24,28,23,799**	**28,63,00,103**
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	**11,44,065**	**16,48,234**	**22,22,885**	**6,59,11,490**	**7,91,49,461**	**9,20,25,771**
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	**11,46,491**	**16,50,934**	**22,25,910**	**21,58,57,776**	**25,00,36,131**	**29,34,13,453**

टिप्पणी: ईपीएस: आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, एपीबीएस: आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली, भीम: भारत इंटरफेस फॉर मनी, ईसीएस: इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा, आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा, एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण, एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण, आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान, यूपीआई : एकीकृत भुगतान इंटरफेस।

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटक कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

ढांचा - आपूर्ति-पक्ष कारक; भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता। मार्च 2025 के लिए सूचकांक मूल्य एक वर्ष पूर्व के 445.5 से बढ़कर 493.2 हो गया, जो देश भर में भुगतान बुनियादी ढांचे और भुगतान निष्पादन में महत्वपूर्ण संवृद्धि से प्रेरित है (चार्ट IV.33)।

चार्ट IV.33: डिजिटल भुगतान सूचकांक

सूचकांक (मार्च 2018=100)

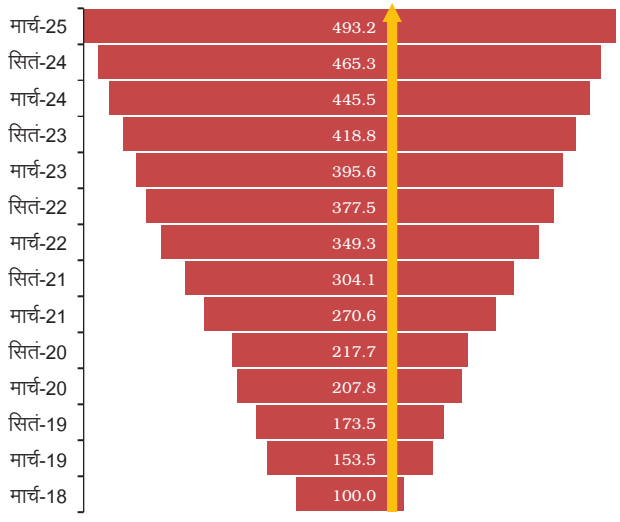

स्रोत: आरबीआई।

9.2 एटीएम

IV.67 वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) की कुल संख्या में मामूली गिरावट आई, जो ऑफ-साइट एटीएम में कमी के कारण हुई, जबकि ऑन-साइट एटीएम में वृद्धि हुई। भुगतान के डिजिटलीकरण में वृद्धि ने ग्राहकों की एटीएम लेनदेन करने की आवश्यकता को कम कर दिया है। मार्च 2025 के अंत में एटीएम की कुल संख्या में सबसे अधिक हिस्सेदारी पीएसबी की थी, इसके बाद पीवीबी और व्हाइट लेबल एटीएम की थी; व्हाइट लेबल एटीएम - जिनका स्वामित्व और संचालन गैर-बैंक संस्थाओं के पास है। (सारणी IV.24 और परिशिष्ट सारणी IV.12)।

सारणी IV.24: एटीएम की संख्या*
(मार्च अंत में)

बैंक समूह	ऑन-साइट एटीएम		ऑफ-साइट एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
	2024	2025	2024	2025	2024 (2+4)	2025 (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	77,033	79,865	57,661	53,679	1,34,694	1,33,544
निजी क्षेत्र के बैंक	45,438	47,713	34,446	29,404	79,884	77,117
विदेशी बैंक	603	587	566	406	1,169	993
छोटे वित्त बैंक	3,042	3,158	26	29	3,068	3,187
भुगतान बैंक	0	0	0	0	0	0
सभी एससीबी	**1,26,116**	**1,31,323**	**92,699**	**83,518**	**2,18,815**	**2,14,841**
श्वेत लेबल एटीएम	0		34,602	36,216	34,602	36,216
कुल	**1,26,116**	**1,31,323**	**1,27,301**	**1,19,734**	**2,53,417**	**2,51,057**

* इसमें कैश रिसायकलर मशीनें शामिल हैं।
टिप्पणी: आंकड़ों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और सहकारी बैंकों के एटीएम शामिल नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई।

IV.68 पीएसबी के एटीएम का वितरण जनसंख्या समूहों के बीच अधिक समान था, जबकि अन्य बैंक समूहों के एटीएम की उपस्थिति का झुकाव महानगरीय, शहरी और अर्द्ध-शहरी केंद्रों की ओर था। इसके विपरीत, मार्च 2025 के अंत तक कुल व्हाइट लेबल एटीएम का 79.4 प्रतिशत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी केंद्रों में था (सारणी IV.25) ।

सारणी IV.25: बैंक समूहों के एटीएम की जनसंख्या समूहवार वितरण*
(मार्च 2025 के अंत में)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	28,481	39,630	33,589	31,844	1,33,544
	(21.3)	(29.7)	(25.2)	(23.8)	(100)
निजी क्षेत्र के बैंक	7,569	20,811	18,945	29,792	77,117
	(9.8)	(27.0)	(24.6)	(38.6)	(100)
विदेशी बैंक	82	282	265	364	993
	(8.3)	(28.4)	(26.7)	(36.7)	(100)
छोटे वित्त बैंक	293	992	953	949	3,187
	(9.2)	(31.1)	(29.9)	(29.8)	(100)
भुगतान बैंक	0	0	0	0	0
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
सभी एससीबी	**36,425**	**61,715**	**53,752**	**62,949**	**2,14,841**
	(17.0)	(28.7)	(25.0)	(29.3)	(100.0)
श्वेत लेबल एटीएम	16,578	12,164	4,733	2,741	36,216
	(45.8)	(33.6)	(13.1)	(7.6)	(100.0)

*: इसमें कैश रीसाइक्लर मशीनें शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बैंक समूहों के कुल एटीएम में जनसंख्या समूहों के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
2. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।
स्रोत: आरबीआई।

10. प्रौद्योगिकी अंगीकरण

IV.69 भारतीय रिज़र्व बैंक नवाचार को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम विनियामकीय वातावरण तैयार करने के लिए काम कर रहा है। विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक रूपांतरणकारी प्रौद्योगिकी है, जो ग्राहक सहभागिता में सुधार, नए प्रकार के क्रेडिट मूल्यांकन और वितरण को सक्षम करने, जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी पहचान को सशक्त बनाने की क्षमता रखती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक का जिम्मेदार और नैतिक एआई सक्षमकरण फ्रेमवर्क (एफ़आरईई-एआई) वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ जोखिम न्यूनीकरण का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। एफ़आरईई-एआई पर रिपोर्ट 13 अगस्त, 2025 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।

IV.70 रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बैंक तेजी से नवाचार को आंशिक परीक्षण के बजाय दीर्घकालिक डिजिटल आधुनिकीकरण के एक संरचित घटक के रूप में देखने लगे हैं (बॉक्स IV.1)।

11. उपभोक्ता संरक्षण

IV.71 उपभोक्ता संरक्षण रिजर्व बैंक की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। रिजर्व बैंक अपने अंतर्गत विनियमित संस्थाओं में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी करके और

बॉक्स IV.1: भारतीय बैंकों की विकसित होती प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष प्राथमिकताएँ[20]

भारतीय बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण को एक विवेकपूर्ण रूप से विनियामकीय वातावरण में आकार देने, क्रमबद्ध करने और परिचालन करने के तरीके को समझने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2025 के दौरान एक सर्वेक्षण किया। इस नमूने में नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), 16 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) और छह लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) शामिल थे, जो 31 अक्टूबर, 2025 तक कुल बैंक ऋण के लगभग 66 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सर्वेक्षण किए गए बैंक इस बात को व्यापक रूप से मानते हैं कि नवाचार प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने, आघात सहनीयता को मजबूत करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। कई बैंक नवाचार को तकनीकी-सक्षम प्रक्रिया, पुनः अभियांत्रण के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं ताकि दक्षता, सेवा गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन में सुधार किया जा सके। कुछ बैंक नवाचार को एक क्षमता-संवर्धन अभ्यास के रूप में देखते हैं, जो विश्लेषणात्मक गहराई को मजबूत करने, निर्णय लेने में सुधार करने और अधिक आघात सहनीय सेवा वितरण सक्षम करने में मदद करता है, जबकि अन्य बैंक नवाचार को साइबर सुरक्षा, परिचालन आघात सहनीयता और विनियामकीय अनुपालन के लिए डिजिटल आधार को मजबूत करने में एक निवेश के रूप में देखते हैं।

2019-20 से 2023-24 के बीच सभी बैंक समूहों में विशेष रूप से नवोन्मेषी या रूपांतरणीय क्षमताओं की दिशा में तकनीकी खर्च में काफी वृद्धि हुई है (चार्ट IV.1.1ए)। आउटसोर्सिंग/तृतीय पक्ष व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली नवाचार-संबंधित तकनीक का हिस्सा भी बढ़ा है, जिससे विशेषज्ञ बाहरी प्रदाताओं की भूमिका बढ़ने का संकेत मिलता है (चार्ट IV.1.1बी)। तृतीय पक्षों के माध्यम से अपनाई गई प्रमुख तकनीकों में क्लाउड-होस्टेड प्लेटफॉर्म, विक्रेता-सहायता प्राप्त साइबर सुरक्षा समाधान और मॉड्यूलर डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

नवाचार और परिवर्तनकारी तकनीकों के क्षेत्रों में बैंक द्वारा दिए जा रहे महत्व पर एक महत्वपूर्ण समानता देखने को मिलती है। क्लाउड सेवाएं, एंटरप्राइज़ आंकड़े और एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म, एआई/एमएल अनुप्रयोग, और साइबरसुरक्षा सुधार धीरे-धीरे बैंकों की दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी रणनीतियों को आकार दे रहे हैं। सर्वेक्षण जवाबों में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई)-आधारित आर्किटेक्चर और बैंकिंग-एज़-ए-सेवा मॉडलों का प्रमुखता से उल्लेख है, जबकि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल पहचान प्रणालियाँ, और वितरित खाता-बही तकनीक का कुछ जवाबों में उल्लेख किया गया, हालांकि अपेक्षाकृत कम महत्व के साथ।

कुल मिलाकर, सर्वेक्षण के निष्कर्ष यह उजागर करते हैं कि बैंक समूहों में नवाचार-संबंधी खर्च में वृद्धि हुई है, जो यह संकेत देती है कि डिजिटल रूपांतरण अब एक सहायक पहल नहीं बल्कि एक मुख्य रणनीतिक और परिचालनगत प्राथमिकता बन गई है।

चार्ट IV.1.1: नवोन्मेष पर बैंकों का खर्च

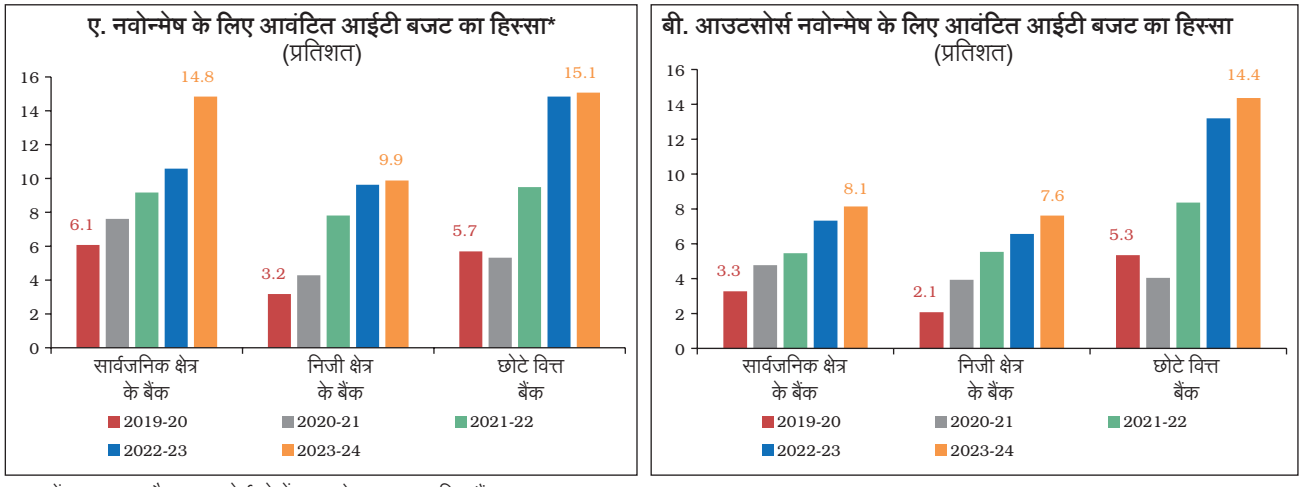

*: इसमें इन-हाउस और आउटसोर्स दोनों प्रकार के नवाचार शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र का प्रबंधन करके उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देता है – जिसमें आरबीआई ओम्बड्समैन, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष और उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग[21] शामिल हैं।अपने ग्राहक-केंद्रित

[20] यह विश्लेषण सर्वेक्षण किए गए बैंकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है और इसे प्रणालीगत रुझानों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

[21] आरबीआई ओम्बड्समैन भारतीय रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के ढांचे के तहत कार्य करता है, जो बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, भुगतान प्रणाली के प्रतिभागी और क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को उनकी शिकायतों को एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु पर दर्ज करने में सक्षम बनाता है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण सेल (सीईपीसी) उन विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को उठाते हैं जो आरबी-आईओएस, 2021 के दायरे में नहीं आतीं। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) आरबी-आईओएस के तहत अपीलीय प्राधिकारी को सहायता प्रदान करता है और अपील मामलों को संसाधित करता है।

दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक को रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 के दायरे में लाया गया, जो 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी है ।

11.1 शिकायत निवारण

IV.72 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आरबीआई के ओम्बड्समैन कार्यालयों (ओआरबीआईओ) को 2.96 लाख शिकायतें[22] प्राप्त हुईं, जिनमे पिछले वर्ष की संख्या की तुलना में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ओआरबीआईओ में अधिकांश शिकायतें महानगरीय और शहरी केंद्रों से प्राप्त हुईं (चार्ट IV.34ए)। इस वर्ष ओआरबीआईओ को प्राप्त कुल शिकायतों में से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंको के खिलाफ शिकायतों की हिस्सेदारी 72.3 प्रतिशत रही (चार्ट IV.34बी)।

IV.73 ऋण और अग्रिम, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, और जमा खातों से संबंधित शिकायतों का 2024-25 के दौरान ओआरबीआईओ द्वारा प्राप्त कुल शिकायतों में लगभग चौथे-पाँचवें हिस्से का योगदान रहा। क्रेडिट कार्ड श्रेणी ने 2024-25 के दौरान शिकायतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की (सारणी IV.26)।

सारणी IV.26: भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन के कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या: श्रेणी-वार

मद	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4
ऋण और अग्रिम	59,762	85,281	86,670
क्रेडिट कार्ड	34,151	42,329	50,811
मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	43,167	57,242	49,951
जमा खाते	34,481	46,358	49,913
अन्य	22,587	24,355	30,760
एटीएम/डेबिट कार्ड	29,929	25,231	18,082
धन प्रेषण	2,940	4,101	3,702
पैरा-बैंकिंग	2,782	4,380	3,322
पेंशन भुगतान	4,380	4,108	2,719
नोट और सिक्के	511	539	391
कुल	**2,34,690**	**2,93,924**	**2,96,321**

स्रोत: आरबीआई।

IV.74 बैंकों में, ऋण और अग्रिमों और क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों में पीवीबी का हिस्सा सबसे अधिक रहा, जबकि मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जमा खाते, और एटीएम/डेबिट कार्ड से संबंधित अधिकांश शिकायतें पीएसबी के खिलाफ रही (चार्ट IV.35)।

चार्ट IV.34: ओआरबीआईओ में प्राप्त शिकायतों का वितरण

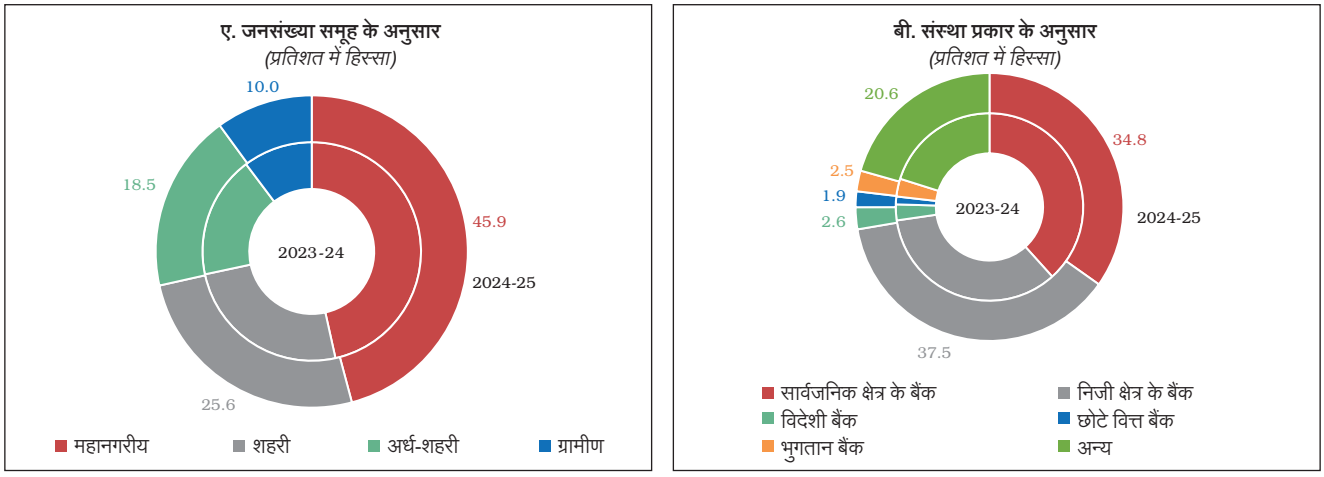

टिप्पणी: अन्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट सूचना कंपनियां और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

[22] उन शिकायतों को छोडकर, जिन्हें केंद्रीयकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) द्वारा बंद किया गया है और वे शिकायतें जिन्हें शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) द्वारा गैर-रखरखाव योग्य शिकायतों के रूप में स्वतः बंद किया गया है।

चार्ट IV.35: मुख्य शिकायत श्रेणियों का संस्थान प्रकार के अनुसार विभाजन: 2024-25

(प्रतिशत)

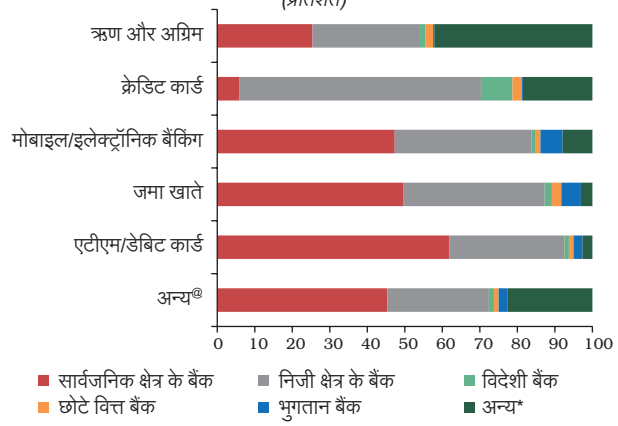

@: इसमें धन प्रेषण, पैरा बैंकिंग, पेंशन भुगतान, नोट और सिक्के, और अन्य शामिल हैं।
*: इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट सूचना कंपनियां, और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

IV.75 ओआरबीआईओ ने 2024-25 के दौरान संभाली गई 3.12 लाख शिकायतों में से कुल 2.91 लाख शिकायतों का निपटान किया, और 93.1 प्रतिशत की निपटान दर बनाए रखी[23]।

11.2 जमा बीमा

IV.76 जमा बीमा वित्तीय सुरक्षा-जाल प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करता है। भारत में, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है, वह जमा बीमा का प्रशासन करती है, जो सभी वाणिज्यिक बैंकों, जिसमें ग्रामीण बैंक (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और सहकारी बैंक शामिल हैं, को कवरेज प्रदान करता है। मार्च 2025 के अंत तक, डीआईसीजीसी ने 1,982 बैंकों को बीमा कवरेज प्रदान किया, जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक और 1,843 सहकारी बैंक शामिल थे, और प्रति जमाकर्ता जमा बीमा कवरेज की सीमा ₹5 लाख है (सारणी IV.27)।

IV.77 पूर्णतः बीमित जमा खातों की संख्या (अर्थात्, जिन खातों में जमाराशि ₹5 लाख तक है) के संदर्भ में बीमा कवरेज अनुपात मार्च 2025 के अंत में 97.6 प्रतिशत था। जमाराशि के संदर्भ में, बीमित जमाराशियों के अनुपात द्वारा मापा गया

सारणी IV.27: बैंक समूहवार बीमित जमा

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	31 मार्च, 2024 तक				31 मार्च, 2025 तक			
	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा	मूल्यांकन योग्य जमा	आईडीआर {(3)/(4)}	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा	मूल्यांकन योग्य जमा	आईडीआर {(7) / (8)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	**140**	**86,66,416**	**2,06,73,077**	**41.9**	**139**	**92,39,260**	**2,28,57,103**	**40.4**
i. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	56,47,846	1,15,76,001	48.8	12	59,53,830	1,26,11,152	47.2
ii. निजी क्षेत्र के बैंक	21	23,63,912	72,35,902	32.7	21	25,71,103	81,93,195	31.4
iii. विदेशी बैंक	44	50,568	10,08,506	5.0	44	52,084	10,91,743	4.8
iv. लघु वित्त बैंक	12	89,532	2,15,426	41.6	11	1,07,719	2,70,601	39.8
v. भुगतान बैंक	6	16,794	16,937	99.2	6	26,142	26,294	99.4
vi. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,96,827	6,19,010	80.3	43	5,27,364	6,62,709	79.6
vii. स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	937	1,295	72.4	2	1,018	1,409	72.2
II. सहकारी बैंक (i से iii)	**1,857**	**7,46,290**	**11,79,084**	**63.3**	**1,843**	**7,72,805**	**12,48,939**	**61.9**
i. शहरी सहकारी बैंक	1,472	3,71,846	5,56,962	66.8	1,457	3,80,142	5,84,450	65.0
ii. राज्य सहकारी बैंक	33	64,202	1,48,080	43.4	34	66,285	1,57,076	42.2
iii. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,10,242	4,74,041	65.4	352	3,26,378	5,07,412	64.3
कुल (I+II)	**1,997**	**94,12,705**	**2,18,52,160**	**43.1**	**1,982**	**1,00,12,065**	**2,41,06,042**	**41.5**

आईडीआर : बीमाकृत जमा अनुपात, यह कुल निर्धारणीय जमा में से बीमाकृत जमा का प्रतिशत अनुपात है।
टिप्पणी : हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।
स्रोत : डीआईसीजीसी।

[23] साल के दौरान हैंडल की गई शिकायतों में उस वर्ष प्राप्त शिकायतें, पिछले वर्ष से लायी गई शिकायतें, और ईमेल / सीईपीसी से प्राप्त शिकायतें शामिल हैं जिन्हें वर्ष की शुरुआत से पहले प्राप्त किया गया था लेकिन वर्ष की शुरुआत या उसके बाद ओआरबीआईओ को पंजीकृत / सौंपा गया।

कवरेज मार्च 2025 के अंत में घटकर 41.5 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 43.1 प्रतिशत था।

IV.78 जमा बीमा निधि का गठन डीआईसीजीसी के पास इस उद्देश्य के लिए किया गया है कि बीमित जमा के दावों का निपटान किया जा सके, जब (i) भारतीय रिज़र्व बैंक[24] द्वारा बैंक पर सर्वसमावेशी निर्देश लगाए जाएँ; (ii) बैंक का परिसमापन किया जाए; और (iii) बैंक का विलय/समामेलन हो, यदि योजना डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत जमाकर्ताओं को भुगतान की आवश्यकता रखती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, डीआईसीजीसी ने इस निधि के माध्यम से ₹476 करोड़ के दावों का निपटान किया और कुल ₹1,309 करोड़ के दावों की वसूली की[25]। मार्च 2025 के अंत तक, जमा बीमा निधि में बकाया राशि ₹2.29 लाख करोड़ रही, जो वर्ष-दर-वर्ष 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि बीमित जमा 6.4 प्रतिशत बढ़ी। परिणामस्वरूप, आरक्षित अनुपात – बीमित जमा के मुकाबले जमा बीमा निधि का अनुपात – मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 2.29 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले 2.11 प्रतिशत था।

IV.79 प्रारंभ से ही, डीआईसीजीसी ने जमा बीमा योजना के वित्तपोषण के लिए बैंकों पर एक निश्चित दर की प्रीमियम राशि लगाई थी, वर्तमान लागू प्रीमियम दर निर्धारित जमाराशियों के प्रत्येक ₹100 पर 12 पैसे है। दिसंबर 2025 में, रिज़र्व बैंक ने जमा बीमा के लिए एक जोखिम-आधारित प्रीमियम संरचना पेश करने का प्रस्ताव रखा ताकि बैंकों द्वारा उचित जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जा सके और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके।

12. वित्तीय समावेशन

IV.80 वित्तीय समावेशन समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार और रिज़र्व बैंक के नीतिगत प्रयासों के साथ तकनीकी-संचालित नवोन्मेषों ने अल्पविकसित जनसंख्या को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। भारत ने डिजिटलीकरण को बैंक शाखा नेटवर्क और एटीएम के विस्तार के साथ पूरक बनाया है, जिससे समावेशन को बढ़ावा मिला है। यह अधिकांशतः अन्य देशों के विपरीत है, जहाँ डिजिटलीकरण पारंपरिक वित्तीय सेवा चैनलों की गिरावट की ओर ले जा रहा है। इसके अलावा, भारत में बैंक शाखाओं की पहुंच अधिकांश अन्य ईएमडीई देशों की तुलना में अधिक है, जबकि प्रति व्यक्ति एटीएम की उपलब्धता भारत में अपेक्षाकृत कम है (चार्ट IV.36ए और बी)।

12.1 वित्तीय समावेशन योजनाएं

IV.81 वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफ़आईपी) उन मानकों पर बैंकों की उपलब्धियों को दर्शाती हैं जैसे कि बैंकिंग बिक्री केंद्रों की संख्या (शाखाएं) और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) बिक्री केंद्र, बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) में लेनदेन और कारोबार प्रतिनिधि - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी चैनल[26] के माध्यम से लेनदेन। मार्च 2025 के अंत तक बीएसबीडीए की संख्या 2.6 प्रतिशत बढ़कर 72.4 करोड़ हो गई, जबकि इन खातों में कुल शेष राशि 9.5 प्रतिशत बढ़कर 3.3 लाख करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त, अधिकांश बीएसबीडीए अब भी कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है (सारणी IV.28)।

---

[24] रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निर्देश (एआईडी) जारी करता है और एआईडी के अंतर्गत रखी गई बैंक को जमा/निकासी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में डीआईसीजीसी को एक एनडोर्समेंट के साथ सूचित करता है, जहाँ बैंक जमा बीमा के लिए पंजीकृत है।

[25] डीआईसीजीसी के पास डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 21 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत बीमा भुगतान वसूलने का अधिकार है।

[26] वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में विस्तृत और विष्लेषित आंकड़े संकलित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी (एमपीएफआई) विवरणी की कवरेज अब सभी बैंकों तक बढ़ा दी गई है (सिवाय टियर 1 और 2 शहरी सहकारी बैंकों के)। इसके परिणामस्वरूप, एफआईपी रिटर्न का बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 से जमा करना बंद कर दिया गया है।

चार्ट IV.36: चयनित देशों में वित्तीय समावेशन की प्रगति

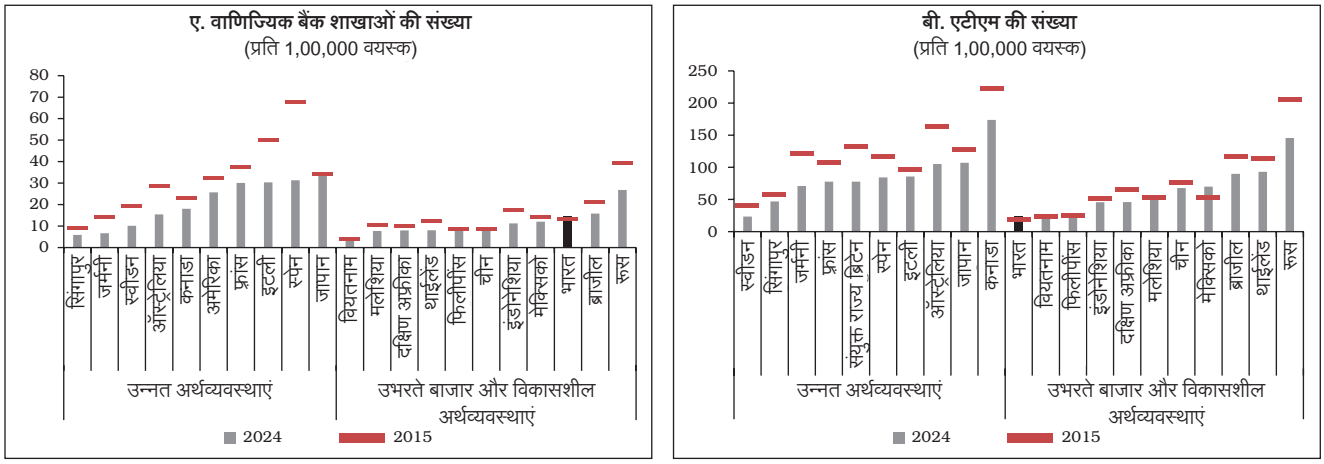

टिप्पणी: 1. जर्मनी के लिए 2024 का वाणिज्यिक बैंक शाखा के आंकड़े 2023 से संबंधित है।
2. स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस के लिए 2024 का एटीएम के आंकड़े 2023 से संबंधित है।

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे, 2024, आईएमएफ़।

12.2 वित्तीय समावेशन सूचकांक

IV.82 भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन (एफआई) सूचकांक देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति को मापता है। यह बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित 97 संकेतकों का डेटा तीन आयामों – पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता – पर संग्रहित करता है। ये आयाम तीन उप-सूचकांक

सारणी IV.28: वित्तीय समावेशन योजना में प्रगति
(मार्च अंत तक)

मद	2015	2020	2024	2025 (पी)
1	2	3	4	5
बैंकिंग लोकसंपर्क				
1. गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	49,571	54,561	54,198	56,829
2. 2,000 > आबादी वाले गांवों में बीसी आउटलेट	90,877	1,49,106	12,66,756	10,38,208
3. 2,000 < आबादी वाले गांवों में बीसी आउटलेट	4,08,713	3,92,069	2,80,922	2,72,764
4. गांवों में कुल बीसी आउटलेट	4,99,590	5,41,175	15,47,678	13,10,972
5. बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	96,847	6,35,046	3,06,658	3,09,182
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)				
6. बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	2,103	2,616	2,768	2,751
7. बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि ₹ करोड़ में)	36,498	95,831	1,46,306	1,54,028
8. बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	1,878	3,388	4,290	4,491
9. बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि ₹ करोड़ में)	7,457	72,581	1,53,489	1,74,243
10. बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	3,981	6,004	7,059	7,242
11. बीएसबीडीए - कुल (राशि ₹ करोड़ में)	43,955	1,68,412	2,99,796	3,28,271
12. बीएसबीडीए में प्राप्त ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	76	64	48	45
13. बीएसबीडीए में प्राप्त ओडी सुविधा (राशि ₹ करोड़ में)	1,991	529	564	564
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)				
14. केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	426	475	515	501
15. केसीसी - कुल (राशि ₹ करोड़ में)	4,38,229	6,39,069	8,47,238	8,83,682
16. जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	92	202	23	21
17. जीसीसी - कुल (राशि ₹ करोड़ में)	1,31,160	1,94,048	34,340	37,563
कारोबार प्रतिनिधि				
18. आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	4,770	32,318	36,390	39,676
19. आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (राशि ₹ करोड़ में)#	85,980	8,70,643	13,11,078	14,46,451

पी: अनंतिम, बीसी: कारोबार प्रतिनिधि, ओडी: ओवर ड्राफ्ट, आईसीटी: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
#: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।
स्रोत: पीएसबी, पीवीबी और आरआरबी द्वारा जमा किए गए वित्तीय समावेशन योजना विवरणी।

के माध्यम से प्रतिविंबित होते हैं, अर्थात्, एफआई-पहुंच, एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता। मिश्रित एफआई-सूचकांक का मान मार्च 2025 में 67.0 पर पहुँच गया, जो मार्च 2024 में 64.2 था, और सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि दर्ज हुई। वृद्धि मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता आयाम द्वारा हुई, जो वित्तीय समावेशन की गहरीकरण और सतत वित्तीय साक्षरता पहलों को दर्शाती है (चार्ट IV.37)।

चार्ट IV.37: आरबीआई-वित्तीय समावेशन सूचकांक

(सूचकांक)

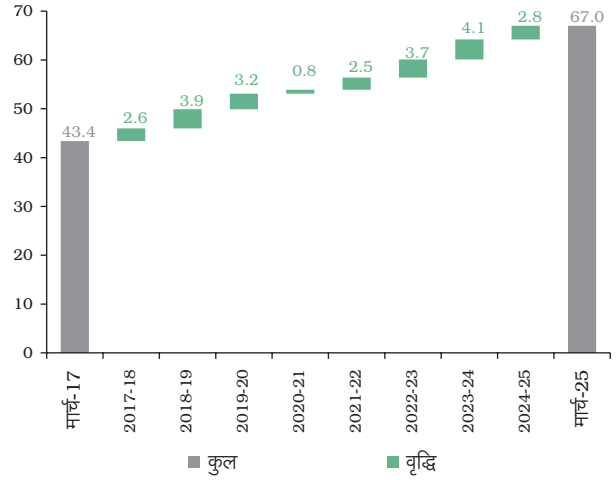

टिप्पणी: सूचकांक का मान शून्य और 100 के बीच होता है, जहाँ शून्य पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
स्रोत: आरबीआई।

12.3 प्रधानमंत्री जन धन योजना

IV.83 भारत सरकार द्वारा 2014 में इसकी शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने बैंकिंग से वंचित व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल किया है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों में बड़ी संख्या ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों व महिलाओं के लिए हैं। मार्च 2025 के अंत तक, पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या 55.2 करोड़ पहुँच गई, जिसमें 96.4 प्रतिशत खातों का प्रबंधन पीएसबी और आरआरबी द्वारा किया जा रहा है। पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमाराशि मार्च 2025 के अंत तक ₹2.6 लाख करोड़ होकर 12 प्रतिशत बढ़ गया (चार्ट IV.38ए)। मार्च 2015 से मार्च 2025 के दौरान पीएमजेडीयू खातों में औसत जमाराशि चार गुना से अधिक बढ़ी है, जो उपयोग में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट IV.38बी)। जुलाई-अक्तूबर 2025 के दौरान, बैंक वित्तीय समावेशन योजनाओं के विस्तार के लिए एक देशव्यापी अभियान में भागीदार रहे, जिसमें ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर बैंक खातों की पुनः-केवाईसी भी शामिल थी। नवंबर 2025 के अंत में, पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या 57.1 करोड़ तक पहुँच गई, जिनमें ₹2.7 लाख करोड़ की जमाराशि थी।

चार्ट IV.38: पीएमजेडीवाई के अंतर्गत प्रगति

ए. पीएमजेडीवाई खातों की संख्या और कुल जमा

(खातों की संख्या करोड़ में, बायां मान; ₹ लाख करोड़, दायां मान)

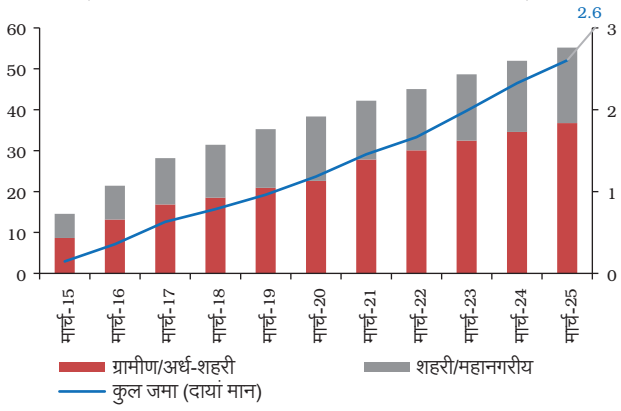

बी. पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष राशि

(₹)

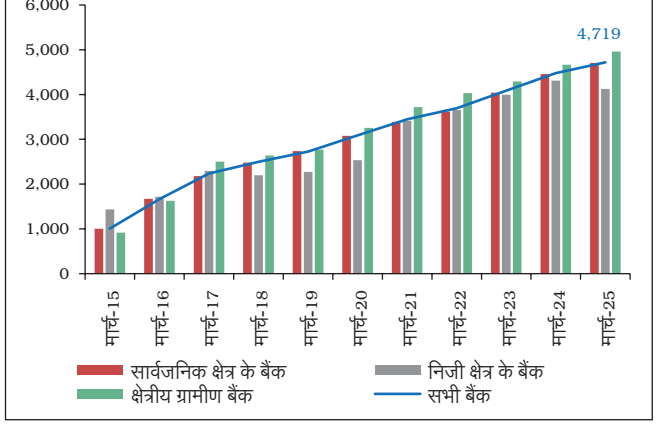

टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अंतिम बुधवार से संबंधित है।
स्रोत: पीएमजेडीवाई, भारत सरकार।

12.4 एससीबी द्वारा नए बैंक शाखाएँ

IV.84 ग्राहक सहभागिता के लिए डिजिटलकरण के साथ-साथ भौतिक बैंक शाखाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं। मार्च 2025 के अंत तक, एससीबी की 1.64 लाख घरेलू शाखाएँ थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। एससीबी द्वारा नई शाखाओं का खोलना 2024-25 में थोड़ा मंद हो गया, जो पिछले दो वर्षों में तेजी से हुआ था। वर्ष के दौरान खोली गई नई बैंक शाखाओं का लगभग आधा हिस्सा टियर 1 (शहरी/महानगरीय) केंद्रों में था, जबकि शेष आधा हिस्सा टियर 2-6 (अर्ध-शहरी/ग्रामीण) केंद्रों में था (सारणी IV.29)।

IV.85 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि निजी क्षेत्र के बैंको द्वारा नई शाखाएं खोलने में गिरावट दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, 2024-25 में एससीबी द्वारा खोली गई कुल नई शाखाओं में पीवीबी का हिस्सा 51.8 प्रतिशत रह गया, जो 2023-24 में 65.5 प्रतिशत था। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नई शाखाओं का 67.3 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में खोला गया, जबकि निजी क्षेत्र के बैंको के लिए यह अनुपात 37.5 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.39 और परिशिष्ट सारणी IV.12)।

सारणी IV.29: एससीबी की नई खुली बैंक शाखाओं का टियर-वार वितरण

टियर	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
टियर 1	1,567 (48.2)	2,323 (43.6)	2,681 (49.8)	2,413 (48.3)
टियर 2	233 (7.2)	471 (8.8)	451 (8.4)	375 (7.5)
टियर 3	424 (13.0)	809 (15.2)	684 (12.7)	654 (13.1)
टियर 4	292 (9.0)	544 (10.2)	433 (8.0)	472 (9.5)
टियर 5	227 (7.0)	424 (7.9)	368 (6.8)	352 (7.1)
टियर 6	509 (15.7)	763 (14.3)	762 (14.2)	725 (14.5)
कुल	**3,252 (100.0)**	**5,334 (100.0)**	**5,379 (100.0)**	**4,991 (100.0)**

टिप्पणियाँ: 1. 'टियर 1' में 1,00,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'टियर 2' में 50,000 से 99,999 जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'टियर 3' में 20,000 से 49,999 जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'टियर 4' में 10,000 से 19,999 जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'टियर 5' में 5,000 से 9,999 जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, और 'टियर 6' में 5,000 से कम जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं। जनसंख्या के सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
2. आंकड़ों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट और प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े किसी विशेष टियर में खोली गई शाखाओं की कुल प्रतिशत के रूप में संख्या को दर्शाते हैं।
4. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।

स्रोत: बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई), आरबीआई। सीआईएसबीआई आंकड़े बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपडेट किए जाते हैं।

12.5 क्षेत्रीय बैंकिंग व्यापन

IV.86 दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में बैंक शाखाएँ हैं, जबकि मार्च 2025 के अंत तक बैंकिंग व्यापन उत्तरी क्षेत्र में

चार्ट IV.39: एससीबी की नई खुली बैंक शाखाओं का जनसंख्या समूह के अनुसार वितरण

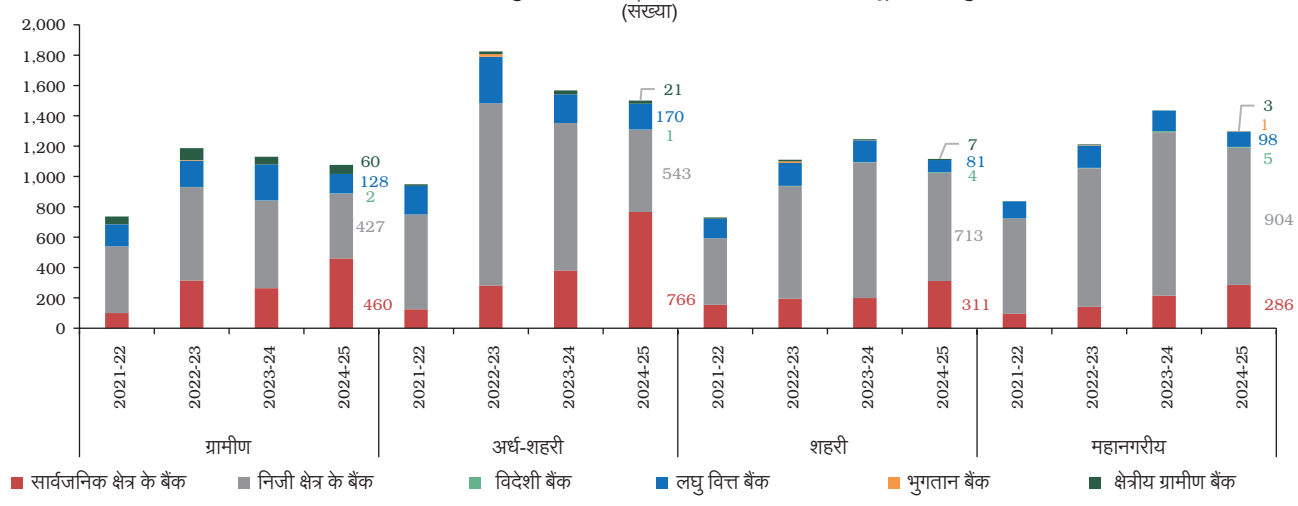

स्रोत: सीआईएसबीआई, आरबीआई।

चार्ट IV.40: बैंकों का क्षेत्रीय व्यापन

(प्रत्येक बैंक शाखा पर जनसंख्या)

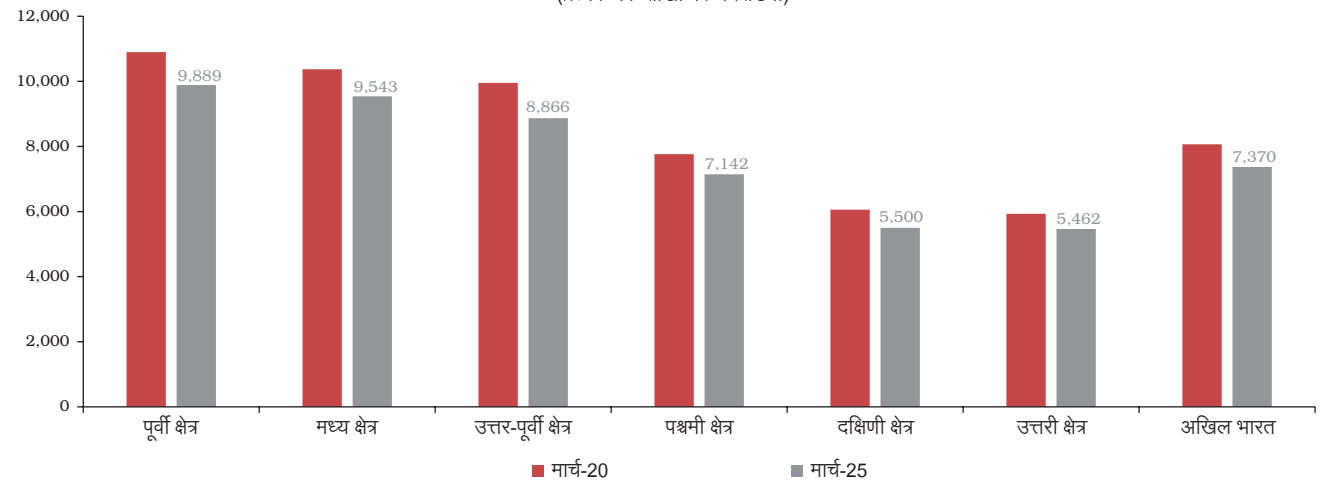

स्रोत: आरबीआई और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

सबसे अधिक है।[27] हाल के वर्षों में, सभी क्षेत्रों में बैंकिंग व्यापन में सुधार हुआ है, जिसमें सबसे तीव्र सुधार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में देखा गया है (चार्ट IV.40)।

12.6 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

IV.87 सूक्ष्म वित्त वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति, छोटे मूल्य के ऋण सहित, उन लोगों और समुदायों तक पहुँचाई जाती है जो बैंकों की सेवाओं से वंचित हैं, इस प्रकार सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी), जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बचत और ऋण सुविधाओं का विस्तार करना है, दुनिया के सबसे बड़े सूक्ष्मवित्त आंदोलन के रूप में उभरा है। बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या पिछले वर्ष के 54.8 लाख से बढ़कर 2024-25 में 55.6 लाख हो गई। हालांकि, बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए ऋण की राशि दक्षिणी क्षेत्र में कम वितरण के कारण थोड़ी कम हो गई (चार्ट IV.41)। मार्च 2025 के अंत तक, स्वयं सहायता समूहों के बैंकों में जमा बचत शेष 9.7 प्रतिशत बढ़कर ₹0.7 लाख करोड़ हो गया, जबकि बैंकों का स्वयं सहायता समूहों पर बकाया ऋण 17.2 प्रतिशत बढ़कर ₹3 लाख करोड़ हो गया।

चार्ट IV.41: स्वयं-सहायता समूहों को वितरित बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण

(₹ करोड़)

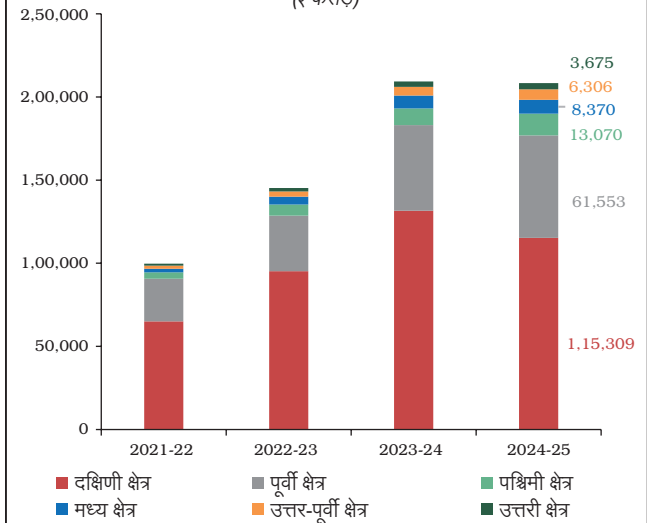

स्रोत: नाबार्ड

[27] बैंकिंग व्यापन को प्रत्येक शाखा पर जनसंख्या से मापा जाता है। प्रति बैंक शाखा पर अधिक जनसंख्या का मतलब कम व्यापन है।

IV.88 बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), जो छोटे उधारकर्ताओं के अनौपचारिक क्रेडिट समूह हैं, को वितरित किए गए ऋण की राशि 2024-25 में 58 प्रतिशत घट गई (परिशिष्ट सारणी IV.13)।

12.7 व्यापारिक प्राप्य-राशि बट्टाकरण प्रणाली-ट्रेड्स

IV.89 ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों जैसे कि सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों से प्राप्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापारिक प्राप्य के वित्तपोषण/डिस्काउंटिंग को सुविधाजनक बनाता है। 2024-25 में अपलोड किए गए और वित्तपोषित चालानों की संख्या और राशि में तेज वृद्धि के साथ ट्रेड्स ने और अधिक गति प्राप्त की। सफलता दर, जिसे अपलोड किए गए चालानों में कितने चालान वित्तपोषित हुए इसका प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, 2023-24 में 94.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 95.3 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.30)।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पेशेवर रूप से प्रबंधित वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किए गए ताकि छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। उनका कार्यात्मक फोकस कृषि, व्यापार, वाणिज्य और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों पर रहा है। मार्च 2025 के अंत तक, 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित 43 आरआरबी, 26 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों (पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख) में 22,158 शाखाओं के माध्यम से संचालित हो रहे थे।

सारणी IV.30: ट्रेड्स के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अपलोड किए गए चालान		अपलोड किए गए चालान	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2021-22	17,33,553	44,112	16,40,824	40,309
2022-23	27,24,872	83,955	25,58,531	76,646
2023-24	44,04,148	1,51,343	41,58,554	1,38,241
2024-25	64,04,936	2,47,796	61,01,384	2,33,711

स्रोत: आरबीआई।

IV.91 अपने अधिदेश के अनुसार, लगभग 92 प्रतिशत आरआरबी शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अवस्थित है। दक्षिणी क्षेत्र में आरआरबी की संख्या सबसे अधिक है, जो 2024-25 के दौरान सभी आरआरबी के कुल लाभ का 42.1 प्रतिशत योगदान करता है (परिशिष्ट सारणी IV.14)। 'एक राज्य-एक आरआरबी' के सिद्धांत के मार्गदर्शन में, भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2025 को आरआरबी के चरण-IV समामेलन को अधिसूचित किया।[28] तद्नुसार, आरआरबी की कुल संख्या 43 से घटाकर 1 मई, 2025 से 28 कर दी गई।

13.1 तुलन पत्र विश्लेषण

IV.92 आरआरबी के संयुक्त तुलन पत्र में 2024-25 में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 8.9 प्रतिशत थी। आरआरबी ने उधारी की कमी के कारण ऋण आवश्यकता पूरी करने के लिए अपनी जमाराशि और अपने स्वामित्व वाले निधियों पर अधिक निर्भरता रखी (सारणी IV.31)।

IV.93 आरआरबीज के कुल देयतायों में जमाराशि का हिस्सा 79 प्रतिशत रहा, हालांकि इनकी जमाराशि में वृद्धि 2024-25 के दौरान अन्य एससीबी की तुलना में कम रही। कम लागत वाली सीएएसए जमाराशि की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में आरआरबीज की कुल जमाराशि का 53.5 प्रतिशत था, जो सभी प्रकार के एससीबी में सबसे अधिक था, केवल भुगतान बैंको को छोड़कर[29]। आरआरबीज का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात[30] मार्च 2025 के अंत में 73.1 प्रतिशत तक बढ़ गया,

[28] भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की परिचालन क्षमता में सुधार और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के संरचनात्मक एकीकरण की पहल की। पहले तीन दौर के विलय के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की संख्या 2004-05 में 196 से घटकर 2020-21 में 43 रह गई थी।

[29] भुगतान बैंक को टर्म डिपॉजिट की अनुमति नहीं है।

[30] आरआरबी के सकल अग्रिम से जमा राशि का अनुपात के रूप में गणना की जाती है।

सारणी IV.31: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र

मद	मार्च के अंत तक राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5
1. शेयर पूंजी	19,042	19,303	10.5	1.4
2. आरक्षित निधियां	46,659	53,060	16.3	13.7
3. जमा	6,59,815	7,13,800	8.4	8.2
3.1 चालू	11,952	13,375	0.1	11.9
3.2 बचत	3,47,193	3,68,574	8.6	6.2
3.3 मीयादी	3,00,670	3,31,851	8.5	10.4
4. उधार	92,444	92,268	9.1	-0.2
4.1 नाबार्ड	77,166	77,455	5.5	0.4
4.2 प्रायोजक बैंक	4,293	7,949	26.0	85.2
4.3 अन्य	10,986	6,864	34.2	-37.5
5. अन्य देयताएं	22,120	25,495	5.9	15.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**8,40,080**	**9,03,925**	**8.9**	**7.6**
1. हाथ में नकदी	2,933	2,764	1.6	-5.8
2. आरबीआई में शेष राशि	30,990	30,065	5.7	-3.0
3. चालू खाते में शेष राशि	8,173	9,752	14.3	19.3
4. निवेश	3,19,099	3,21,213	1.8	0.7
5. ऋण और अग्रिम	4,45,286	5,02,434	15.1	12.8
6. अचल आस्तियां	1,581	1,979	12.4	25.2
7. अन्य आस्तियां, जिनमें से,	32,019	35,718	5.6	11.6
7.1 संचित हानि	8,921	8,435	-9.4	-5.4

टिप्पणी: आंकड़े मार्च 2025 अंत के लिए अनंतिम हैं।
स्रोत: नाबार्ड।

जो पिछले 35 वर्षों में सबसे उच्च स्तर है, क्योंकि ऋण और अग्रिमों में वृद्धि, जमाराशि में वृद्धि से आगे निकल गई।

13.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.94 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लाभ में गिरावट दर्ज की गई। यह मुख्य रूप से पेंशन योजना के कार्यान्वयन और 1 नवंबर, 1993 से कंप्यूटर वेतन वृद्धि देयता की बजह से वेतन वृद्धि के कारण था, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में किया गया (सारणी IV.32)।[31] आरआरबी की विविध आय में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से उनके मजबूत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो का लाभ उठाकर पीएसएलसी जारी करने से प्रेरित रही।

सारणी IV.32: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

मद	राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**70,443**	**78,090**	**18.5**	**10.9**
i. ब्याज आय	61,341	67,422	14.4	9.9
ii. अन्य आय	9,101	10,668	57.3	17.2
बी. व्यय (i+ii+iii)	**62,872**	**71,270**	**15.5**	**13.4**
i. ब्याज व्यय	33,237	37,153	24.5	11.8
ii. परिचालन व्यय	21,267	27,129	-2.8	27.6
जिसमें, वेतन बिल शामिल है	15,305	20,200	-8.3	32.0
iii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	8,368	6,989	42.5	-16.5
जिसमें, आयकर शामिल है	2,430	2,186	70.7	-10.0
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	15,938	13,809	47.0	-13.4
ii. निवल लाभ	7,571	6,820	52.2	-9.9
डी. वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)				
i. परिचालन लाभ	2.0	1.6		
ii. निवल लाभ	1.0	0.8		
iii. आय (ए+बी)	8.9	9.1		
ए. ब्याज आय	7.8	7.9		
बी. अन्य आय	1.2	1.2		
iv. व्यय (ए+बी+सी)	7.9	8.3		
ए. ब्याज व्यय	4.2	4.3		
बी. परिचालन व्यय	2.7	3.2		
जिसमें, वेतन बिल	1.9	2.4		
सी. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.1	0.8		
ई. विश्लेषणात्मक अनुपात (प्रतिशत)				
सकल एनपीए अनुपात	6.2	5.4		
सीआरएआर	14.2	14.4		

: मार्च अंत की स्थिति के अनुसार
टिप्पणी: 1. 2024-25 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. वित्तीय अनुपातों की गणना वर्तमान और पिछले वर्ष की कुल आस्तियों के औसत के प्रतिशत के रूप में की गई है।
स्रोत: नाबार्ड।

IV.95 मार्च 2025 के अंत में आरआरबी का समेकित जीएनपीए अनुपात 13 साल के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत तक घट गया (चार्ट IV.42)। उच्च सुरक्षित प्रावधान से आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2025 के अंत में एनएनपीए अनुपात 2.0 प्रतिशत तक घट गया। इसके बावजूद, घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की

[31] एक ही वर्ष में अतिरिक्त पेंशन देयता को पूरा करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों के दृष्टिगत, जो कि कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को अतिरिक्त पेंशन देयता को उस अवधि में प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जो 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर अधिकतम पांच वर्ष से अधिक न हो।

चार्ट IV.42: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(प्रतिशत)

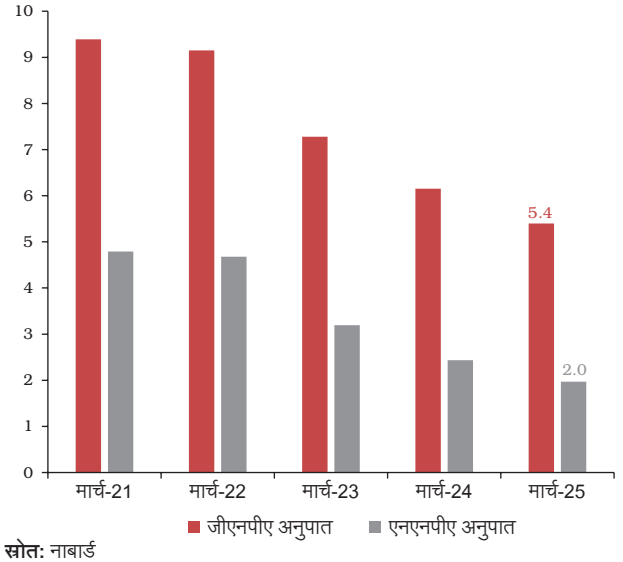

स्रोत: नाबार्ड

संख्या 2024-25 में पांच हो गई, जो पिछले वर्ष के तीन के मुकाबले अधिक है जो कि बड़े पैमाने पर पहले उल्लेखित वेतन बिल में एक बार की वृद्धि और राज्य-विशिष्ट एनपीए अनुपात में वृद्धि के कारण हुआ (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

IV.96 मार्च 2025 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का समेकित सीआरएआर 14.4 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्चस्तर तक पहुँच गया (चार्ट IV.43ए)। 2021-22 से आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण और लाभ की स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप विनियामकीय न्यूनतम सीआरएआर 9.0 प्रतिशत से कम वाले आरआरबी की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है (चार्ट IV.43बी)।

IV.97 मार्च 2025 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कुल ऋण पोर्टफोलियो में प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण का हिस्सा 84.7 प्रतिशत रहा (सारणी IV.33)। 2024-25 के दौरान, सभी आरआरबी ने प्राथमिकता क्षेत्र में अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण/ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र के ऋण समतुल्य का 75 प्रतिशत ऋण देने के कुल लक्ष्य को पूरा किया (परिशिष्ट सारणी IV.15)।

14. स्थानीय क्षेत्र बैंक

IV.98 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) छोटे, निजी स्वामित्व वाले बैंक हैं, जिनकी स्थापना का उद्देश्य कम लागत वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करना और प्रभावी तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान करना है। एलएबी का एक परिभाषित भौगोलिक संचालन क्षेत्र होता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को लक्षित करता है, जिसमें आपस में जुड़े हुए जिलों को शामिल किया जाता है। मार्च 2025 के अंत तक, दो एलएबी संचालित थे, जिनकी 79 शाखाएँ थीं।

IV.99 2024-25 के दौरान, स्थानीय क्षेत्र बैंको (एलएबी) का संयुक्त तुलन पत्र में 9.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसमें अग्रिम राशि और जमाराशि दोनों पिछले वर्ष की तुलना में तेज़ी से बढ़े। जमाराशि की तुलना में ऋण की वृद्धि अधिक होने

चार्ट IV.43: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

(मार्च के अंत में)

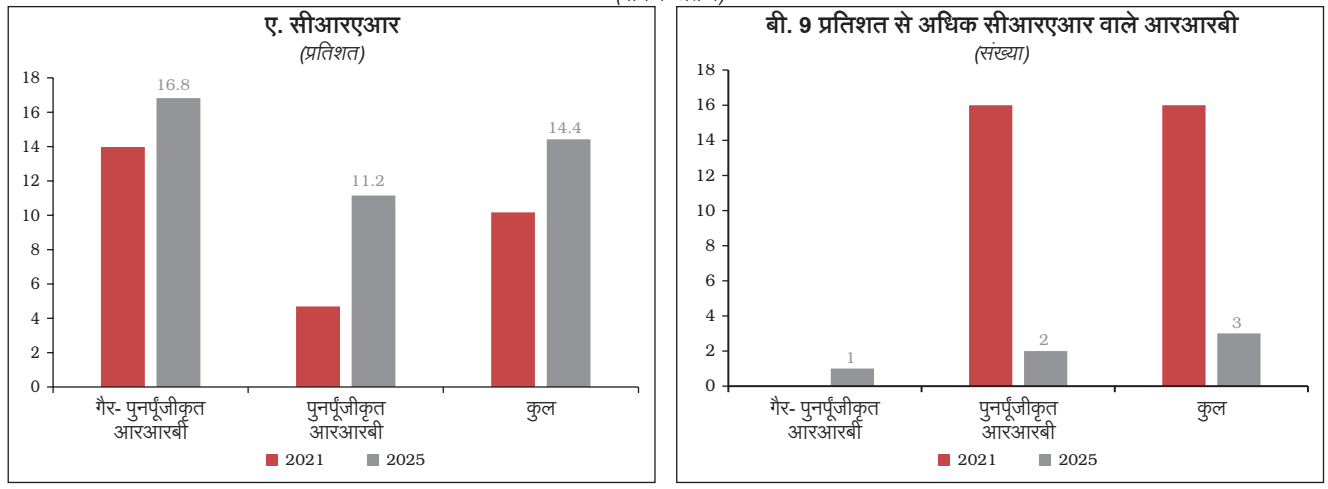

स्रोत: नाबार्ड

सारणी IV.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उद्देश्य के अनुसार बकाया अग्रिम
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

उद्देश्य	2024	2025 (अ)
1	2	3
I. प्राथमिकता (i से v)	**4,08,810**	**4,42,041**
कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	*87.0*	*84.7*
i. कृषि	3,16,671	3,42,253
ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	57,639	58,784
iii. शिक्षा	1,609	1,582
iv. आवास	26,047	27,411
v. अन्य	6,843	12,010
II. गैर-प्राथमिकता (i से vi)	**61,300**	**79,872**
कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	*13.0*	*15.3*
i. कृषि	17	7
ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	187	179
iii. शिक्षा	343	442
iv. आवास	13,620	16,627
v. व्यक्तिगत ऋण	17,788	17,720
vi. अन्य	29,345	44,898
कुल (I+II)	**4,70,109**	**5,21,913**

अ: अनंतिम
स्रोत: नाबार्ड।

के कारण, ऋण-जमा अनुपात मार्च 2025 के अंत में 85.6 प्रतिशत हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 81.4 प्रतिशत था (सारणी IV.34)।

14.1 वित्तीय प्रदर्शन

IV.100 वर्ष 2024-25 के दौरान स्थानीय क्षेत्र बैंको (एलएबी) का शुद्ध लाभ घट गया। लाभ कम होने का कारण आय में वृद्धि की तुलना में व्यय में अधिक वृद्धि थी, क्योंकि ब्याज आय में वृद्धि आधी से भी कम हो गई और 2024-25 के दौरान प्रावधान और आकस्मिकताओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई (सारणी IV.35)।

सारणी IV.34: स्थानीय क्षेत्र बैंकों की प्रोफ़ाइल
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024	2025
1	2	3
1. आस्तियां	1,584 (7.5)	1,731 (9.3)
2. जमा	1,271 (6.8)	1,385 (9.0)
3. सकल अग्रिम	1,034 (7.2)	1,186 (14.7)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े व-द-व वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.35: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

मद	राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**197**	**209**	**10.1**	**6.1**
i. ब्याज आय	172	182	12.8	5.8
ii. अन्य आय	25	27	-5.7	8.8
बी. व्यय (i+ii+iii)	**162**	**180**	**13.7**	**11.2**
i. ब्याज व्यय	79	88	25.9	11.9
ii. परिचालन व्यय	68	72	14.6	6.9
जिसमें, वेतन बिल शामिल है	33	36	13.5	10.9
iii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	15	19	-26.0	27.0
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	50	48	-11.9	-4.0
ii. निवल लाभ	35	29	-3.9	-17.6
डी. निवल ब्याज आय	**93**	**94**	**3.7**	**0.5**
ई. वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)				
i. परिचालन लाभ	3.3	2.9		
ii. निवल लाभ	2.3	1.7		
iii. आय (ए+बी)	12.9	12.6		
ए. ब्याज आय	11.3	11.0		
बी. अन्य आय	1.6	1.6		
iv. व्यय (ए+बी+सी)	10.6	10.9		
ए. ब्याज व्यय	5.2	5.3		
बी. परिचालन व्यय	4.4	4.4		
जिसमें, वेतन बिल शामिल है।	2.1	2.2		
सी. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.0	1.2		
v. निवल ब्याज आय	6.1	5.6		

टिप्पणी: वित्तीय अनुपातों की गणना वर्तमान और पिछले वर्ष की कुल आस्तियों के औसत के प्रतिशत के रूप में की गई है।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

15. लघु वित्त बैंक

IV.101 लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) विशेषीकृत संस्थान हैं, जिन्हें वित्तीय सेवाओं से वंचित और उन तक बहुत कम पहुंच रखने वाली जनसंख्या को औपचारिक बचत के साधन उपलब्ध कराने और लघु व्यावसायिक इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को उच्च तकनीक और कम लागत वाले परिचालन के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। मार्च 2025 के अंत तक, भारत में 11 लघु वित्त बैंक सक्रिय थे जिनकी 7,403 घरेलू शाखाएँ थीं।[32]

[32] 2024-25 में एक लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) के दूसरे के साथ विलय होने के बाद, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हुआ, एसएफ़बी की संख्या 12 से घटकर 11 हो गई।

15.1 तुलन पत्र

IV.102 2024-25 के दौरान एसएफबी के समेकित तुलन पत्र के आकार में दहाई अंक की दर से बढ़ोतरी हुई, जिसने अन्य एससीबी श्रेणियों की वृद्धि दर को पीछे छोड़ दिया। मार्च 2025 के अंत में एसएफबी की कुल जमाराशि का 73.9 प्रतिशत मीयादी जमा के रूप में था। जमाराशि वृद्धि का ऋण वृद्धि से अधिक रहने के कारण, मार्च 2025 के अंत में एसएफबी का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात 86.4 प्रतिशत पर रहा, जो पिछली साल 90.1 प्रतिशत था (सारणी IV.36)।

15.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.103 वर्ष 2024-25 के दौरान तुलन पत्र में मजबूत वृद्धि के बावजूद एसएफबी के लाभ में गिरावट दर्ज की गई। एसएफबी के निवल लाभ में गिरावट इसके प्रावधानों और आकस्मिकताओं पर खर्च में तेज़ वृद्धि के कारण हुई। एसएफबी की आस्ति गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज हुई, जिससे मार्च 2025 के अंत

सारणी IV.36: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन पत्र

मद	मार्च के अंत तक राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5
1. पूंजी	7,844	8,307	0.4	5.9
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	32,957	36,339	39.9	10.3
3. जमा	2,50,896	3,15,401	31.1	25.7
3.1 मांग	10,895	13,685	46.7	25.6
3.2 बचत	59,691	68,666	9.2	15.0
3.3 मीयादी	1,80,310	2,33,050	39.5	29.2
4. उधार	28,255	30,022	-9.4	6.3
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	15,328	15,394	12.5	0.4
कुल देयताएं/आस्तियां	**3,35,280**	**4,05,463**	**25.3**	**20.9**
1. नकद और आरबीआई के पास शेष राशि	17,503	26,780	-1.9	53.0
2. बैंकों के पास शेष राशि और शीघ्रावधि राशि	6,259	5,777	38.2	-7.7
3. निवेश	74,283	87,286	27.9	17.5
4. ऋण और अग्रिम	2,26,148	2,72,481	27.1	20.5
5. अचल आस्तियां	3,353	4,205	22.6	25.4
6. अन्य आस्तियां	7,733	8,936	19.6	15.6

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी IV.37: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

मद	राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**45,400**	**54,223**	**34.3**	**19.4**
i. ब्याज आय	39,647	46,782	33.0	18.0
ii. अन्य आय	5,753	7,441	43.8	29.3
बी. व्यय (i+ii+iii)	**39,181**	**50,727**	**32.2**	**29.5**
i. ब्याज व्यय	17,474	22,336	43.9	27.8
ii. परिचालन व्यय	17,186	20,247	30.7	17.8
जिसमें, वेतन बिल शामिल है	8,498	10,321	26.8	21.4
iii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	4,521	8,144	3.8	80.1
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	10,740	11,640	26.1	8.4
ii. निवल लाभ	6,219	3,496	49.4	-43.8
डी. वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)				
i. परिचालन लाभ	3.6	3.1		
ii. निवल लाभ	2.1	0.9		
iii. आय (ए+बी)	15.1	14.6		
ए. ब्याज आय	13.2	12.6		
बी. अन्य आय	1.9	2.0		
iv. व्यय (ए+बी+सी)	13.0	13.7		
ए. ब्याज व्यय	5.8	6.0		
बी. परिचालन व्यय	5.7	5.5		
जिसमें, वेतन बिल शामिल है।	2.8	2.8		
सी. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.5	2.2		
ई. विश्लेषणात्मक अनुपात (प्रतिशत)				
सकल एनपीए अनुपात	2.4	3.6		
सीआरएआर	21.6	21.5		
कोर सीआरएआर (टियर 1 पूंजी)	19.4	18.8		

: मार्च अंत की स्थिति के अनुसार

टिप्पणी: वित्तीय अनुपातों की गणना वर्तमान और पिछले वर्ष की कुल आस्तियों के औसत के प्रतिशत के रूप में की गई है।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे; और परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

में जीएनपीए अनुपात 3.6 प्रतिशत तक बढ़ गया। हालांकि, मार्च 2025 के अंत में 21.5 प्रतिशत सीआरएआर और 18.8 प्रतिशत कोर सीआरएआर (टियर 1 पूंजी) के साथ एसएफबी के पूंजीकरण की स्थिति अच्छी बनी हुई है (सारणी IV.37)।

16. भुगतान बैंक

IV.104 भुगतान बैंक (पीबी) ऐसे विशेष वित्तीय संस्थान हैं जिन्हें प्रौद्योगिकी के विकास का उपयोग करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। मार्च 2025 के अंत तक, छह भुगतान बैंक 81 शाखाओं के साथ संचालन में थे।

16.1 तुलन पत्र

IV.105 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भुगतान बैंकों (पीबी) के संयुक्त तुलन पत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो देयता पक्ष पर जमाराशि और आस्ति पक्ष पर निवेश द्वारा संचालित थी (सारणी IV.38)। जमा – बचत और चालू – मार्च 2025 के अंत में भुगतान बैंको की कुल देयता का 68.1 प्रतिशत रही। आस्ति पक्ष पर उनके ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध के अनुसार एसएलआर निवेश प्रमुख थे। सभी भुगतान बैंको ने 15 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामकीय सीआरएआर का पालन किया।

16.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.106 भुगतान बैंक, जिन्होंने अपने परिचालन के आरंभिक वर्षों में घाटा दर्ज किया था, 2024-25 में लगातार तीसरे वर्ष के लिए लाभ में रहे। ब्याज आय में वृद्धि के साथ परिचालन लाभ में वृद्धि हुई, जबकि गैर-ब्याज आय में गिरावट आई। निवल लाभ सकारात्मक बना रहा, हालांकि प्रावधानों और आकस्मिकताओं में वृद्धि के कारण इसमें मामूली कमी आई (सारणी IV.39)।

IV.107 शुद्ध लाभ में गिरावट को दर्शाते हुए, 2024-25 के दौरान भुगतान बैंको की आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी

सारणी IV.38: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन पत्र

मद	मार्च के अंत तक राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5
1. कुल पूंजी और आरक्षित निधि	3,440	3,584	17.1	4.2
2. जमा	16,330	25,605	33.6	56.8
3. अन्य देयताएं और प्रावधान	6,385	8,403	-23.8	31.6
कुल देयताएं/आस्तियां	**26,155**	**37,592**	**11.1**	**43.7**
1. नकद और आरबीआई के पास शेष राशि	3,094	3,715	26.1	20.1
2. बैंकों और मुद्रा बाजार में शेष राशि	4,350	6,636	-13.1	52.6
3. निवेश	14,627	24,037	18.0	64.3
4. अचल आस्तियां	1,266	1,339	125.3	5.8
5. अन्य आस्तियां	2,819	1,865	-9.6	-33.9

टिप्पणी: आंकड़े 06 भुगतान बैंको के है जिनमें दोनों अनुसूचित और गैर अनुसूचित भुगतान बैंक शामिल हैं।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.39: भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

मद	राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**7,857**	**7,697**	**20.7**	**-2.0**
i. ब्याज आय	1,441	1,733	64.3	20.3
ii. अन्य आय	6,416	5,964	14.0	-7.0
बी. व्यय (i+ii+iii)	**7,762**	**7,605**	**-21.0**	**-2.0**
i. ब्याज व्यय	356	548	44.1	54.1
ii. परिचालन व्यय	7,292	6,923	18.5	-5.1
iii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ *जिसमें* शामिल है	115	134	688.6	16.7
जोखिम प्रावधान	11	0.3	185.3	-97.3
कर प्रावधान	68	3	773.4	-95.3
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	209	226	97.0	8.2
ii. निवल लाभ	94	92	3.0	-2.2
डी. निवल ब्याज आय	**1,085**	**1,185**	**72.2**	**9.2**
ई. विश्लेषणात्मक अनुपात (प्रतिशत)				
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.4	0.3		
इक्विटी पर प्रतिलाभ	3.0	2.6		
कुल संपत्ति के मुकाबले निवेश#	55.9	63.9		
निवल ब्याज मार्जिन	6.0	4.6		
आय और लागत का अनुपात	97.2	96.8		
कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन लाभ	0.8	0.7		
निवल लाभ मार्जिन	1.3	1.3		

#: मार्च अंत की स्थिति के अनुसार
टिप्पणी: आंकड़े 06 भुगतान बैंको के है जिनमें दोनों अनुसूचित और गैर अनुसूचित भुगतान बैंक शामिल हैं।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

पर प्रतिलाभ में नरमी आई। पीबी का कुल आस्तियों के अनुपात में निवेश बढ़ा, जबकि उनके निवल ब्याज मार्जिन में वर्ष के दौरान नरमी आई। भुगतान बैंको ने 2024-25 के दौरान लागत-से-आय अनुपात में नरमी के साथ दक्षता में सुधार भी जारी रखा।

17. समग्र मूल्यांकन

IV.108 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र में मजबूत गति से विस्तार हुआ, जो जमाराशि और ऋण में दो अंकीय वृद्धि से प्रेरित रहा, हालांकि इसमें कुछ नरमी देखी गई। उनकी आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि लाभप्रदता मजबूत बनी रही। सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट बहु-दशकीय न्यूनतम स्तर पर

पहुँच गई जिसके कारण आस्ति गुणवत्ता और बेहतर हुई। बैंक बेहतर रूप से पूंजीकृत बने हुए है, साथ ही उनके लीवरेज और चलनिधि अनुपात विनियामकीय न्यूनतम दर से काफी ऊपर हैं। ये मजबूत बुनियादी सिद्धांत जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं और बैंकिंग क्षेत्र की ऋण विस्तार बनाए रखने की क्षमता का समर्थन करते हैं।

IV.109 आगे बढ़ते हुए, वाणिज्यिक क्षेत्र की संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में बैंको को गैर-बैंक स्रोतों से प्रतिस्पर्धा मिलती रहेगी। इसके अलावा, तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और डिजिटलकरण लोगों के बैंक के साथ अपने बचत और क्रेडिट जरूरतों के लेनदेन के तरीके को बदल सकता है, साथ ही बैंकिंग प्रणाली को नए जोखिमों जैसे कि साइबर जोखिम के लिए भी उजागर कर सकता है। जोखिम मूल्यांकन को सुदृढ़ करना और जिम्मेदार प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से परिचालन क्षमता में सुधार करना आवश्यक रहेगा, साथ ही वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण पर निरंतर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन बैंक की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा।

V सहकारी बैंक

जमाराशियों और उधार के कारण उच्च ऋण वृद्धि से वर्ष 2024-25 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में विस्तार हुआ। बेहतर लाभप्रदता, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और मजबूत पूंजी बफर के कारण उनका वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा। इन लाभों को चार-स्तरीय फ्रेमवर्क के तहत आघात-सहनीयता को मजबूत करने के लिए चल रहे समेकन और विनियामक उपायों से सहायता मिली। ग्रामीण सहकारी समितियों ने कृषि ऋण वितरण का समर्थन करना जारी रखा, हालांकि उनका प्रदर्शन अल्पावधिक और दीर्घावधिक संस्थानों में असमान रहा।

परिचय

V.1. सहकारी बैंक भारत की वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अंतिम-छोर तक ऋण का विस्तार करते हैं और स्थानीय वित्तीय मध्यस्थता का समर्थन करते हैं। हाल के वर्षों में, शहरी सहकारी बैंकों में चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत स्वैच्छिक विलय और विनियामक युक्तिकरण के माध्यम से एक स्थिर समेकन देखा जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान तुलन-पत्र का विस्तार दर्ज किया, जो बेहतर ऋण वृद्धि और उच्च जमा जुटाने द्वारा समर्थित है। कम प्रावधानीकरण और उच्च गैर-ब्याज आय के कारण उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ, जबकि पूंजी बफर और आस्ति की गुणवत्ता और मजबूत हुई। ग्रामीण सहकारी समितियों में, अल्पावधिक ऋण संस्थान - जिनमें राज्य और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं - कृषि वित्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों दोनों ने वर्ष 2024-25 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ लाभ दर्ज किया। राज्यों में भिन्नता के साथ दीर्घावधिक सहकारी समितियों का प्रदर्शन मिश्रित बना हुआ है।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय समीक्षाधीन अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने पर केंद्रित है।[1] खंड 2 में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की उभरती संरचना को रेखांकित किया गया है, जिसके बाद खंड 3 में शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता का आकलन किया गया है। अल्पावधिक और दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों के वित्तीय प्रदर्शन की जांच खंड 4 में की गयी है, जिसके बाद खंड 5 में समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

V.3. भारत में सहकारी बैंकिंग संरचना में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां (आरसीसी) शामिल हैं। जबकि यूसीबी मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करते हैं, आरसीसी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए होते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित या गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस आधार पर है कि (i) क्या वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं;[2] और (ii) एकल-राज्य या बहु-राज्य उपस्थिति के

[1] प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे से बाहर हैं। हालांकि, विश्लेषण की पूर्णता के लिए इस अध्याय में उनकी गतिविधियों और प्रदर्शन का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

[2] अनुसूचित सहकारी बैंकों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भी अधिनियम की इसी अनुसूची में शामिल किया गया है।

चार्ट V.1: ऋण सहकारी समितियों की संरचना

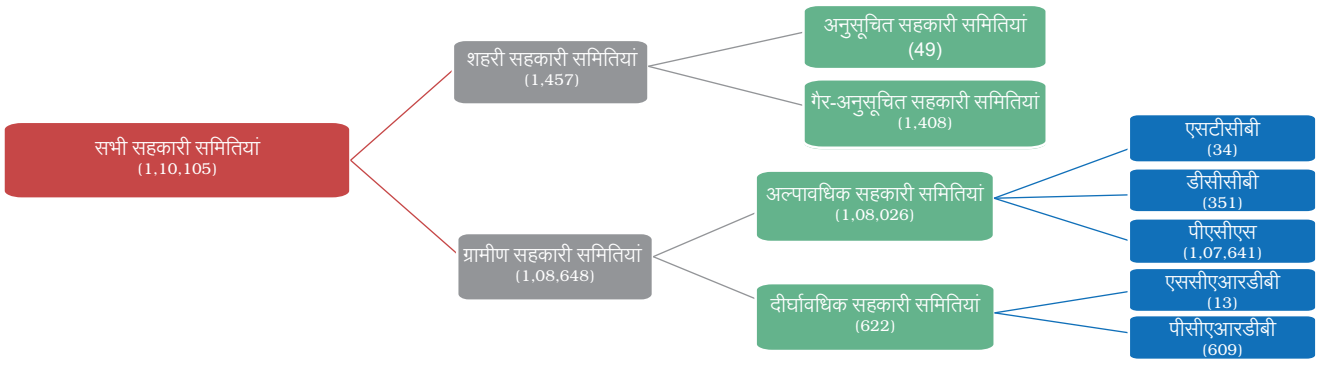

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणियाँ: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2025 के अंत में यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी की और मार्च 2024 के अंत में आरसीसी की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड); और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ (एनएएफएससीओबी)।

संदर्भ में उनकी भौगोलिक पहुंच। इसके विपरीत, आरसीसी को अल्पावधिक और दीर्घावधिक संस्थानों में वर्गीकृत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 1,457 यूसीबी और 1,08,648 आरसीसी थे (चार्ट V.1)।[3]

V.4. इन संस्थाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण एक विभेदित फ्रेमवर्क का पालन करता है। यूसीबी को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है, जबकि राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं।

V.5. मार्च 2024 के अंत में सहकारी क्षेत्र की समेकित आस्तियां ₹24.5 लाख करोड़ थी। आरसीसी में कुल सहकारी क्षेत्र की आस्तियों का 71.2 प्रतिशत शामिल है, जिसमें 68.6 प्रतिशत अल्पावधिक सहकारी समितियों द्वारा और 2.5 प्रतिशत दीर्घावधिक सहकारी समितियों द्वारा है (चार्ट V.2)।

चार्ट V.2: आस्ति के आकार के अनुसार ऋण सहकारी समितियों का विभाजन

(मार्च 2024 के अंत में, प्रतिशत)

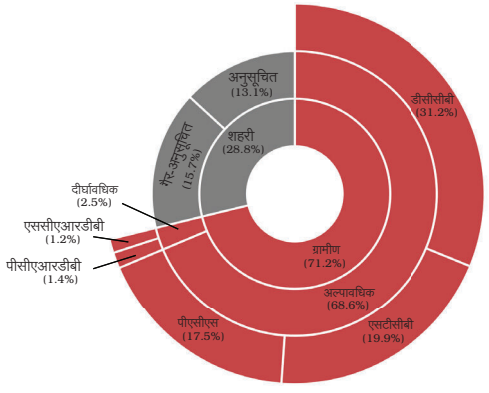

टिप्पणियाँ: 1. सनबर्स्ट चार्ट सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में स्तर को दर्शाता है। चार्ट के प्रत्येक खंड का आकार कुल आस्तियों में उस क्षेत्र की हिस्सेदारी (कोष्ठकों में उल्लिखित) के अनुपात में है।

2. एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करने के कारण शेयरों की कुल संख्या में अंतर हो सकता है।

स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

[3] प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के साथ उपलब्ध हैं, यानी वे वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं।

3. शहरी सहकारी बैंक

V.6. रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004-05 में यूसीबी के समेकन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें गैर-अर्थक्षम यूसीबी का उनके व्यवहार्य समकक्षों के साथ विलय, गैर-व्यवहार्य यूसीबी को बंद करना और नए लाइसेंस जारी करना शामिल है। नतीजतन, यूसीबी की संख्या मार्च 2004 के अंत में 1,926 से लगातार घटकर मार्च 2025 के अंत में 1,457 हो गई (चार्ट V.3)।

V.7. वर्ष 2024-25 के दौरान, यूसीबी के सात विलय - छह महाराष्ट्र में और एक तेलंगाना में - प्रभावी हुए। इसके साथ, वर्ष 2004-05 के बाद से विलय की कुल संख्या बढ़कर 163 हो गई, जिनमें से आधे से अधिक महाराष्ट्र में थे (चार्ट V.4ए)। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आठ गैर-अनुसूचित यूसीबी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दो-दो और बिहार, महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु में एक-एक शामिल थे। इसके साथ, वर्ष 2020-21 के बाद से लाइसेंस रद्द करने की कुल संख्या बढ़कर 57 हो गई, जो मुख्य रूप से गैर-अनुसूचित श्रेणी में केंद्रित हैं (चार्ट V.4बी)।

चार्ट V.3: शहरी सहकारी बैंकों की संख्या

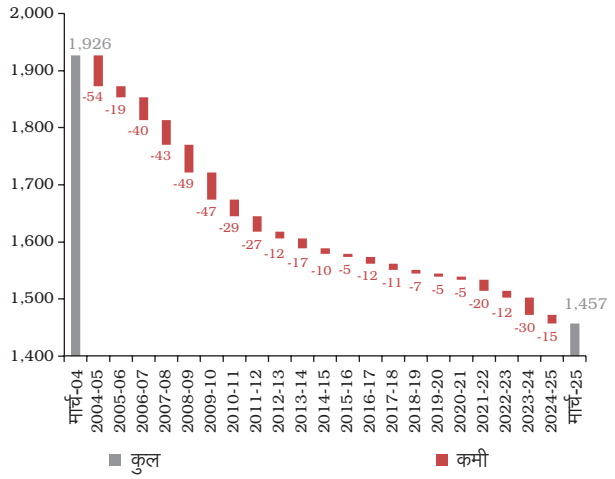

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

V.8. सहकारी क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री एन. एस. विश्वनाथन) की सिफारिशों के अनुरूप यूसीबी के लिए चार-स्तरीय विनियामक फ्रेमवर्क अपनाया।[4] इस विनियमन का उद्देश्य पारस्परिकता और सहयोग की भावना को संतुलित करना है जो भौगोलिक प्रसार और विविध

चार्ट V.4: शहरी सहकारी बैंकों में समेकन अभियान

ए. विलय का भौगोलिक विभाजन
(वर्ष 2004-05 से 2024-25 के दौरान विलय की संख्या)

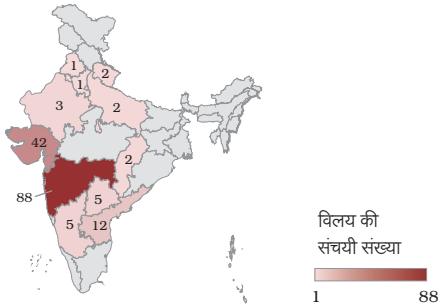

बी. लाइसेंस निरसन की संख्या

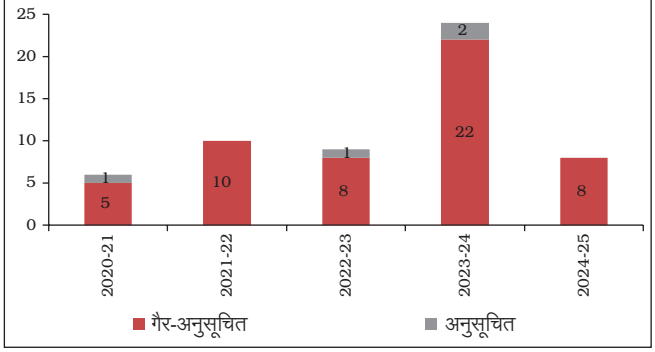

टिप्पणी: शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, कर्नाटक का लाइसेंस 5 जुलाई 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, बैंक ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका (डब्ल्यूपी संख्या 19767/2024) दायर की, जिसमें न्यायालय ने 25 जुलाई 2024 के अंतरिम आदेश द्वारा 5 जुलाई 2024 के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। बैंक वर्तमान में आरबीआई की 8 अगस्त 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में अधिसूचित व्यापक निर्देशों के अधीन है।
स्रोत: आरबीआई।

[4] ₹100 करोड़ तक की जमा राशि वाले यूसीबी को टियर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है; टियर 2 के रूप में ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक की जमा राशि वाले; टियर 3 के रूप में ₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक की जमा राशि वाले; और ₹10,000 करोड़ से अधिक को टियर 4 में रखा गया है। 01 दिसंबर 2022 के परिपत्र के अनुसार, सभी यूसीबी इकाइयों और वेतनभोगियों के यूसीबी (जमा आकार के बगैर) को टियर 1 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त जमाराशियों की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार की जाएगी।

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण
(मार्च 2025 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में, प्रतिशत में शेयर)

टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशियाँ		अग्रिम		कुल आस्तियां	
	संख्या	शेयर	संख्या	शेयर	संख्या	शेयर	संख्या	शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	838	57.5	65,760	11.3	43,991	11.9	89,089	12.1
2	535	36.7	1,78,433	30.5	1,09,980	29.7	2,24,705	30.4
3	78	5.4	2,01,311	34.4	1,22,712	33.1	2,48,549	33.6
4	6	0.4	1,38,910	23.8	93,542	25.3	1,76,386	23.9
सभी यूसीबी	**1,457**	**100.0**	**5,84,415**	**100.0**	**3,70,225**	**100.0**	**7,38,729**	**100.0**

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतरिम है।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

व्यावसायिक गतिविधियों वाले बड़े आकार के यूसीबी की विकास महत्वाकांक्षाओं की तुलना में परिचालन के सीमित क्षेत्र वाले छोटे बैंकों में अधिक प्रचलित है। मार्च 2025 के अंत में, 57.5 प्रतिशत यूसीबी को टियर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। टियर 3 और टियर 4 यूसीबी, यूसीबी की कुल संख्या में 6 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी के साथ, इस क्षेत्र पर हावी थे, जिनके पास जमा, अग्रिम और कुल आस्तियों के आधे से अधिक हिस्से थे (सारणी V.1)।

3.1. तुलन पत्र

V.9. वर्ष 2024-25 के दौरान यूसीबी के समेकित तुलन पत्र में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 4.0 प्रतिशत से मामूली रूप से अधिक है (सारणी V.2)। यूसीबी

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी में वृद्धि (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) पूंजी	4,293 (1.3)	4,271 (1.3)	10,828 (2.8)	11,217 (2.8)	15,120 (2.1)	15,489 (2.1)	2.8	2.4
2) आरक्षित निधि और अधिशेष	25,290 (7.9)	27,029 (8.0)	29,383 (7.6)	32,276 (8.1)	54,673 (7.7)	59,305 (8.0)	13.3	8.5
3) जमाराशियाँ	2,54,479 (79.1)	2,70,209 (79.7)	3,00,931 (78.0)	3,14,207 (78.6)	5,55,410 (78.5)	5,84,415 (79.1)	4.1	5.2
4) उधार	5,082 (1.6)	5,534 (1.6)	293 (0.1)	243 (0.1)	5,375 (0.8)	5,776 (0.8)	-13.9	7.5
5) अन्य देयताएं और प्रावधान	32,579 (10.1)	32,158 (9.5)	44,382 (11.5)	41,586 (10.4)	76,961 (10.9)	73,744 (10.0)	-0.7	-4.2
कुल देयताएँ/आस्तियां	**3,21,723 (100.0)**	**3,39,200 (100.0)**	**3,85,816 (100.0)**	**3,99,529 (100.0)**	**7,07,539 (100.0)**	**7,38,729 (100.0)**	**4.0**	**4.4**
1) हाथ में नकद	1,759 (0.5)	1,764 (0.5)	4,424 (1.1)	4,194 (1.0)	6,183 (0.9)	5,958 (0.8)	5.1	-3.6
2) आरबीआई के पास शेष राशि	13,778 (4.3)	13,687 (4.0)	4,544 (1.2)	4,688 (1.2)	18,322 (2.6)	18,375 (2.5)	12.0	0.3
3) बैंकों के पास शेष राशि	24,701 (7.7)	30,263 (8.9)	47,756 (12.4)	50,374 (12.6)	72,457 (10.2)	80,637 (10.9)	8.6	11.3
4) कॉल और अल्प सूचना पर मुद्रा	2,367 (0.7)	2,908 (0.9)	1,033 (0.3)	1,370 (0.3)	3,401 (0.5)	4,278 (0.6)	-1.1	25.8
5) निवेश	86,626 (26.9)	86,619 (25.5)	1,07,018 (27.7)	1,06,851 (26.7)	1,93,644 (27.4)	1,93,471 (26.2)	1.6	-0.1
6) ऋण और अग्रिम	1,59,553 (49.6)	1,71,391 (50.5)	1,87,300 (48.5)	1,98,833 (49.8)	3,46,853 (49.0)	3,70,225 (50.1)	5.0	6.7
7) अन्य आस्तियां	32,939 (10.2)	32,568 (9.6)	33,741 (8.7)	33,218 (8.3)	66,679 (9.4)	65,786 (8.9)	0.1	-1.3

टिप्पणियाँ 1. वर्ष 2025 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

चार्ट V.5: आस्ति में वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

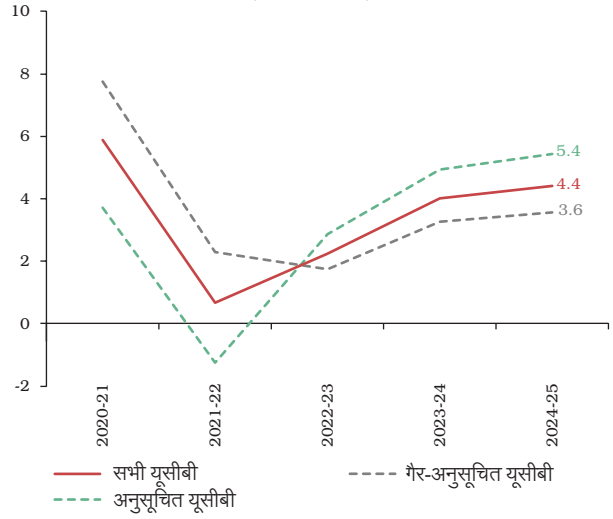

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

चार्ट V.7: यूसीबी के ऋण-जमा अनुपात

(मार्च के अंत में, प्रतिशत)

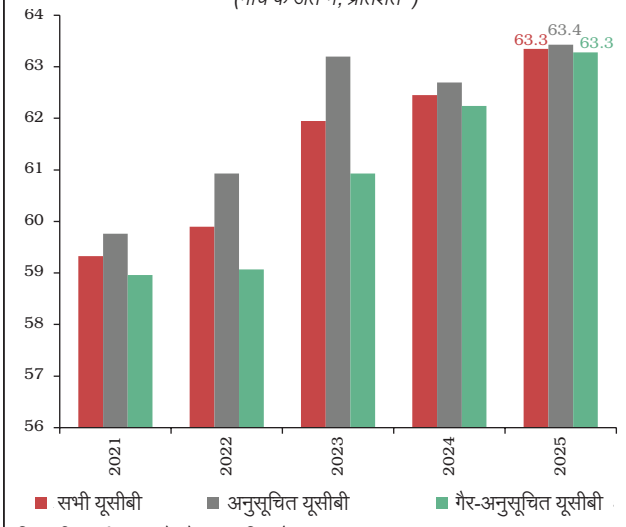

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

में, गैर-अनुसूचित यूसीबी (3.6 प्रतिशत) की तुलना में अनुसूचित यूसीबी (5.4 प्रतिशत) के लिए वृद्धि अधिक रही (चार्ट V.5)।

V.10. यूसीबी की जमा वृद्धि वर्ष 2024-25 के दौरान 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट V.6ए)। यूसीबी की ऋण वृद्धि भी बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई, जो पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक है, और अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों प्रकार के यूसीबी में सुधार देखा गया (चार्ट V.6बी)। सितंबर 2025 के अंत में, यूसीबी की जमा वृद्धि और ऋण वृद्धि क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत थी।

V.11. जमा वृद्धि के सापेक्ष उच्च ऋण वृद्धि के कारण, यूसीबी का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात मार्च 2025 के अंत में 63.3 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2024 के अंत में 62.4 प्रतिशत था (चार्ट V.7)।

चार्ट V.6: जमा और अग्रिम

ए. जमा वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

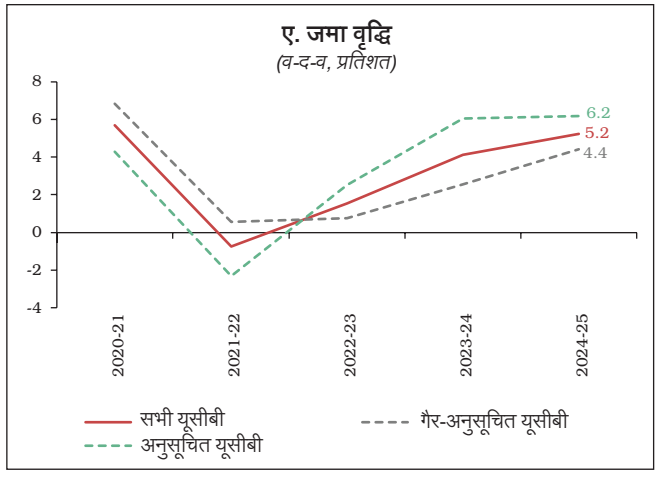

बी. ऋण वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

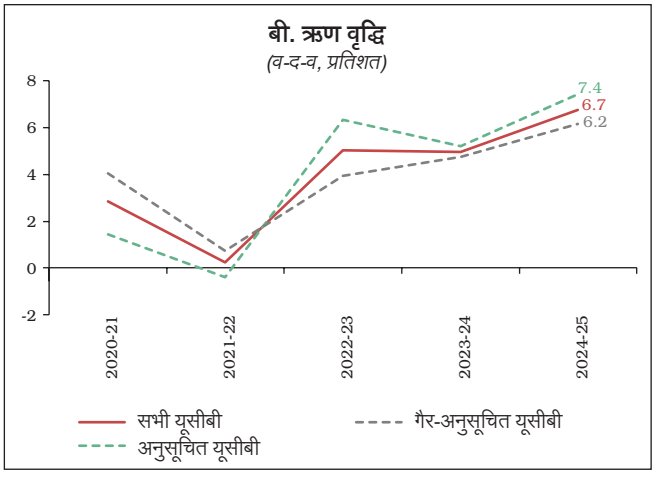

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

V.12. यूसीबी मुख्य रूप से फंडिंग के लिए जमा पर निर्भर करते हैं, जो मार्च 2025 के अंत में उधार के साथ कुल देयताओं का केवल 0.8 प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 के दौरान, यूसीबी की निवेश वृद्धि लगातार चौथे वर्ष कम रही और ऋणात्मक हो गई, जो आंशिक रूप से निवेश से ऋण और अग्रिम में धन को पुनः आवंटित करने की उनकी कार्यनीति को दर्शाती है (चार्ट V.8)।

V.13. पिछले एक दशक में, औसतन, एसएलआर निवेश यूसीबी के कुल निवेश का लगभग 89 प्रतिशत था। हालांकि, एसएलआर निवेश की संरचना राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की ओर बढ़ रही है, मार्च 2015 के अंत में उनकी हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 36.8 प्रतिशत हो गई है (सारणी V.3 और चार्ट V.9)।

V.14. मार्च 2025 के अंत में, 46.3 प्रतिशत यूसीबी के पास ₹50 करोड़ से कम अग्रिम थे, जबकि सबसे बड़े 57 यूसीबी के पास यूसीबी के कुल अग्रिमों का 53.9 प्रतिशत था। आस्तियों के संदर्भ में, 23.9 प्रतिशत यूसीबी की आस्तियों का आकार ₹50 करोड़ से कम था, जबकि ₹1000 करोड़ से अधिक की आस्तियों वाले यूसीबी की कुल आस्तियों का 65.5 प्रतिशत हिस्सा थे (सारणी V.4)। जमा राशि के मामले में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला, जिसमें जमा राशि का संकेंद्रण बड़े आकार के बैंकों में जारी रहा। बड़े यूसीबी की बढ़ती हिस्सेदारी इस क्षेत्र में चल रहे समेकन और विस्तार को दर्शाती है।

सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		घट-बढ़ (प्रतिशत में)	
	2024	2025	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
कुल निवेश (ए + बी)	1,93,644 (100.0)	1,93,471 (100.0)	1.6	-0.1
ए. एसएलआर निवेश (i+ii+iii)	1,74,332 (90.0)	1,72,799 (89.3)	1.5	-0.9
(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	1,06,270 (54.9)	99,916 (51.6)	-0.4	-6.0
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	67,673 (34.9)	71,213 (36.8)	4.6	5.2
(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	389 (0.2)	1,670 (0.9)	27.9	329.5
बी. गैर-एसएलआर निवेश	19,312 (10.0)	20,672 (10.7)	1.9	7.0

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2025 के लिए डेटा अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल निवेश (प्रतिशत में) का अनुपात हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

चार्ट V.8 : निवेश वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

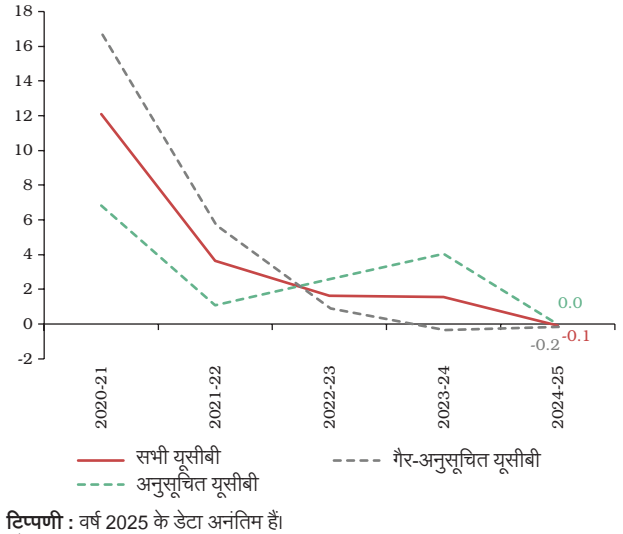

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

चार्ट V.9: यूसीबी के निवेश का संघटन

(मार्च के अंत में, प्रतिशत में शेयर)

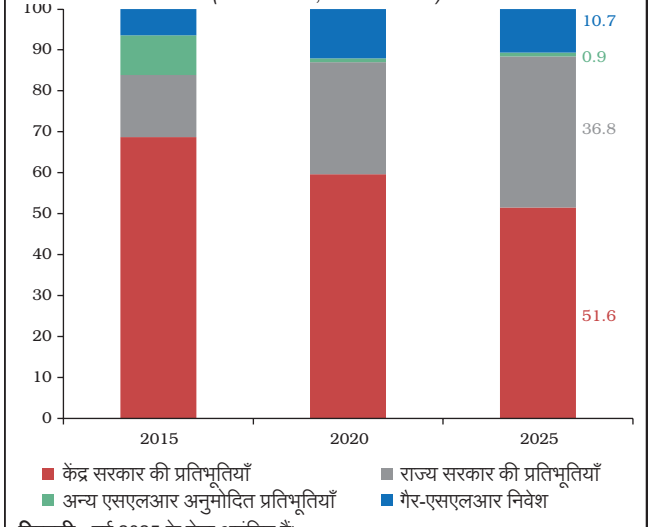

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

सारणी V.4: जमा, अग्रिमों और आस्तियों के आकार के आधार पर यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2025 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जमा		अग्रिम		आस्ति	
	यूसीबी की संख्या	राशि	यूसीबी की संख्या	राशि	यूसीबी की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
0 ≤ X < 10	76	426	161	894	43	250
10 ≤ X < 25	158	2,772	240	4,024	107	1,901
25 ≤ X < 50	236	8,741	273	9,777	198	7,201
50 ≤ X < 100	289	20,811	253	17,978	297	21,542
100 ≤ X < 250	320	52,010	267	41,517	360	58,874
250 ≤ X < 500	167	59,779	137	48,504	193	68,858
500 ≤ X < 1000	109	74,624	69	48,066	136	96,262
1000 ≤ X	102	3,65,252	57	1,99,464	123	4,83,841
कुल	**1,457**	**5,84,415**	**1,457**	**3,70,225**	**1,457**	**7,38,729**

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. 'X' जमा, अग्रिम और आस्तियों की मात्रा को इंगित करता है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

3.2. वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता

V.15. हालांकि घटकों में भिन्नता के साथ वर्ष 2024-25 के दौरान यूसीबी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ। गैर-अनुसूचित यूसीबी के परिचालन लाभ में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो गैर-ब्याज आय में तेज वृद्धि से प्रेरित है।[5] इसके विपरीत, अनुसूचित यूसीबी के परिचालन लाभ में 5.5 प्रतिशत की कमी आई, जो कुल आय के सापेक्ष कुल व्यय में तेजी से वृद्धि को दर्शाता है (सारणी V.5 और परिशिष्ट सारणी V.1)।

V.16. कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 में कर पश्चात यूसीबी का निवल लाभ 14.2 प्रतिशत बढ़ा, जो वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई 52 प्रतिशत की वृद्धि के शीर्ष पर है, जो बेहतर आस्ति गुणवत्ता के कारण कम प्रावधानीकरण दबाव के कारण भी है। लाभप्रदता में सुधार आस्तियों पर उच्च प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में भी स्पष्ट था। तथापि, ब्याज आय की तुलना में ब्याज व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण यूसीबी का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम हो गया है (सारणी V.6)। यूसीबी में, गैर-अनुसूचित यूसीबी के एनआईएम और आरओए अनुसूचित यूसीबी से अधिक थे (सारणी V.10ए

सारणी V.5: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी (व-द-व वृद्धि प्रतिशत में)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. कुल आय [i+ii]	**24,161 (100.0)**	**26,059 (100.0)**	**31,036 (100.0)**	**33,293 (100.0)**	**55,198 (100.0)**	**59,352 (100.0)**	**5.4**	**7.5**
i. ब्याज आय	21,476 (88.9)	23,065 (88.5)	29,223 (94.2)	30,296 (91.0)	50,698 (91.8)	53,361 (89.9)	6.5	5.3
ii. गैर-ब्याज आय	2,686 (11.1)	2,993 (11.5)	1,814 (5.8)	2,997 (9.0)	4,499 (8.2)	5,990 (10.1)	-5.9	33.1
बी. कुल व्यय [i+ii]	**19,785 (100.0)**	**21,925 (100.0)**	**25,985 (100.0)**	**27,819 (100.0)**	**45,771 (100.0)**	**49,745 (100.0)**	**7.9**	**8.7**
i. ब्याज व्यय	12,838 (64.9)	14,542 (66.3)	17,444 (67.1)	18,850 (67.8)	30,282 (66.2)	33,392 (67.1)	10.2	10.3
ii. गैर-ब्याज व्यय	6,947 (35.1)	7,383 (33.7)	8,541 (32.9)	8,969 (32.2)	15,488 (33.8)	16,352 (32.9)	3.7	5.6
जिनमें से: स्टाफ व्यय	2,999	3,288	4,367	4,785	7,365	8,073	2.1	9.6
सी. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	4,376	4,133	5,051	5,474	9,427	9,607	-5.4	1.9
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	1,214	1,154	1,912	1,568	3,127	2,722	-43.9	-12.9
iii. करों के लिए प्रावधान	752	737	868	803	1,620	1,540	22.8	-4.9
iv. करों से पहले निवल लाभ की राशि	3,162	2,980	3,139	3,905	6,300	6,885	43.2	9.3
v. करों के बाद निवल लाभ की राशि	2,410	2,243	2,270	3,102	4,680	5,345	52.0	14.2

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2024-25 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल आय/व्यय (प्रतिशत में) का अनुपात हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

[5] गैर-ब्याज आय में वृद्धि विविध आय में वृद्धि, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ और प्रतिभूतियों के व्यापार और बिक्री पर लाभ से प्रेरित है।

सारणी V.6 : यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक

(प्रतिशत)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.77	0.68	0.63	0.79	0.70	0.74
इक्विटि पर प्रतिलाभ	8.54	7.37	6.18	7.40	7.18	7.39
निवल ब्याज मार्जिन	3.60	3.38	4.08	3.83	3.86	3.62

टिप्पणी: वर्ष 2024-25 के लिए डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

सारणी V.7: सीआरएआर-वार यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2025 के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर-अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	1	28	29
3 <= सीआरएआर < 6	2	8	10
6 <= सीआरएआर < 9	0	10	10
9 <= सीआरएआर < 12	0	66	66
12 <= सीआरएआर	46	1,296	1,342
कुल	**49**	**1,408**	**1,457**

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

और बी)। वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान, यूसीबी का आरओए और आरओई क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत रहा।

3.3. दंड और डीआईसीजीसी दावे

V.17. वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी बैंकों (यूसीबी सहित) पर जुर्माना लगाने के मामलों की संख्या 22.8 प्रतिशत बढ़कर 264 हो गई। लगाए गए जुर्माने की कुल राशि भी वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर ₹15.6 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष में ₹12.1 करोड़ थी (अध्याय IV में सारणी IV.15) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹476 करोड़ के दावों का निपटान किया, जो पूरी तरह से रिज़र्व बैंक के परिसमापन/सर्व-समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए सहकारी बैंकों से संबंधित था।

3.4. पूंजी पर्याप्तता

V.18. 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क के अनुसार, टियर 1 यूसीबी के लिए 9 प्रतिशत और टियर 2 से 4 यूसीबी के लिए 12 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) को निरंतर आधार पर बनाए रखा जाना है। मार्च 2025 के अंत में, 92.1 प्रतिशत यूसीबी ने सीआरएआर को 12 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा (सारणी V.7 और परिशिष्ट सारणी V.2)।

चार्ट V.10: लाभप्रदता संकेतक

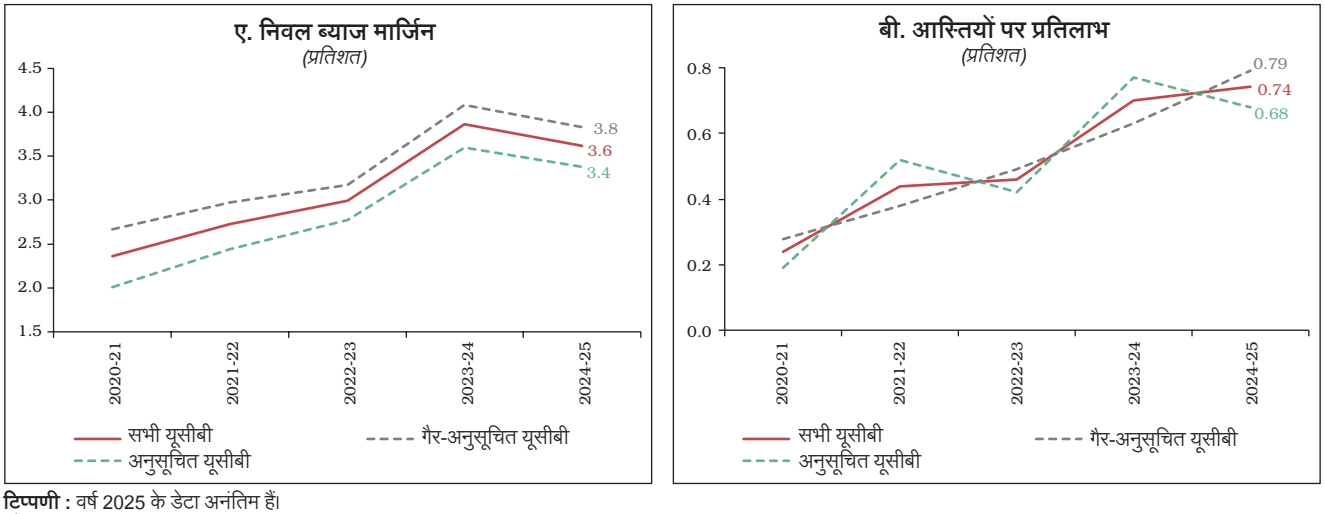

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

सारणी V.8: यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि स्करोड़ में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1. पूंजीगत निधि	**25,966**	**28,320**	**32,560**	**36,782**	**58,526**	**65,101**
i) टियर 1 पूंजी	20,128	21,960	28,423	32,401	48,550	54,362
ii) टियर 2 पूंजी	5,838	6,359	4,138	4,380	9,976	10,740
2. जोखिम-भारित आस्तियां	**1,57,720**	**1,69,923**	**1,78,224**	**1,91,098**	**3,35,944**	**3,61,022**
3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	**16.5**	**16.7**	**18.3**	**19.2**	**17.4**	**18.0**
जिनमें से:						
टियर 1	12.8	12.9	15.9	17.0	14.5	15.1
टियर 2	3.7	3.7	2.3	2.3	3.0	3.0

टिप्पणियाँ : 1. मार्च अंत 2025 का डेटा अनंतिम है।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

V.19. वर्ष 2024-25 के दौरान, यूसीबी अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे, मुख्य रूप से टियर 1 पूंजी अनुपात में सुधार के कारण सीआरएआर एक वर्ष पहले के 17.4 प्रतिशत से बढ़कर 18.0 प्रतिशत हो गया (सारणी V.8 और चार्ट V.11ए)। यूसीबी में गैर-अनुसूचित यूसीबी ने अनुसूचित यूसीबी की तुलना में उच्च सीआरएआर बनाए रखा (चार्ट V.11बी)। सितंबर 2025 के अंत में सीआरएआर 18.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

3.5. आस्ति गुणवत्ता

V.20. सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात द्वारा मापी जाने वाली यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार चौथे वर्ष सुधार हुआ, जिसमें मार्च 2025 के अंत में जीएनपीए अनुपात 6.2 प्रतिशत था, जो मार्च 2021 के अंत में 12.1 प्रतिशत के शिखर से नीचे था (चार्ट V.12)। सितंबर 2025 के अंत में, यूसीबी का जीएनपीए अनुपात एक वर्ष पहले 9.3 प्रतिशत की तुलना में 7.6 प्रतिशत रहा।

V.21. अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी में जीएनपीए अनुपात में कमी के साथ आस्ति गुणवत्ता में सुधार व्यापक आधार पर हुआ है। जीएनपीए में गिरावट के साथ, यूसीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 90.1 प्रतिशत हो गया। यह सुधार आंशिक रूप से मानक अग्रिमों के लिए

चार्ट V.11: पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात
(मार्च के अंत में)

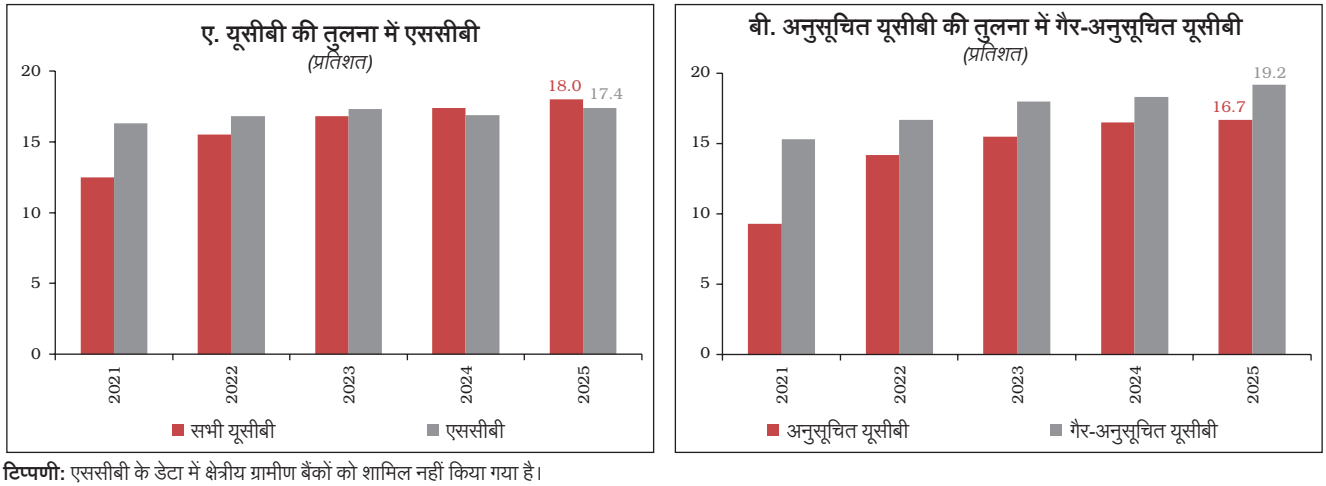

टिप्पणी: एससीबी के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई; और संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट V.12: प्रावधानीकरण और आस्ति गुणवत्ता

(मार्च के अंत में, प्रतिशत, बायां मान; मार्च के अंत में, प्रतिशत, दायां मान)

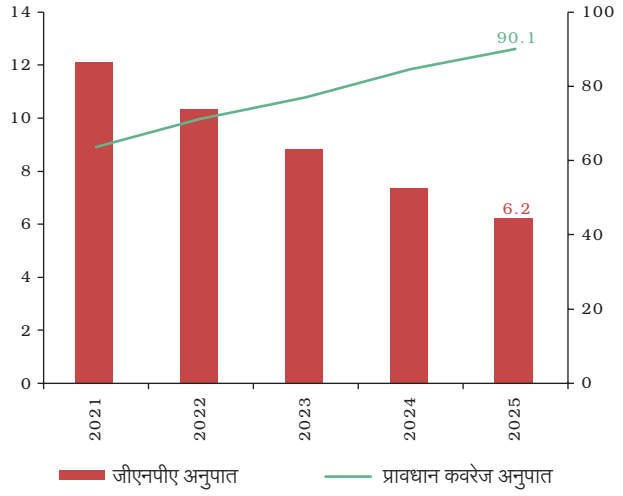

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

यूसीबी के प्रावधान मानदंडों के सामंजस्य के कारण था।[6] यूसीबी का निवल एनपीए अनुपात मार्च 2025 के अंत में गिरकर 0.7 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 1.2 प्रतिशत था (सारणी V.9)।

V.22. ₹5 करोड़ या उससे अधिक के ऋण वाले खातों के रूप में परिभाषित बड़े उधार खातों में यूसीबी का ऋण वर्ष 2024-25 के दौरान कम हुआ। मार्च 2025 के अंत तक यूसीबी के कुल ऋण में इसका हिस्सा घटकर 23.4 प्रतिशत रह गया, हालांकि अनुसूचित यूसीबी का अनुपात (40.9 प्रतिशत) गैर-अनुसूचित यूसीबी (8.2 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। बड़े उधार खातों का यूसीबी के कुल जीएनपीए में लगभग एक तिहाई योगदान रहा, जिसमें अनुसूचित यूसीबी (64.8 प्रतिशत) और गैर-अनुसूचित यूसीबी (16.6 प्रतिशत) के बीच व्यापक अंतर देखा गया। पूरे क्षेत्र के लिए, विशेष उल्लेख खाते-1 (एसएमए-1) में वर्ष के दौरान गिरावट आई, जबकि एसएमए-0 खातों में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से अनुसूचित यूसीबी द्वारा संचालित था (चार्ट V.13)।

सारणी V.9: यूसीबी की अनर्जक आस्तियां
(मार्च 2025 के अंत में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
सकल एनपीए (₹ करोड़)	8,422	8,015	16,973	15,057	25,395	23,072
सकल एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	5.3	4.7	9.1	7.6	7.3	6.2
निवल एनपीए (₹ करोड़)	1,960	1,561	1,954	711	3,914	2,273
निवल एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	1.3	0.9	1.1	0.4	1.2	0.7
प्रावधानीकरण (₹ करोड़)	6,462	6,454	15,019	14,346	21,481	20,800
प्रावधान कवरेज अनुपात (प्रतिशत)	76.7	80.5	88.5	95.3	84.6	90.1

टिप्पणी : वर्ष 2025 का डेटा अनंतिम है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

3.6. *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण*

V.23. मार्च 2025 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को संशोधित किया, जो कि निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 60 प्रतिशत या तुलनपत्र बाह्य एक्स्पोज़र के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई) की ऋण-समतुल्य राशि जो भी

चार्ट V.13: बड़े उधार खातों में दबाव

(मार्च के अंत में, वित्त पोषित राशि का प्रतिशत)

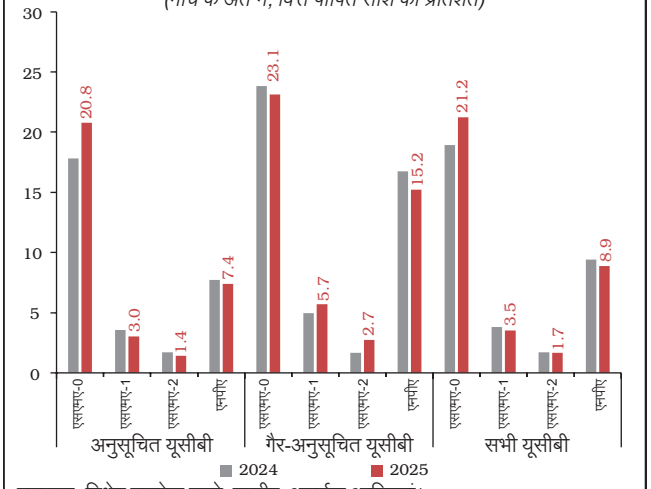

एसएमए: विशेष उल्लेख खाते; एनपीए: अनर्जक आस्तियां।
टिप्पणी: बड़े उधार खातों को 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले खातों के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

[6] पूर्ववर्ती टियर 1 यूसीबी, जो 'उपरोक्त में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों' पर 0.25 प्रतिशत का मानक आस्ति प्रावधान बनाए रख रहे थे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रावधान की आवश्यकता को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक 0.30 प्रतिशत; 30 सितंबर 2024 तक 0.35 प्रतिशत; और 31 मार्च 2025 तक 0.40 प्रतिशत तक पहुंचने की आवश्यकता थी।

चार्ट V.14: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार-लक्ष्य और उपलब्धियां

(प्रतिशत)

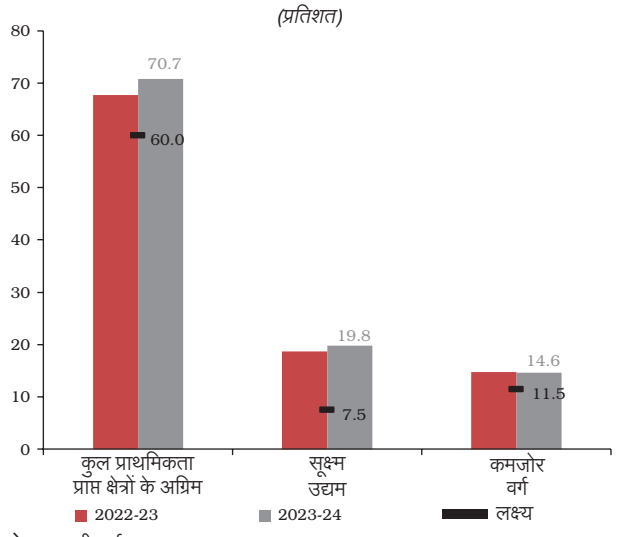

स्रोत: आरबीआई।

अधिक हो, इसे वर्ष 2024-25 से प्रभावी किया जाएगा।[7] वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी ने 60 प्रतिशत के समग्र पीएसएल लक्ष्य के साथ-साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5 प्रतिशत और कमजोर वर्गों के लिए 11.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को प्राप्त किया (चार्ट V.14)।

V.24. मार्च 2025 के अंत में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पास यूसीबी के कुल अग्रिमों में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी, हालांकि यह छोटे उद्यमों के कारण घटकर 36.5 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण का हिस्सा बढ़ गया, जो छोटे उधारकर्ताओं के लिए बेहतर ऋण प्रवाह का संकेत देता है। 'अन्य' श्रेणी में प्राथमिकता ऋण में गिरावट आई, जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान कुल अग्रिमों में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की हिस्सेदारी में कमी आई (सारणी V.10)।

सारणी V.10: यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की संरचना

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024		2025	
	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1	2	3	4	5
1. कृषि [(i)+(ii)+(iii)]	16,344	4.7	17,032	4.6
(i) फार्म ऋण	12,343	3.6	13,203	3.6
(ii) कृषि अवसंरचना	1,224	0.4	1,028	0.3
(iii) सहायक गतिविधियाँ	2,777	0.8	2,801	0.8
2. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम [(i) + (ii) + (iii) + (iv)]	1,29,130	37.2	1,35,228	36.5
(i) सूक्ष्म उद्यम	56,340	16.2	62,609	16.9
(ii) लघु उद्यम	48,653	14.0	47,791	12.9
(iii) मध्यम उद्यम	23,554	6.8	24,407	6.6
(iv) खादी और ग्रामोद्योग के लिए अग्रिम ('एमएसएमई के लिए अन्य वित्त' सहित)	583	0.2	422	0.1
3. निर्यात ऋण	723	0.2	101	0.0
4. शिक्षा	3,226	0.9	3,526	1.0
5. आवास	29,269	8.4	30,688	8.3
6. सामाजिक अवसंरचना	1,038	0.3	977	0.3
7. नवीकरणीय ऊर्जा	1,419	0.4	1,546	0.4
8. अन्य	25,288	7.3	17,091	4.6
9. कुल (1 to 8)	**2,06,438**	**59.5**	**2,06,189**	**55.7**
जिनमें से, कमजोर वर्गों को ऋण	42,771	12.3	44,227	11.9

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2025 के लिए डेटा अनंतिम हैं।
2. प्रतिशत यूसीबी के कुल ऋण के संबंध में हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

4. ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.25. ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां (आरसीसी) जमीनी स्तर पर अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कृषि ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए सस्ते और समय पर ऋण प्रदान करती हैं, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास का समर्थन करती हैं। हालांकि, प्रौद्योगिकी, शाखा विस्तार और व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती पहुंच के कारण, कुल कृषि ऋण में आरसीसी का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में कम हो गया है (सारणी V.11)।

V.26. ग्रामीण ऋण सहकारी संरचना में, मार्च 2025 के अंत में, 2,146 शाखाओं के साथ 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और 13,825 शाखाओं के माध्यम से 351 जिला सहकारी

[7] 8 जून 2023 के पहले के परिपत्र (जो अब 24 मार्च 2025 के परिपत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) के तहत यूसीबी को वर्ष 2023-24 में 60 प्रतिशत और 2024-25 में 65 प्रतिशत के अंतरिम लक्ष्य के साथ 2025-26 तक एएनबीसी या सीईओबीएसई के 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का समग्र लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

सारणी V.11: कृषि के लिए ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

मद	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4
2021-22	13.1	11.0	75.9
2022-23	11.0	11.2	77.8
2023-24	9.5	11.1	79.4
2024-25	9.0	10.8	80.2

टिप्पणि: वाणिज्यिक बैंकों के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: नाबार्ड (ईएनएसयूआरई पोर्टल)।

केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) संचालित थे। मार्च 2024 के अंत में, अल्पावधिक सहकारी समितियों में, 1,07,641 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के नेटवर्क ने 6.5 लाख से अधिक गांवों को कवर किया (सारणी V.12)। ये अल्पावधिक संस्थान मुख्य रूप से फसल ऋण प्रदान करते हैं और किसानों और ग्रामीण कारीगरों को कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान करते हैं। मार्च 2024 के अंत में, दीर्घावधिक सहकारी संरचना में 695 शाखाओं के साथ 13 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और 609 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल थे। ये दीर्घावधिक संस्थान कृषि में पूंजी-गहन जरूरतों को पूरा करते हैं, जिसमें भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग और आवास शामिल हैं।

V.27. आरसीसी अपनी तुलन पत्र संरचना के मामले में यूसीबी से संरचनात्मक रूप से अलग हैं। जबकि यूसीबी मुख्य रूप से धन जुटाने के लिए जमा पर निर्भर करते हैं, आरसीसी उधार पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। मार्च 2024

सारणी V.12 : ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की प्रोफाइल

(मार्च 2024 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अल्पावधिक			दीर्घावधिक		ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी(पी)	पीसीएआरडीबी (पी)	मार्च-23	मार्च-24
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. सहकारी समितियों की संख्या	**34**	**351**	**1,07,641**	**13**	**609**	**1,07,961**	**1,08,648**
बी. तुलन-पत्र संकेतक							
i. स्वामित्व वाली निधि (पूंजी + आरक्षित निधि)	33,392	60,362	59,478	6,743	5,658	1,46,171	1,65,633
ii. जमाराशियां	2,56,819	4,76,610	2,03,532	2,679	1,804	8,77,263	9,41,444
iii. उधार	1,73,116	1,61,728	2,27,931	12,517	16,840	5,32,778	5,92,132
iv. ऋण और अग्रिम	2,94,577	4,13,161	2,12,601	21,048	15,922	8,73,466	9,57,310
v. कुल देयताएं/आस्तियां	4,88,266	7,65,577	4,29,103 ^	28,851	33,324	16,18,761	17,45,121
सी. वित्तीय कार्य-निष्पादन							
i. लाभ में समितियां							
ए. संख्या	32	312	49,238	9	345	48,492	49,936
बी. लाभ की राशि	2,727	3,297	2,609	288	220	8,512	9,142
ii. हानि में समितियां							
ए. संख्या	2	39	37,662	4	263	37,660	37,970
बी. हानि की राशि	35	1,403	3,524	563	421	4,989	5,947
iii. कुल लाभ (+)/हानि (-)	2,691	1,894	-915	-275	-201	3,523	3,195
डी. अनर्जक आस्तियां							
i. राशि	14,537	36,958	53,149 ^ ^	8,070	6,144	1,08,002	1,18,857
ii. बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में	4.9	8.9	26.2	38.3	38.6	12.4	12.4
ई. मांग और ऋण वसूली अनुपात* (प्रतिशत)	92.4	76.8	77.6	40.8	43.1	-	-

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
पी: डेटा अनंतिम हैं।
^: कार्यशील पूंजी।
^^: कुल अतिदेय।
*: यह अनुपात जून 2023 के अंत में वसूले गए बकाया एनपीए के हिस्से को दर्शाता है।
-: उपलब्ध नहीं।
टिप्पणियाँ: 1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डेटा 609 पीसीएआरडीबी में से 608 से संबंधित हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता।
स्रोत: नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

के अंत में, आरसीसी के लिए 53.9 प्रतिशत की तुलना में जमा राशि यूसीबी की कुल देयताओं का 78.5 प्रतिशत था। इसके विपरीत, आरसीसी के लिए उधार का हिस्सा 33.9 प्रतिशत था, जबकि यूसीबी के मामले में यह 0.8 प्रतिशत था।

V.28. यूसीबी की तुलना में आरसीसी में ऋण, जमा और उधार की तेजी से वृद्धि के कारण, सहकारी समितियों (शहरी और ग्रामीण संयुक्त) की कुल आस्तियों/देयताओं में आरसीसी की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में बढ़कर 71.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट V.15)।

V.29. ग्रामीण सहकारी समितियों में, अल्पावधिक ऋण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी, जो मार्च 2024 के अंत में 96.4 प्रतिशत तक पहुंच गई (चार्ट V.16ए)। अल्पावधिक और दीर्घावधिक ऋण सहकारी समितियां अपनी तुलन पत्र संरचना और सुदृढ़ता संकेतकों के संदर्भ में भिन्न होती हैं। जबकि अल्पावधिक ऋण सहकारी समितियां मुख्य रूप से जमा पर निर्भर करती हैं, दीर्घावधिक सहकारी समितियां उधार और स्वामित्व वाले धन पर अधिक निर्भर करती हैं। दीर्घावधिक सहकारी समितियों की आस्ति गुणवत्ता अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है, उनके अल्पावधिक समकक्षों की तुलना में उच्च एनपीए अनुपात है (चार्ट V.16बी)।

चार्ट V.15: सहकारी क्षेत्रों की कुल आस्तियों में ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

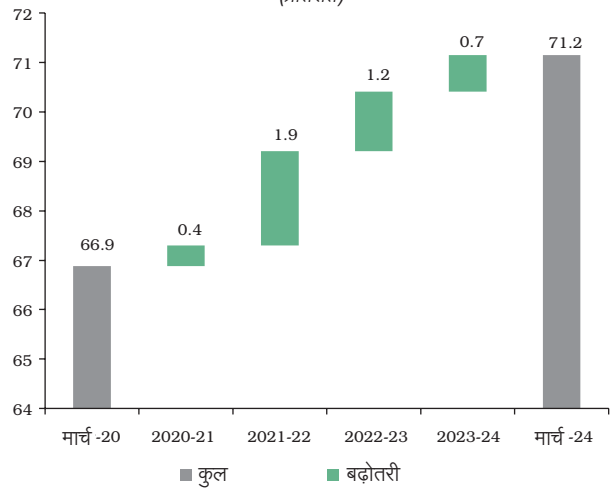

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।
स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

आरसीसी को यूसीबी की तुलना में ऋण पोर्टफोलियो की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

V.30. आरसीसी लाभदायक रहे, हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान निवल लाभ में कुछ कमी आई, जो पीएसीएस और दीर्घावधिक ऋण सहकारी समितियों में हानि के कारण हुआ। कुल आरसीसी के प्रतिशत के रूप में लाभ में रहने वाले आरसीसी की संख्या मार्च 2024 के अंत में बढ़कर 46.0

चार्ट V.16: अल्पावधिक की तुलना में दीर्घावधिक आरसीसी

ए. आरसीसी की कुल आस्तियों में शेयर

(मार्च अंत में, प्रतिशत)

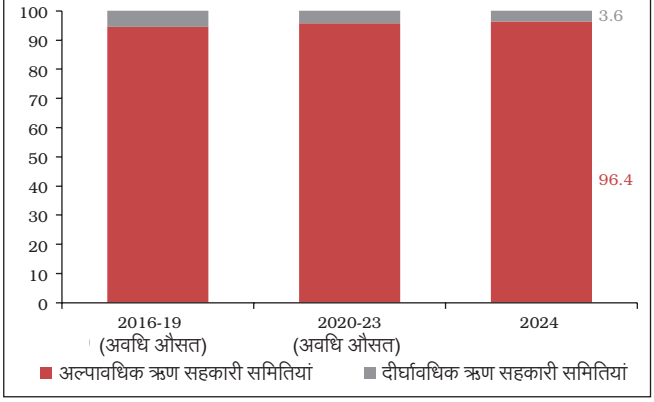

बी. तुलन पत्र और सुदृढ़ता संकेतक

(मार्च अंत 2024, प्रतिशत)

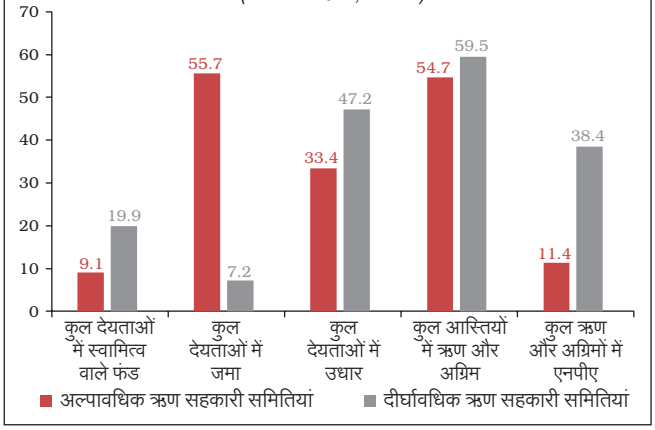

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 44.9 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान आरसीसी की आस्ति गुणवत्ता स्थिर रही, क्योंकि एसटीसीबी, डीसीसीबी, पीसीएआरडीबी में सुधार पीएसीएस और एससीएआरडीबी में गिरावट से संतुलित हो गया।

V.31. अप्रैल 2025 में, रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक साझा सेवा इकाई (एसएसई) की स्थापना के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान किया। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से नाबार्ड, सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) नामक एक एसएसई की स्थापना कर रहा है, जो ग्रामीण सहकारी बैंकों को केंद्रीकृत तकनीकी, परिचालन और सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना, लागत कम करना और उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाना है। इसके अलावा, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, 1 नवंबर 2025 से एसटीसीबी और डीसीसीबी को शामिल करने के लिए रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना का विस्तार किया गया है।

4.1. अल्पावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.32. अल्पावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां - जिनमें शीर्ष स्तर पर एसटीसीबी, जिला स्तर पर डीसीसीबी और आधार स्तर पर पीएसीएस शामिल हैं - कृषि क्षेत्र की अल्पावधिक और मौसमी ऋण जरूरतों और डेयरी और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। समय के साथ, गैर-कृषि गतिविधि और सूक्ष्म वित्त को शामिल करने के लिए उनके परिचालन का विस्तार हो रहा है। अल्पावधिक सहकारी संरचना दो, तीन या मिश्रित-स्तरीय प्रारूपों में संचालित होती है। दो-स्तरीय प्रणालियां बड़े पैमाने पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रचलित हैं, जहां एसटीसीबी अपनी शाखाओं और पीएसीएस के माध्यम से सीधे ऋण देते हैं, जबकि त्रि-स्तरीय प्रणाली में, एसटीसीबी जिला स्तर पर काम करने वाले डीसीसीबी के लिए शीर्ष बैंकों के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित स्तरीय संरचना वाले राज्यों में, एसटीसीबी कुछ जिलों में सीधे और अन्य में डीसीसीबी के माध्यम से कार्य करते हैं।

4.1.1. राज्य सहकारी बैंक

V.33. अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना के शीर्ष स्तर पर स्थित एसटीसीबी डीसीसीबी और पीएसीएस के लिए संसाधनों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सहकारी ऋण प्रणाली के निम्न स्तरों को पुनर्वित्त, चलनिधि सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे अल्पावधिक कृषि ऋण के प्रवाह की सुविधा मिलती है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.34. वर्ष 2024-25 के दौरान, एसटीसीबी के तुलन-पत्र में एक वर्ष पहले के 8.1 प्रतिशत की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देयताओं के पक्ष पर, जमा वृद्धि पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई (सारणी V.13)।

सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएँ और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत भिन्नता	
	2024	2025[पी]	2023-24	2024-25[पी]
1	2	3	4	5
1. पूंजी	10,531 (2.2)	10,992 (2.1)	7.7	4.4
2. आरक्षित निधि	22,861 (4.7)	26,220 (5.0)	11.3	14.7
3. जमा	2,56,819 (52.6)	2,74,183 (52.2)	6.0	6.8
4. उधार	1,73,116 (35.5)	1,89,549 (36.1)	11.7	9.5
5. अन्य देयताएँ	24,940	24,781 (4.7)	2.9	-0.6
कुल देयताएँ/आस्तियां	**4,88,266 (100.0)**	**5,25,725 (100.0)**	**8.1**	**7.7**
1. नकद और बैंक शेष	22,661 (4.6)	22,764 (4.3)	6.7	0.5
2. निवेश	1,55,826 (31.9)	1,68,690 (32.1)	4.8	8.3
3. ऋण और अग्रिम	2,94,577 (60.3)	3,20,004 (60.9)	10.9	8.6
4. संचित हानि	1,146 (0.2)	1,185 (0.2)	-15.0	3.4
5. अन्य आस्तियां	14,057	13,081 (2.5)	-6.3	-6.9

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों (प्रतिशत में) का अनुपात हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

कुल जमाओं में चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमा की हिस्सेदारी घटकर 17.4 प्रतिशत रह गई (एक वर्ष पहले 18.6 प्रतिशत), जो उनके सीमित शाखा नेटवर्क को दर्शाती है। इसके विपरीत, नाबार्ड से उधार लेने के कारण उधार का हिस्सा एक वर्ष पहले के 35.5 प्रतिशत से बढ़कर 36.1 प्रतिशत हो गया।

V.35. आस्तियों के पक्ष पर, ऋण और अग्रिम में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले इसी महीने में 10.9 प्रतिशत थी। कृषि ऋण कुल ऋण और अग्रिमों का 43.4 प्रतिशत था, जिसमें से 77.7 प्रतिशत फसल ऋण/अल्पावधिक ऋण थे। ऋण वृद्धि जमा वृद्धि को पार करने के साथ, एसटीसीबी का ऋण-जमा अनुपात मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 116.7 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 114.7 प्रतिशत था। अन्य बैंकों के साथ मियादी जमा के रूप में रखे गए निवेश में उच्च वृद्धि के कारण, कुल निवेश में एसएलआर निवेश की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में घटकर 45.8 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 51.2 प्रतिशत थी।

V.36. मार्च 2025 के अंत में, 34 एसटीसीबी में से 24 अनुसूचित बैंक थे। जमा और ऋण दोनों के संदर्भ में अनुसूचित एसटीसीबी की व्यावसायिक वृद्धि वर्ष 2024-25 के दौरान कम हो गई (सारणी V.14)।

सारणी V.14: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन पत्र संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024	2025
1	2	3
जमाराशियां	2,15,540	2,19,976
	(5.4)	(2.1)
ऋण	2,78,147	2,97,426
	(8.8)	(6.9)
एसएलआर निवेश	77,525	79,410
	(3.8)	(2.4)
क्रेडिट के साथ एसएलआर निवेश	3,55,671	3,76,836
	(7.6)	(6.0)

टिप्पणियाँ: 1. डेटा संबंधित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।
2. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर है।

स्रोत: आरबीआई अधिनियम की धारा 42 के तहत फॉर्म बी।

लाभप्रदता

V.37. वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रावधान में गिरावट के बावजूद, एसटीसीबी के निवल लाभ में गिरावट आई क्योंकि परिचालन व्यय में तेजी से वृद्धि हुई, और ब्याज व्यय में वृद्धि ब्याज आय में वृद्धि से अधिक हो गई (सारणी V.15)। व्यय किए गए ब्याज में वृद्धि आंशिक रूप से कम लागत वाली सीएएसए जमा राशि के हिस्से में गिरावट को दर्शाती है।

V.38. वर्ष 2024-25 के दौरान, 34 एसटीसीबी में से 32 ने लाभ की सूचना दी। उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में एसटीसीबी ने वर्ष के दौरान लाभप्रदता में सुधार की सूचना दी, जबकि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में एसटीसीबी के लाभ में कमी आई (चार्ट V.17 और परिशिष्ट सारणी V.3)।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

मद	राशि (₹ करोड़ में)		भिन्नता (प्रतिशत में)	
	2023-24	2024-25[P]	2023-24	2024-25[P]
1	2	3	4	5
ए. आय (i +ii)	**32,401**	**36,134**	**17.2**	**11.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	30,974	34,329	16.2	10.8
	(95.6)	(95.0)		
ii. अन्य आय	1,427	1,804	43.6	26.4
	(4.4)	(5.0)		
बी. व्यय (i+ii+iii)	**29,710**	**33,524**	**17.9**	**12.8**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. व्यय किए हुए ब्याज	23,793	27,158	24.9	14.1
	(80.1)	(81.0)		
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,979	1,810	3.0	-8.6
	(6.7)	(5.4)		
iii. परिचालन व्यय	3,938	4,557	-6.8	15.7
	(13.3)	(13.6)		
जिसमें से, मजदूरी विधेयक	2,077	2,178	0.8	4.9
	(7.0)	(6.5)		
सी. लाभ				
i. निवल ब्याज आय	7,181	7,171	-5.7	-0.1
ii. परिचालन लाभ	4,670	4,419	6.7	-5.4
iii. निवल लाभ	2,691	2,609	9.5	-3.0

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट V.17: राज्य सहकारी बैंक के लाभ का क्षेत्रवार वितरण

(राशि ₹ करोड़ में)

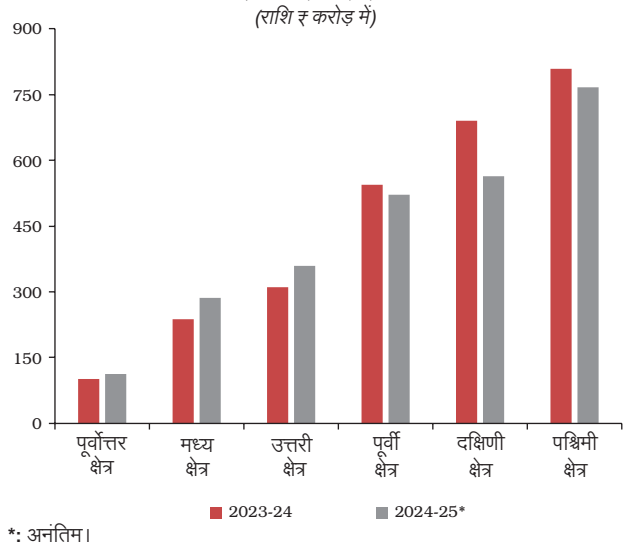

*: अनंतिम।
स्रोत: नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता

V.39. एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार चौथे वर्ष सुधार हुआ, जीएनपीए अनुपात मार्च 2021 के अंत में 6.7 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 4.8 प्रतिशत हो गया। कुल एनपीए में संदिग्ध आस्तियों का हिस्सा एक वर्ष पहले के 56.7 प्रतिशत से घटकर 50.5 प्रतिशत हो गया (सारणी V.16)। वर्ष के दौरान जीएनपीए में कमी और प्रावधान कवरेज अनुपात को दर्शाते हुए, निवल एनपीए अनुपात 2.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा। मध्य क्षेत्र को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों में जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.3)।

पूंजी पर्याप्तता

V.40. समेकित स्तर पर, एसटीसीबी अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे, सीआरएआर मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 12.9 प्रतिशत था (चार्ट V.18)। बैंक स्तर पर, केवल दो एसटीसीबी ने विनियामक न्यूनतम 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर की सूचना दी।

4.1.2. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक

V.41. डीसीसीबी त्रि-स्तरीय सहकारी बैंकिंग संरचना में दूसरे स्तर के रूप में कार्य करते हैं। वे सार्वजनिक जमा, एसटीसीबी से उधार और नाबार्ड से पुनर्वित्त के माध्यम से धन जुटाते हैं। डीसीसीबी के पास अपने बड़े शाखा नेटवर्क के कारण एसटीसीबी की तुलना में सीएएसए जमा तक बेहतर पहुंच है।

सारणी V.16: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2024	2025[पी]	2023-24	2024-25[पी]
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	14,537	15,407	1.7	6.0
i. अवमानक	4,974 (34.2)	5,980 (38.8)	7.9	20.2
ii. संदिग्ध	8,237 (56.7)	7,782 (50.5)	-0.7	-5.5
iii. हानि	1,326 (9.1)	1,645 (10.7)	-4.9	24.1
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	4.9	4.8		
सी. निवल एनपीए अनुपात (%)	2.0	2.0		
डी. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	68.5	64.1		
ई. मांग और वसूली अनुपात (%)	92.4	87.5		

पी: अनंतिम।
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए (प्रतिशत में) में शेयर हैं।
2. वसूली और मांग अनुपात जून 2024 और 2025 के अंत तक बकाया मांग राशि (देय राशि) के उस हिस्से को दर्शाता है जिसकी वसूली हो चुकी है।
स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट V.18: राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में, प्रतिशत)

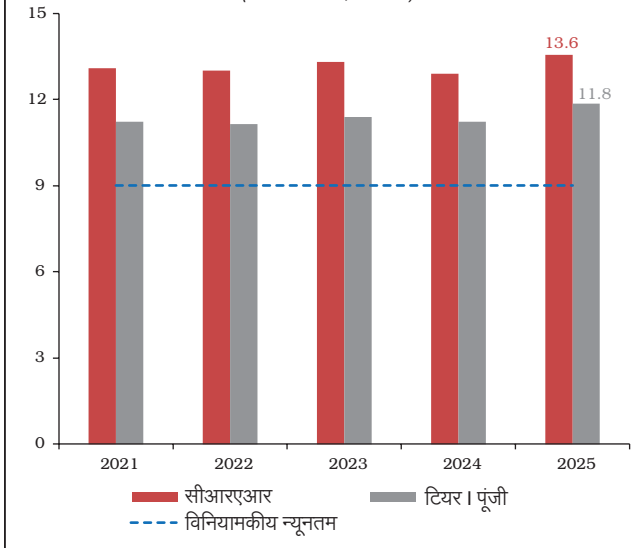

स्रोत: नाबार्ड।

उनकी कुल प्रगति और कृषि प्रगति पीएसीएस/समितियों की ओर झुकी हुई है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.42. वर्ष 2024-25 के दौरान, डीसीसीबी के तुलन-पत्र की वृद्धि मुख्य रूप से देयताओं के पक्ष में जमा वृद्धि और आस्तियों के पक्ष पर ऋण और अग्रिम में मंदी को दर्शाती है (सारणी V.17)। देयताओं के मामले में सीएएसए जमा की हिस्सेदारी कुल जमा का 40.5 प्रतिशत है। एसटीसीबी और नाबार्ड से ली गई उधारी डीसीसीबी की कुल उधारी का क्रमशः 89.3 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत है।

V.43. आस्तियों के मामले में, ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम रही, जबकि निवेश में वृद्धि हुई। बहरहाल, ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से अधिक होने के साथ, ऋण-जमा अनुपात मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 87.6 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 86.7 प्रतिशत था। कुल ऋण और अग्रिमों में कृषि ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष के 54.6 प्रतिशत थोड़ा सा घटकर 53.6 प्रतिशत हो गया। डीसीसीबी के निवेश को मुख्य रूप से अन्य बैंकों (57.0 प्रतिशत) के साथ मीयादी जमा के रूप में रखा गया, जबकि सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश कुल निवेश का 38.4 प्रतिशत रहा।

लाभप्रदता

V.44. वर्ष 2024-25 के दौरान, डीसीसीबी की निवल ब्याज आय में वृद्धि कम हो गई क्योंकि ब्याज आय की तुलना में ब्याज व्यय तेजी से बढ़ी। हालांकि, निवल लाभ में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बेहतर आस्ति गुणवत्ता और अन्य आय में वृद्धि के कारण कम प्रावधान आवश्यकताओं की वजह से है (सारणी V.18)।

सारणी V.17: जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत भिन्नता	
	2024	2025#	2023-24	2024-25#
1	2	3	4	5
1. पूंजी	28,661 (3.7)	30,940 (3.7)	8.2	8.0
2. आरक्षित निधियां	31,701 (4.1)	36,472 (4.4)	10.3	15.1
3. जमाराशियाँ	4,76,610 (62.3)	5,09,002 (61.5)	10.0	6.8
4. उधार	1,61,728 (21.1)	1,79,760 (21.7)	9.9	11.1
5. अन्य देयताएं	66,876 (8.7)	71,450 (8.6)	8.7	6.8
कुल देयताएं/आस्तियां	**7,65,577 (100.0)**	**8,27,625 (100.0)**	**9.8**	**8.1**
1. नकदी और बैंक शेष	38,705 (5.1)	40,904 (4.9)	14.6	5.7
2. निवेश	2,65,692 (34.7)	2,88,716 (34.9)	7.2	8.7
3. ऋण और अग्रिम	4,13,161 (54.0)	4,45,748 (53.9)	11.4	7.9
4. संचित हानि	9,405 (1.2)	10,576 (1.3)	12.5	12.5
5. अन्य आस्तियां	38,615 (5.0)	41,681 (5.0)	6.1	7.9

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.18: जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

मद	राशि (₹ करोड़ में)		प्रतिशत भिन्नता	
	2023-24	2024-25#	2023-24	2024-25#
1	2	3	4	5
ए. आय (i +ii)	**52,408 (100.0)**	**58,181 (100.0)**	**13.2**	**11.0**
i. ब्याज आय	49,989 (95.4)	55,520 (95.4)	13.7	11.1
ii. अन्य आय	2,420 (4.6)	2,661 (4.6)	3.3	10.0
बी. व्यय (i +ii+iii)	**50,515 (100.0)**	**56,057 (100.0)**	**13.7**	**11.0**
i. व्यय किया गया ब्याज	32,731 (64.8)	37,543 (67.0)	18.6	14.7
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	5,733 (11.3)	5,700 (10.2)	1.7	-0.6
iii. परिचालनगत व्यय	12,051 (23.9)	12,815 (22.9)	7.7	6.3
जिसमें से, मजदूरी विधेयक	7,430 (14.7)	7,778 (13.9)	7.0	4.7
सी. लाभ				
i. निवल ब्याज आय	17,257	17,977	5.4	4.2
ii. परिचालन लाभ	7,627	7,823	1.4	2.6
iii. निवल लाभ	1,894	2,124	0.7	12.1

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

V.45. 2024-25 के दौरान, 301 लाभ कमाने वाले डीसीसीबी और 50 घाटे में चल रहे डीसीसीबी थे। लाभ कमाने वाले डीसीसीबी भौगोलिक रूप से सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से वितरित थे, जिनका सकेंद्रण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में अपेक्षाकृत अधिक था। वर्ष के दौरान घाटे में चल रहे डीसीसीबी की संख्या में वृद्धि हुई। घाटे में चल रहे 50 डीसीसीबी में से लगभग 82 प्रतिशत पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में केंद्रित थे (परिशिष्ट सारणी V.4)।

आस्ति गुणवत्ता

V.46. डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार पांचवें वर्ष सुधार हुआ, मार्च 2025 के अंत में जीएनपीए अनुपात घटकर 8.7 प्रतिशत हो गया। हालांकि, जीएनपीए अनुपात एसटीसीबी की तुलना में अधिक रहा (चार्ट V.19)। आस्ति गुणवत्ता में सुधार व्यापक आधार पर किया गया और पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.4)। मध्य क्षेत्र में डीसीसीबी में सबसे अधिक जीएनपीए अनुपात है, इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में हैं। बढ़े हुए प्रावधान कवरेज अनुपात के साथ जीएनपीए अनुपात में गिरावट के परिणामस्वरूप मार्च 2025 के अंत में निवल एनपीए अनुपात एक वर्ष पहले 3.4 प्रतिशत से घटकर 3.0 प्रतिशत हो गया (सारणी V.19)।

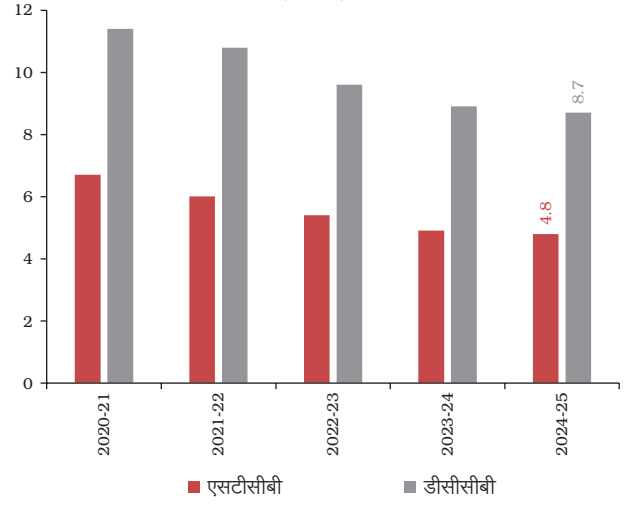

चार्ट V.19 : एनपीए अनुपात : एसटीसीबी की तुलना में डीसीसीबी
(प्रतिशत)

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक।
स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.19: जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक
(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत भिन्नता	
	2024	2025पी	2023-24	2024-25पी
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	36,958	38,709	3.5	4.7
i) अवमानक	13,433 (36.3)	14,288 (36.9)	7.1	6.4
ii) संदिग्ध	20,912 (56.6)	21,397 (55.3)	0.8	2.3
iii) हानि	2,612 (7.1)	3,024 (7.8)	7.0	15.8
बी. सकल एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	8.9	8.7		
सी. निवल एनपीएअनुपात (प्रतिशत)	3.4	3.0		
डी. प्रावधान कवरेज अनुपात (प्रतिशत)	83.9	84.3		
ई. मांग और वसूली अनुपात (प्रतिशत)	76.8	76.4		

पी: अनंतिम।
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. वसूली और मांग अनुपात बकाया मांग राशि (देय राशि) के हिस्से का पता करता है जिसे जून 2024 और 2025 के अंत में वसूल किया गया है।
स्रोत: नाबार्ड।

पूंजी पर्याप्तता

V.47. पिछले कुछ वर्षों में, डीसीसीबी का समेकित सीआरएआर मोटे तौर पर लगभग 12 प्रतिशत पर स्थिर रहा (चार्ट V.20)। वर्ष 2024-25 के दौरान, 9.0 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले डीसीसीबी की संख्या एक वर्ष पहले के 39 से घटकर 38 हो गई। इनमें से 75 प्रतिशत से अधिक डीसीसीबी चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, मध्य प्रदेश (14), पंजाब (6), राजस्थान (5) और महाराष्ट्र (4) में केंद्रित थे।

4.1.3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

V.48. पीएसीएस अल्पावधिक ऋण सहकारी समितियों की जमीनी स्तर की शाखा है।[8] पीएसीएस का स्वामित्व सदस्य

[8] पीएसीएस बैंकिंग विनियमन अधिनियम के दायरे से बाहर हैं और उन्हें अपने नाम के हिस्से के रूप में या अपने व्यवसाय के संबंध में, "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

चार्ट V.20: जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में, प्रतिशत)

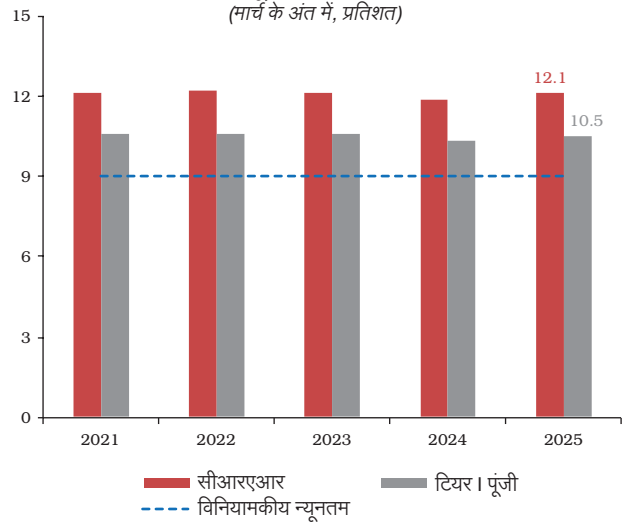

स्रोत : नाबार्ड।

व्यक्तियों, ज्यादातर किसानों के पास है, और इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच मितव्ययिता और आपसी मदद को बढ़ावा देना है। वे सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और कृषि उपज की इनपुट आपूर्ति, भंडारण और विपणन जैसी ऋण-आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। मार्च 2024 के अंत में, पीएसीएस के 16.37 करोड़ सदस्य थे, और उन्होंने 4.95 करोड़ उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान की। कुल सदस्यों में से 44.2 प्रतिशत छोटे किसान और 24.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से थे। उधारकर्ता और सदस्य अनुपात – पीएसीएस की ऋण पैठ को मापने के लिए एक मीट्रिक - मार्च 2024 के अंत में 30.2 प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष पहले यह 30.7 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी V.5)।

V.49. वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएसीएस के कुल संसाधनों में वृद्धि एक वर्ष पहले के 14.2 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत हो गई। इसके कारण जमा वृद्धि में तेज मंदी आई, जो उनके कुल संसाधनों का 41.5 प्रतिशत थी। कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों का 80 प्रतिशत से अधिक छोटी अवधि के लिए था और कृषि के लिए बढ़ाया गया था। अल्पावधिक ऋणों की वृद्धि में तेज कमी ने कुल ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि में गिरावट में योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.50. पश्चिमी क्षेत्र – पीएसीएस की कुल संख्या में 29.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ – इस क्षेत्र पर हावी है। हालांकि, दक्षिणी क्षेत्र जमा, ऋण और अग्रिम के मामले में क्रमशः 76.9 प्रतिशत और 49.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ हावी रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान, लाभ की रिपोर्ट करने वाले पीएसीएस की संख्या एक वर्ष पहले के 47,794 से बढ़कर 49,238 हो गई। घाटे में चल रहे पीएसीएस की संख्या भी पिछले वर्ष के 37,357 से थोड़ी बढ़कर 37,662 हो गई। कुल मिलाकर, पीएसीएस ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कम निवल हानि दर्ज की। क्षेत्रीय स्तर पर, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पीएसीएस ने निवल लाभ की सूचना दी, जबकि दक्षिणी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र ने निवल हानि की सूचना दी (परिशिष्ट सारणी V.7)। हालांकि, पीएसीएस की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई, जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 के अंत में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 26.2 प्रतिशत हो गया।

V.51. बीते वर्षों में, पीएसीएस को आधुनिक, बहु-कार्यात्मक संस्थाओं में बदलने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन कर रही है, ताकि तकरीबन 80,000 से अधिक पीएसीएस को एक एकीकृत उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जा सके ताकि डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ लेखांकन, पर्यवेक्षण और लिंकेज को मजबूत किया जा सके। भारत सरकार ने पाँच वर्ष के भीतर 2 लाख नई बहुउद्देशीय पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना भी शुरू की। ग्रामीण सेवाओं और वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने के लिए पीएसीएस को 'कोऑपरेटिव स्टैक' डिजिटल इकोसिस्टम में भी एकीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा, अभिसरण पहल ने पीएसीएस को सामान्य सेवा केंद्रों, जन औषधि केंद्रों और एलपीजी और उर्वरक वितरण बिंदुओं के रूप में कार्य करने में

सक्षम बनाया, जिससे अंतिम-क्षोर वितरण में उनकी भूमिका का विस्तार हुआ। इन उपायों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को गहरा करना, परिचालन व्यवहार्यता में सुधार करना और सहकारी ऋण संरचना में पीएसीएस को व्यापक ग्रामीण सेवा संस्थानों के रूप में फिर से स्थापित करना है।

4.2. दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.52. मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घावधिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। दीर्घावधिक संरचना में राज्य स्तर पर एससीएआरडीबी और कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिला/तालुका स्तर पर पीसीएआरडीबी शामिल हैं।[9]

V.53. मार्च 2024 के अंत में, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां काम कर रही थीं, जो एकात्मक, संघीय या मिश्रित-स्तरीय संरचनाओं के तहत काम कर रही थीं।[10] एकात्मक संरचना में, एससीएआरडीबी राज्य भर में शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें ग्राहक सदस्यता के माध्यम से सीधे बैंक से जुड़े होते हैं और इसकी शाखाओं से ऋण प्राप्त करते हैं। संघीय ढांचे के तहत, एससीएआरडीबी जिला या तालुका स्तर पर संचालित सभी संबद्ध पीसीएआरडीबी के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है, जो बदले में, सदस्यों को नामांकित करता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है। कुछ राज्यों में, दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां एक मिश्रित संरचना का पालन करती हैं, जिसमें एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी और अपने स्वयं के शाखा नेटवर्क दोनों के माध्यम से काम करते हैं।

V.54. एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी का व्यवसाय मॉडल उधार पर निर्भर करता है, जहां एससीएआरडीबी मुख्य रूप से नाबार्ड से उधार लेते हैं, जबकि पीसीएआरडीबी एससीएआरडीबी से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं (चार्ट V.21ए)। ऋण और अग्रिमों ने पीसीएआरडीबी के सापेक्ष एससीएआरडीबी में आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा बनाया (चार्ट V.21बी)।

4.2.1. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

V.55. मार्च 2024 के अंत में, एससीएआरडीबी 695 शाखाओं के साथ 13 राज्यों में परिचालित थे। जिनमें से 46.5

चार्ट V.21: दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों की देयताएं और आस्तियों का संघटन

(मार्च 2024 के अंत में)

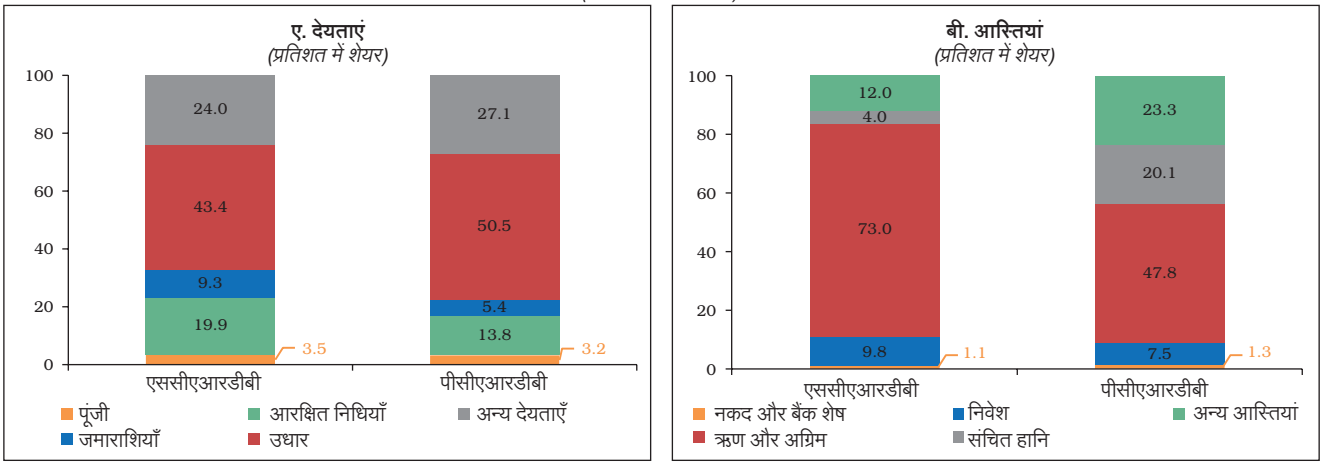

एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
स्रोत : नाबार्ड।

[9] कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (राज्य और प्राथमिक दोनों) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन नहीं हैं, और उन्हें गैर-सदस्यों से मांग जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति नहीं है।

[10] दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एकात्मक; हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में संघीय संरचना; और हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मिश्रित संरचना में काम करती हैं।

प्रतिशत शाखाएँ उत्तर प्रदेश में थीं। वर्ष 2023-24 के दौरान एससीएआरडीबी (संचित घाटे का निवल) के समेकित तुलन पत्र के आकार में मामूली सुधार हुआ, जिसके कारण ऋण और अग्रिमों के और अन्य आस्तियों में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी V.8)। वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी के संचित घाटे में वृद्धि हुई, जो उत्तरी क्षेत्र में एससीएआरडीबी द्वारा किए गए घाटे में तेज वृद्धि से प्रेरित है।

V.56. समेकित स्तर पर, वर्ष 2023-24 के दौरान एससीएआरडीबी का वित्तीय प्रदर्शन कमजोर हो गया, पिछले वर्ष में 38.9 प्रतिशत की वृद्धि के बाद कुल आय में 27.9 प्रतिशत की गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.9)। यह गिरावट मुख्य रूप से गैर-ब्याज आय में तेज गिरावट के कारण हुई। व्यय पक्ष पर, कुल व्यय में 8.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जो परिचालन व्यय में कमी से प्रेरित है, हालांकि ब्याज व्यय और प्रावधान में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, परिचालन लाभ में 54.4 प्रतिशत की गिरावट आई, और निवल लाभ ऋणात्मक हो गया (परिशिष्ट सारणी V.9)।

V.57. वर्ष 2023-24 के दौरान एससीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में कमी आई, जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 के अंत में बढ़कर 38.3 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 36.5 प्रतिशत था। एनपीए की संरचना के संदर्भ में, संदिग्ध आस्तियों की हिस्सेदारी हावी रही, जो मार्च 2024 के अंत में कुल एनपीए का 67.4 प्रतिशत थी। मांग और वसूली अनुपात एक वर्ष पहले के 44.8 प्रतिशत से घटकर 40.8 प्रतिशत हो गया, जो वसूली में कमी का संकेत देता है (परिशिष्ट सारणी V.10)।

V.58. क्षेत्रीय स्तर पर, एससीएआरडीबी के वित्तीय प्रदर्शन ने वर्ष 2023-24 के दौरान व्यापक भिन्नता प्रदर्शित की (परिशिष्ट सारणी V.11)। दक्षिणी क्षेत्र के बैंकों ने अपेक्षाकृत बेहतर आस्ति गुणवत्ता और वसूली प्रदर्शन द्वारा समर्थित उच्च लाभ की सूचना दी, जबकि उत्तरी क्षेत्र के बैंकों ने हानि दर्ज की।

4.2.2. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

V.59. मार्च 2024 के अंत में, आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 609 पीसीएआरडीबी थे। वर्ष 2023-24 के दौरान पीसीएआरडीबी (संचित हानि का निवल) के समेकित तुलन पत्र का विस्तार हुआ, जिसका कारण आस्ति पक्ष में निवेश और अन्य आस्तियों में वृद्धि और देयताओं के पक्ष में जमा और अन्य देयताएँ रहीं (परिशिष्ट सारणी V.12)।

V.60. वर्ष 2023-24 के दौरान, पीसीएआरडीबी की समेकित आय में गिरावट आई, जो ब्याज आय में धीमी वृद्धि और अन्य आय में संकुचन को दर्शाती है। इसके विपरीत, उनके कुल व्यय में वृद्धि हुई, जिसके कारण परिचालन व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नतीजतन, वर्ष के दौरान परिचालन लाभ कम हो गया (परिशिष्ट सारणी V.13)। उत्तरी क्षेत्र में पीसीएआरडीबी ने कुल हानि में 74.6 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र का लाभ में सबसे अधिक हिस्सा था।

V.61. पीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष 2023-24 के दौरान सुधार हुआ, जिसमें जीएनपीए अनुपात एक वर्ष पहले के 39.7 प्रतिशत से घटकर 38.6 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट सारणी V.14)। उत्तरी क्षेत्र में पीसीएआरडीबी ने वर्ष 2023-24 के दौरान उच्चतम जीएनपीए अनुपात और सबसे कम मांग और वसूली अनुपात दर्ज करना जारी रखा। इसके विपरीत, दक्षिणी क्षेत्र ने सबसे कम जीएनपीए अनुपात और उच्चतम मांग और वसूली अनुपात बनाए रखा (परिशिष्ट सारणी V.15)।

5. समग्र मूल्यांकन

V.62. वर्ष 2024-25 के दौरान, यूसीबी ने उच्च पूंजी बफर, कम जीएनपीए अनुपात और बेहतर प्रावधान परिणामों के साथ अपने तुलन पत्र को मजबूत करना जारी रखा। अप्रैल 2025 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क की शुरूआत, चार-स्तरीय विनियामकीय संरचना और सुविचारित पर्यवेक्षी हस्तक्षेपों से जोखिम की प्रारंभिक

पहचान को सुदृढ़ करने और आश्वासन कार्यों को मजबूत किया जाना अपेक्षित है। यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के परिचालन के साथ वित्तीय आघात-सहनीयता और मजबूत होने की उम्मीद है, जो अभिशासन को मजबूत करने, चलनिधि सुनिश्चित करने और क्षमता निर्माण और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

V.63. ग्रामीण सहकारी समितियों में, राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दोनों बेहतर पूंजी पर्याप्तता और आस्ति गुणवत्ता के साथ लाभदायक बने रहे। हालांकि, दीर्घकालिक ऋण सहकारी समितियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आगे देखें तो, सहकारी क्षेत्र के सतत विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाना, व्यापार विविधीकरण और परिचालन दक्षता में सुधार करना महत्वपूर्ण होगा।

VI गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने वर्ष 2024-25 में मजबूत प्रदर्शन जारी रखा, जो प्राथमिक रूप से अच्छी ऋण वृद्धि से प्रेरित है। उन्होंने आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता जैसे मजबूत प्रमुख संकेतकों को दृढ़ बनाए रखा, हालांकि आस्तियों पर प्रतिलाभ में कुछ कमी आई। आवास वित्त कंपनियों ने इसी अवधि के दौरान अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि का प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के तुलन पत्र मजबूत रहे और उन्होंने अच्छी ऋण वृद्धि दिखाई।

परिचय

VI.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआई) भारत की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनबीएफआई में, रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी),[1] आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी),[2] अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई)[3] और एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) का विनियमन करता है।

VI.2 एनबीएफसी वे वित्तीय संस्थाएं (एफआई) हैं जो छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं और आबादी के वंचित वर्गों सहित विभिन्न क्षेत्रों और ग्राहक समूहों को ऋण प्रदान कर बैंकिंग क्षेत्र को अनुपूरक सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एनबीएफसी वित्तीय समावेशन और भारत के वित्तीय परितंत्र की वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभरे हैं। एचएफसी विशेष एफआई हैं जो व्यक्तियों, बिल्डरों और डेवलपर्स के लिए आवास ऋण और संबंधित वित्तपोषण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एआईएफआई शीर्ष लेयर के वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई); अवसरंचना; अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आवास जैसे क्षेत्रों को दीर्घावधिक विकास-वित्त प्रदान करते हैं। प्राथमिक व्यापारी (पीडी) ऐसे एफआई हैं जो सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में हामीदार (अंडरराइटर) और बाजार निर्माता के रूप में कार्य करते हैं (चार्ट VI.1)।

VI.3 मार्च 2025 के अंत में, एनबीएफसी के तुलन पत्र का विस्तार जारी रहा, जो ऋण और अग्रिमों में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। एनबीएफसी के, पूंजी पर्याप्तता और आस्ति गुणवत्ता, जैसे प्रमुख संकेतक मजबूत स्तर पर बने हुए हैं, हालांकि आस्तियों पर प्रतिलाभ में कुछ कमी आई है। हालांकि एनबीएफसी के कुल उधार में बैंकों से उधार का हिस्सा कम हो गया, तथापि यह अधिक बना रहा। इसी अवधि के दौरान, एचएफसी के तुलन पत्र का भी दोहरे अंकों में विस्तार हुआ। एचएफसी सेगमेंट में एक प्रमुख घटनाक्रम, वर्ष 2024-25 में दो एचएफसी का एनबीएफसी-आईएफसी और एनबीएफसी-आईसीसी में परिवर्तन था। इस क्षेत्र के लाभप्रदता संकेतकों और आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। एआईएफआई का समेकित तुलन पत्र मार्च 2025 के अंत तक दोहरे अंकों में बढ़ता रहा, इस प्रकार वे आर्थिक गतिविधियों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में, एसपीडी ने, मजबूत पूंजी बफर, सुदृढ़ लाभप्रदता और जी-सेक बाजार में हामीदारी अंकन (अंडरराइटिंग) और चलनिधि प्रदान करने में

[1] हालांकि मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक-ब्रोकिंग / सब-ब्रोकिंग के कारोबार में लगी कंपनियां, निधि कंपनियां, वैकल्पिक निवेश फंड कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां एनबीएफसी हैं, लेकिन उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है।

[2] वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन किया, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक को एचएफसी के विनियमन के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई। एचएफसी को अब विनियामकीय उद्देश्यों के लिए एनबीएफसी की एक श्रेणी के रूप में माना जाता है।

[3] पांच एआईएफआई हैं, अर्थात्- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी)।

अधिक क्षमतावान होने के कारण, अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाए रखी।

VI.4 इस अध्याय में वर्ष 2024-25 और 2025-26 की पहली छमाही में एनबीएफआई के प्रदर्शन को शामिल किया गया है। खंड 2 में एनबीएफसी क्षेत्र का आकलन प्रदान किया गया है, जिसमें ऊपरी और मध्य लेयर में स्थित एनबीएफसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड 3 में एचएफसी के प्रदर्शन की चर्चा की गई है। खंड 4 और 5 में क्रमशः एआईएफआई और पीडी के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रदान किया गया है। समग्र मूल्यांकन खंड 6 में दिया गया है।

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

VI.5 एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक द्वारा स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) ढांचा[4] के तहत विनियमित किया जाता है, जिसमें एनबीएफसी के स्केल और प्रणालीगत महत्व के अनुपात में विभेदक विनियम लागू किए जाते हैं। मार्च 2025 के अंत तक[5], ऊपरी लेयर (एनबीएफसी-यूएल) में 15 एनबीएफसी (चार एचएफसी सहित) की पहचान की गई, जो मध्य लेयर (एनबीएफसी-एमएल) और आधार लेयर (एनबीएफसी-बीएल) एनबीएफसी की तुलना में सख्त विनियमन के अधीन हैं (चार्ट VI.1)।

VI.6 एनबीएफसी, वित्तीय संस्थाओं का एक विषम समूह है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जिन्हें वर्गीकरण का आधार भी बनाया जाता है (सारणी VI.1)। भारतीय रिज़र्व बैंक स्व-विनियमन को प्रोत्साहित कर रहा है जो उम्मीद है कि, बेहतर अनुपालन, नवोन्मेष, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए सांविधिक ढांचे के अनुपूरक का कार्य करेगा। अक्टूबर 2025 में, आरबीआई ने एनबीएफसी[6] के लिए एक स्व-विनियामक संगठन को मान्यता दी जो अपने सदस्यों के लिए, आरबीआई द्वारा निर्धारित विनियामक ढांचे के भीतर, अपेक्षित सर्वोत्तम प्रथाएं / मानक / कोड तैयार करेंगे जिन्हें वे स्वैच्छिक रूप से अपनायेंगे।

VI.7 विनियामकीय मोर्चे पर एक उल्लेखनीय घटना डिजिटल ऋण उत्पादों के डिजाइन, वितरण और सर्विसिंग के तरीकों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2025 में डिजिटल ऋण निदेश[7] जारी करना थी। अर्थव्यवस्था में ऋण

चार्ट VI.1: रिज़र्व बैंक के विनियमन के तहत एनबीएफआई की संरचना

(मार्च 2025 के अंत में)

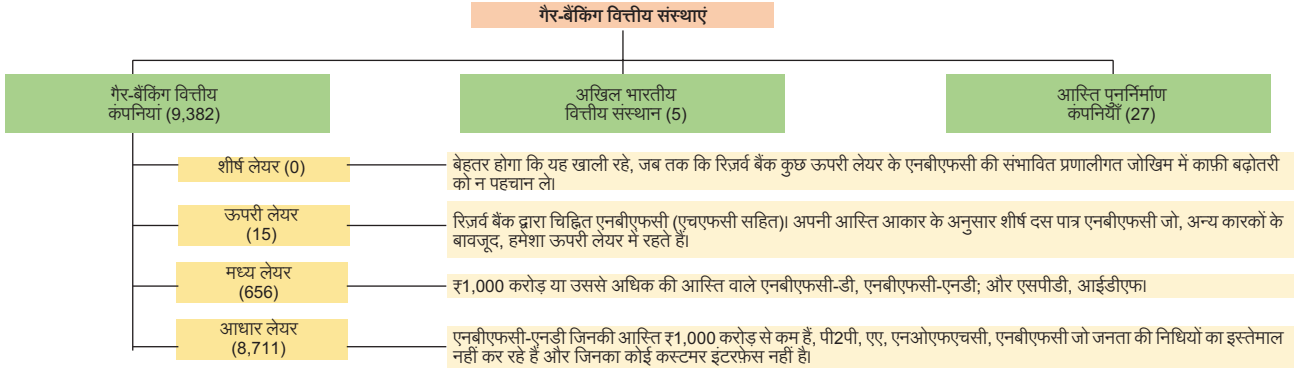

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या (अनंतिम) दिखाते हैं।
2. एनबीएफसी, जैसे एनबीएफसी-आईसीसी, एनबीएफसी-एमएफआई, एनबीएफसी फैक्टर, और एनबीएफसी-एमजीसी; एसबीआर के तहत बताए गए मानक के आधार पर किसी भी लेयर में हो सकते हैं। एनबीएफसी-सीआईसी, एएचएफसी, और आईएफसी, ऊपरी अथवा मध्य के लेयर में हो सकते हैं।
3. सरकारी स्वामित्व की एनबीएफसी को या तो आधार या मध्य की लेयर में रखा जाता है।

स्रोत: आरबीआई और एनएचबी।

4 एनबीएफसी को एसबीआर ढांचे के तहत शीर्ष, ऊपरी, मध्य और आधार लेयर में वर्गीकृत किया गया है, जो उनके आकार, कार्य और पाए गए जोखिम स्तर के आधार पर है।

5 31 दिसंबर 2024 तक रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार।

6 03 अक्टूबर 2025 को एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठन की मान्यता।

7 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025।

सारणी VI.1 : स्केल-आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क के तहत कार्य के अनुसार एनबीएफसी का वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	कार्य	लेयर
1	2	3	4
1.	निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी)	उधार जो; उत्पादक/आर्थिक गतिविधियों की मदद करता है, उपभोग/ व्यक्तिगत वित्तपोषण प्रदान करता है और निवेश के लिए प्रतिभूति का अधिग्रहण।	एसबीआर के मानक के आधार पर कोई भी लेयर।
2.	एनबीएफसी -अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी -आईएफसी)	अवसंरचना ऋण।	मध्य या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।
3.	कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)	इक्विटी शेयर, अधिमानी शेयर, कर्ज़ या ग्रुप कंपनियों को दिए गए ऋण में निवेश।	मध्य या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।
4.	एनबीएफसी-अवसंरचना डेट फंड (एनबीएफसी-आईडीएफ)	ऐसी उत्तर-आरंभ परिचालन तिथि अवसंरचना परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण जिन्होंने व्यावसायिक परिचालन का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है और प्रत्यक्ष उधारदाता के तौर पर टोल ऑपरेट ट्रांसफर परियोजनाओं का वित्तपोषण।	मध्य लेयर.
5.	एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई)	आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को असंपार्श्विक के छोटे ऋण देना।	एसबीआर के मानक के आधार पर कोई भी लेयर।
6.	एनबीएफसी -फैक्टर्स	असाइनमेंट के माध्यम से किसी असाइनर की प्राप्य राशियों का अधिग्रहण या ऐसे असाइनमेंट के लिए ऋण प्रदान करना।	एसबीआर के मानक के आधार पर कोई भी लेयर।
7.	एनबीएफसी - अपरिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनबीएफसी -एनओएफएचसी)	नए बैंक बनाने में प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों को सुविधा देना।	आधार लेयर।
8.	मॉर्गेज गारंटी कंपनी (एमजीसी)	मॉर्गेज गारंटी व्यवसाय शुरू करना।	एसबीआर के मानक के आधार पर कोई भी लेयर।
9.	एनबीएफसी -अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी -एए)	ग्राहक या विनियमित इकाई को जैसा कि ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, एक समेकित, संगठित और पुनर्प्राप्ति योग्य तरीके से, ग्राहक से संबंधित विनिर्दिष्ट वित्तीय जानकारी एकत्र करना और प्रदान करना।	आधार लेयर।
10.	एनबीएफसी –पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी)	ऋण देने वालों और ऋण लेने वालों को एक साथ लाने के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस अथवा प्लेटफॉर्म देना ताकि निधि जुटाने में मदद मिल सके।	आधार लेयर।
11.	आवास वित्त कंपनी (एएचएफसी)	रहने की जगहों की खरीद/निर्माण/पुनर्निर्माण/नवीकरण/मरम्मत के लिए वित्तपोषण।	मध्य या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।
12.	एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी)	सरकारी प्रतिभूति के निर्गम को हामीदारी देता है और पहले चरण की बोली में भाग लेता है।	मध्य लेयर।

स्रोत: आरबीआई।

प्रवाह को बेहतर करने के लिए फिनटेक और डिजिटल ऋण के उदय, और एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा अपनाए गए 'डिजिटल-फर्स्ट' दृष्टिकोण के कारण यह आवश्यक हो गया था। इन निदेशों का उद्देश्य, डिजिटल ऋण परितंत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करते हुए, डिजिटल ऋण देने की प्रथाओं को त्रुटिहीन बनाना है।

VI.8 एनबीएफसी क्षेत्र में 15 एनबीएफसी (चार एचएफसी सहित) का वर्चस्व है, जो मार्च 2025 के अंत तक की कुल आस्तियों में 30.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ ऊपरी लेयर में हैं। सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी की उपस्थिति के कारण एनबीएफसी-एमएल की हिस्सेदारी 64.6 प्रतिशत थी, जबकि एनबीएफसी-बीएल का कुल आस्ति में 5.2 प्रतिशत की मामूली हिस्सेदारी थी, हालांकि यह संस्थाओं की संख्या के मामले में सबसे बड़ा सेगमेंट है (सारणी VI.2)।

VI.9 एनबीएफसी[8] द्वारा दिया गया ऋण पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है, जो वित्तीय मध्यस्थता में उनके बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। यह मार्च 2025 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 14.6 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले

[8] इस खंड के बाद का विश्लेषण सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर ऊपरी और मध्य लेयर के एनबीएफसी पर केंद्रित है। बाद के दो अलग-अलग खंडों में शामिल हैं। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वार पहचान 31 दिसंबर 2024 तक की उनकी स्थिति पर आधारित है। सितंबर-2025 के लिए, जनवरी और सितंबर 2025 के बीच एनबीएफसी की लेयर में बदलाव को छोड़कर, समान स्थिति पर विचार किया गया है।

सारणी VI.2: एनबीएफसी का संघटन

(मार्च 2025 के अंत में)

(प्रतिशत में हिस्सा)

लेयर	संख्या	आस्ति
1	2	3
एनबीएफसी-यूएल	0.2	30.2
एनबीएफसी-एमएल	7.0	64.6
एनबीएफसी -बीएल	92.8	5.2
कुल	**100.0**	**100.0**

टिप्पणी: एनबीएफसी का मतलब रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी से है, जिसमें सीआईसी, एएचएफसी और एसपीडी शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई और एनएचबी।

13.5 प्रतिशत था (चार्ट VI2ए)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के बकाया ऋण के हिस्से के रूप में एनबीएफसी का ऋण मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 25.3 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 23.6 प्रतिशत था (चार्ट VI.2बी)। बैंकों और एनबीएफसी के बीच उभरती सह-ऋण व्यवस्थाओं में एमएसएमई, कृषि और खुदरा उधारकर्ताओं जैसे वंचित क्षेत्रों में एनबीएफसी के ऋण प्रवाह को बढ़ाने की क्षमता है। इसे ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने कुछ विवेकपूर्ण और आचरण-संबंधी पहलुओं पर ध्यान देते हुए, सह-ऋण के दायरे को व्यापक बनाने और ऐसी व्यवस्थाओं की अनुमति पर विशिष्ट विनियामकीय स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से बृहत् संशोधित निदेश[9] जारी किए थे।

VI.10 वर्ष 2024-25 में एनबीएफसी के पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्रों (सीओआर) के निरस्तीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है (चार्ट VI.3)। सीओआर के लौटाने या निरस्त करने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वैच्छिक निकास, विधिक विघटन, विलय, स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ विनियामकीय अननुपालन शामिल हैं।

2.1. स्वामित्व का स्वरूप

VI.11 सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी (प्राथमिक रूप से एनबीएफसी-आईएफसी) के पास एनबीएफसी क्षेत्र का 36.5 प्रतिशत और एनबीएफसी-एमएल की समग्र आस्ति का 51.5 प्रतिशत हिस्सा है। गैर-सरकारी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्तियों में क्रमशः 30.6 प्रतिशत और 33.0 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी (सारणी VI.3)। एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचान के बाद, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए, यदि वे पहले से सूचीबद्ध नहीं हैं, तो एनबीएफसी को तीन वर्षों के भीतर सूचीबद्ध होना आवश्यक है।

2.2. तुलन पत्र

VI.12 वर्ष 2025 के अंत में, एनबीएफसी के तुलन पत्र ने पिछले वर्ष में दर्ज की गई वृद्धि को पार करते हुए दोहरे अंकों का

चार्ट VI.2: एससीबी के ऋण और जीडीपी की तुलना में एनबीएफसी के ऋण

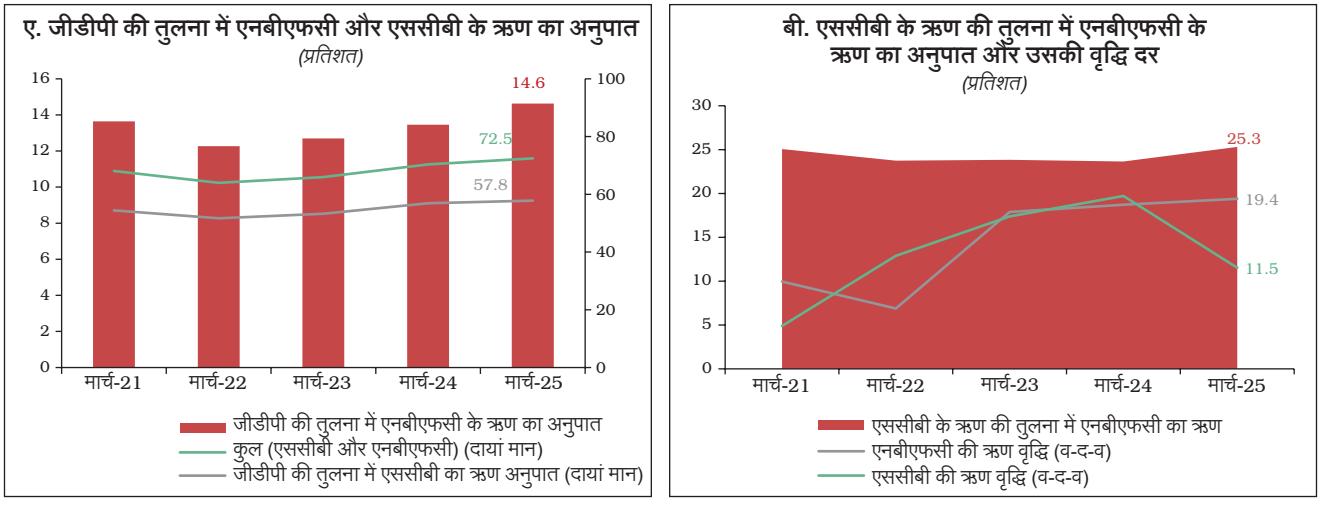

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, विभिन्न अंक; और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, विभिन्न अंक।

[9] भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-ऋण जोखिम का स्थानांतरण और वियोजन) निदेश, 2025।

चार्ट VI.3: एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र का पंजीकरण और निरसन

(संख्या)

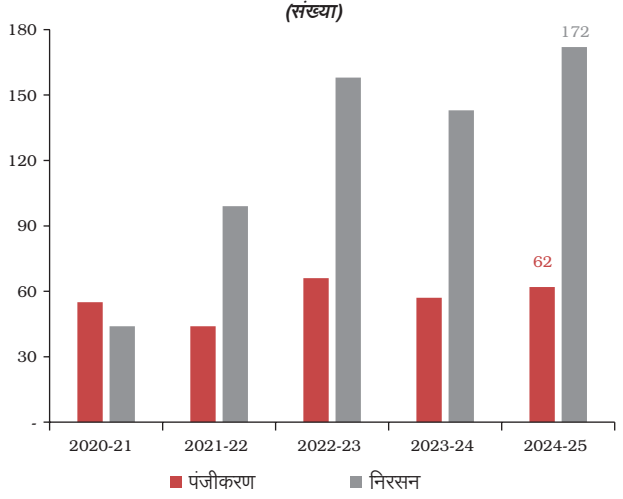

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

विस्तार बनाए रखा। देयताओं के पक्ष में, बैंकों से उधार लेने में एनबीएफसी की वृद्धि में कमी आई, जिसमें एनबीएफसी-एमएल में, एनबीएफसी-यूएल की तुलना में, वृद्धि में मंदी आई, जबकि एनबीएफसी-यूएल में मामूली विस्तार आया (सारणी VI.4)। एनबीएफसी ने, एनबीएफसी-एमएल द्वारा संचालित बाजार उधार पर अपनी निर्भरता बढ़ाकर इस कमी की भरपाई की। एनबीएफसी द्वारा बैंक से ऋण लेने पर जोखिम भार में वृद्धि, जिसे नवंबर 2023 में पेश किया गया था, का उद्देश्य बैंक उधार पर एनबीएफसी की निर्भरता को कम करना था। 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी, जोखिम भार को नवंबर 2023[10] में वृद्धि से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया था। डिबेंचर के माध्यम से उधार, सितंबर 2025 के अंत में मार्च 2025 के अंत के स्तर की तुलना में बढ़ गया (परिशिष्ट सारणी VI.1)।

VI.13 आस्ति पक्ष पर, मार्च 2025[11] के अंत में ऋण और अग्रिम में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें ऊपरी लेयर की एनबीएफसी ने एनबीएफसी-एमएल की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की। एनबीएफसी द्वारा गैर-जमानती ऋण मुख्य रूप से आधार प्रभाव के कारण बढ़ा, जबकि इसी अवधि के दौरान जमानती ऋण की वृद्धि कम हो गई (चार्ट VI.4)। यह कमी मुख्य रूप से एनबीएफसी-एमएल के कारण था, जिसकी जमानती ऋण वृद्धि मार्च 2025 के अंत में घटकर 15.8 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 29.9 प्रतिशत थी (परिशिष्ट सारणी VI.2 और VI.3)।

VI.14 एनबीएफसी की तीन श्रेणियां, अर्थात् आईसीसी, आईएफसी और एमएफआई की मार्च 2025 के अंत में एनबीएफसी क्षेत्र के बकाया ऋण में कुल हिस्सेदारी 98.8 प्रतिशत थी। एनबीएफसी-आईसीसी जो आस्ति के आकार के संदर्भ में सबसे बड़ी श्रेणी है और प्राथमिक रूप से खुदरा ऋण देने में शामिल है, में 21.2 प्रतिशत की ऋण वृद्धि देखी गई। एनबीएफसी-फैक्टर्स में तेजी से ऋण वृद्धि जारी रही। एनबीएफसी-आईएफसी ने, जो बिजली, जैसे अवसंरचना क्षेत्रों

सारणी VI.3: एनबीएफसी के स्वामित्व का स्वरूप
(मार्च 2025 के अंत में)

(राशि ₹करोड़ में; हिस्सा प्रतिशत में)

प्रकार	एनबीएफसी -क्षेत्र			एनबीएफसी-यूएल			एनबीएफसी-एमएल		
	संख्या	आस्ति का आकार	आस्ति हिस्सा	संख्या	आस्ति का आकार	आस्ति हिस्सा	संख्या	आस्ति का आकार	आस्ति हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. सरकारी कंपनियाँ	26	22,28,097	36.5	0	0	0	26	22,28,097	51.5
बी. गैर-सरकारी कंपनियाँ (1+2)	405	38,81,029	63.5	10	17,81,991	100.0	395	20,99,038	48.5
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ	56	18,67,476	30.6	7	13,43,366	75.4	49	5,24,110	12.1
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ	349	20,13,553	33.0	3	4,38,625	24.6	346	15,74,929	36.4
सी. कुल (ए+बी)	**431**	**61,09,126**	**100.0**	**10**	**17,81,991**	**100.0**	**421**	**43,27,135**	**100.0**

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. राउंडिंग-ऑफ के कारण आंकड़े पूरी तरह से मेल नहीं खा सकते हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का एक्सपोजर - जोखिम भार की समीक्षा, दिनांक 25 फरवरी 2025।

11 मार्च 2025 के अंत की स्थिति के दो एचएफसी (जो एनबीएफसी-आईएफसी और आईसीसी में बदल गए) को छोड़कर, ऋण और अग्रिम में मार्च 2025 के अंत में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2025 में, एक और एचएफसी एनबीएफसी-आईसीसी में बदल गया। तीनों एचएफसी के प्रभाव को छोड़कर, सितंबर 2025 के अंत में ऋण और अग्रिम में 14.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

सारणी VI.4: एनबीएफसी का संक्षिप्त तुलन पत्र

(₹ करोड़)

मदें	मार्च 2024 के अंत में			मार्च 2025 के अंत में			सितंबर 2025 के अंत में		
	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल
1	2(3+4)	3	4	5(6+7)	6	7	8(9+10)	9	10
1. शेयर पूँजी और आरक्षित निधि	11,95,847 (21.8)	2,54,221 (27.6)	9,41,625 (20.3)	13,96,260 (16.8)	3,31,545 (30.4)	10,64,715 (13.1)	14,68,161 (11.3)	3,86,518 (41.3)	10,81,643 (3.5)
2. जनता की जमाराशियां	1,02,959 (21.2)	83,102 (28.2)	19,858 (-1.6)	1,21,178 (17.7)	1,00,653 (21.1)	20,525 (3.4)	1,31,730 (17.1)	1,10,124 (18.8)	21,607 (9.1)
3. डिबेंचर	12,32,999 (11.3)	2,71,444 (20.4)	9,61,555 (9.0)	14,76,698 (19.8)	3,46,807 (27.8)	11,29,891 (17.5)	16,20,223 (21.4)	4,20,755 (35.3)	11,99,468 (17.1)
4. बैंक उधार	13,38,088 (18.8)	4,13,073 (27.0)	9,25,015 (15.5)	15,56,648 (16.3)	5,32,289 (28.9)	10,24,360 (10.7)	16,59,501 (18.6)	5,79,808 (25.9)	10,79,692 (14.9)
5. वाणिज्यिक पत्र	1,05,439 (26.1)	54,146 (36.9)	51,293 (16.4)	1,35,232 (28.3)	61,305 (13.2)	73,928 (44.1)	1,56,199 (34.4)	71,165 (32.5)	85,034 (36.1)
6. अन्य	11,64,138 (15.9)	2,83,535 (30.8)	8,80,603 (11.8)	14,23,109 (22.2)	4,09,392 (44.4)	10,13,717 (15.1)	15,15,342 (18.1)	4,30,490 (36.0)	10,84,853 (12.3)
कुल देयताएं / आस्तियां	**51,39,470 (17.1)**	**13,59,521 (26.9)**	**37,79,949 (13.9)**	**61,09,126 (18.9)**	**17,81,991 (31.1)**	**43,27,135 (14.5)**	**65,51,157 (17.7)**	**19,98,860 (32.6)**	**45,52,297 (12.2)**
1. ऋण और अग्रिम	40,52,732 (18.7)	11,85,621 (29.1)	28,67,111 (14.9)	48,38,744 (19.4)	15,16,011 (27.9)	33,22,733 (15.9)	52,05,544 (20.5)	17,16,579 (30.6)	34,88,965 (16.1)
2. निवेश	6,66,796 (25.0)	95,189 (26.1)	5,71,606 (24.8)	7,84,621 (17.7)	1,35,253 (42.1)	6,49,368 (13.6)	8,18,990 (6.4)	1,53,493 (57.3)	6,65,497 (-0.9)
3. रोकड़ और बैंक जमा शेष	1,73,559 (0.8)	43,228 (-7.9)	1,30,332 (4.1)	2,30,508 (32.8)	80,973 (87.3)	1,49,535 (14.7)	2,41,021 (16.4)	65,829 (13.0)	1,75,192 (17.7)
4. अन्य चालू आस्तियां	89,928 (-12.0)	24,747 (12.5)	65,181 (-18.7)	1,22,877 (36.6)	36,672 (48.2)	86,205 (32.3)	1,43,967 (29.1)	47,219 (76.1)	96,748 (14.2)
5. अन्य आस्तियां	1,56,455 (-6.5)	10,736 (29.1)	1,45,719 (-8.4)	1,32,377 (-15.4)	13,083 (21.9)	1,19,294 (-18.1)	1,41,635 (-10.4)	15,740 39.9	1,25,895 (-14.2)

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दिखाते हैं।
3. मार्च 2025 के अंत तक के आंकड़े में दो एचएफसी का एनबीएफसी-आईसीसी और एनबीएफसी-आईएफसी में परिवर्तित होना शामिल है। सितंबर 2025 के अंत तक के आंकड़े में एक और एचएफसी शामिल है जो अप्रैल 2025 में एनबीएफसी-आईसीसी में बदल गया था।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

का वित्तपोषण करता है, पिछले वर्ष के 9.6 प्रतिशत की तुलना में दो अंकों की ऋण वृद्धि दर्ज की। एनबीएफसी-एमएफआई में ऋण वृद्धि में गिरावट देखी गई (सारणी VI.5)। इस क्षेत्र ने एक ग्राहक के लिए सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं की संख्या को तीन तक

चार्ट VI.4: एनबीएफसी के ऋण और अग्रिमों की प्रकृति

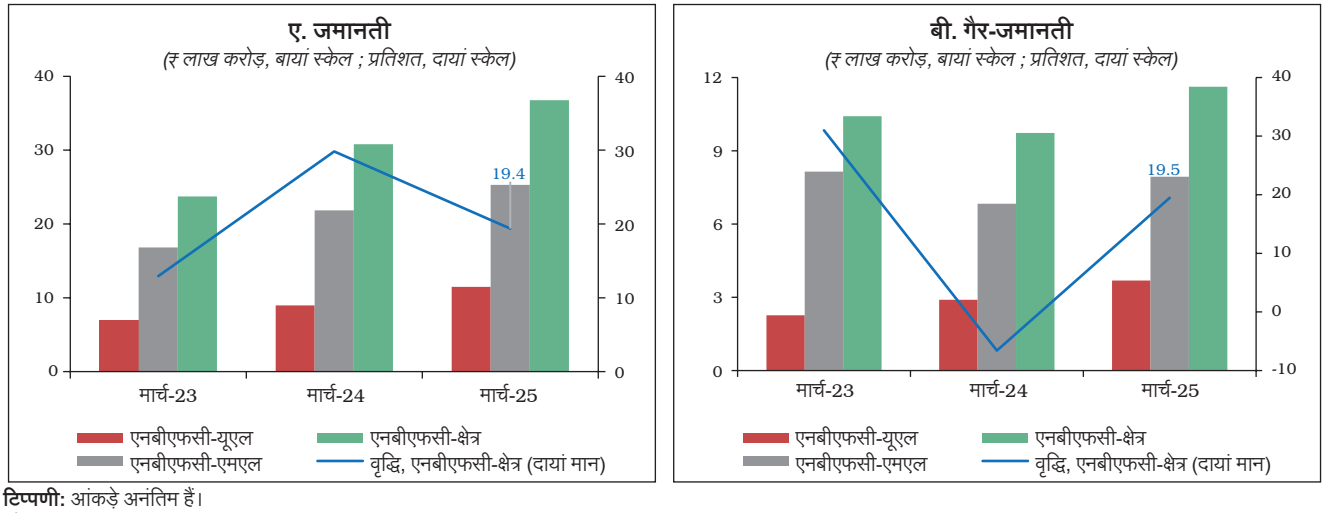

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी VI.5: वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी की देयताएं और आस्तियों के मुख्य घटक

(₹ करोड़)

मदें	मार्च 2024 के अंत में			मार्च 2025 के अंत में			सितंबर 2025 के अंत में		
	उधार	ऋण और अग्रिम	कुल देयताएं/ आस्तियां	उधार	ऋण और अग्रिम	कुल देयताएं/ आस्तियां	उधार	ऋण और अग्रिम	कुल देयताएं/ आस्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. एनबीएफसी-आईसीसी	19,63,800 (21.0)	23,71,662 (24.5)	32,65,085 (20.6)	24,55,516 (25.0)	28,74,859 (21.2)	39,55,691 (21.2)	26,43,186 (21.7)	30,94,569 (19.6)	42,10,961 (16.6)
2. एनबीएफसी -फैक्टर्स	2,560 (95.8)	3,425 (67.3)	3,880 (45.6)	3,643 (42.3)	4,639 (35.4)	5,048 (30.1)	3,821 (34.2)	4,788 (24.7)	5,011 (17.8)
3. एनबीएफसी-आईडीएफ	40,122 (25.4)	44,612 (22.2)	48,310 (23.8)	48,387 (20.6)	52,518 (17.7)	57,674 (19.4)	53,153 (19.8)	57,602 (19.1)	63,039 (18.8)
4. एनबीएफसी-आईएफसी	13,40,429 (9.0)	14,99,348 (9.6)	16,60,542 (9.5)	15,73,379 (17.4)	17,89,856 (19.4)	19,46,048 (17.2)	16,99,185 (22.6)	19,35,856 (24.8)	21,28,021 (22.3)
5. एनबीएफसी-एमएफआई	1,19,373 (27.6)	1,33,685 (30.5)	1,61,653 (30.3)	1,00,290 (-16.0)	1,16,871 (-12.6)	1,44,666 (-10.5)	1,00,082 (-10.0)	1,12,728 (-12.0)	1,44,124 (-7.7)
कुल	**34,66,283 (16.3)**	**40,52,732 (18.7)**	**51,39,470 (17.1)**	**41,81,214 (20.6)**	**48,38,744 (19.4)**	**61,09,126 (18.9)**	**44,99,426 (21.0)**	**52,05,544 (20.5)**	**65,51,157 (17.7)**

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दिखाते हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

सीमित करने और एक ग्राहक को कुल सूक्ष्म वित्त ऋण (गैर-जमानती खुदरा ऋणों सहित) ₹2 लाख[12] तक सीमित करने जैसे उपाय किए। इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ निधीयन में कमी की स्थिति भी देखी गई और इस सेगमेंट से संबंधित राज्य-विशेष विधान भी देखे गए।

VI.15 मार्च 2025 के अंत में, एनबीएफसी द्वारा दिए गए दो-तिहाई से अधिक ऋणों और अग्रिमों के साथ-साथ उनके उधारों की परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक थी, जिसका अर्थ है कि आस्ति-देयता बेमेल की मात्रा कम थी और इस तरह चलनिधि के दबाव से बचा जा सकता था (चार्ट VI.5)।

2.3. एनबीएफसी का क्षेत्रवार ऋण

VI.16 मार्च 2025 अंत में एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण की जांच से पता चलता है कि, उद्योग और खुदरा क्षेत्रों को कुल ऋण का 81.1 प्रतिशत ऋण दिया गया और उसके बाद सेवा

चार्ट VI.5: एनबीएफसी के प्राप्य और देय राशियों की परिपक्वता प्रोफाइल

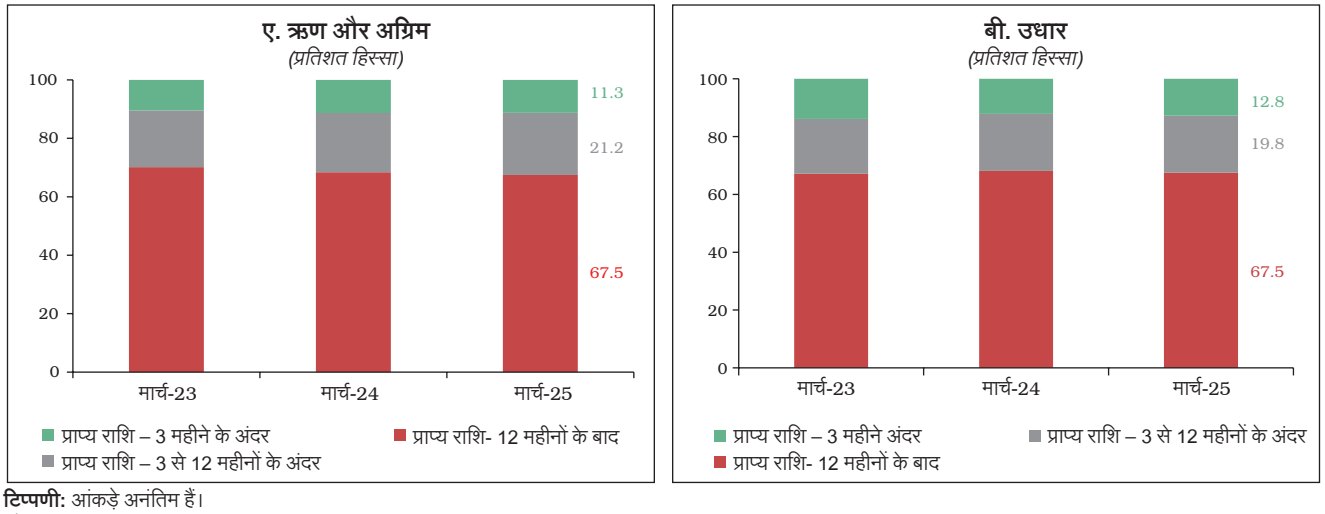

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

[12] एनबीएफसी के लिए एसआरओ- सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क और 'सा-धन' ने 'गार्डरेल' की शुरूआत की और साथ ही प्रति उधारकर्ता ऋण बकाया की सीमा तय कर दी।

क्षेत्र को 15.4 प्रतिशत ऋण दिया गया। इसी अवधि के दौरान सेवाओं को दिए गए ऋण में 29.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, उसके बाद उद्योग और खुदरा ऋणों ने दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित की। बिजली क्षेत्र को दिए गए ऋण में, जो उद्योग को दिए गए ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा है, मार्च 2025 के अंत में कुछ कमी आई, यह एक वर्ष पहले के 58.2 प्रतिशत से घटकर 56.1 प्रतिशत हो गई। सेवाओं के भीतर, व्यापार और परिवहन ऑपरेटरों को ऋण, जैसे उप-क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई। नवंबर 2023[13] में चुनिंदा खुदरा ऋणों पर जोखिम भार में वृद्धि के कारण धीमी गति से ही सही परंतु खुदरा ऋण में दोहरे अंकों में वृद्धि जारी रही। एनबीएफसी की बढ़ती भूमिका उनकी ऋण वृद्धि से परिलक्षित होती है, जो इस अवधि के दौरान, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में बैंकों से अधिक हो गई है। सितंबर 2025 के अंत में, सकल ऋण वृद्धि में दोहरे अंकों में विस्तार जारी रहा (चार्ट VI.6, सारणी VI.6, और परिशिष्ट सारणी VI.5)।

VI.17 एनबीएफसी, एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने में अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करके और डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। एनबीएफसी द्वारा सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को दिया गया उधार एमएसएमई उद्योगों को दिए गए उधार की तुलना में अधिक है। एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल ऋण में एमएसएमई

सारणी VI.6: एनबीएफसी द्वारा क्षेत्रवार ऋण-अभिनियोजन

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में
1	2	3	4
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	**84,712**	**82,059**	**87,840**
2. उद्योग, *जिसमें*	**19,37,033**	**22,91,605**	**23,94,110**
2.1 ऊर्जा	11,26,554	12,85,589	13,21,790
3. सेवाएँ, *जिसमें*	**5,73,198**	**7,44,181**	**8,01,470**
3.1 परिवहन संचालक	1,32,778	1,61,937	1,66,426
3.2 व्यापार	95,149	1,27,923	1,33,648
4. खुदरा ऋण, *जिसमें*	**13,82,146**	**16,31,900**	**18,38,897**
4.1 वाहन/ऑटो ऋण	4,77,135	5,71,954	6,11,714
4.2 स्वर्ण के बदले व्यक्तियों को अग्रिम	1,54,315	2,08,482	2,61,728
4.3 सूक्ष्म वित्त ऋण/ एसएचजी ऋण	1,50,750	1,33,186	1,24,089
5. अन्य	**75,643**	**88,998**	**83,227**
सकल अग्रिम (1 से 5)	**40,52,732**	**48,38,744**	**52,05,544**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.6: एनबीएफसी के ऋण का वियोजन

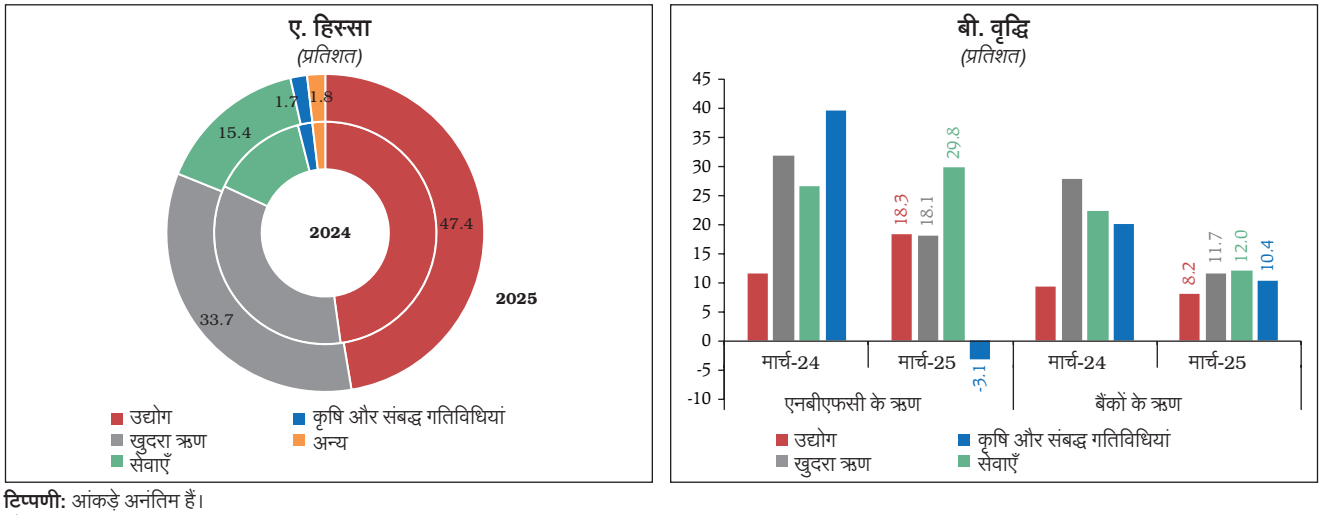

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

[13] आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, स्वर्ण आभूषण पर ऋण और सूक्ष्म वित्त/एसएचजी ऋणों को छोड़कर, खुदरा ऋण के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी (बकाया और नए) के उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर से संबंधित जोखिम भार को 100 से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया था, दिनांक 16 नवंबर 2023।

चार्ट VI.7: एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

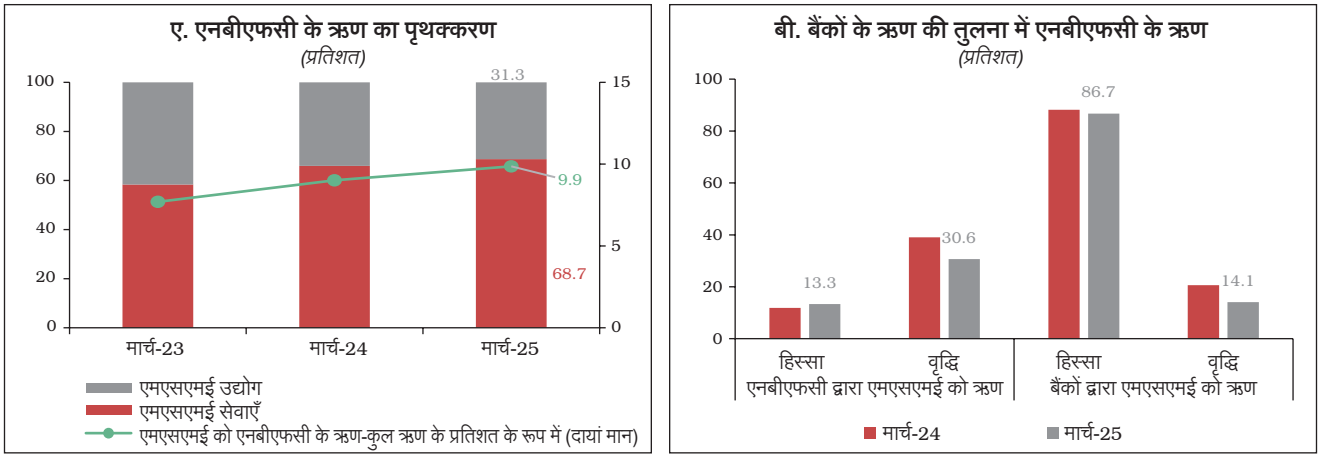

टिप्पणियाँ: 1. चार्ट 'बी' में हिस्सा, एनबीएफसी और बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिए गए कुल ऋण में हिस्से को संदर्भित करता है।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

को दिए गए ऋण का अनुपात बढ़ रहा है, जो मार्च 2025 के अंत तक लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो एमएसएमई की जरूरतों को पूरा करने में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करता है (चार्ट VI.7ए)। बैंकों की तुलना में, एनबीएफसी ने उच्च ऋण वृद्धि दर्ज की, और 2024-25 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को दिए ऋण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई (चार्ट VI.7बी)।

VI.18 खुदरा ऋण सेगमेंट में, एनबीएफसी ने वाहन वित्तपोषण, स्वर्ण ऋण[14] और सूक्ष्म वित्त में मजबूत स्थिति बनाए रखी, क्योंकि ये तीन सेगमेंट मिलकर उनके खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का 56 प्रतिशत हिस्सा थे। एनबीएफसी को स्वर्ण ऋण सेगमेंट में बैंकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मार्च 2025 के अंत में बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल स्वर्ण ऋण में एनबीएफसी की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण गिरावट आई (चार्ट VI.8ए)। एनबीएफसी ने मार्च 2025 के अंत में बैंकों की तुलना में दोगुनी से अधिक वृद्धि हासिल करते हुए वाहन वित्तपोषण में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में कामयाबी

चार्ट VI.8: बैंकों की तुलना में एनबीएफसी द्वारा दिए गए चुनिंदा खुदरा ऋण

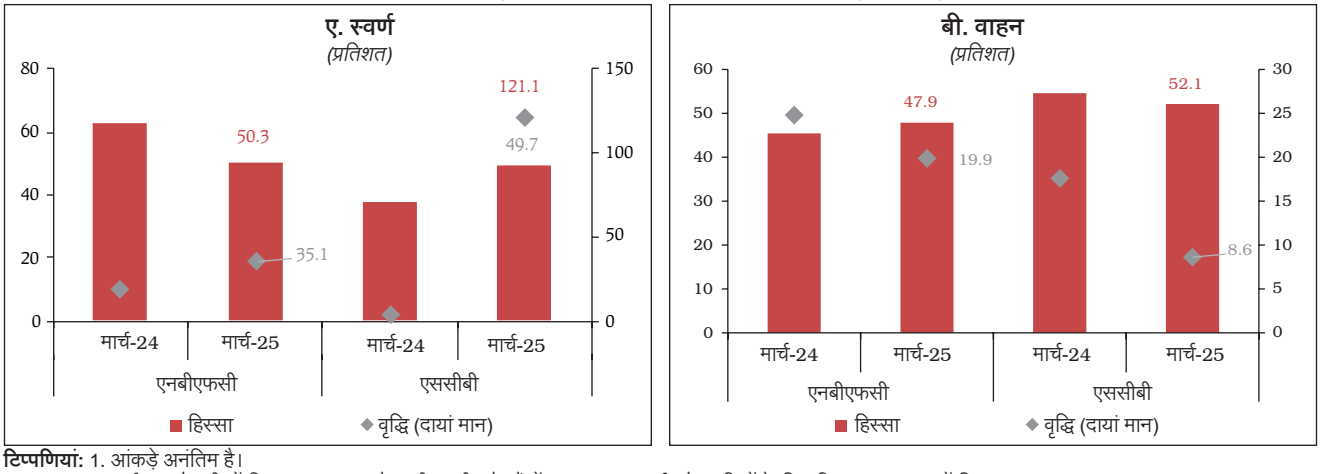

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम है।
2. चार्ट 'ए' और 'बी' में हिस्सा का मतलब है एनबीएफसी और बैंकों द्वारा क्रमश: स्वर्ण और गाड़ियों के लिए दिए गए कुल ऋण में हिस्सा।
3. चार्ट 'ए' में, एससीबी द्वारा स्वर्ण ऋण स्वर्ण आभूषणों पर ऋण को संदर्भित करता है। एनबीएफसी द्वारा स्वर्ण ऋण, स्वर्ण के संपार्श्विक में व्यक्तियों को दिए गए अग्रिमों को संदर्भित करता है।

स्रोत: डीबीआईई और पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

[14] स्वर्ण आभूषणों और आभूषणों के गिरवी रखने पर ऋण।

हासिल की है (चार्ट VI.8बी)। रिज़र्व बैंक ने जून 2025[15] में स्वर्ण और चांदी के संपार्श्विक के बदले ऋण देने संबंधी निदेशों को संशोधित किया, जिसका उद्देश्य एक अधिक सिद्धांत-आधारित और सामंजस्यपूर्ण विनियामकीय ढांचा तैयार करने के साथ-साथ विनियमित संस्थाओं के क्षमता, विवेक और आचरण-संबंधी पक्षों की कमी को दूर करना है।

VI.19 सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए वर्ष 2022 में शुरू किया गया संशोधित विनियामकीय ढांचा[16] के माध्यम से, जिसमें मानकीकृत नियमों को पेश करते हुए ब्याज दर सीमा को समाप्त किया गया था, इस क्षेत्र के प्रणालीगत और सतत विकास की नींव रखी गई थी। सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क (एमएफआईएन) और 'सा-धन' द्वारा शुरू किए गए 'गार्डरेल'[17] ने इस क्षेत्र के स्थिर और समायोजित विकास को प्राथमिकता दी। हालांकि, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र ने सभी ऋणदाताओं सहित दबाव का अनुभव किया, जिसमें अन्य एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर) को छोड़कर - मार्च 2025 के अंत तक ऋण में संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट VI.9)। आगे बढ़ते हुए, विनियमित संस्थाओं को इस सेगमेंट में निर्मित होने वाले दबाव पर निगरानी रखने की आवश्यकता है।

2.4. संसाधन जुटाना

VI.20 एनबीएफसी बैंकों और बाजारों दोनों से संसाधन जुटाते हैं। हाल के वर्षों में एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषण के स्रोतों में कुछ हद तक विविधता आई है - मुख्य रूप से ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण के साथ-साथ विदेशी स्रोतों से उधार लेने में।

2.4.1. उधार

VI.21 बैंक उधार और डिबेंचर एनबीएफसी के लिए निधीयन के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। हालाँकि, इन स्रोतों की संयुक्त हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में 74.2 प्रतिशत से मामूली घटकर सितंबर 2025 के अंत में 72.9 प्रतिशत हो गई है (सारणी VI.10)। एनबीएफसी अंतर-कॉर्पोरेट उधार, वाणिज्यिक पत्रों, वित्तीय संस्थानों और गौण ऋण के माध्यम से भी उधार लेते हैं। (चार्ट VI.7)।

VI.22 बैंक प्रत्यक्ष ऋण देने के अलावा, एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों में भी निवेश

चार्ट VI.9: विनियमित संस्थाओं में बकाया सूक्ष्म ऋण

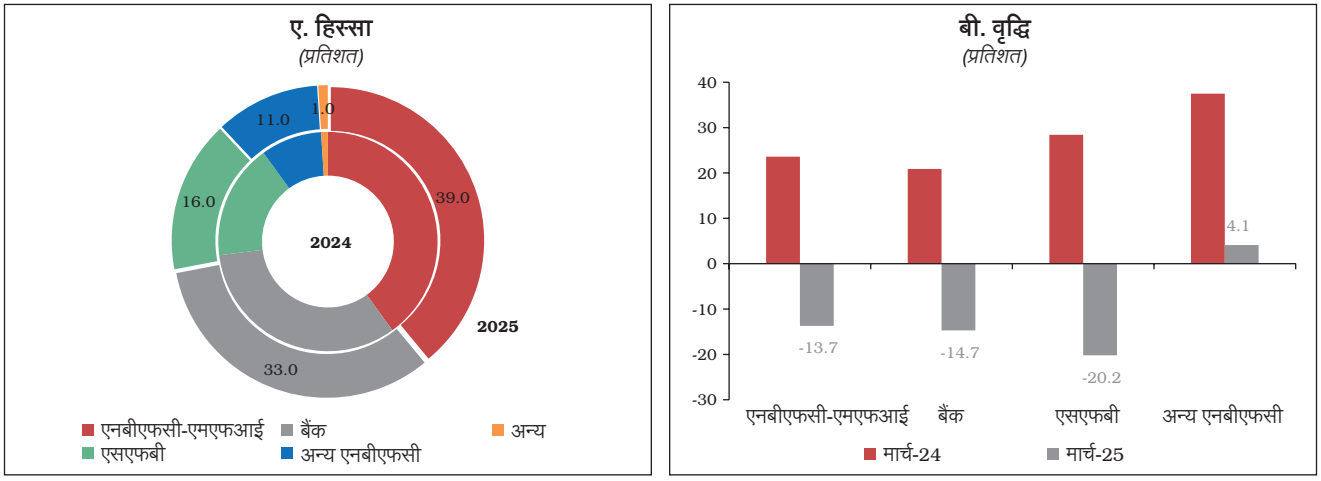

टिप्पणी: चार्ट 'ए' में 'एसएफबी' का मतलब लघु वित्त बैंक हैं।
स्रोत: माइक्रोमीटर, अंक 53, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स नेटवर्क।

15 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025।

16 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-दायित्वपूर्ण कारोबारी आचरण) निदेश 2025।

17 एनबीएफसी के लिए एसआरओ- सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क और 'सा-धन' ने 'गार्डरेल' की शुरूआत की और साथ ही प्रति उधारकर्ता ऋण बकाया की सीमा तय कर दी।

सारणी VI.7: एनबीएफसी के उधार के स्रोत

(₹ करोड़)

मदें	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत भिन्नता	
				2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
1. डिबेंचर	12,32,999 (35.6)	14,76,698 (35.3)	16,20,223 (36.0)	11.3	19.8
2. बैंक उधार	13,38,088 (38.6)	15,56,648 (37.2)	16,59,501 (36.9)	18.8	16.3
3. एफआई से उधार	1,17,157 (3.4)	1,40,199 (3.4)	1,44,859 (3.2)	30.8	19.7
4. अंतर-कॉर्पोरेट उधार	1,05,415 (3.0)	1,37,537 (3.3)	1,59,401 (3.5)	5.9	30.5
5. वाणिज्यिक पत्र	1,05,439 (3.0)	1,35,232 (3.2)	1,56,199 (3.5)	26.1	28.3
6. सरकार से उधार	18,282 (0.5)	18,442 (0.4)	18,566 (0.4)	-2.7	0.9
7. गौण ऋण	75,399 (2.2)	93,040 (2.2)	97,529 (2.2)	5.5	23.4
8. अन्य उधार	4,73,503 (13.7)	6,23,418 (14.9)	6,43,147 (14.3)	23.7	31.7
कुल उधार	**34,66,283**	**41,81,214**	**44,99,426**	**16.3**	**20.6**

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधार में हिस्सेदारी दर्शाते हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

करते हैं। एनबीएफसी के कुल उधार में बैंकों से लिए समग्र उधार का हिस्सा अधिक बना हुआ है, हालांकि हाल के वर्षों में इसमें कुछ कमी आई है (चार्ट VI.11ए)। मार्च 2025 के अंत में एनबीएफसी को बैंक ऋण कुल बैंक ऋण का 8.5 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष में यह 8.9 प्रतिशत था (चार्ट VI.11बी)।

VI.23 एनबीएफसी द्वारा जमानती और गैर-जमानती दोनों उधार मार्च 2025 के अंत में तेजी से बढ़े (चार्ट VI.12)। वाणिज्यिक पत्रों के बढ़ते निर्गम और अंतर-कॉर्पोरेट उधार के कारण गैर-जमानती उधार में वृद्धि हुई।

2.4.2. जनता की जमाराशियां

VI.24 जनता की जमाराशियां, जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) के लिए निधियों का

चार्ट VI.10: एनबीएफसी द्वारा उधार के प्रमुख स्रोत

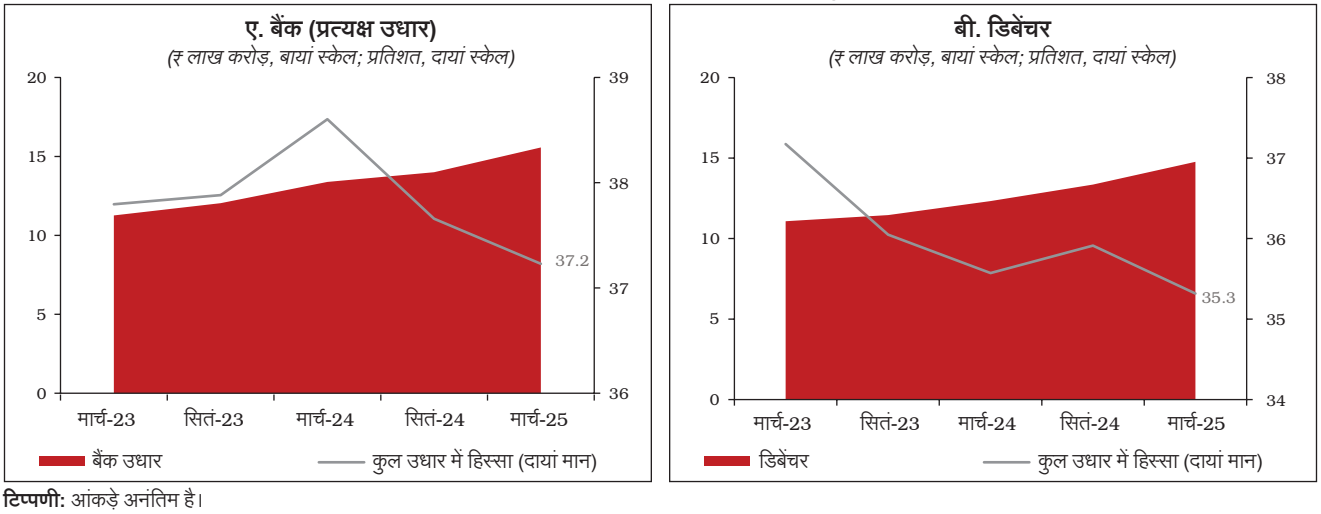

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.11: एनबीएफसी में बैंकों का एक्सपोजर

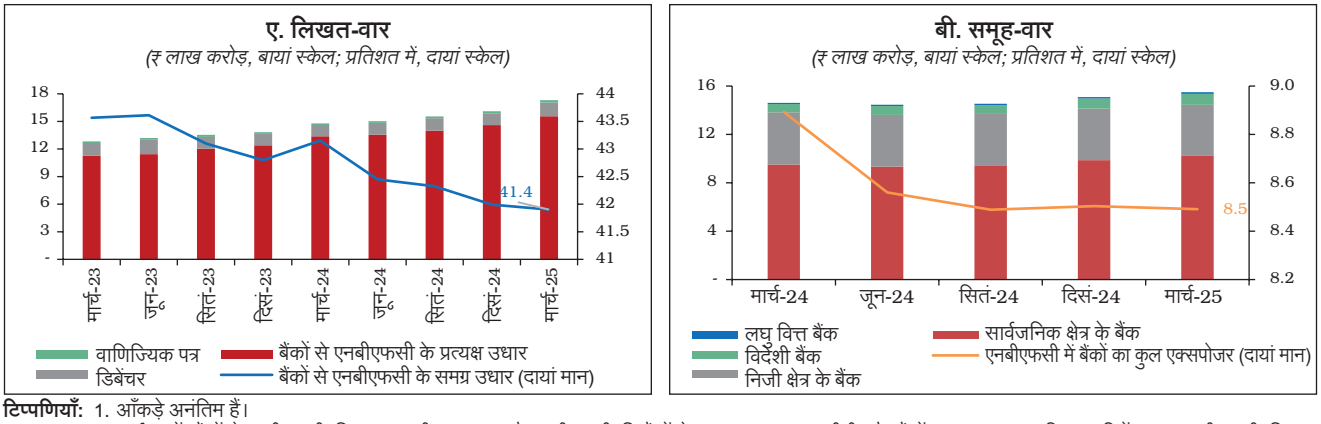

टिप्पणियाँ: 1. आँकड़े अनंतिम हैं।
2. चार्ट 'ए' में, बैंकों से एनबीएफसी की कुल उधारी का मतलब है, एनबीएफसी की बैंकों से कुल प्रत्यक्ष उधार, सीपी और बैंकों द्वारा सब्सक्राइब किए गए डिबेंचर का एनबीएफसी की कुल उधारी में हिस्सा।
3. चार्ट 'बी' में, एनबीएफसी में बैंकों के कुल एक्सपोज़र का मतलब है, बैंकों के कुल ऋण में एनबीएफसी को बैंकों (लघु वित्त बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक) का बकाया प्रत्यक्ष उधार का हिस्सा।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

वैकल्पिक स्रोत है जो मार्च 2025 के अंत में एनबीएफसी-डी की कुल देयताओं का 12.5 प्रतिशत है (परिशिष्ट सारणी VI.4)। हालांकि एनबीएफसी-डी की संख्या में गिरावट आई, लेकिन उनकी जमाराशि में 2024-25 में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के कारण दोहरे अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट VI.13ए)। पांच प्रमुख एनबीएफसी-डी में जमाराशियों का संकेंद्रण है, जो कुल जमाराशि का 96.9 प्रतिशत है (चार्ट VI.13बी)। एनबीएफसी-डी द्वारा जुटाई गई जमाराशियों का बीमा, 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम' द्वारा नहीं किया जाता है। जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए मौजूदा विनायामकीय अपेक्षाओं के अनुसार, इन एनबीएफसी के पास सेबी में पंजीकृत किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कम से कम 'बीबीबी–' की निवेश-श्रेणी की रेटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा, जमाराशि की रकम 12 से 60 महीनों की अवधि के लिए उनके निवल स्वाधिकृत निधि के 1.5 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ब्याज दरें 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष पर सीमित होनी चाहिए।

चार्ट VI.12: एनबीएफसी के उधारों की प्रकृति

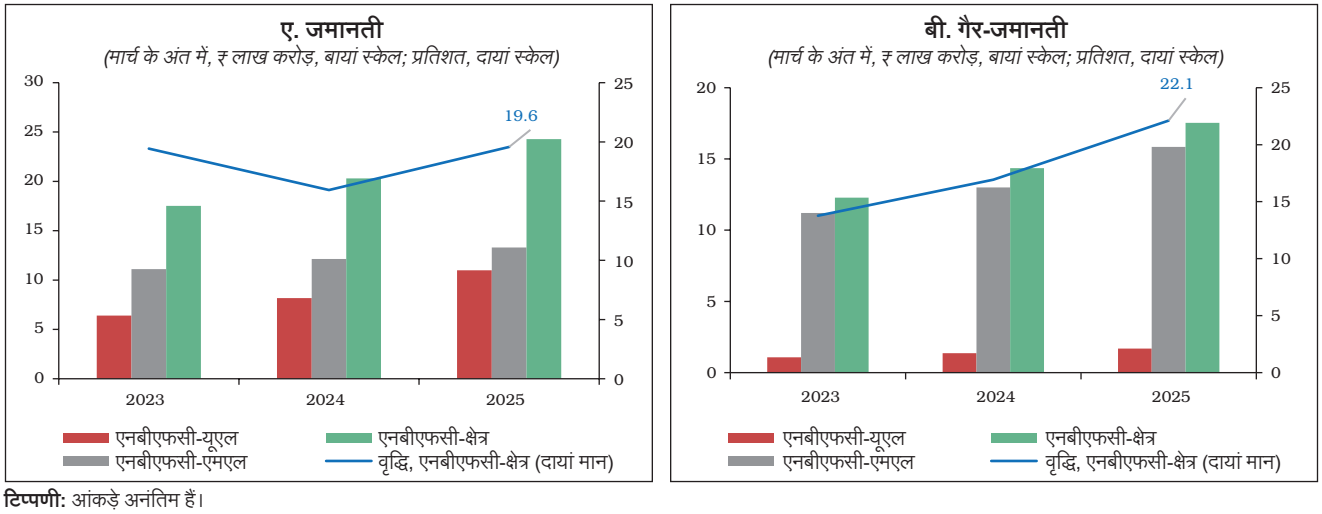

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणीयां, आरबीआई।

चार्ट VI.13: एनबीएफसी-डी के पास जनता की जमाराशियां

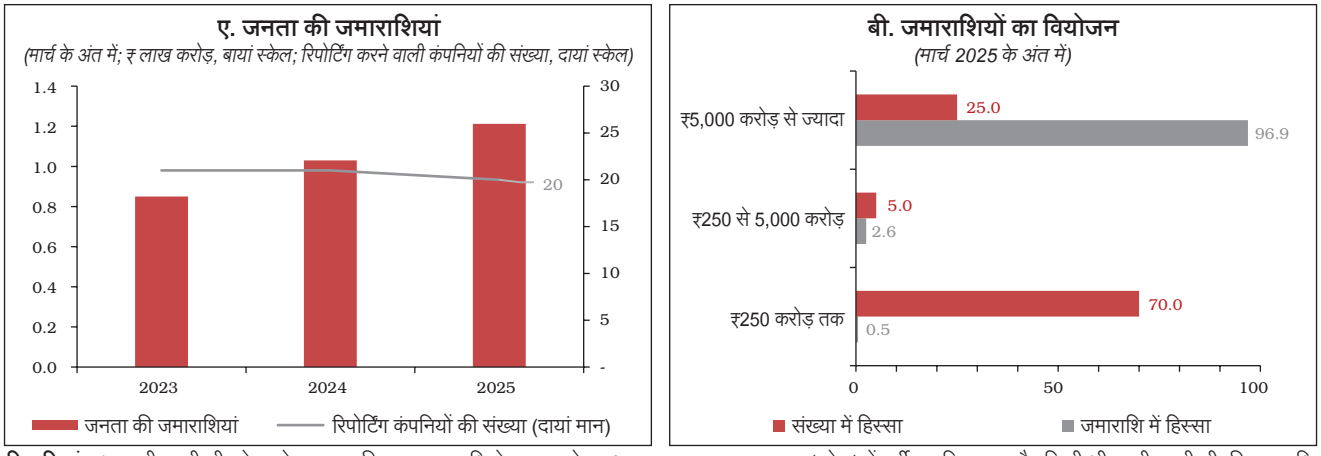

टिप्पणियां: 1. एनबीएफसी-डी को उनके, जनता की समग्र जमाराशि के आकार के आधार पर, अलग-अलग समूह (बकेट) में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी एनबीएफसी-डी की जमाराशि ₹250-500 करोड़ और ₹500-1,000 करोड़ के समूह (बकेट) में नहीं था।
2. आंकड़े अनंतिम है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

2.4.3. ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण

VI.25 ऋण देने वाली संस्थाएं आम तौर पर चलनिधि सृजन, अपने जोखिम को पुनर्संतुलित करने और विनियामकीय अनुपालन के लिए ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण को साधन के रूप में उपयोग करती हैं। 2024-25 के दौरान, जहां एनबीएफसी ने प्रत्यक्ष ऋण बिक्री के माध्यम से बड़ी मात्रा में निधि जुटाई, वहीं संसाधन जुटाने के स्रोत के रूप में उनकी प्रतिभूतीकरण की गतिविधि भी बढ़ रही है। बैंक इन दोनों क्षेत्रों में प्रमुख प्रतिस्पर्धी बने रहे क्योंकि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण अपेक्षाओं[18] के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इन व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं (चार्ट VI.14)।

2.4.4. विदेशी देयताएं

VI.26 एनबीएफसी मुख्य रूप से उधार लेकर और डिबेंचर जारी कर विदेशी स्रोतों से भी निधि जुटाते हैं (सारणी VI.8)।

चार्ट VI.14: एनबीएफसी द्वारा ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण

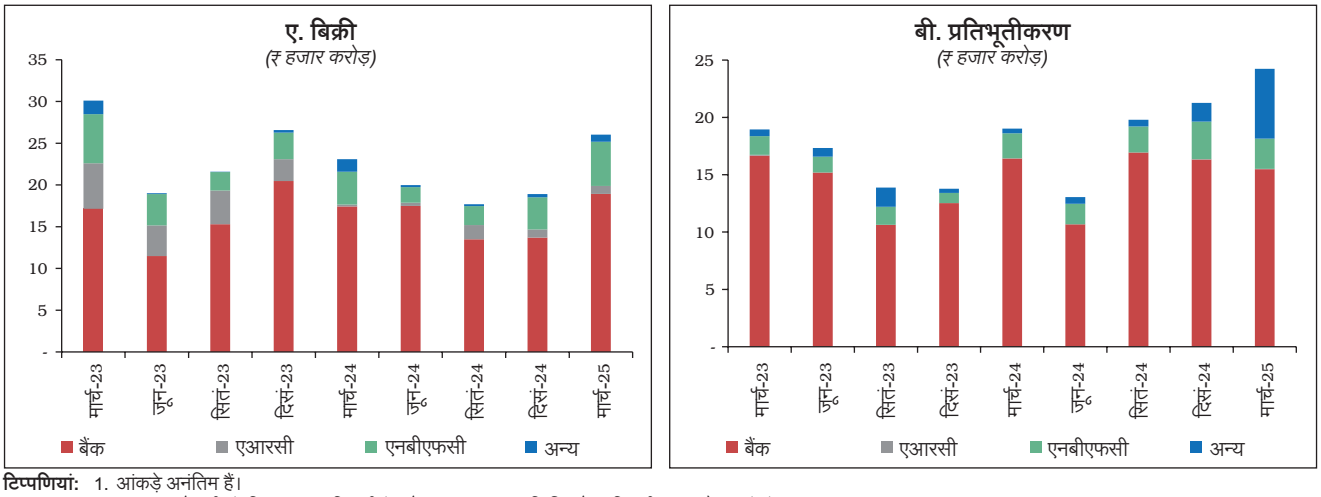

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. चार्ट 'ए' और 'बी' में दिए गए मान तिमाही के दौरान क्रमशः ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण को दर्शाते हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

18 बैंक अपने निवेश को संबंधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणियों के तहत 'प्रतिभूतीकरण नोटों' और 'ऋणों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंकों द्वारा आस्ति-समूह का समनुदेशन/एकमुश्त खरीद' में वर्गीकृत कर सकते हैं, बशर्ते कि आस्तियां बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा शुरु की गई हों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हों और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रही हों।

सारणी VI.8: एनबीएफसी की विदेशी देयताएं

(₹ करोड़)

मदें	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत भिन्नता	
				2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
1. इक्विटी शेयर	48,777	48,811	49,797	19.4	0.1
i) विदेशी संस्थागत निवेशक	1,911	3,315	3,854	41.5	73.4
ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	46,865	45,496	45,943	18.7	-2.9
2. उधार	2,56,790	4,69,636	5,32,375	26.5	82.9
3. बॉण्ड/डिबेंचर	1,24,559	1,28,201	1,30,268	-1.7	2.9
4. अन्य	19,234	24,229	28,846	34.8	26.0
कुल विदेशी देयताएं (1 से 4)	**4,49,359**	**6,70,876**	**7,41,286**	**16.8**	**49.3**
कुल देयताएं	**51,39,470**	**61,09,126**	**65,51,157**	**17.1**	**18.9**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

कुल देयताओं में विदेशी स्रोतों से उधार का हिस्सा मार्च 2025 के अंत में 7.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2025 के अंत में 8.1 प्रतिशत हो गया, जबकि मार्च 2024 में यह 5.0 प्रतिशत था, जो मामूली बदलाव का संकेत है।

2.5. एनबीएफसी की आस्ति देयता प्रोफाइल

VI.27 एनबीएफसी ने मार्च 2025 के अंत में निवल धनात्मक चलनिधि बनाए रखी जो इस क्षेत्र के लिए चलनिधि की सहज स्थिति को दर्शाता है। चलनिधि बेमेल[19] एनबीएफसी की चलनिधि-स्थिति का एक प्रमुख संकेतक है। 1-30/31 दिनों के समूह (बकेट) के भीतर, एनबीएफसी के पास मार्च 2025 के अंत में कुल बहिर्वाह के हिस्से के रूप में 100 प्रतिशत से अधिक धनात्मक बेमेल था, जो दबाव के प्रबंधन के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्ति बफर का संकेत है। इसके अलावा, छह महीने से एक वर्ष से अधिक, एक वर्ष से अधिक से तीन वर्ष और पांच वर्ष से अधिक की परिपक्वता को छोड़कर सभी समय-समूह (बकेट) में सुधार दर्ज किया गया (चार्ट VI.15)।

चार्ट VI.15: एनबीएफसी की संरचनात्मक चलनिधि विवरणी

(मार्च के अंत में; कुल बहिर्वाह में हिस्से के रूप में बेमेल-प्रतिशत में)

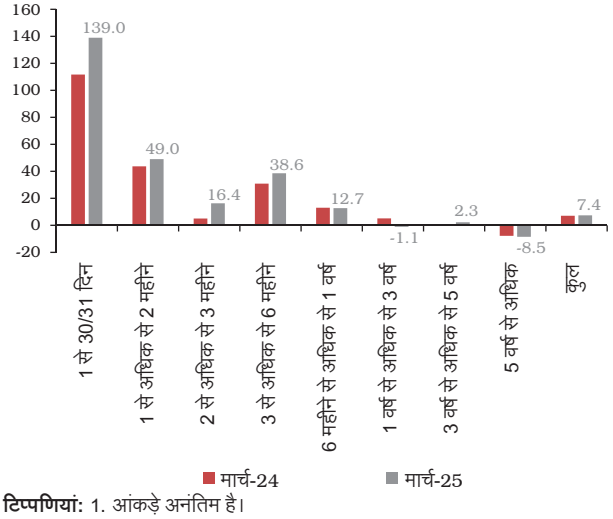

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम है।
2. बेमेल का अर्थ है प्रवाह (इनफ्लो) घटाव बहिर्वाह (आउटफ्लो)।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

2.6. वित्तीय प्रदर्शन

VI.28 एनबीएफसी ने 93.2 प्रतिशत आय निधि-आधारित स्रोतों से प्राप्त किया, जैसे ब्याज आय और निवेश आय, जबकि शेष शुल्क-आधारित स्रोतों से प्राप्त किया। मार्च 2025 के अंत में एनबीएफसी-एमएल में ब्याज आय वृद्धि में मंदी के कारण एनबीएफसी की कुल आय वृद्धि में कमी आई (सारणी VI.9 और परिशिष्ट सारणी VI.6 और VI.7)। उच्च ब्याज व्यय, एनपीए के लिए प्रावधानीकरण और अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के कारण व्यय में वृद्धि दर्ज की गई। व्यय में वृद्धि के साथ-साथ आय में मंदी के कारण आय की तुलना में लागत अनुपात अधिक हो गया और निवल लाभ में गिरावट आई। प्रमुख प्रदर्शन-संकेतकों जैसे, आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए), इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) और निवल ब्याज मार्जिन

19 विभिन्न समय-समूह (बकेट) में नकदी प्रवाह और नकदी बहिर्वाह के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। एक धनात्मक बेमेल सहज चलनिधि स्थिति को इंगित करता है, जबकि ऋणात्मक बेमेल चलनिधि जोखिम का संकेत देता है।

सारणी VI.9: एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय मानदंड

(₹ करोड़)

मदें	2023-24			2024-25			छमाही1: 2025-26		
	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. आय	5,93,747 (26.8)	1,82,115 (28.9)	4,11,632 (25.9)	6,85,545 (15.5)	2,38,342 (30.9)	4,47,203 (8.6)	3,88,433 (15.3)	1,42,597 (29.8)	2,45,836 (8.3)
बी. व्यय	4,14,444 (23.8)	1,30,395 (27.6)	2,84,049 (22.1)	5,15,351 (24.3)	1,74,008 (33.4)	3,41,343 (20.2)	2,86,968 (20.0)	1,06,522 (35.5)	1,80,446 (12.4)
सी. निवल लाभ	1,40,959 (30.8)	38,618 (34.3)	1,02,341 (29.5)	1,32,286 -(6.2)	48,873 (26.6)	83,412 (-18.5)	79,970 (1.0)	27,012 (14.9)	52,958 (-4.9)
डी. कुल आस्ति	51,39,470 (17.1)	13,59,521 (26.9)	37,79,949 (13.9)	61,09,126 (18.9)	17,81,991 (31.1)	43,27,135 (14.5)	65,51,157 (17.7)	19,98,860 (32.6)	45,52,297 (12.2)
ई. वित्तीय अनुपात (कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में)									
(i) आय	11.6	13.4	10.9	11.2	13.4	10.3	11.9	14.3	10.8
(ii) व्यय	8.1	9.6	7.5	8.4	9.8	7.9	8.8	10.7	7.9
(iii) निवल लाभ	2.7	2.8	2.7	2.2	2.7	1.9	2.4	2.7	2.3
एफ. लागत की तुलना में आय अनुपात (प्रतिशत)	48.8	52.7	47.1	55.2	54.2	55.9	53.2	56.8	50.9

लागत की तुलना में आय अनुपात = (परिचालन व्यय)/(परिचालन आय)*100 .
परिचालन व्यय = कुल व्यय - ब्याज व्यय; परिचालन आय = कुल आय - ब्याज व्यय।
टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दिखाते हैं।
3. छमाही1: 2025-26 के लिए वित्तीय अनुपात वार्षिकीकृत है।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

(एनआईएम) में कमी सभी लेयर में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान एनबीएफसी-एमएफआई के आरओए और आरओई ऋणात्मक हो गए (चार्ट VI.16)।

2.7. सुदृढ़ता संकेतक

VI.29 वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। जीएनपीए अनुपात मार्च 2025 के अंत में घटकर 2.9 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2024 के अंत में 3.5 प्रतिशत था। एनएनपीए अनुपात में भी गिरावट का रुख था, जो एनपीए के प्रभावी समाधान और पर्याप्त प्रावधानीकरण को दर्शाता है। एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर एनबीएफसी के सभी श्रेणियों की आस्ति गुणवत्ता बेहतर हुई है (चार्ट VI.17ए)। एनबीएफसी-एमएफआई की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई जिसके कारण जीएनपीए अनुपात मार्च 2025 के अंत में बढ़कर

चार्ट VI.16: एनबीएफसी के लाभप्रदता अनुपात

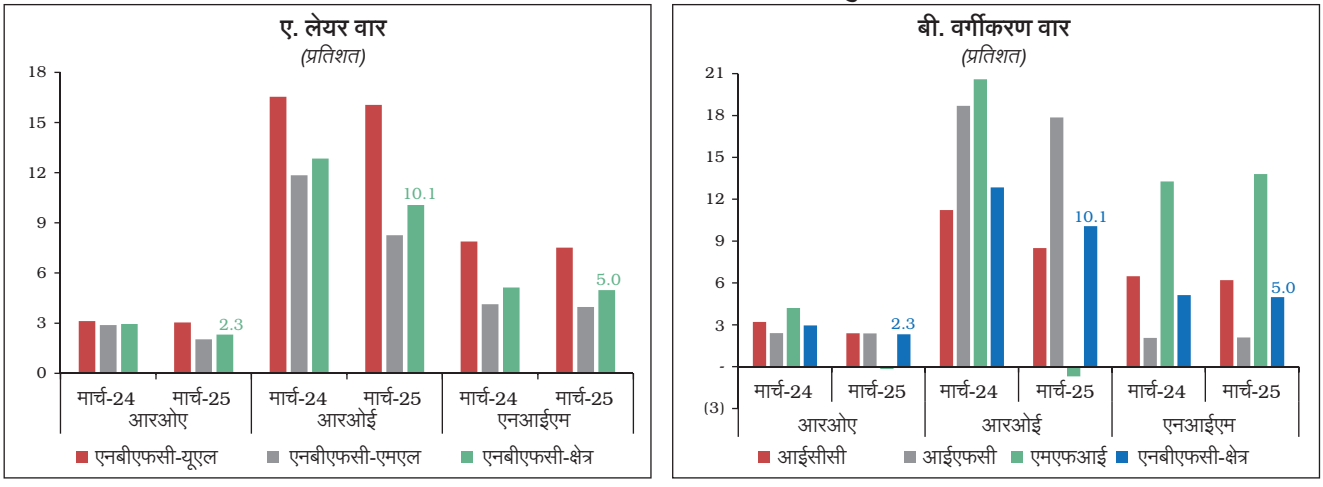

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.17: एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता

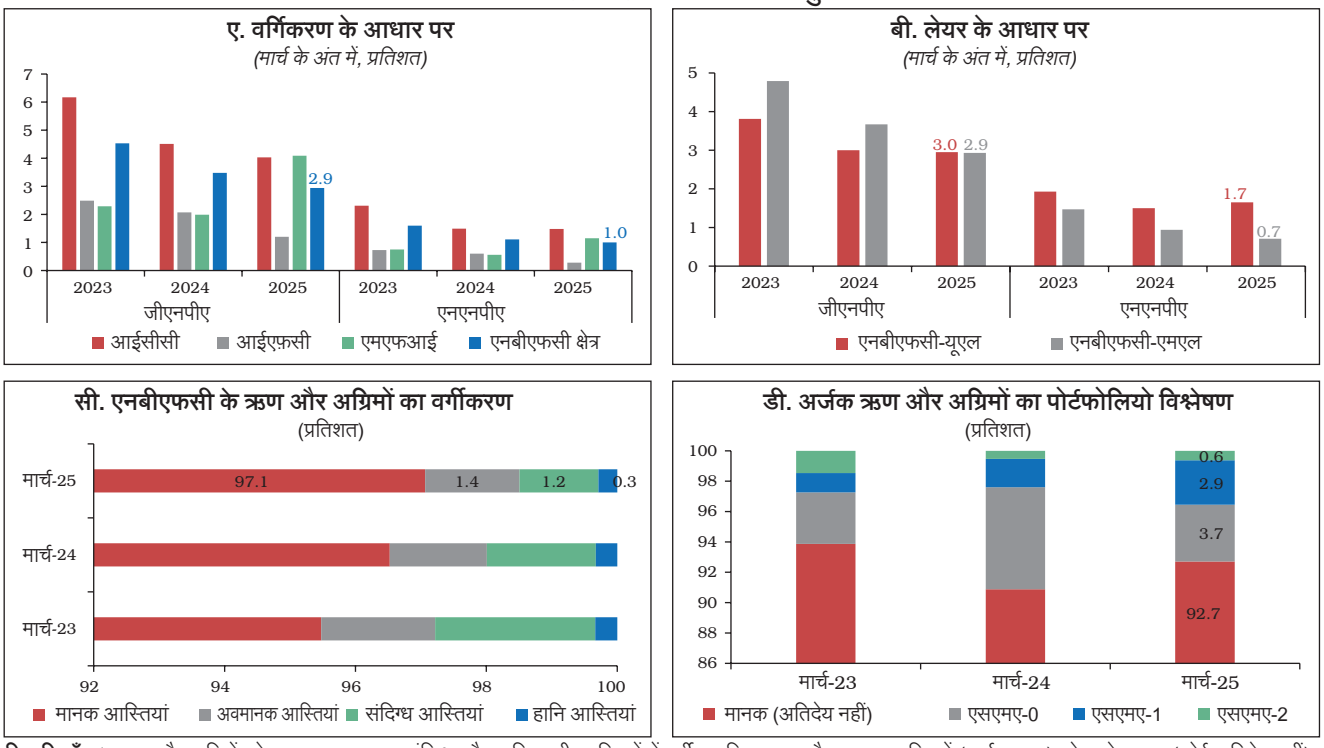

टिप्पणियाँ: 1. ऋण और अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। मानक आस्तियों (अर्जक ऋण) को आगे मानक (कोई अतिदेय नहीं), एसएमए-0, एसएमए-1 और एसएमए-2 में विभाजित किया गया है।
2. एसएमए-0, जहां मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय नहीं था, लेकिन खाते ने प्रारंभिक दबाव के संकेत दिखाए।
3. एसएमए-1, जहां मूलधन या ब्याज भुगतान 31-60 दिनों के लिए अतिदेय था।
4. एसएमए-2, जहां मूलधन या ब्याज भुगतान 61-90 दिनों के लिए अतिदेय था।
5. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

4.1 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2024 में 2.0 प्रतिशत था और एनएनपीए अनुपात इसी अवधि के दौरान 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1.2 प्रतिशत हो गया। इसकी वजह सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में दबाव के साथ-साथ उधारकर्ताओं से वसूली की चुनौतियां थीं। सितंबर 2025 के अंत में, एनबीएफसी-क्षेत्र के जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात उसी स्तर पर थे जो वे मार्च 2025 के अंत में थे।

VI.30 एनबीएफसी-यूएल के मामले में जीएनपीए अनुपात अपरिवर्तित रहा, हालांकि एनएनपीए अनुपात में मार्च 2025 के अंत में कुछ गिरावट दर्ज की गई - मुख्य रूप से प्रावधानों में गिरावट के कारण (चार्ट VI.17बी)। एनबीएफसी-एमएल में जीएनपीए और एनएनपीए दोनों अनुपातों में सुधार देखे गए।

VI.31 एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल ऋण में मानक आस्तियों का हिस्सा बढ़ा, साथ ही अवमानक और संदिग्ध आस्तियों का हिस्सा घटा (चार्ट VI.17सी)। एनबीएफसी को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए 1 और एसएमए 2 श्रेणियां) में बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है (चार्ट VI.17डी)।

VI.32 बड़े उधार खातों (₹5 करोड़ और उससे अधिक का एक्सपोजर) के तहत सकल अग्रिमों में मार्च 2025 के अंत में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो एक वर्ष पहले 16.8 प्रतिशत थी। उनकी आस्ति गुणवत्ता ने महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किया, क्योंकि उनका जीएनपीए मार्च 2024 अंत के 5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 3.3 प्रतिशत हो गया।

VI.33 क्षेत्रवार कृषि और संबद्ध गतिविधियों, परिवहन, खुदरा व्यापार, आवास ऋण, उपभोग्य टिकाऊ वस्तुएं और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के मामले में आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जबकि समग्र उद्योग, वाणिज्यिक अचल संपत्ति, वाहन ऋण

चार्ट VI.18: एनबीएफसी का क्षेत्रवार जीएनपीए अनुपात

(प्रतिशत)

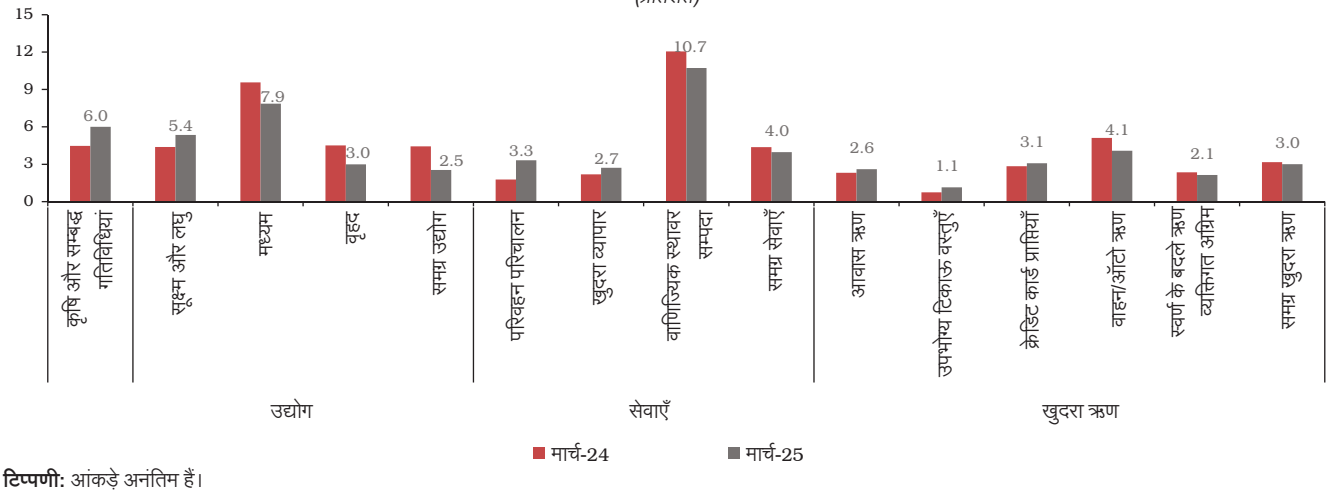

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

और स्वर्ण के बदले अग्रिम के मामले में इसमें सुधार हुआ है (चार्ट VI.18)।

VI.34 विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुसार एनबीएफसी को मानक आस्तियों, अवमानक आस्तियों, हानि वाली आस्तियों और संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान बनाए रखने की जरूरत है। एनबीएफसी द्वारा किए गए प्रावधान मार्च 2025 के अंत में 66.6 प्रतिशत थे (चार्ट VI.19)।

चार्ट VI.19: एनबीएफसी का प्रावधान कवरेज अनुपात

(प्रतिशत)

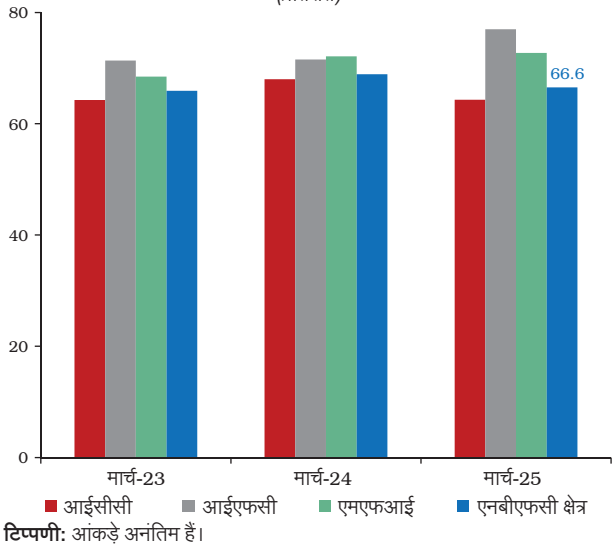

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

VI.35 मार्च 2025 के अंत में 25.9 प्रतिशत के साथ जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सुचारु रूप से पूंजीकृत बनी रहीं, जो 15 प्रतिशत के विनियामकीय अपेक्षा से काफी अधिक है। एनबीएफसी-एमएफआई ने पूर्वोपाय के रूप में 2024-25 के दौरान अपने सीआरएआर को और बढ़ा दिया (चार्ट VI.20)। सितंबर 2025 के अंत में एनबीएफसी क्षेत्र का सीआरएआर 24.9 प्रतिशत था।

2.8 संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर

VI.36 मार्च 2025 के अंत में, एनबीएफसी ने अपने कुल आस्तियों का 25 प्रतिशत संवेदनशील क्षेत्रों[20] को उधार दिया (चार्ट VI.21)। समय के साथ स्थावर संपदा के लिए एनबीएफसी का एक्सपोजर बढ़ता गया, जो मार्च 2025 के अंत में संवेदनशील क्षेत्रों में यह कुल एक्सपोजर का 26.8 प्रतिशत तक पहुंच गया। उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषण की लागत को कम करने के लिए, इन परियोजनाओं[21] पर लागू जोखिम भार को कम करने का प्रस्ताव किया गया था। एसबीआर के तहत आंतरिक सीमाओं का पालन करते हुए 2024-25 के दौरान पूंजी बाजार में निवेश में गिरावट आई।

[20] इसमें पूँजी बाजार का जोखिम, स्थावर संपदा का जोखिम, प्रतिभूतियों में निवेश और पण्य के बदले अग्रिम शामिल हैं।
[21] गवर्नर का वक्तव्य: 01 अक्तूबर, 2025।

चार्ट VI.20: एनबीएफसी का सीआरएआर

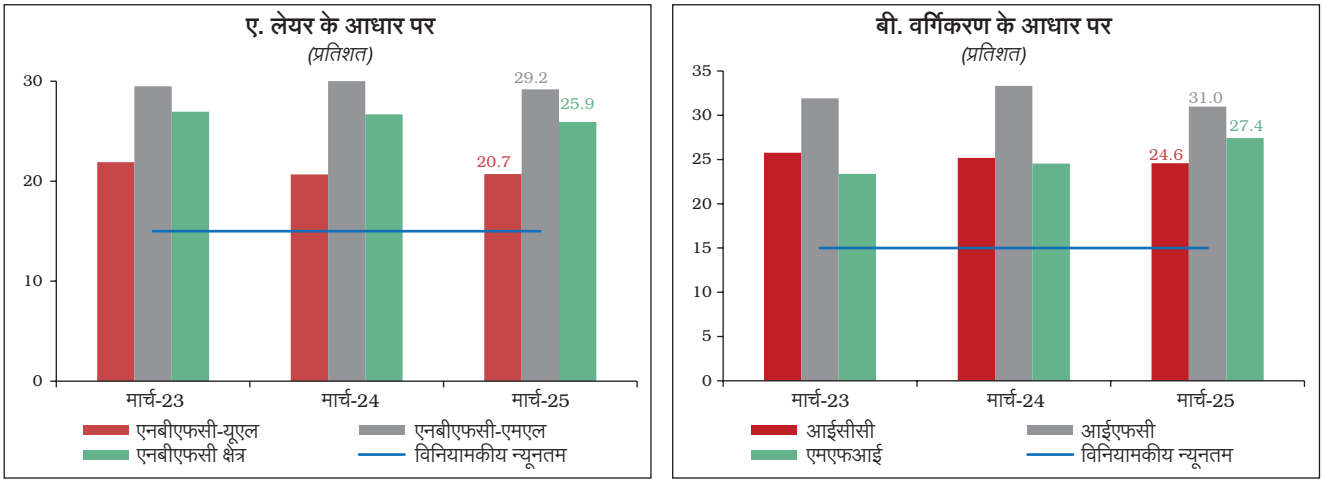

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

3. आवास वित्त कंपनियाँ

VI.37 एचएफसी विशेष वित्तीय संस्थाएं हैं जो मुख्य रूप से आवास वित्त प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा पर्यवेक्षित हैं। रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2019 से एनएचबी से एचएफसी के विनियमन को अपने हाथ में ले लिया। एचएफसी को एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनकी विशिष्ट विशेषताओं और जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर एसबीआर ढांचे के तहत मध्य लेयर या ऊपरी लेयर में रखा गया है। रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ जमा स्वीकृति, चलनिधि, क्रेडिट रेटिंग और निवेश सीमाओं पर मानदंडों को संरेखित करके एचएफसी और एनबीएफसी के लिए विनियमों में सामंजस्य स्थापित कर रहा है।

चार्ट VI.21: संवेदनशील क्षेत्रों में एनबीएफसी का एक्सपोज़र
(प्रतिशत में हिस्सा)

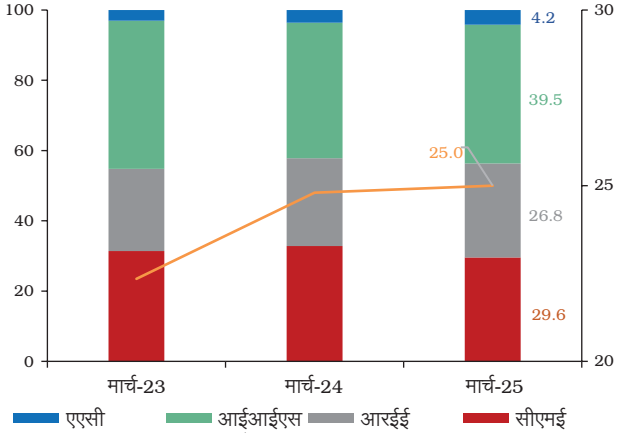

सीएमई: पूंजी बाजार का जोखिम; आरईई: स्थावर संपदा एक्सपोजर; आईआईएस: प्रतिभूतियों में निवेश; एएसी: पण्य के बदले अग्रिम; एसएसई: संवेदनशील क्षेत्र का जोखिम।
टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

VI.38 2024-25 में, मार्च 2024 के अंत में इस क्षेत्र के कुल आस्ति आकार में 15.2 प्रतिशत की संयुक्त हिस्सेदारी वाली दो एचएफसी (एक सरकारी स्वामित्व वाली) को एनबीएफसी-

सारणी VI.10: एचएफसी का स्वामित्व पैटर्न
(मार्च के अंत में)

(₹ करोड़)

प्रकार	2024		2025	
	संख्या	आस्ति का आकार	संख्या	आस्ति का आकार
1	2	3	4	5
ए. सरकारी कंपनियाँ	1	95,990	0	0
बी. गैर-सरकारी कंपनियाँ (1+2)	92	9,78,455	91	10,58,279
1. सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ	71	9,66,912	69	10,43,075
2. निजी लिमिटेड कंपनियाँ	21	11,542	22	15,204
कुल (ए+बी)	**93** (91)	**10,74,445** (9,11,481)	**91**	**10,58,279**

टिप्पणीयाँ: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 2024 के लिए ब्रैकेट में दिए गए आंकड़ों में एनबीएफसी में बदले गए दो एचएफसी के आंकड़े शामिल नहीं है।
स्रोत: एनएचबी।

चार्ट VI.22: एचएफसी, एससीबी और एनबीएफसी द्वारा आवासीय क्षेत्र को प्रदत्त ऋण

(हिस्सेदारी प्रतिशत में, बायाँ मान; वृद्धि प्रतिशत में, दायाँ मान)

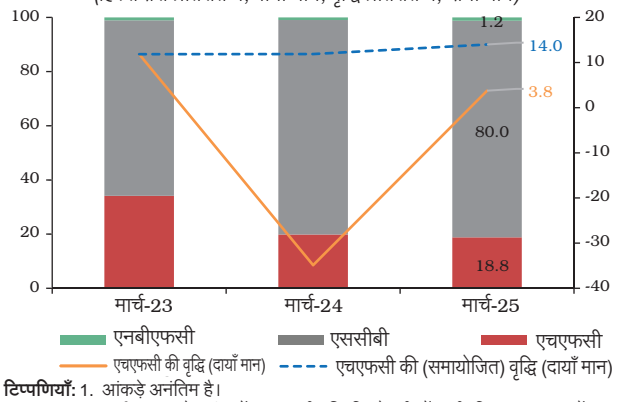

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम है।
2. मार्च 2024 के अंत में एचएफसी की हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट 2023 में एक एचएफसी के बैंक में विलय के कारण से हुई।
3. मार्च 2024 के अंत के लिए समायोजित वृद्धि की तुलना के लिए, मार्च 2023 के अंत से विलय की गई इकाई को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार, मार्च 2025 के अंत के लिए समायोजित वृद्धि में मार्च 2024 के अंत से दो परिवर्तित संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: एनएचबी।

आईएफसी और एनबीएफसी-आईसीसी[22] में परिवर्तित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2025 के अंत तक एचएफसी की कुल आस्ति में कमी आई (सारणी VI.10)।

VI.39 आवास क्षेत्र (बैंक, एचएफसी और एनबीएफसी संयुक्त) को कुल ऋण में एचएफसी की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में घटकर 18.8 प्रतिशत हो गई, क्योंकि दो एचएफसी के एनबीएफसी में परिवर्तन के कारण एचएफसी की संख्या कम हो गई (चार्ट VI.22)। मार्च 2025 के अंत में एचएफसी द्वारा दिए गए ऋण में आवास ऋण का हिस्सा 73.8 प्रतिशत था।

3.1 तुलन पत्र

VI.40 मार्च 2025 के अंत में एचएफसी की कुल आस्ति में 16.1 प्रतिशत[23] की वृद्धि हुई, जिसमें मुख्य रूप से ऋण और अग्रिमों में वृद्धि का योगदान सर्वाधिक था, जो कुल आस्तियों का 90.7 प्रतिशत था (सारणी VI.11)। बढ़ते शहरीकरण और घर के स्वामित्व की मांग ने आवास ऋण में वृद्धि को बनाए रखा है। देयताओं के पक्ष में, वृद्धि को बड़े पैमाने पर डिबेंचर, शेयर पूंजी और आरक्षित निधियों द्वारा सुगम बनाया गया था।

सारणी VI.11: एचएफसी का समेकित तुलन पत्र

(मार्च के अंत में)

(₹ करोड़)

मद	2024			2025		
	एचएफसी	एचएफसी-एमएल	एचएफसी-यूएल	एचएफसी	एचएफसी-एमएल	एचएफसी-यूएल
1	2(3+4)	3	4	5(6+7)	6	7
1. शेयर पूंजी और आरक्षित निधि	1,96,147 (19.6)	91,261 (24.1)	1,04,886 (16.0)	1,95,650 (21.1)	92,642 (23.9)	1,03,007 (18.6)
2. जनता की जमाराशियां	24,764 (3.3)	5,076 (3.5)	19,689 (3.2)	25,685 (3.8)	5,358 (5.8)	20,327 (3.2)
3. डिबेंचर	2,56,053 (10.3)	59,642 (38.9)	1,96,411 (3.8)	2,96,548 (28.8)	81,411 (72.2)	2,15,136 (17.6)
4. बैंक उधार	3,63,598 (17.8)	1,86,614 (28.8)	1,76,984 (8.0)	3,37,445 (8.0)	1,80,747 (17.9)	1,56,698 (-1.5)
5. वाणिज्यिक पत्र	30,975 (58.2)	10,241 (143.6)	20,734 (34.9)	37,373 (20.7)	13,232 (29.2)	24,141 (16.4)
6. अन्य	2,02,908 (1.5)	1,22,007 (3.7)	80,901 (-1.7)	1,65,578 (9.2)	88,952 (0.8)	76,626 (21.0)
कुल देयताएं /आस्तियां	**10,74,445** (13.3)	**4,74,841** (22.3)	**5,99,604** (7.0)	**10,58,279** (16.1)	**4,62,343** (22.0)	**5,95,935** (11.9)
1. ऋण एवं अग्रिम	9,61,452 (14.8)	4,36,062 (24.0)	5,25,390 (8.2)	9,59,857 (16.6)	4,17,925 (21.8)	5,41,931 (12.9)
2. निवेश	42,797 (-3.7)	10,044 (-14.2)	32,753 (0.1)	34,547 (8.1)	12,972 (32.2)	21,575 (-2.6)
3. नकदी और बैंक जमाशेष	27,486 (3.8)	16,480 (9.2)	11,006 (-3.3)	28,832 (24.2)	19,035 (17.7)	9,797 (39.0)
4. अन्य आस्तियां	42,710 (6.5)	12,255 (28.6)	30,455 (-0.4)	35,043 (6.4)	12,410 (28.2)	22,632 (-2.7)

टिप्पणीयाँ : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दिखाते हैं।
3. मार्च 2025 के अंत के लिए संवृद्धि दर की गणना मार्च 2024 के अंत से दो एचएफसी (जो एनबीएफसी में बदल गए) को हटाकर की जाती है।
4. मार्च 2024 के अंत के लिए संवृद्धि दर की गणना मार्च 2023 के अंत से विलय किए गए एचएफसी को हटाकर की जाती है।

स्रोत: एनएचबी।

[22] 2025-26 (अप्रैल 2025) में एक और एचएफसी को एनबीएफसी-आईसीसी में परिवर्तित कर दिया गया।

[23] मार्च 2025 के अंत के लिए वृद्धि दर की गणना मार्च 2024 के अंत से दो एचएफसी (जो एनबीएफसी में परिवर्तित हो गई) को छोड़कर की जाती है।

चार्ट VI.23: एचएफसी द्वारा जुटाए गए संसाधन

(मार्च के अंत में; हिस्सेदारी प्रतिशत में)

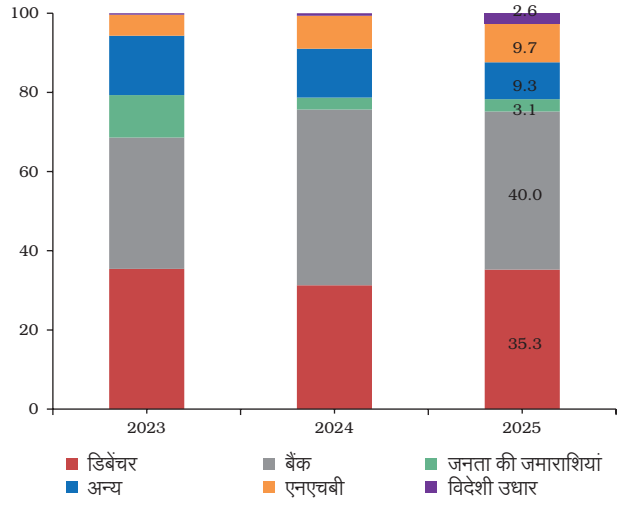

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: एनएचबी।

3.2. एचएफसी का संसाधन प्रोफ़ाइल

VI.41 बैंकों और डिबेंचरों से प्राप्त उधार, एचएफसी के लिए धन जुटाने के प्रमुख स्रोत बने रहे (मार्च 2025 के अंत में जुटाए गए कुल संसाधनों का 75.3 प्रतिशत) [चार्ट VI.23]। बैंक उधार का हिस्सा मामूली रूप से कम हो गया, जबकि डिबेंचर का हिस्सा बढ़ गया। एचएफसी की विदेशी उधारी मार्च 2025 के अंत में एनबीएफसी के मामले में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप बढ़ी।

VI.42 91 एचएफसी में से सात को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति है। मार्च 2025 के अंत में, 99 प्रतिशत जमा 6 से 9 प्रतिशत की ब्याज दर सीमा में केंद्रित थे। 2-4 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जनता की जमाराशियों में अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी होती है और इसके बाद मार्च 2025 के अंत में 4-5 वर्ष होते हैं (चार्ट VI.24)। इसके साथ ही, मौजूदा विनियामक प्रतिबंधों के कारण 5 वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों में गिरावट आने की संभावना है, जिसमें सभी जनता की जमाराशियों को एक वर्ष की अवधि के बाद लेकिन पांच वर्ष से पहले चुकाया जाएगा।[24]

3.3. वित्तीय प्रदर्शन

VI.43 एचएफसी के लिए सभी प्रमुख वित्तीय संकेतकों ने 2024-25 में मजबूत वृद्धि दिखाई है। व्यय की तुलना में आय तेजी से बढ़ने के साथ, इसी अवधि के दौरान आरओए में सुधार हुआ (सारणी VI.12)।

चार्ट VI.24: एचएफसी की जनता की जमाराशियों का वितरण

(मार्च के अंत में)

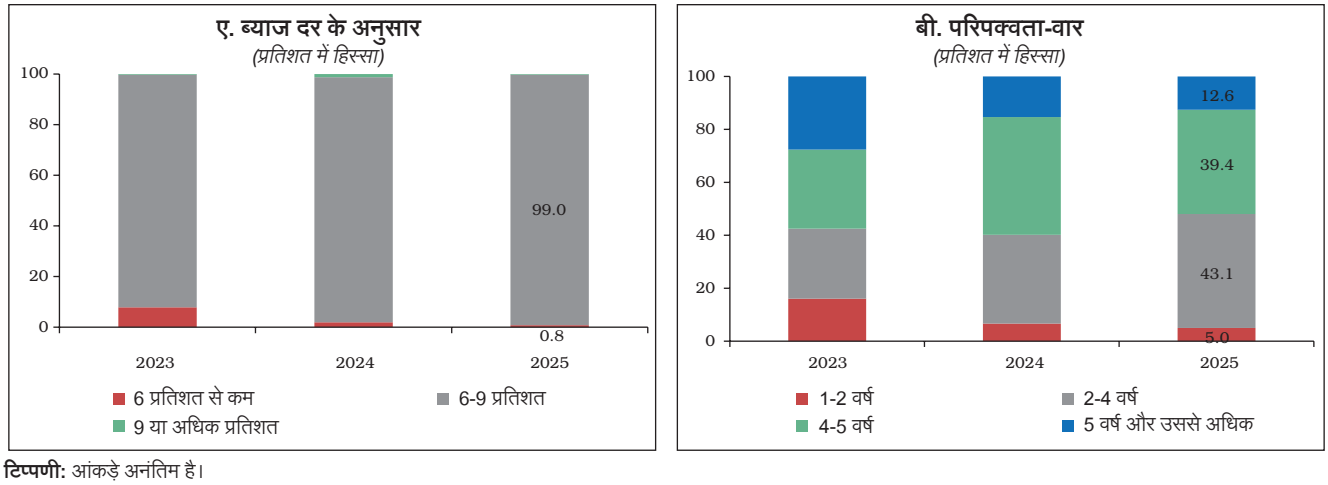

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: एनएचबी।

[24] 'एचएफसी के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा और एचएफसी एवं एनबीएफसी पर लागू नियमों का सामंजस्य' पर 12 अगस्त, 2024 को जारी आरबीआई की अधिसूचना।

सारणी VI.12: एचएफसी के वित्तीय मापदंड

(मार्च के अंत में)

(₹ करोड़)

विवरण	2024	2025
1	2	3
ए. कुल आय	**1,07,639** (13.3)	**1,07,359** (16.7)
1. निधिगत आय	1,02,451 (18.4)	1,00,588 (15.0)
2. शुल्क आय	2,366 (48.1)	3,209 (41.1)
बी. कुल व्यय	**85,292** (14.3)	**82,087** (11.5)
1. वित्तीय व्यय	61,796 (19.4)	60,796 (17.6)
2. परिचालन व्यय	14,733 (24.7)	16,603 (19.8)
सी. कर प्रावधान	**826** (-34.2)	**882** (180.8)
डी. निवल लाभ (पीएटी)	**18,139** (45.7)	**19,637** (29.4)
ई. कुल आस्ति	**10,74,445** (13.3)	**10,58,279** (16.1)
एफ. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय अनुपात		
(i) आय	10.0	10.1
(ii) व्यय	7.9	7.8
(iii) आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	1.7	1.9
G. आय की तुलना में व्यय अनुपात (प्रतिशत)	**79.2**	**76.5**

आय की तुलना में व्यय अनुपात = (कुल व्यय/कुल आय) *100;
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) = पीएटी / कुल आस्तियां ।

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दिखाते हैं।
3. 2023-24 के लिए संवृद्धि दर की गणना 2022-23 से विलय किए गए एचएफसी को हटाकर की जाती है।
4. 2024-25 के लिए संवृद्धि दर की गणना 2023-24 से दो एचएफसी (जो एनबीएफसी में बदल गए) को हटाकर की जाती है।

स्रोत: एनएचबी।

चार्ट VI.26: एचएफसी की पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में, प्रतिशत)

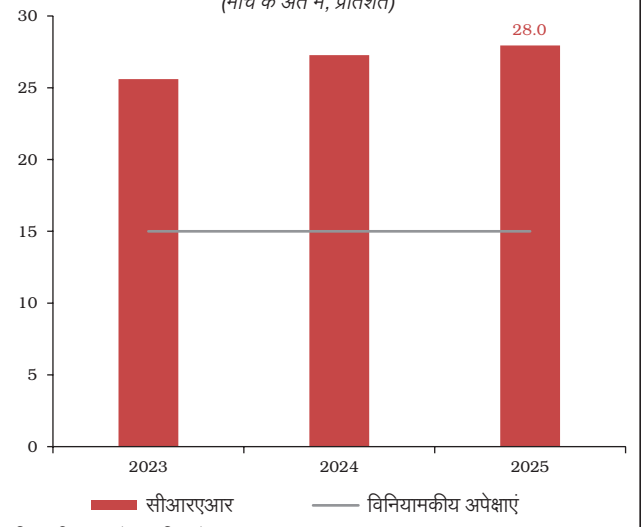

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: एनएचबी।

3.4. सुदृढ़ता संकेतक

VI.44 एचएफसी की आस्ति गुणवत्ता ने मार्च 2025 के अंत में जीएनपीए और एनएनपीए दोनों अनुपातों के आधार पर सुधार दर्ज किया (चार्ट VI.25)। इस क्षेत्र का कुल सीआरएआर 28 प्रतिशत था, जो 15 प्रतिशत की विनियामकीय अपेक्षा से काफी अधिक था (चार्ट VI.26)।

चार्ट VI.25: लेयर के अनुसार एचएफसी की आस्ति गुणवत्ता

(मार्च के अंत में)

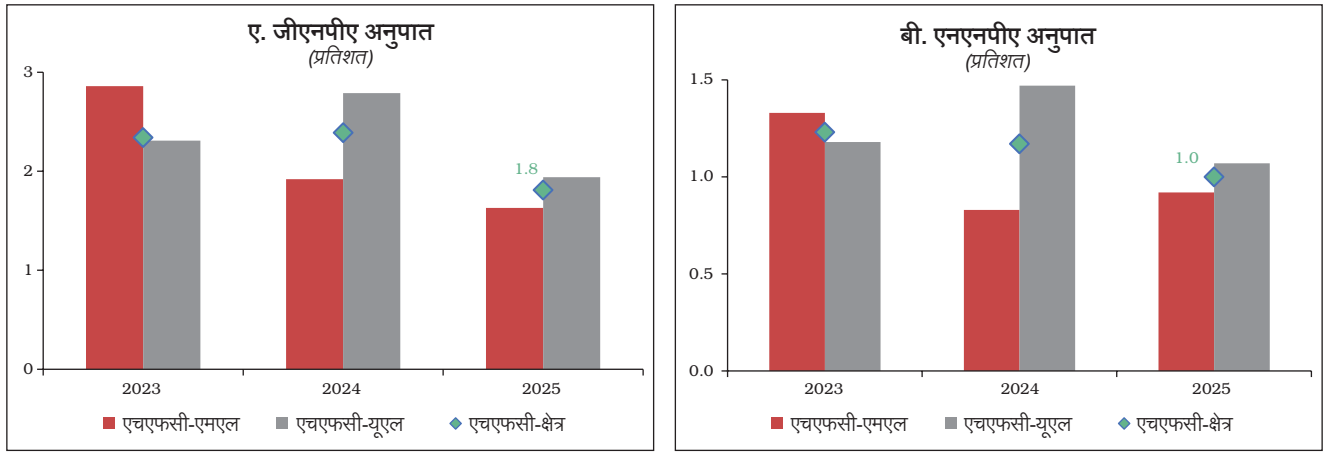

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: एनएचबी।

4. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

VI.45 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), जैसे नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्ज़िम बैंक और एनएबीएफआईडी प्रमुख क्षेत्रों और गतिविधियों के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाने वाले विशेष संस्थान हैं। नाबार्ड सबसे बड़ा एआईएफआई है, जो एआईएफआई की कुल आस्ति का आधा हिस्सा है; यह कृषि और ग्रामीण विकास को मदद करता है। सिडबी एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है; एनएचबी आवास वित्त को सहायता करता है; एक्ज़िम बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है; और एनएबीएफआईडी अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता करने के लिए समर्पित है (चार्ट VI.27)।

4.1. एआईएफआई संचालन[25]

VI.46 एआईएफआई द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता में 2024-25 में मामूली वृद्धि हुई। सिडबी को छोड़कर सभी एआईएफआई ने स्वीकृत और संवितरित दोनों राशियों में मामूली वृद्धि दर्ज की (सारणी VI.13 और परिशिष्ट सारणी VI.8)।

चार्ट VI.27: आस्ति आकार के अनुसार एआईएफआई का वितरण

(मार्च 2024 के अंत में; प्रतिशत में हिस्सा)

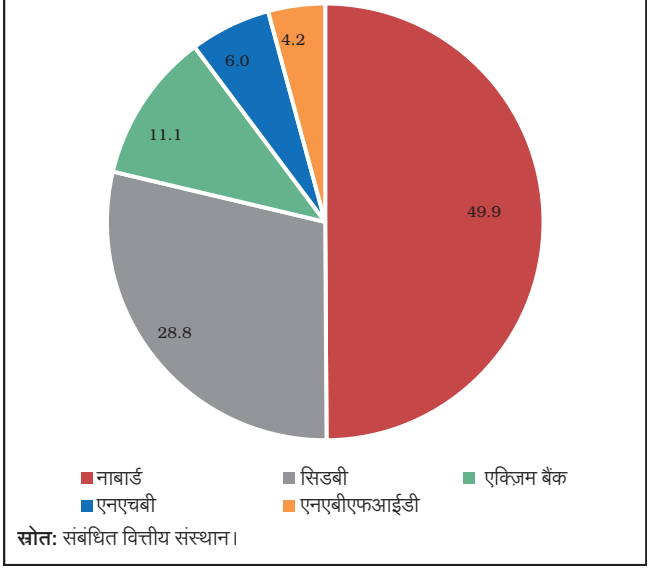

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

सारणी VI.13: एआईएफआई द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

संस्थान	स्वीकृत		संवितरण	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
एक्ज़िम बैंक	1,06,312	1,39,871	89,073	1,28,272
नाबार्ड	4,42,649	4,52,819	4,36,584	4,49,044
एनएचबी	38,738	44,327	32,103	33,369
सिडबी	3,02,590	2,45,989	2,94,942	2,35,258
एनएबीएफआईडी	83,280	1,01,265	26,243	38,535
कुल	**9,73,568**	**9,84,270**	**8,78,944**	**8,84,479**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

4.2. तुलन पत्र

VI.47 एआईएफआई के समेकित तुलन पत्र में मार्च 2025 के अंत में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 20.1 प्रतिशत थी। एक्ज़िम बैंक को छोड़कर सभी एआईएफआई द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम, एआईएफआई की आस्तियों का 85.2 प्रतिशत रहा है, जो यद्यपि एक साल पहले की तुलना में कम है, तथापि इसमें तेज गति से वृद्धि हुई है। एक्ज़िम बैंक और एनएचबी द्वारा निवेश में संकुचन के बावजूद मार्च 2025 के अंत में एआईएफआई के निवेश में 26.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। देयताओं के पक्ष में, 2024-25 के दौरान जबकि बॉण्ड और डिबेंचर तथा उधार में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जमाओं में 6.8 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि सभी एआईएफआई द्वारा जुटाई गई जमाराशि में गिरावट आई (एनएबीएफआईडी जमा स्वीकार नहीं करता है) (सारणी VI.14)।

VI.48 एआईएफआई द्वारा कुल संसाधन जुटाने में वृद्धि 2023-24 में 27.8 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 10.4 प्रतिशत हो गई। अल्पकालिक संसाधनों का हिस्सा पिछले वर्ष के 51.7 प्रतिशत से 2024-25 में महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 69.6 प्रतिशत हो गया, जबकि दीर्घकालिक संसाधनों की

[25] एक्ज़िम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएबीएफआईडी के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक है, जबकि एनएचबी के लिए यह जुलाई से जून तक है।

सारणी VI.14: एआईएफआई का तुलन पत्र

(मार्च के अंत में)

(₹ करोड़)

मद	2023	2024	2025
1	2	3	4
1. पूंजी	55,008 (0.0)	55,008 (0.0)	55,008 (0.0)
2. आरक्षित निधि	99,638 (15.0)	1,15,569 (16.0)	1,35,267 (17.0)
3. बॉण्ड और डिबेंचर	3,62,319 (6.4)	4,30,846 (18.9)	5,21,258 (21.0)
4. जमा	4,94,762 (13.5)	5,58,894 (13.0)	5,20,630 (-6.8)
5. उधार	4,11,114 (58.5)	5,50,613 (33.9)	6,51,808 (18.4)
6. अन्य देयताएं	70,229 (2.4)	81,686 (16.3)	89,112 (9.1)
कुल देयताएं /आस्तियां	**14,93,069** (19.8)	**17,92,616** (20.1)	**19,73,083** (10.1)
1. नकदी और बैंक जमाशेष	46,041 (6.2)	87,710 (90.5)	90,500 (3.2)
2. निवेश	1,00,426 (-13.7)	1,32,375 (31.8)	1,67,760 (26.7)
3. ऋण और अग्रिम	13,17,700 (23.3)	15,39,223 (16.8)	16,80,879 (9.2)
4. बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई	5,290 (73.0)	6,401 (21.0)	5,200 (-18.8)
5. अचल संपत्तियां	1,260 (-0.6)	1,282 (1.8)	1,260 (-1.7)
6. अन्य आस्तियां	22,353 (69.2)	25,624 (14.6)	27,484 (7.3)

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दिखाते हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान ।

हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 45.1 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 28.4 प्रतिशत हो गई (सारणी VI.15)।

सारणी VI.15: 2024-25 में एआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन

(₹ करोड़)

संस्था	कुल जुटाए गए संसाधन				कुल बकाया
	दीर्घावधि	लघु-अवधि	विदेशी मुद्रा	कुल	
1	2	3	4	5	6
एक्ज़िम बैंक*	12,850	84,531	19,432	1,16,813	1,79,181
नाबार्ड	1,17,392	3,96,613	0	5,14,005	8,07,766
एनएचबी	30,371	3,013	0	33,384	97,951
सिडबी	88,389	1,95,468	614	2,84,471	5,12,939
एनएबीएफआईडी	28,201	710	0	28,911	48,302
कुल	**2,77,203**	**6,80,335**	**20,046**	**9,77,584**	**16,46,139**

*दीर्घावधि रुपया स्रोतों में बॉण्ड/डिबेंचर और सावधि ऋण के माध्यम से प्राप्त उधार शामिल हैं; जबकि लघु अवधि स्रोतों में सीपी, सावधि जमा, सीडी और टीआरईपीएस/सीआरओएमएस से उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा स्रोत में अधिकतर बॉण्ड और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में द्विपक्षीय ऋण के माध्यम से प्राप्त उधार और दीर्घावधि खरीद/बिक्री स्वैप के माध्यम से प्राप्त निधि शामिल हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

VI.49 एआईएफआई एक निर्दिष्ट छत्र सीमा के आधार पर मुद्रा बाजार से संसाधन जुटाते हैं, जो उनके निवल स्वाधिकृत निधियों से जुड़ा होता है। मार्च 2025 के अंत में, बैंकों से अल्पकालिक ऋण के माध्यम से एआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन मुद्रा बाजार से जुटाए गए कुल संसाधनों का 51.4 प्रतिशत थे। एआईएफआई की छत्र सीमा का उपयोग मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 69.3 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 65.6 प्रतिशत था (सारणी VI.16)।

4.3. निधियों के स्रोत और प्रयोग

VI.50 एआईएफआई द्वारा जुटाई गई और अभिनियोजित की गई धनराशि में 2024-25 के दौरान 42.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले यह 52.5 प्रतिशत थी। मुख्य रूप से नाबार्ड द्वारा संचालित वित्त पोषण के आंतरिक स्रोतों की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव आया था। 2024-25 में, 83.1 प्रतिशत एआईएफआई निधि का उपयोग पिछली उधारियों को चुकाने के लिए किया गया था (सारणी VI.17)।

4.4. परिपक्वता प्रोफाइल और ऋण की लागत

VI.51 2024-25 के दौरान, जबकि नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के लिए रुपये के संसाधनों की भारित औसत लागत में वृद्धि हुई, एनएबीएफआईडी (चार्ट VI.28ए) के मामले में इसमें मामूली कमी आई। एनएचबी और एनएबीएफआईडी को छोड़कर, सभी एआईएफआई द्वारा जुटाई गई निधियों की भारित औसत परिपक्वता में मामूली गिरावट आई, जो इन

सारणी VI.16: एआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन

(मार्च के अंत में)

(₹ करोड़)

लिखत	2024	2025	प्रतिशत में परिवर्तन
1	2	3	4
ए. कुल	**3,60,150**	**4,15,161**	**15.3**
i) सावधि जमा	12,632	14,491	14.7
ii) सावधि मुद्रा	2,508	10	-99.6
iii) अंतर-कॉरपोरेट जमा	0	0	
iv) जमा प्रमाणपत्र	63,595	88,780	39.6
v) वाणिज्यिक पत्र	1,00,446	98,425	-2.0
vi) बैंकों से अल्पकालिक ऋण	1,80,969	2,13,455	18.0
ज्ञापन:			
बी. छत्र सीमा	2,73,258	2,91,096	6.5
सी. छत्र सीमा का प्रयोग [ए (vi को छोड़कर) बी के प्रतिशत के रूप में]	65.6	69.3	5.7

टिप्पणी: छत्र सीमा पांच लिखतों पर लागू है – सावधि जमा; सावधि मुद्रा ऋण; जमा प्रमाणपत्र (सीडी); वाणिज्यिक पत्र (सीपी); और अंतर-कॉरपोरेट जमा।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान ।

सारणी VI.17: एआईएफआई के स्रोत और निधियों का विनियोजन

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024-25	प्रतिशत में परिवर्तन
1	2	3	4
ए. निधियों के स्रोत (i+ii+iii)	**88,34,046**	**1,26,03,881**	**42.7**
i. आंतरिक	39,05,316	70,73,042	81.1
ii. बाह्य	48,09,099	53,67,547	11.6
iii. अन्य@	1,19,632	1,63,291	36.5
बी. निधियों का विनियोजन (i+ii+iii)	**88,34,046**	**1,26,03,881**	**42.7**
i. नया विनियोजन	15,66,118	15,05,343	-3.9
ii. पिछले उधारों का पुनर्भुगतान	63,65,147	1,04,79,021	64.6
iii. अन्य विनियोजन	9,02,780	6,19,515	-31.4
जिसमें से: ब्याज भुगतान	73,783	73,974	0.3

@: इसमें नकदी और बैंकों और रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष शामिल हैं।
निधियों के स्रोत में अन्य बातों के साथ-साथ अल्पावधि रुपये उधारियां (टीआरईपीएस सहित), एमएफ/टी-बिल/जी-सेक में निवेश की बिक्री/मोचन, मुद्रा बाजार से जुटाई गई निधियाँ शामिल हैं। निधियों के विनियोजन में, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पावधि रुपये की उधारियों (टीआरईपीएस सहित) की चुकौती, ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतान, मुद्रा बाजार में निवल विनियोजन शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम है।
2. ये आंकड़े वर्ष के दौरान प्राप्त और विनियोजन को दिखाते हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

संस्थानों द्वारा वित्तपोषण की दीर्घकालिक प्रकृति को दर्शाती है (चार्ट VI.28बी)। एनएबीएफआईडी के लिए दीर्घकालिक प्रमुख उधार दरों (पीएलआर) में मामूली वृद्धि हुई, जबकि एनएचबी (चार्ट VI.29) के मामले में इसमें गिरावट आई।

4.5. वित्तीय प्रदर्शन

VI.52 एआईएफआई में ब्याज आय में वृद्धि जारी रही, जबकि एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और एनएचबी की गैर-ब्याज

चार्ट VI.29: चुनिंदा एआईएफआई का दीर्घावधि मूल उधार दर संरचना

(मार्च के अंत में; प्रतिशत)

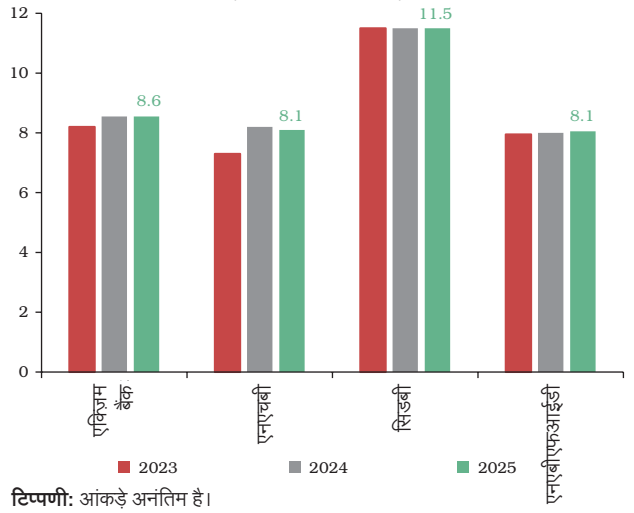

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

आय में 2024-25 में गिरावट दर्ज की गई। ब्याज आय में वृद्धि के साथ-साथ सभी एआईएफआई के लिए ब्याज खर्च भी बढ़ गया। समग्र स्तर पर, 2024-25 में एआईएफआई के परिचालन व्यय में मुख्य रूप से सिडबी और नाबार्ड में कमी के कारण गिरावट आई। वर्ष के दौरान परिचालन लाभ और निवल लाभ में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (सारणी VI.18)।

चार्ट VI.28: एआईएफआई के माध्यम से जुटाए गए रुपये स्रोतों की भारित औसत लागत एवं परिपक्वता

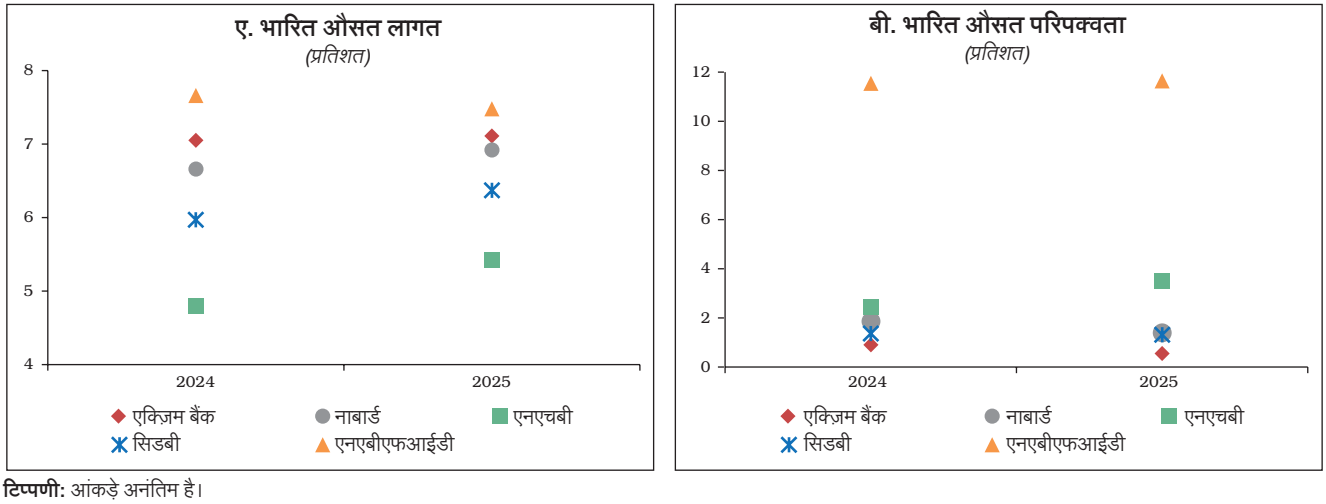

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

सारणी VI.18: एआईएफआई का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़)

मद	23-2022	24-2023	25-2024	प्रतिशत में परिवर्तन	
				24-2023	25-2024
1	2	3	4	5	6
ए) आय	**75,411**	**1,05,392**	**1,28,759**	**39.8**	**22.2**
क) ब्याज आय	73,982	1,03,922	1,27,147	40.5	22.3
ख) ब्याजेतर आय	1,429	1,470	1,611	2.9	9.6
बी) व्यय	**56,679**	**81,913**	**1,00,884**	**44.5**	**23.2**
क) ब्याज व्यय	53,353	75,912	95,488	42.3	25.8
ख) परिचालन व्यय	3,326	6,001	5,396	80.5	-10.1
जिसमें से वेतन बिल	1,991	3,914	3,499	96.6	-10.6
सी) प्रावधान					
कराधान के लिए	3,230	4,631	5,808	43.4	25.4
आकस्मिकताओं के लिए	2,935	2,936	3,357	0.0	14.3
डी) लाभ					
परिचालन लाभ (पीबीटी)	17,348	21,058	25,298	21.4	20.1
निवल लाभ (पीएटी)	12,568	15,913	19,773	26.6	24.3

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

VI.53 2024-25 के दौरान, एनएबीएफआईडी को छोड़कर, सभी एआईएफआई के लिए ब्याज आय और औसत कार्यशील निधि के अनुपात में सुधार हुआ। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उच्च प्रारंभिक पूंजी लागत के कारण 2024-25 के दौरान प्रति कर्मचारी एनएबीएफआईडी का निवल लाभ कम हो गया (सारणी VI.19)। एनएबीएफआईडी को छोड़कर सभी एआईएफआई की लाभप्रदता में 2024-25 में सुधार हुआ जैसा कि उनके आरओए (चार्ट VI.30) से पता चलता है।

4.6. सुदृढ़ता संकेतक

VI.54 सभी एआईएफआई ने मार्च 2025 के अंत में नौ प्रतिशत के विनियामक न्यूनतम से ऊपर सीआरएआर को बनाए रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित वित्तीय आघातों को अवशोषित करने के लिए उनकी पूंजी की स्थिति मजबूत और सुदृढ़ है (चार्ट VI.31ए)। एक्ज़िम बैंक को छोड़कर, जिसकी 1.5 प्रतिशत की संदिग्ध आस्ति है, एआईएफआई की 99 प्रतिशत से अधिक ऋणों और अग्रिमों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है (चार्ट VI.31बी)। एक्ज़िम बैंक को छोड़कर सभी एआईएफआई ने मार्च 2025 के अंत में एनएनपीए अनुपात लगभग शून्य रिपोर्ट किया।

सारणी VI.19: एआईएफआई के चुनिंदा वित्तीय मानक

संस्था	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में						प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	
	ब्याज आय		ब्याजेतर आय		परिचालन लाभ			
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्ज़िम बैंक	9.0	9.4	0.3	0.3	2.3	1.9	7.1	9.1
नाबार्ड	6.1	6.6	0.01	0.01	1.1	1.2	1.9	2.4
एनएचबी	6.2	6.8	0.1	0.04	2.3	2.4	7.8	7.7
सिडबी	6.7	7.0	0.1	0.1	1.5	1.6	3.7	4.4
एनएबीएफआईडी	8.2	7.1	0.7	0.3	4.9	3.3	20.3	12.0

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

5. प्राथमिक व्यापारी (पीडी)

VI.55 मार्च 2025 के अंत तक, 21 प्राथमिक डीलर (पीडी) थे, 14 बैंक पीडी के रूप में विभागीय स्तर पर कार्य कर रहे

चार्ट VI.30: एआईएफआई की औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ

(मार्च के अंत में; प्रतिशत)

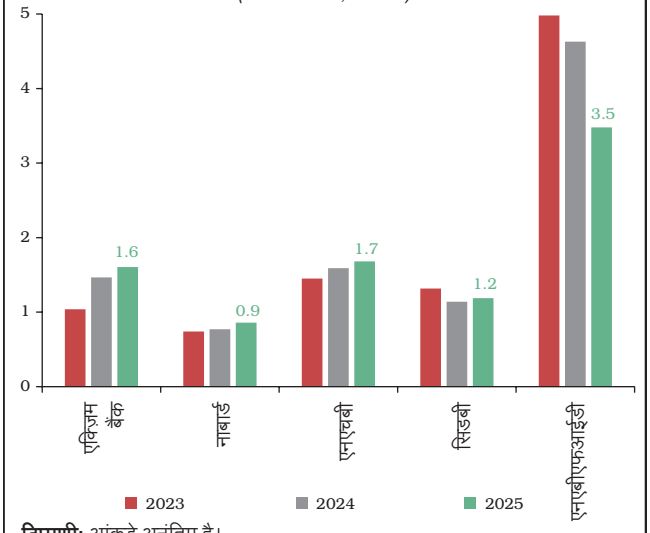

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

चार्ट VI.31: एआईएफआई के सुदृढ़ता संकेतक

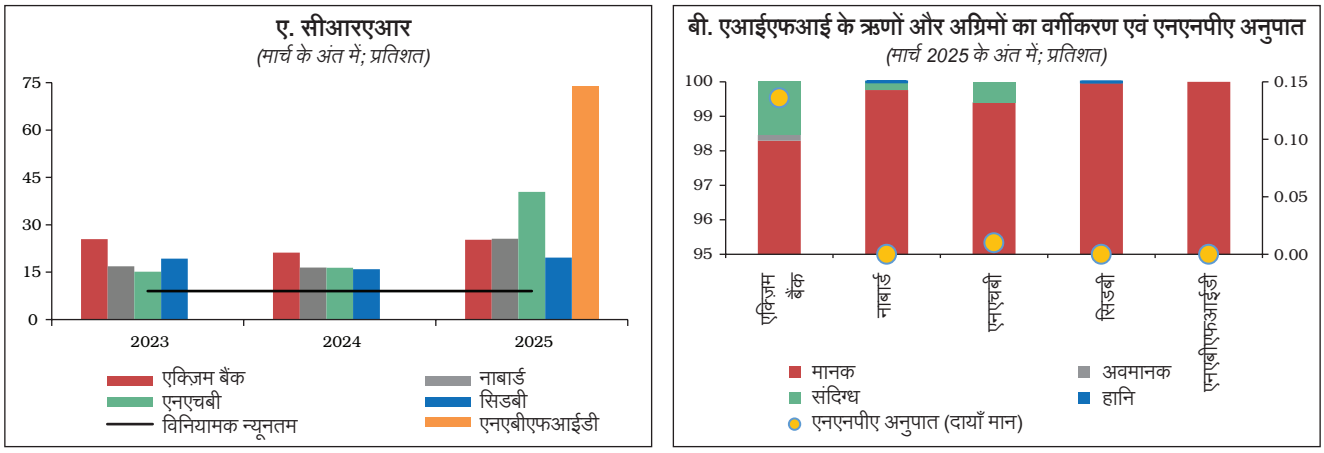

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम है।
2. 'चार्ट ए' में, विनियामक न्यूनतम नौ प्रतिशत है।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

थे और सात एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) के रूप में [आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत] के रूप में काम कर रहे थे।

5.1 पीडी का संचालन और प्रदर्शन

VI.56 पीडी को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के जारी होने के हामीदारी अंकन करने और प्राथमिक नीलामी में भाग लेने के लिए अनिवार्य किया गया है। उन्हें खजाना बिल और नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी में 40 प्रतिशत का न्यूनतम सफलता अनुपात[26] हासिल करना भी अनिवार्य है, जिसका आकलन छमाही आधार पर किया जाता है। 2024-25 में, सभी पीडी ने अपना न्यूनतम सफलता अनुपात हासिल किया और वर्ष के दौरान जारी किए गए खजाना-बिलों की कुल मात्रा का 74.8 प्रतिशत का क्रय किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में आवंटन में पीडी की हिस्सेदारी में भी इसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई (सारणी VI.20)।

VI.57 2024-25 के दौरान पीडी (जीएसटी को छोड़कर) को भुगतान किया गया हामीदारी अंकन कमीशन पिछले वर्ष के ₹41.1 करोड़ की तुलना में ₹14.5 करोड़ था। हामीदारी अंकन कमीशन की औसत दर 2024-25 में 0.1 पैसे/₹100 तक कम हो गई, जो एक वर्ष पहले 0.3 पैसे/₹100 थी। हालांकि, 2025-26 की पहली छमाही में हामीदारी अंकन कमीशन की औसत दर बढ़कर 0.6 पैसे/₹100 हो गई (चार्ट VI.32).

VI.58 द्वितीयक बाजार में पीडी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कारोबार लक्ष्य[27] को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में पिछले तीन वर्षों के समग्र एकमुश्त बाजार कारोबार के औसत के एक विशिष्ट प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है।

सारणी VI.20: प्राथमिक बाजार में पीडी का प्रदर्शन

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024-25	छ1:2025-26
1	2	3	4
खजाना बिल और सीएमबी			
(ए) बोली प्रतिबद्धता	16,40,785	12,54,920	5,90,820
(बी) प्रस्तुत बोलियाँ	35,46,730	28,91,668	16,34,102
(सी) स्वीकृत बोलियाँ	9,96,891	8,19,806	3,68,577
(डी) सफलता अनुपात (सी)/(ए) (प्रतिशत)	60.8	65.3	62.4
(ई) कुल आबंटन में पीडी का हिस्सा (प्रतिशत में)	69.6	74.8	71.4
केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ			
(च) अधिसूचित राशि	15,43,000	14,11,000	8,00,000
(छ) प्रस्तुत बोलियाँ	29,79,456	30,33,221	16,94,328
(ज) स्वीकृत बोलियाँ	9,79,036	9,08,789	4,47,073
(झ) कुल आबंटन में पीडी का हिस्सा (प्रतिशत में)	63.5	64.9	56.2

टिप्पणी: कुल आबंटन में शेयर की गिनती कुल जारी रकम के आधार पर की जाती है।
स्रोत: आरबीआई।

[26] बोलियां न्यूनतम बोली प्रतिबद्धताओं के अनुपात के रूप में स्वीकार की जाती हैं।
[27] न्यूनतम वार्षिक द्वितीयक बाजार कारोबार।

चार्ट VI.32: पीडी के हामीदारी कमीशन की औसत दर

(पैसे/₹ 100)

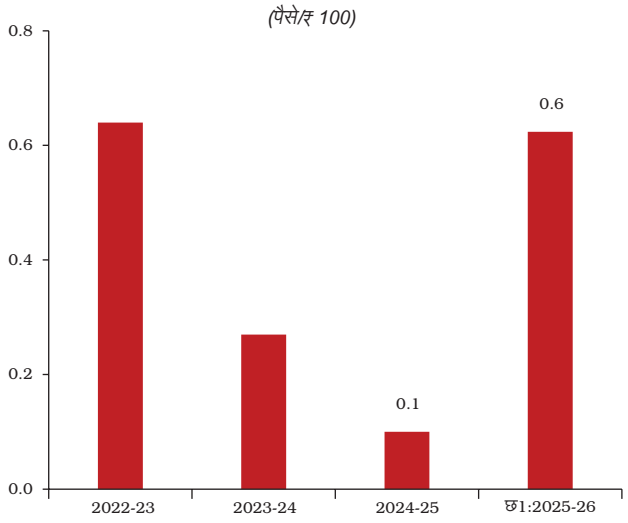

स्रोत: आरबीआई।

2024-25 के दौरान, प्रत्येक पीडी के लिए लक्ष्य पिछले वर्ष के 1.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया गया था। अधिकांश पीडी ने व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम निर्धारित कारोबार अनुपात प्राप्त किया, जो द्वितीयक बाजार में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। 2025-26 के लिए लक्ष्य 2.5 प्रतिशत तय किया गया है।

5.2. एकल पीडी का प्रदर्शन

VI.59 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में एसपीडी के द्वितीयक बाजार कारोबार में वृद्धि हुई, हालांकि, कुल बाजार कारोबार के प्रतिशत के रूप में उनकी हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई (सारणी VI.21)।

सारणी VI.21: केंद्रीय सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में एसपीडी का प्रदर्शन

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024-25	छ1:2025-26
1	2	3	4
एसपीडी का कारोबार	43,93,097	51,51,124	29,38,197
बाजार कारोबार	2,18,03,213	2,70,23,416	1,64,67,920
एसपीडी का हिस्सा (प्रतिशत)	20.1	19.1	17.8

टिप्पणियाँ: 1. एसपीडी का कारोबार, उनके खरीद और बिक्री मात्रा को एकमुश्त खंड में शामिल करके निकाला गया है।
2. बाजार कारोबार एकमुश्त खंड में कुल मात्रा का दोगुना है।

स्रोत: सीसीआईएल।

5.3. एसपीडी निधियों का स्रोत और प्रयोग

VI.60 एसपीडी के तुलन पत्र का आकार पिछले वर्ष में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के बाद 2024-25 में धीमी गति से विस्तारित हुआ। यह मुख्य रूप से वर्तमान आस्तियों (मुख्य रूप से, जी-सेक और अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों) की वृद्धि में मंदी के कारण था, जो आस्ति सूची में सबसे बड़ा हिस्सा है। एसपीडी के व्यवसाय की प्रकृति के कारण यह किसी शाखा या अवसंरचना पर आधारित नहीं होती जिससे इसकी अचल संपत्ति नगण्य है। देयता पक्ष में, जमानती ऋणों (बकाया प्रतिभूतित उधार) की वृद्धि धीमी हो गई, जबकि गैर-जमानती ऋण (बकाया अप्रतिभूतित उधार) ने गति प्राप्त की, जिससे समग्र ऋण (बकाया उधार) पोर्टफोलियो के भीतर अप्रतिभूतित ऋणों के अनुपात में वृद्धि हुई (सारणी VI.22)।

5.4. एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन

VI.61 एसपीडी की आय और व्यय 2024-25 में दोहरे अंकों में बढ़ गया, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर धीमी

सारणी VI.22: एसपीडी के निधि के स्रोत और प्रयोग

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत में परिवर्तन	
				2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
1. पूंजी	2,368	2,512	2,512	0.0	6.1
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	11,243	13,354	14,199	15.6	18.8
3. ऋण (ए+ बी)*	1,45,057	1,58,563	1,54,007	28.3	9.3
(ए) जमानती	1,25,026	1,31,973	1,25,915	29.7	5.6
(बी) गैर-जमानती	20,031	26,590	28,092	20.4	32.7
देयताएं /आस्तियां	**1,58,667**	**1,74,429**	**1,70,717**	**26.8**	**9.9**
1. अचल संपत्तियाँ	104	96	90	14.1	-8.1
2. एचटीएम निवेश (ए+बी)	5,151	5,511	5,014	-17.9	7.0
(ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	4,904	5,258	4,733	-19.4	7.2
(बी) अन्य	248	254	281	29.7	2.6
3. चालू आस्तियां	1,54,122	1,73,220	1,68,542	30.2	12.4
4. ऋण और अग्रिम	4,526	4,298	10,166	-6.5	-5.0
5. आस्थगित कर	-141	-116	14	-	-
6. अन्य	-18	-22	-3	-	-
7. वर्तमान देयताएं	5,077	8,558	13,107	16.0	68.6

* एसपीडी का बकाया उधार; – लागू नहीं को इंगित करता है।

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. आस्ति = [∑ (1 से 6) – 7].

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VI.23: एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024-25	छ1: 2025-26	प्रतिशत में परिवर्तन	
				2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
A. आय	**10,270**	**12,055**	**5,974**	**90.8**	**17.4**
(ए) ब्याज़ और छुट	9,158	10,635	5,535	57.5	16.1
(बी) व्यापारिक लाभ	1,060	1,330	391	-	25.5
(सी) अन्य आय	52	90	48	-14.8	74.6
B. व्यय	**8,422**	**9,602**	**4,468**	**66.0**	**14.0**
(ए) ब्याज़	7,897	9,002	4,139	69.3	14.0
(बी) अन्य*	524	601	329	28.0	14.5
सी. कर पूर्व लाभ	**2,237**	**2,831**	**1,507**	**361.6**	**26.6**
डी. कर रहित लाभ	**1,663**	**2,113**	**1,117**	**385.9**	**27.1**
ई. औसत संपत्ति	**1,41,916**	**1,66,548**	**5,974**		
एफ. वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)					
(ए) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.2	1.3	1.3		
(बी) निवल मूल्य पर प्रतिलाभ	12.9	14.3	13.7		
(सी) लागत से आय अनुपात	22.1	19.7	17.9		

* व्यय में स्थापना और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।
– लागू नहीं को इंगित करता है ।
टिप्पणी: पूर्णांकित किए जाने के कारण आंकडे कुल से मेल नहीं खाते हैं ।
स्रोत: आरबीआई।

रही। ब्याज और छूट आय, एसपीडी के लिए प्रमुख राजस्व धारा, मजबूत बनी रही। लाभ में सुदृढ़ गति से वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप आस्तियों और निवल मूल्य पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ। व्यय की तुलना में आय तेजी से बढ़ने के साथ, उसी अवधि के दौरान आय अनुपात की लागत में गिरावट आई (सारणी VI.23 और परिशिष्ट सारणी VI.9)। एसपीडी का संयुक्त सीआरएआर 40 प्रतिशत से ऊपर रहा, जो 15 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से बहुत अधिक था (चार्ट VI.33 और परिशिष्ट सारणी VI.10)।

चार्ट VI.33: एसपीडी की पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों की स्थिति

(₹ हजार करोड़, बायां मान; प्रतिशत, दायां मान)

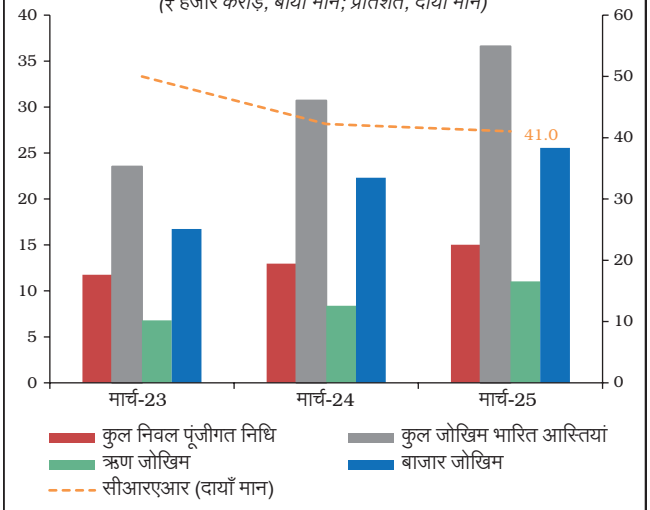

स्रोत: आरबीआई।

6. समग्र मूल्यांकन

VI.62 मार्च 2025 के अंत में, एससीबी द्वारा दिए गए ऋण का लगभग एक चौथाई हिस्सा एनबीएफसी का था, जो अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने आस्ति गुणवत्ता जैसे विवेकपूर्ण संकेतकों में सुधार दर्ज किया और अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे। बढ़ते शहरीकरण और आवासों की मांग ने एचएफसी द्वारा ऋण में वृद्धि को बनाए रखा है। एआईएफआई की समेकित तुलन पत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। एसपीडी ने मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखी और इसी अवधि के दौरान जी-सेक बाजार में हामीदारी अंकन और चलनिधि की आपूर्ति के अपने कार्य को कुशलतापूर्वक किया।

VI.63 इसके आगे, सूक्ष्म वित्त ऋणों के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति में ढील के साथ-साथ एनबीएफसी में बैंक ऋण की तरह जोखिम भार को अपनाने हेतु विनियामकीय उपाय से एनबीएफसी को अपने पहुँच को विस्तारित करने में मदद मिलेगी। एनबीएफसी को वित्त पोषण स्रोतों के अपने विविधीकरण को जारी रखना चाहिए और समावेशी विकास और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ठोस और निष्पक्ष प्रथाओं के साथ अपनी विकास आकांक्षाओं को संतुलित करना चाहिए। उन्हें ग्राहकों की शिकायतों का तत्काल निपटान के अलावे उभरती तकनीकी और साइबर चुनौतियों के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक दृष्टि में

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
		2024	2025[अ]	2024	2025[अ]
1	2	3	4	5	6
1	**तुलन-पत्र परिचालन #**				
	1.1 कुल देयताएं/आस्तियां	2,80,80,520	3,12,18,250	15.5	11.2
	1.2 जमाराशियां	2,17,41,578	2,41,47,183	14.0	11.1
	1.3 उधारियां	25,40,474	27,17,607	29.8	7.0
	1.4 ऋण तथा अग्रिम	1,71,42,309	1,91,19,608	19.7	11.5
	1.5 निवेश	72,70,409	79,42,827	13.0	9.2
	1.6 तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (तुलन पत्र की देयताओं के प्रतिशत के रूप में)	138.6	161.9		
	1.7 कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	6,32,852	9,98,116	-5.0	57.7
2	**लाभप्रदता #**				
	2.1 निवल लाभ	3,49,603	4,01,180		
	2.2 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) (प्रतिशत)*	1.3	1.4		
	2.3 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) (प्रतिशत)*	13.6	13.5		
	2.4 निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) (प्रतिशत)	3.3	3.1		
3	**पूंजी पर्याप्तता #**				
	3.1 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) @	16.9	17.4		
	3.2 स्तर I पूंजी (कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में) @	87.8	89.1		
	3.3 सीआरएआर (स्तर I) (प्रतिशत) @	14.8	15.5		
4	**आस्ति गुणवत्ता #**				
	4.1 सकल एनपीए	4,80,818	4,31,634	-15.9	-10.2
	4.2 निवल एनपीए	1,06,745	95,388	-21.1	-10.6
	4.3 सकल एनपीए अनुपात (सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए)**	2.7	2.2		
	4.4 निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए)	0.6	0.5		
	4.5 प्रावधान कवरेज अनुपात (प्रतिशत)*	76.2	76.3		
	4.6 गिरावट अनुपात (प्रतिशत)*	1.5	1.4		
5	**बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन #^^**				
	5.1 सकल बैंक ऋण	1,64,32,164	1,82,43,972	20.2	11.0
	5.2 कृषि	20,71,251	22,87,060	20.0	10.4
	5.3 उद्योग	36,82,393	39,85,660	9.4	8.2
	5.4 सेवाएं	45,47,237	50,93,565	22.3	12.0
	5.5 वैयक्तिक ऋण	53,46,691	59,71,696	27.8	11.7
6	**प्रौद्योगिकीय विकास**				
	6.1 क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या (लाख में)	1,018	1,099	19.3	7.9
	6.2 डेबिट कार्डों की कुल संख्या (लाख में)	9,649	9,908	0.4	2.7
	6.3 एटीएम और सीआरएम की संख्या (लाख में)	2.58	2.56	-0.3	-0.7
7	**ग्राहक सेवाएं**				
	7.1 वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या ^	2,93,924	2,96,321	25.2	0.8
	7.2 वर्ष के दौरान संभाली गई शिकायतों की संख्या##	2,99,022	3,12,204	21.9	4.4
	7.2 में से वर्ष के दौरान समाधान/ निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2,84,355	2,90,567	18.3	2.2
	7.2 में से वर्ष के दौरान समाधान/ निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत	95.1	93.1		
8	**वित्तीय समावेशन**				
	8.1 ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) #	78.8	79.2		
	8.2 वर्ष के दौरान खोली गई नई बैंक शाखाओं की संख्या	5,379	4,991	0.8	-7.2

\# : डेटा आरआरबी को छोड़कर एससीबी के संबंध में है।
अ : अनंतिम।
* : ऑफ-साइट रिटर्न्स के आधार पर।
** : संबंधित बैंकों के वार्षिक खातों से सकल एनपीए और ऑफ-साइट रिटर्न (वैश्विक परिचालन), आरबीआई से सकल अग्रिमों को लेकर गणना की गई है।
@ : आंकड़े बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार हैं।
^ : सीआरपीसी में बंद की गई शिकायतों और सीएमएस पोर्टल पर स्वतः बंद की गई शिकायतों को हटा दिया गया है।
: संभाली गई शिकायतों में पिछले वर्ष से अग्रसारित शिकायतें भी शामिल हैं।
^^ : सकल बैंक ऋण डेटा पाक्षिक सेक्शन-42 रिटर्न पर आधारित है और क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित है, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करता है।

टिप्पणियाँ : 1. सारणी में एक बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को दर्शाया गया है।
2. प्रतिशत घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि राशियों को लाख/ करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.2: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - लिखतों के प्रकार के आधार पर

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताओं के प्रकार	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2024 (आं सं)	2025 (आं सं)	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
1. ऋण और जमाराशियां	**15,69,186**	**17,88,853**	**21.1**	**14.0**
	(63.8)	**(63.9)**		
ए) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] योजना	1,98,611	2,84,402	46.3	43.2
	(8.1)	(10.2)		
बी) विदेशी मुद्रा उधारियाँ*	1,59,151	1,82,247	64.8	14.5
	(6.5)	(6.5)		
सी) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाते	8,12,252	8,69,802	6.2	7.1
	(33.0)	(31.1)		
डी) अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाते	2,28,483	2,69,624	38.7	18.0
	(9.3)	(9.6)		
2. प्रतिभूतियों/ बॉन्डों के निजी निर्गम	**3,044**	**740**	**0.2**	**-75.7**
	(0.1)	**(0.0)**		
3. अन्य देयताएं	**8,24,875**	**9,51,289**	**20.0**	**15.3**
	(33.6)	**(34.0)**		
जिसमें से:				
ए) एडीआर/जीडीआर	1,50,363	1,78,991	26.7	19.0
	(6.1)	(6.4)		
बी) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	4,72,007	5,28,832	22.0	12.0
	(19.2)	(18.9)		
सी) भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/ विप्रेषणीय लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	2,02,504	2,43,467	11.4	20.2
	(8.2)	(8.7)		
4. ऋणात्मक एमटीएम डेरिवेटिव	**60,718**	**58,306**	**-13.1**	**-4.0**
	(2.5)	**(2.1)**		
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**24,57,823**	**27,99,188**	**19.5**	**13.9**
	(100.0)	**(100.0)**		

(आं सं): आंशिक रूप से संशोधित।

* : भारत में और विदेशों से अंतर-बैंक उधार और बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

टिप्पणियाँ: 1. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

2. नवीनतम बीआईएस दिशानिर्देशों के आधार पर, एमटीएम डेरिवेटिव को सितंबर 2022 तिमाही से इस विवरण में शामिल किया गया है।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.3: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - लिखतों के प्रकार के आधार पर

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्तियों के प्रकार	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2024 (आं सं)	2025 (आं सं)	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
1. ऋण और जमाराशियाँ	**4,39,804**	**7,80,804**	**-20.4**	**77.5**
	(86.3)	**(88.9)**		
जिसमें कि:				
(ए) अनिवासियों को ऋण	97,450	1,86,907	-26.8	91.8
	(19.1)	(21.3)		
(बी) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण	1,21,229	1,74,440	11.9	43.9
	(23.8)	(19.9)		
(सी) बकाया निर्यात बिल	29,228	39,590	-14.6	35.5
	(5.7)	(4.5)		
(डी) उपलब्ध विदेशी मुद्रा, यात्री चेक इत्यादि	858	790	15.5	-7.9
	(0.2)	(0.1)		
(ई) नॉस्ट्रो शेष और विदेश में स्थानन	1,91,039	3,79,078	-30.8	98.4
	(37.5)	(43.1)		
2. धारित कर्ज प्रतिभूतियां	**11,816**	**42,826**	**-73.5**	**262.4**
	(2.3)	**(4.9)**		
3. अन्य अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**13,865**	**16,926**	**-34.5**	**22.1**
	(2.7)	**(1.9)**		
4. धनात्मक एमटीएम डेरिवेटिव	**43,890**	**38,162**	**-7.5**	**-13.0**
	(8.6)	**(4.3)**		
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां*	**5,09,375**	**8,78,718**	**-23.5**	**72.5**
	(100.0)	**(100.0)**		

* : सभी शाखाओं से अधूरे डेटा कवरेज को देखते हुए, स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) के तहत रिपोर्ट किए गए आंकड़े सभी शाखाओं से प्राप्त किए गए डेटा के साथ पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

आं सं. : आंशिक रूप से संशोधित।

टिप्पणियाँ: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

2. नवीनतम बीआईएस दिशानिर्देशों के आधार पर, एमटीएम डेरिवेटिव को सितंबर 2022 तिमाही से इस विवरण में शामिल किया गया है।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.4: भारत के अलावा अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(राशि ₹ करोड़ में)

देश	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2024 (आं सं)	2025 (आं सं)	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**6,32,852**	**9,98,116**	**-5.0**	**57.7**
जिसमें कि				
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	1,86,677	3,43,089	-18.5	83.8
	(29.5)	(34.4)		
2. यूनाइटेड किंगडम	67,944	98,600	2.8	45.1
	(10.7)	(9.9)		
3. हांगकांग	24,972	18,735	22.0	-25.0
	(3.9)	(1.9)		
4. सिंगापुर	48,363	66,228	4.2	36.9
	(7.6)	(6.6)		
5. संयुक्त अरब अमीरात	75,242	1,22,851	-12.3	63.3
	(11.9)	(12.3)		
6. जर्मनी	20,044	30,148	19.8	50.4
	(3.2)	(3.0)		

आं सं : आंशिक रूप से संशोधित।

टिप्पणियाँ: 1. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.5: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे: अवशिष्ट परिपक्वता और क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता/क्षेत्र	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2024 (आं सं)	2025(अ)	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**6,32,852**	**9,98,116**	**-5.0**	**57.7**
	(100.0)	**(100.0)**		
अवशिष्ट परिपक्वता				
अल्पकालिक	5,28,829	8,00,135	2.1	51.3
	(83.6)	(80.2)		
दीर्घकालिक	1,01,514	1,91,324	-28.8	88.5
	(16.0)	(19.2)		
अनाबंटित	2,509	6,657	-53.7	165.3
	(0.4)	(0.7)		
क्षेत्र				
बैंक	2,64,100	5,11,451	-15.1	93.7
	(41.7)	(51.2)		
आधिकारिक क्षेत्र	46,513	74,672	-6.5	60.5
	(7.3)	(7.5)		
गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं	2,457	53,442	33.7	2,075.2
	(0.4)	(5.4)		
गैर-वित्तीय निजी	2,97,151	3,31,374	21.4	11.5
	(47.0)	(33.2)		
अन्य	22,631	27,177	-61.4	20.1
	(3.6)	(2.7)		

आं सं : आंशिक रूप से संशोधित।

अ : अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

2. अवशिष्ट परिपक्वता 'अनाबंटित' में परिपक्वता लागू नहीं (उदाहरण के लिए, इक्विटी के लिए) और परिपक्वता की जानकारी उपलब्ध नहीं, शामिल है।
3. आधिकारिक क्षेत्र में आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकरण, सामान्य सरकार और बहुपक्षीय एजेंसियां शामिल हैं।
4. गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र में गैर-वित्तीय निगम तथा हाउसहोल्ड में गैर-लाभकारी संस्थाओं में सेवारत हाउसहोल्ड (एनपीआईएसएच) शामिल हैं।
5. अन्य में गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अनाबंटित क्षेत्र शामिल हैं।
6. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।
7. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.6: भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
	2024-25	प्रतिशत घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. वायदा विनिमय संविदा@	43,03,018 (25.1)	31.9	1,52,56,379 (131.7)	29.9	2,73,16,828 (1,331.3)	32.4	1,791* (0.4)	-	0 (0.0)	-	4,68,78,016 (150.2)	31.5
2. दी गई गारंटी	6,81,727 (4.0)	8.0	7,61,835 (6.6)	13.9	2,19,943 (10.7)	5.2	4,426 (1.1)	22.0	0 (0.0)	-	16,67,932 (5.3)	10.3
3. स्वीकृति, समर्थन, आदि।	14,62,023 (8.5)	16.2	4,21,525 (3.6)	5.8	1,19,084 (5.8)	-1.4	3,147 (0.8)	31.4	483 (1.3)	24.0	20,06,262 (6.4)	12.7
आकस्मिक देयताएं	**64,46,768 (37.6)**	**25.1**	**1,64,39,739 (141.9)**	**28.3**	**2,76,55,856 (1,347.8)**	**31.9**	**9,364 (2.3)**	**55.4**	**483 (1.3)**	**24.0**	**5,05,52,209 (161.9)**	**29.8**

@: स्वीकार्य सभी डेरिवेटिव उत्पाद (ब्याज दर स्वैप सहित) शामिल हैं।

-: निरर्थक।

*: 2023-24 के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के कारण एसएफबी के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि ₹5.0 करोड़ थी।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित बैंक-समूह की कुल देयताओं के प्रतिशत हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक खाते।

परिशिष्ट सारणी IV.7: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
अग्रिम	1,564	672	1,523	1,161	1,734	1,055	1,750	721	1,976	1,388	2,190	1,263	2,382	2,740
कार्ड/ इंटरनेट	26	3	144	6	491	11	679	15	1,036	37	1,215	35	763	21
नकदी	75	4	89	16	87	7	99	5	141	36	143	14	154	21
चेक/ मांग ड्राफ्ट आदि	108	15	110	9	141	10	192	17	234	15	202	17	184	27
समाशोधन खाते आदि	20	2	23	4	35	12	30	9	52	45	51	7	34	11
जमाराशियां	374	28	325	28	384	49	458	79	599	66	666	195	790	583
विदेशी मुद्रा लेनदेन	16	14	10	31	28	7	25	30	15	14	16	28	19	148
अंतर-शाखा खाते	31	6	36	7	18	1	22	3	16	5	18	2	10	1
अनिवासी खाते	11	2	9	0	17	1	9	4	26	2	13	2	9	2
तुलनपत्रेतर	6	33	7	25	4	4	6	8	9	22	10	370	10	212
अन्य	204	16	148	29	88	51	97	26	146	39	146	64	179	56
कुल योग	**2,435**	**795**	**2,424**	**1,315**	**3,027**	**1,208**	**3,367**	**917**	**4,250**	**1,669**	**4,670**	**1,997**	**4,534**	**3,822**

टिप्पणियाँ: 1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।

2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले की हो सकती हैं।
4. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियां हैं और उपगत हानि की मात्रा को नहीं दर्शाती हैं। वसूली के आधार पर, उपगत हानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं कि ऋण खातों में शामिल पूरी राशि का विचलन हो।
5. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुसार, 30 सितंबर 2025 की स्थिति में 942 धोखाधड़ी मामले जिनकी राशि ₹1,28,031 करोड़ थी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वापस ले लिए गए।
6. 2024-25 से संबंधित डेटा में, पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित और वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः परीक्षण करने और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद पुनः रिपोर्ट किए गए राशि ₹18,336 करोड़ के 122 मामलों में धोखाधड़ी वर्गीकरण शामिल है।
7. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
8. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर निदेश दिनांक 15 जुलाई 2024, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिनका निष्कर्ष बैंकों पर की गई धोखाधड़ी के रूप में निकाला गया है।

स्रोत: आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.7: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
अग्रिम	1,953	3,552	2,087	6,530	1,977	7,885	2,244	16,652	2,111	17,051	2,306	20,120	2,513	22,276
कार्ड/ इंटरनेट	629	23	793	49	978	54	845	52	1,191	40	1,372	42	2,058	102
नकदी	173	20	140	23	145	24	153	43	160	22	239	37	218	40
चेक/ मांग ड्राफ्ट आदि	172	40	141	22	180	19	254	26	234	25	235	40	207	34
समाशोधन खाते आदि	38	31	36	7	36	24	29	7	17	87	27	6	37	6
जमाराशियां	857	219	791	291	773	331	875	437	759	809	693	903	691	457
विदेशी मुद्रा लेनदेन	22	130	10	98	9	144	13	787	16	31	16	2,201	9	1,426
अंतर-शाखा खाते	24	8	6	3	7	1	4	0	4	10	1	0	6	1
अनिवासी खाते	11	3	17	3	38	10	23	8	8	9	10	3	6	6
तुलनपत्रेतर	5	373	18	1,527	15	1,088	10	699	4	132	5	63	20	16,288
अन्य	207	98	197	112	135	64	179	162	176	146	153	77	138	242
कुल योग	**4,091**	**4,497**	**4,236**	**8,665**	**4,293**	**9,644**	**4,629**	**18,873**	**4,680**	**18,362**	**5,057**	**23,492**	**5,903**	**40,877**

टिप्पणियाँ: 1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।

2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले की हो सकती हैं।
4. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियां हैं और उपगत हानि की मात्रा को नहीं दर्शाती हैं। वसूली के आधार पर, उपगत हानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं कि ऋण खातों में शामिल पूरी राशि का विचलन हो।
5. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुसार, 30 सितंबर 2025 की स्थिति में 942 धोखाधड़ी मामले जिनकी राशि ₹1,28,031 करोड़ थी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वापस ले लिए गए।
6. 2024-25 से संबंधित डेटा में, पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित और वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः परीक्षण करने और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद पुनः रिपोर्ट किए गए राशि ₹18,336 करोड़ के 122 मामलों में धोखाधड़ी वर्गीकरण शामिल है।
7. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
8. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर निदेश दिनांक 15 जुलाई 2024, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिनका निष्कर्ष बैंकों पर की गई धोखाधड़ी के रूप में निकाला गया है।

स्रोत: आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.7: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (सितंबर 2025 तक)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
अग्रिम	3,520	51,299	4,384	1,50,865	3,276	1,02,759	3,677	34,532	3,989	15,065	4,113	9,160	7,934	31,911	4,255	17,501
कार्ड/ इंटरनेट	1,866	71	2,677	129	2,545	119	3,596	155	6,699	277	29,080	1,457	13,469	520	195	14
नकदी	272	56	371	63	329	39	649	93	1,485	159	484	78	306	39	116	27
चेक/ मांग ड्राफ्ट आदि	189	34	201	39	163	84	201	158	118	25	127	42	122	74	51	8
समाशोधन खाते आदि	24	209	22	7	14	4	16	1	18	3	17	2	6	2	2	6
जमाराशियां	593	148	530	616	502	403	471	493	652	259	2,002	240	1,207	521	222	131
विदेशी मुद्रा लेनदेन	13	695	8	54	4	129	7	7	13	12	19	38	23	16	21	124
अंतर-शाखा खाते	3	0	2	0	2	0	3	2	3	0	29	10	14	26	19	19
अनिवासी खाते	3	0	8	1	1	0	1	2	2	1	6	2	1	1	-	-
तुलनपत्रेतर	26	5,214	25	2,149	22	520	21	1,077	13	280	10	199	8	270	3	1
अन्य	197	244	242	172	277	54	299	98	470	421	165	33	789	1,391	208	3,684
कुल योग	**6,706**	**57,970**	**8,470**	**1,54,096**	**7,135**	**1,04,111**	**8,941**	**36,617**	**13,462**	**16,502**	**36,052**	**11,261**	**23,879**	**34,771**	**5,092**	**21,515**

:- शन्य।

टिप्पणियाँ: 1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।

2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले की हो सकती हैं।
4. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियां हैं और उपगत हानि की मात्रा को नहीं दर्शाती हैं। वसूली के आधार पर, उपगत हानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं कि ऋण खातों में शामिल पूरी राशि का विचलन हो।
5. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुसार, 30 सितंबर 2025 की स्थिति में 942 धोखाधड़ी मामले जिनकी राशि ₹1,28,031 करोड़ थी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वापस ले लिए गए।
6. 2024-25 से संबंधित डेटा में, पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित और वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः परीक्षण करने और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद पुनः रिपोर्ट किए गए राशि ₹18,336 करोड़ के 122 मामलों में धोखाधड़ी वर्गीकरण शामिल है।
7. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
8. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर निदेश दिनांक 15 जुलाई 2024, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिनका निष्कर्ष बैंकों पर की गई धोखाधड़ी के रूप में निकाला गया है।

स्रोत: आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.8: किसान क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य-वार प्रगति *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में तथा जारी कार्डों की संख्या '000 में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	सहकारी बैंक				क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
		सक्रिय केसीसी की संख्या		सक्रिय केसीसी के तहत बकाया राशि		सक्रिय केसीसी की संख्या		सक्रिय केसीसी के तहत बकाया राशि	
		2024	2025[अ]	2024	2025[अ]	2024	2025[अ]	2024	2025[अ]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**5,564**	**5,665**	**37,387**	**35,185**	**1,556**	**1,724**	**40,101**	**40,842**
1	हरियाणा	1,154	1,137	13,063	12,557	307	337	9,054	8,880
2	हिमाचल प्रदेश	134	123	2,302	2,176	92	96	1,425	1,487
3	जम्मू और कश्मीर	7	7	63	75	134	136	1,152	1,163
4	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
5	नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
6	पंजाब	910	868	6,645	5,875	160	159	6,582	6,678
7	राजस्थान	3,358	3,531	15,314	14,501	863	995	21,889	22,635
8	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**47**	**61**	**180**	**186**	**456**	**442**	**2,495**	**2,396**
9	असम	1	1	20	28	281	278	1,623	1,651
10	अरुणाचल प्रदेश	1	0	7	4	2	2	16	14
11	मेघालय	12	11	49	52	39	43	237	259
12	मिजोरम	1	1	11	11	33	24	413	272
13	मणिपुर	3	3	18	19	10	9	48	43
14	नगालैंड	4	4	22	22	1	0	1	1
15	त्रिपुरा	21	38	40	34	90	85	157	155
16	सिक्किम	2	2	11	16	0	0	0	0
	पश्चिमी क्षेत्र	**4,600**	**4,670**	**43,789**	**50,114**	**1,264**	**1,254**	**17,834**	**18,246**
17	गुजरात	999	1,077	16,106	19,199	502	521	10,192	10,582
18	महाराष्ट्र	3,598	3,592	27,674	30,896	762	734	7,642	7,664
19	गोवा	2	2	10	19	0	0	0	0
20	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
	मध्य क्षेत्र	**8,683**	**8,464**	**36,877**	**42,714**	**4,518**	**4,609**	**62,662**	**61,579**
21	उत्तर प्रदेश	2,673	2,691	8,964	9,389	3,851	3,878	52,694	51,710
22	उत्तराखंड	302	266	1,297	1,238	30	31	219	225
23	मध्य प्रदेश	4,008	4,016	23,946	25,497	464	543	8,041	7,954
24	छत्तीसगढ़	1,700	1,491	2,671	6,591	173	156	1,708	1,690
	दक्षिणी क्षेत्र	**9,004**	**9,263**	**65,456**	**68,405**	**4,082**	**4,105**	**56,259**	**57,085**
25	कर्नाटक	3,673	3,800	24,751	26,768	839	834	16,152	16,742
26	केरल	551	613	5,470	4,821	541	533	9,597	9,608
27	आंध्र प्रदेश	1,682	1,564	13,733	13,371	972	1,006	12,138	12,225
28	तमिलनाडु	2,201	2,440	16,030	18,182	160	163	3,124	3,212
29	तेलंगाना	897	846	5,470	5,263	1,568	1,566	15,233	15,263
30	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
31	पुदुचेरी	0	0	1	0	2	3	15	34
	पूर्वी क्षेत्र	**5,265**	**5,504**	**25,203**	**23,739**	**2,652**	**2,632**	**18,546**	**18,689**
32	ओडिशा	3,358	3,207	19,624	17,181	447	425	2,737	2,677
33	पश्चिम बंगाल	1,477	1,935	4,755	5,848	410	405	2,199	2,134
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	8	19	19	0	0	0	0
35	बिहार	407	338	752	639	1,420	1,428	11,133	11,275
36	झारखंड	16	16	54	52	374	374	2,477	2,604
	कुल	**33,162**	**33,628**	**2,08,893**	**2,20,343**	**14,528**	**14,765**	**1,97,897**	**1,98,836**

अ: अनंतिम।
स्रोत: नाबार्ड/ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विवरणियाँ (आरआरबी को छोड़कर)।

परिशिष्ट सारणी IV.8: किसान क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य-वार प्रगति *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में तथा जारी कार्डों की संख्या '000 में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)				कुल			
		सक्रिय केसीसी की संख्या		सक्रिय केसीसी के तहत बकाया राशि		सक्रिय केसीसी की संख्या		सक्रिय केसीसी के तहत बकाया राशि	
		2024	2025[अ]	2024	2025[अ]	2024	2025[अ]	2024	2025[अ]
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	उत्तरी क्षेत्र	**5,925**	**5,961**	**1,59,797**	**1,66,661**	**13,045**	**13,350**	**2,37,286**	**2,42,687**
1	हरियाणा	901	926	31,883	33,974	2,362	2,400	54,000	55,411
2	हिमाचल प्रदेश	277	291	5,345	5,909	503	510	9,072	9,572
3	जम्मू और कश्मीर	926	970	5,759	6,141	1,067	1,113	6,974	7,379
4	लद्दाख	28	28	268	272	28	28	268	272
5	नई दिल्ली	3	3	43	41	3	3	43	41
6	पंजाब	1,164	1,140	44,604	44,983	2,235	2,168	57,830	57,536
7	राजस्थान	2,624	2,601	71,770	75,228	6,846	7,127	1,08,973	1,12,364
8	चंडीगढ़	2	1	126	113	2	1	126	113
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**542**	**438**	**4,056**	**4,531**	**1,045**	**941**	**6,731**	**7,113**
9	असम	389	273	2,973	3,251	671	553	4,616	4,931
10	अरुणाचल प्रदेश	16	20	172	236	18	22	195	254
11	मेघालय	26	32	181	245	77	86	467	557
12	मिजोरम	18	17	94	104	52	43	518	387
13	मणिपुर	6	6	92	99	20	18	159	161
14	नगालैंड	27	32	168	211	32	37	192	234
15	त्रिपुरा	53	48	326	329	165	171	522	518
16	सिक्किम	8	9	50	55	10	11	62	71
	पश्चिमी क्षेत्र	**4,505**	**4,344**	**87,715**	**94,355**	**10,368**	**10,269**	**1,49,339**	**1,62,715**
17	गुजरात	1,637	1,627	44,835	47,660	3,137	3,225	71,132	77,441
18	महाराष्ट्र	2,857	2,706	42,702	46,489	7,218	7,031	78,018	85,049
19	गोवा	9	10	138	158	12	12	148	178
20	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	1	40	47	2	1	40	47
	मध्य क्षेत्र	**6,917**	**6,821**	**1,40,667**	**1,47,140**	**20,117**	**19,894**	**2,40,205**	**2,51,433**
21	उत्तर प्रदेश	4,394	4,387	76,963	80,276	10,917	10,956	1,38,621	1,41,375
22	उत्तराखंड	222	214	4,964	4,775	554	512	6,479	6,238
23	मध्य प्रदेश	2,029	1,959	52,537	55,282	6,500	6,517	84,523	88,732
24	छत्तीसगढ़	272	261	6,203	6,807	2,146	1,909	10,582	15,088
	दक्षिणी क्षेत्र	**8,488**	**7,990**	**1,56,799**	**1,61,133**	**21,574**	**21,357**	**2,78,514**	**2,86,622**
25	कर्नाटक	987	941	21,891	24,115	5,499	5,575	62,794	67,625
26	केरल	1,566	1,265	34,885	30,359	2,658	2,412	49,952	44,788
27	आंध्र प्रदेश	2,200	2,164	39,583	42,407	4,853	4,734	65,455	68,003
28	तमिलनाडु	1,671	1,436	32,959	33,727	4,032	4,038	52,112	55,121
29	तेलंगाना	2,044	2,164	27,083	30,068	4,509	4,576	47,786	50,594
30	लक्षद्वीप	3	3	22	28	3	3	22	28
31	पुदुचेरी	18	16	376	429	20	19	392	463
	पूर्वी क्षेत्र	**3,438**	**3,461**	**25,940**	**27,156**	**11,355**	**11,597**	**69,689**	**69,584**
32	ओडिशा	660	647	6,736	7,207	4,466	4,279	29,097	27,064
33	पश्चिम बंगाल	1,118	1,181	8,902	9,477	3,005	3,520	15,856	17,459
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	5	5	8	8	23	24
35	बिहार	1,053	1,054	7,267	7,456	2,881	2,821	19,152	19,369
36	झारखंड	606	579	3,029	3,011	996	969	5,560	5,668
	कुल	**29,814**	**29,016**	**5,74,974**	**6,00,975**	**77,504**	**77,409**	**9,81,764**	**10,20,154**

अ: अनंतिम।

स्रोत: नाबार्ड/ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विवरणियाँ (आरआरबी को छोड़कर)।

परिशिष्ट सारणी IV.9: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक*	
	2024-25	प्रतिशत में घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत में घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत में घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत में घट-बढ़	2024-25	प्रतिशत में घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूंजी बाज़ार #	87,924 (0.8)	29.1	1,91,945 (2.6)	18.4	25,568 (4.1)	89.4	1,178 (0.4)	144.2	3,06,616 (1.6)	25.5
2. स्थावर संपदा @	23,39,469 (21.8)	15.2	23,39,033 (31.3)	5.4	1,37,402 (22.2)	6.6	63,506 (23.3)	40.7	48,79,410 (25.5)	10.3
3. पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कुल अग्रिम	**24,27,394 (22.6)**	**15.6**	**25,30,979 (33.9)**	**6.3**	**1,62,970 (26.3)**	**14.5**	**64,684 (23.7)**	**41.8**	**51,86,026 (27.1)**	**11.1**

\- : शून्य/नगण्य।

\# : पूंजी बाज़ार के प्रति एक्सपोजर में निवेश तथा अग्रिम, दोनों शामिल हैं।

* : भुगतान बैंकों सहित।

@ : स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उधार, दोनों शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित बैंक समूह के कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

परिशिष्ट सारणी IV.10: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(जारी)*

(मार्च 2025 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सरकारी	वित्तीय संस्थान (म्यूचुअल फ़ंड सहित)		अन्य कॉरपोरेट		व्यक्ति		कुल	
		निवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक									
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	64.0	9.2	0.0	10.0	9.0	7.5	0.5	90.6	9.4
2	बैंक ऑफ इंडिया	73.4	15.9	3.9	0.4	0.0	6.2	0.2	95.9	4.1
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	79.6	10.7	1.7	0.4	0.0	7.4	0.2	98.1	1.9
4	केनरा बैंक	62.9	11.9	10.6	1.1	0.0	13.3	0.3	89.2	10.8
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	89.3	5.2	1.3	0.2	0.0	4.0	0.1	98.7	1.3
6	इंडियन बैंक	73.8	17.8	4.7	0.3	0.0	3.2	0.2	95.1	4.9
7	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	94.6	2.6	0.2	0.3	0.0	2.2	0.1	99.7	0.3
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	93.9	4.3	0.0	0.1	0.7	0.9	0.0	99.2	0.8
9	पंजाब नेशनल बैंक	70.1	14.7	5.7	0.5	0.0	8.8	0.2	94.1	5.9
10	भारतीय स्टेट बैंक	57.0	25.0	10.0	1.0	1.0	6.0	0.0	89.0	11.0
11	यूको बैंक	91.0	5.4	0.4	0.3	0.0	3.0	0.1	99.5	0.5
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	74.8	3.8	7.1	8.5	0.0	5.7	0.1	92.8	7.3
	निजी क्षेत्र के बैंक									
1	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	0.0	47.4	45.8	1.0	0.0	5.4	0.3	53.9	46.1
2	बंधन बैंक लिमिटेड	0.1	16.4	22.7	42.2	0.0	18.0	0.7	76.5	23.5
3	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	0.0	32.4	28.0	3.0	0.0	35.5	1.0	71.0	29.0
4	सीएसबी बैंक लिमिटेड	0.0	15.9	0.0	6.0	53.4	18.0	6.7	39.9	60.1
5	डीसीबी बैंक लिमिटेड	1.1	27.5	0.0	7.5	23.6	38.5	2.0	74.5	25.5
6	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	0.3	0.1	0.0	16.5	15.3	50.3	17.5	67.2	32.8
7	फेडरल बैंक लिमिटेड	0.0	48.0	27.0	3.0	0.0	18.0	4.0	69.0	31.0
8	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	0.1	31.4	55.5	1.7	0.0	11.1	0.3	44.3	55.7
9	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	0.2	26.5	56.0	10.9	0.0	6.2	0.2	43.8	56.2
10	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	45.5	49.4	0.5	0.5	0.0	4.0	0.1	99.4	0.6
11	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	9.2	19.3	25.7	3.7	0.0	40.0	2.2	72.1	27.9
12	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	0.0	39.8	29.4	4.6	15.2	10.3	0.7	54.7	45.3
13	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	59.4	6.5	7.6	2.3	0.0	22.3	1.9	90.5	9.5
14	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	0.0	18.2	0.0	5.4	12.9	61.2	2.5	84.7	15.3
15	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	0.0	37.0	0.0	4.2	15.1	42.5	1.2	83.7	16.3
16	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	0.0	27.8	32.7	3.3	1.0	34.7	0.5	65.8	34.2
17	नैनीताल बैंक लिमिटेड	0.0	98.6	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	100.0	0.0
18	आरबीएल बैंक लिमिटेड	0.4	19.1	0.0	16.5	21.8	40.4	1.8	76.4	23.6
19	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	0.0	8.3	0.0	6.3	12.0	65.3	8.2	79.9	20.1
20	तमिलनाड मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड	0.0	0.6	4.2	8.2	22.4	63.0	1.6	71.8	28.2
21	येस बैंक लिमिटेड	0.0	39.5	26.9	2.7	0.0	29.3	1.6	71.5	28.5

टिप्पणियाँ 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग 100 से भिन्न हो सकता है।

2. इस सारणी में स्थानीय क्षेत्र बैंकों का डेटा भी शामिल है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न्स (घरेलू), आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.10: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(समाप्त)*

(मार्च 2025 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सरकारी	वित्तीय संस्थान (म्यूचुअल फ़ंड सहित)		अन्य कॉरपोरेट		व्यक्ति		कुल	
		निवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	लघु वित्त बैंक									
1	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	20.4	32.9	11.2	6.3	29.1	0.1	60.7	39.3
2	कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.1	31.9	1.3	7.0	0.0	43.6	16.1	82.6	17.4
3	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	42.7	2.9	20.5	0.0	32.4	1.6	95.6	4.5
4	ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	56.5	0.0	12.1	0.3	22.5	8.7	91.1	8.9
5	जन स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	4.7	0.0	45.8	27.5	21.6	0.5	72.1	27.9
6	नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	0.7	0.0	30.7	47.4	21.1	0.1	52.6	47.4
7	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	0.8	0.0	9.8	24.8	64.5	0.2	75.1	25.0
8	सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	5.7	0.0	6.5	21.7	65.2	1.0	77.3	22.7
9	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	8.5	0.0	8.5	19.5	59.5	4.1	76.4	23.6
10	यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	51.0	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
11	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक	0.0	76.0	5.7	2.3	0.0	15.6	0.5	93.9	6.2
	स्थानीय क्षेत्र बैंक									
1	कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	17.2	61.4	38.6	61.4
2	कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	78.4	0.0	100.0	0.0

टिप्पणियाँ 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग 100 से भिन्न हो सकता है।

2. इस सारणी में स्थानीय क्षेत्र बैंकों का डेटा भी शामिल है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न्स (घरेलू), आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.11: भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन

(मार्च के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखा		सहायक संस्थाएं		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		अन्य कार्यालय*		कुल	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**99**	**99**	**22**	**22**	**11**	**11**	**6**	**5**	**33**	**32**	**171**	**169**
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	28	28	7	7	0	0	2	2	10	9	47	46
2	बैंक ऑफ इंडिया	21	21	4	4	1	1	0	0	0	0	26	26
3	केनरा बैंक	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5
4	इंडियन बैंक	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5	इंडियन ओवरसीज बैंक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
6	पंजाब नेशनल बैंक	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	7	6
7	भारतीय स्टेट बैंक	35	35	7	7	6	6	2	2	23	23	73	73
8	यूको बैंक	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
9	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
	निजी क्षेत्र के बैंक	**13**	**13**	**3**	**2**	**25**	**26**	**0**	**0**	**2**	**2**	**43**	**43**
1	ऐक्सिस बैंक	2	2	1	0	4	4	0	0	0	0	7	6
2	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3	4	0	0	3	4	0	0	0	0	6	8
3	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	6	6	2	2	10	10	0	0	2	2	20	20
4	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
6	फेडरल बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
7	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
8	येस बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	सभी बैंक	**112**	**112**	**25**	**24**	**36**	**37**	**6**	**5**	**35**	**34**	**214**	**212**

***:** अन्य कार्यालयों में विपणन/ उप-कार्यालय, विप्रेषण केंद्र आदि शामिल हैं।

टिप्पणी: डेटा में गिफ्ट सिटी में भारतीय बैंकों की आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल नहीं है।

स्रोत: आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2025 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**29,648**	**24,186**	**16,403**	**16,298**	**86,535**	**79,865**	**53,679**	**1,33,544**
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,930	2,166	1,501	1,809	8,406	8,597	2,390	10,987
2	बैंक ऑफ इंडिया	1,904	1,573	856	971	5,304	5,325	2,678	8,003
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	613	769	578	643	2,603	2,150	252	2,402
4	केनरा बैंक	3,141	2,893	1,945	1,864	9,843	7,460	3,684	11,144
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,611	1,348	778	811	4,548	2,878	1,187	4,065
6	इंडियन बैंक	1,993	1,552	1,184	1,169	5,898	4,659	609	5,268
7	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	927	1,006	680	706	3,319	2,761	734	3,495
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	588	316	390	316	1,610	1,022	28	1,050
9	पंजाब नेशनल बैंक	3,940	2,511	2,004	1,725	10,180	7,666	4,156	11,822
10	भारतीय स्टेट बैंक	8,277	6,636	4,106	3,906	22,925	27,371	36,487	63,858
11	यूको बैंक	1,126	895	653	613	3,287	2,270	227	2,497
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,598	2,521	1,728	1,765	8,612	7,706	1,247	8,953

टिप्पणियाँ: 1. जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 और उससे अधिक लेकिन एक लाख से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं और 'महानगर' में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। जनसंख्या के सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।

2. शाखाओं के डेटा में 'डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ' और 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।

स्रोत: बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2025 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	**9,342**	**14,608**	**10,341**	**12,984**	**47,275**	**47,713**	**29,404**	**77,117**
1	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	1,064	1,683	1,416	1,900	6,063	6,198	7,739	13,937
2	बंधन बैंक लिमिटेड	2,101	2,355	1,155	698	6,309	433	5	438
3	सीएसबी बैंक लिमिटेड	63	387	164	218	832	753	38	791
4	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	168	286	214	202	870	1,217	517	1,734
5	डीसीबी बैंक लिमिटेड	87	113	136	128	464	430	5	435
6	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	20	112	71	58	261	241	39	280
7	फेडरल बैंक लिमिटेड	222	778	312	276	1,588	1,767	312	2,079
8	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,614	3,178	1,985	2,664	9,441	12,689	8,450	21,139
9	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1,463	1,881	1,425	2,079	6,848	10,485	5,795	16,280
10	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	433	651	515	504	2,103	2,404	716	3,120
11	आईडीएफसी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड	64	279	416	509	1,268	732	309	1,041
12	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	312	680	783	873	2,648	2,006	1,021	3,027
13	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	542	180	108	183	1,013	944	636	1,580
14	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	226	216	245	263	950	959	557	1,516
15	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	140	350	179	264	933	1,554	698	2,252
16	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	373	318	472	983	2,146	1,936	1,359	3,295
17	नैनीताल बैंक लिमिटेड	57	34	49	35	175	-	-	-
18	आरबीएल बैंक लिमिटेड	65	71	102	322	560	377	35	412
19	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	110	458	182	202	952	911	369	1,280
20	तमिलनाड मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड	124	271	94	89	578	504	647	1,151
21	येस बैंक लिमिटेड	94	327	318	534	1,273	1,173	157	1,330

-: शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 और उससे अधिक लेकिन एक लाख से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं और 'महानगर' में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।

2. शाखाओं के डेटा में 'डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ' और 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।

स्रोत: बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(समाप्त)*

(मार्च 2025 के अंत में)

क्र. सं.	Name of the Bank	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विदेशी बैंक	**126**	**141**	**160**	**347**	**774**	**587**	**406**	**993**
1	एबी बैंक पीएलसी	0	0	0	1	1	0	0	0
2	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन	0	0	0	1	1	0	0	0
3	ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड	1	0	1	1	3	0	0	0
4	बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल असोसिएशन	0	0	0	4	4	0	0	0
5	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी	0	1	0	3	4	0	0	0
6	बैंक ऑफ सिलोन	0	0	0	1	1	0	0	0
7	बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड	0	0	0	1	1	0	0	0
8	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	0	0	0	1	1	0	0	0
9	बरक्लैज बैंक पीएलसी	0	1	0	2	3	0	0	0
10	बीएनपी पारिबास	0	0	0	5	5	0	0	0
11	सिटीबैंक एन.ए	0	0	4	10	14	0	0	0
12	कॉपरेटिव रेबोबैंक यू.ए.	0	0	0	1	1	0	0	0
13	क्रेडिट एग्रिकोल कॉरपोरेट ऐंड इन्वेस्टमेंट बैंक	0	0	0	5	5	0	0	0
14	सीटीबीसी बैंक को. लिमिटेड	0	0	0	2	2	0	0	0
15	डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड	114	134	116	143	507	424	337	761
16	डॉयचे बैंक एजी	1	0	5	11	17	13	2	15
17	दोहा बैंक क्यू.पी.एस.सी	0	0	1	1	2	2	0	2
18	एमिरेटस एनडीबी बैंक (पी.जे.एस.सी)	0	0	1	2	3	0	0	0
19	फर्स्ट अबू धाबी बैंक (पी.जे.एस.सी)	0	0	0	1	1	0	0	0
20	फ़र्स्टरैंड बैंक लिमिटेड	0	0	0	1	1	0	0	0
21	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	0	0	4	22	26	46	25	71
22	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना	0	0	0	1	1	0	0	0
23	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया	0	0	0	1	1	0	0	0
24	जेपी मोर्गन चेस बैंक नेशनल असोसिएशन	2	0	0	2	4	0	0	0
25	जेएससी वीटीबी बैंक	0	0	0	1	1	0	0	0
26	केईबी हना बैंक	0	1	0	1	2	1	0	1
27	कूकमीन बैंक	0	0	1	2	3	0	0	0
28	मशरेक बैंक पीएससी	0	0	0	1	1	0	0	0
29	मिज़ुओ बैंक लिमिटेड	0	1	1	3	5	0	0	0
30	एमयूएफजी बैंक लिमिटेड	1	0	0	4	5	0	0	0
31	नैटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी	0	0	0	1	1	0	0	0
32	नोंगह्युप बैंक	0	0	1	0	1	0	0	0
33	पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके	0	0	0	1	1	0	0	0
34	कतर नेशनल बैंक (क्यू.पी.एस.सी)	0	0	0	1	1	0	0	0
35	स्बेर बैंक	0	0	0	2	2	0	0	0
36	एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड	5	0	3	14	22	0	0	0
37	शिनहान बैंक	1	0	0	5	6	0	0	0
38	सोसाइटे जनरल	0	0	0	2	2	0	0	0
39	सोनाली बैंक	0	0	1	1	2	0	0	0
40	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1	1	20	78	100	101	42	143
41	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन	0	1	0	2	3	0	0	0
42	यूबीएस एजी	0	0	0	1	1	0	0	0
43	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड	0	0	0	1	1	0	0	0
44	वूरी बैंक	0	1	1	3	5	0	0	0

टिप्पणियाँ: 1. जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 और उससे अधिक लेकिन एक लाख से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं और 'महानगर' में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।

2. शाखाओं के डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' संबंधी डेटा शामिल नहीं हैं।

स्रोत: बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.13: सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति

मद	स्वयं सहायता समूह									
	संख्या (लाख में)					राशि (₹ करोड़ में)				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	28.9	34.0	43.0	54.8	55.6	58,070.6	99,729.2	1,45,200.2	2,09,285.9	2,08,282.7
(वित्तीय वर्ष के दौरान)	(17.0)	(24.8)	(36.9)	(47.6)	(44.7)	(31,755.1)	(68,916.9)	(1,25,106.3)	(1,83,297.1)	(1,80,354.9)
बैंकों के पास बकाया	57.8	67.4	69.6	77.4	84.9	1,03,289.0	1,51,051.0	1,88,078.8	2,59,663.7	3,04,258.7
ऋण (31 मार्च को)	(36.0)	(47.8)	(58.9)	(65.0)	(69.3)	(61,393.1)	(1,01,840.1)	(1,61,583.9)	(2,22,452.1)	(2,58,072.7)
बैंकों के पास बचत	112.2	118.9	134.0	144.2	143.3	37,477.0	47,240.5	58,892.7	65,089.2	71,433.3
(31 मार्च को)	(70.1)	(77.7)	(89.4)	(91.7)	(106.2)	(21,307.8)	(31,077.1)	(40,971.9)	(49,738.7)	(58,158.1)
	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं									
	संख्या (लाख में)					राशि (₹ करोड़ में)				
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	0.3	0.2	0.8	0.3	0.3	12,120.3	23,173.4	36,757.0	31,497.1	21,136.3
बैंकों के पास बकाया ऋण	0.6	0.6	1.1	1.9	0.6	21,062.7	34,865.4	44,119.8	59,592.7	34,426.2
	संयुक्त देयता समूह									
	संख्या (लाख में)					राशि (₹ करोड़ में)				
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण (वित्तीय वर्ष के दौरान)	41.3	54.1	70.0	73.3	49.8	58,311.8	1,12,772.8	1,33,372.8	1,88,313.4	79,061.9

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत शामिल एसएचजी का विवरण दर्शाते हैं।

2. बैंकों से ऋण लेने वाले एमएफआई की वास्तविक संख्या खातों की संख्या से कम हो सकती है, क्योंकि अधिकांश एमएफआई एक ही बैंक से कई बार और एकाधिक बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.14: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य वित्तीय संकेतक: राज्य-वार *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र/ राज्य	2023-24						2024-25					
	आरआरबी की संख्या	लाभ कमाने वाले		घाटे में चल रहे		निवल लाभ/ हानि	आरआरबी की संख्या	लाभ कमाने वाले		घाटे में चल रहे		निवल लाभ/ हानि
		संख्या	राशि	संख्या	राशि			संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य क्षेत्र	**7**	**7**	**1,262.9**	**0**	**0**	**1,262.9**	**7**	**6**	**1,214.0**	**1**	**200.2**	**1,013.8**
छत्तीसगढ़	1	1	296.2	0	0	296.2	1	1	152.6	0	0	152.6
मध्य प्रदेश	2	2	500.4	0	0	500.4	2	1	185.5	1	200.2	-14.8
उत्तर प्रदेश	3	3	391.0	0	0	391.0	3	3	797.8	0	0	797.8
उत्तराखंड	1	1	75.3	0	0	75.3	1	1	78.1	0	0	78.1
पूर्वी क्षेत्र	**8**	**8**	**624.9**	**0**	**0**	**624.9**	**8**	**8**	**940.6**	**0**	**0**	**940.6**
बिहार	2	2	94.9	0	0	94.9	2	2	114.9	0	0	114.9
झारखंड	1	1	115.9	0	0	115.9	1	1	169.4	0	0	169.4
ओडिशा	2	2	162.3	0	0	162.3	2	2	342.4	0	0	342.4
पश्चिम बंगाल	3	3	251.8	0	0	251.8	3	3	313.9	0	0	313.9
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**7**	**6**	**206.6**	**1**	**1.8**	**204.8**	**7**	**7**	**417.4**	**0**	**0**	**417.4**
अरुणाचल प्रदेश	1	1	27.3	0	0	27.3	1	1	23.4	0	0	23.4
असम	1	1	4.2	0	0	4.2	1	1	103.2	0	0	103.2
मणिपुर	1	0	-	1	1.8	-1.8	1	1	0.6	0	0	0.6
मेघालय	1	1	62.3	0	0	62.3	1	1	62.8	0	0	62.8
मिजोरम	1	1	84.5	0	0	84.5	1	1	122.0	0	0	122.0
नगालैंड	1	1	0.3	0	0	0.3	1	1	0.5	0	0	0.5
त्रिपुरा	1	1	27.9	0	0	27.9	1	1	104.9	0	0	104.9
उत्तरी क्षेत्र	**7**	**6**	**1,235.0**	**1**	**49.4**	**1,185.6**	**7**	**5**	**1,269.0**	**2**	**178.6**	**1,090.4**
हरियाणा	1	1	338.2	0	0	338.2	1	1	376.6	0	0	376.6
हिमाचल प्रदेश	1	1	6.9	0	0	6.9	1	1	34.7	0	0	34.7
जम्मू और कश्मीर	2	1	3.8	1	49.4	-45.7	2	0	0	2	178.6	-178.6
पंजाब	1	1	141.1	0	0	141.1	1	1	153.6	0	0	153.6
राजस्थान	2	2	745.1	0	0	745.1	2	2	704.0	0	0	704.0
दक्षिणी क्षेत्र	**10**	**9**	**3,990.4**	**1**	**174.3**	**3,816.1**	**10**	**9**	**3,664.9**	**1**	**791.3**	**2,873.6**
आंध्र प्रदेश	3	3	1,404.6	0	0	1,404.6	4	4	2,156.3	0	0	2,156.3
कर्नाटक	2	1	104.2	1	174.3	-70.1	2	1	126.0	1	791.3	-665.3
केरल	1	1	405.8	0	0	405.8	1	1	312.9	0	0	312.9
पुदुचेरी	1	1	18.9	0	0	18.9	1	1	27.0	0	0	27.0
तमिलनाडु	1	1	446.7	0	0	446.7	1	1	367.4	0	0	367.4
तेलंगाना	2	2	1,610.2	0	0	1,610.2	1	1	675.3	0	0	675.3
पश्चिमी क्षेत्र	**4**	**4**	**476.4**	**0**	**0**	**476.4**	**4**	**3**	**507.2**	**1**	**22.6**	**484.7**
गुजरात	2	2	401.3	0	0	401.3	2	2	447.5	0	0	447.5
महाराष्ट्र	2	2	75.1	0	0	75.1	2	1	59.7	1	22.6	37.2
अखिल भारत	**43**	**40**	**7,796.2**	**3**	**225.5**	**7,570.7**	**43**	**38**	**8,013.2**	**5**	**1,192.7**	**6,820.5**

टिप्पणियाँ: 1. 31 दिसंबर 2024 तक आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी), जिसका प्रधान कार्यालय वारंगल, तेलंगाना में है, तेलंगाना के 21 जिलों और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में कार्यरत था। 1 जनवरी 2025 से एपीजीवीबी को विभाजित किया गया और तेलंगाना स्थित इसकी शाखाओं का तेलंगाना ग्रामीण बैंक में विलय कर दिया गया। वित्त वर्ष 2023-24 तक, एपीजीवीबी का डेटा उपर्युक्त सारणी में तेलंगाना के हिस्से के रूप में शामिल था और वित्त वर्ष 2024-25 में विभाजन के बाद, एपीजीवीबी के डेटा को आंध्र प्रदेश के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2. जे एंड के ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय जम्मू में है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी 4 शाखाएँ हैं। इस बैंक का डेटा जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.14: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य वित्तीय संकेतक: राज्य-वार *(समाप्त)*

क्षेत्र/ राज्य	सकल एनपीए (%)		सीआरएआर (%)	
	मार्च-24	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-25
1	14	15	16	17
मध्य क्षेत्र	**7.0**	**6.3**	**12.5**	**12.4**
छत्तीसगढ़	2.0	1.8	17.6	16.2
मध्य प्रदेश	7.0	7.9	14.3	12.7
उत्तर प्रदेश	7.8	6.5	11.5	11.9
उत्तराखंड	4.1	3.3	12.6	12.6
पूर्वी क्षेत्र	**15.0**	**11.5**	**9.4**	**10.0**
बिहार	23.8	18.9	6.6	7.2
झारखंड	3.7	3.0	10.9	11.8
ओडिशा	11.6	8.0	10.5	11.2
पश्चिम बंगाल	8.0	5.9	12.6	12.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**7.3**	**6.2**	**15.1**	**16.1**
अरुणाचल प्रदेश	3.3	3.3	15.9	14.9
असम	10.4	8.5	8.7	9.5
मणिपुर	10.7	12.0	10.7	10.9
मेघालय	5.2	4.1	15.3	16.6
मिजोरम	4.9	4.4	13.7	16.8
नगालैंड	0.8	0.5	10.0	9.1
त्रिपुरा	4.7	3.9	24.3	24.5
उत्तरी क्षेत्र	**3.2**	**2.6**	**13.6**	**13.6**
हरियाणा	3.2	1.9	14.8	15.3
हिमाचल प्रदेश	3.9	3.2	8.0	9.1
जम्मू और कश्मीर	5.4	4.8	9.5	4.5
पंजाब	5.1	4.5	16.5	15.9
राजस्थान	2.3	2.1	13.1	13.5
दक्षिणी क्षेत्र	**4.0**	**3.9**	**17.6**	**18.0**
आंध्र प्रदेश	0.9	1.0	21.1	23.0
कर्नाटक	11.5	12.5	10.5	8.5
केरल	2.1	1.8	13.5	13.9
पुदुचेरी	1.4	0.9	10.4	10.1
तमिलनाडु	1.0	0.9	13.3	13.7
तेलंगाना	2.4	2.1	25.1	25.4
पश्चिमी क्षेत्र	**4.3**	**4.3**	**12.7**	**13.2**
गुजरात	2.2	1.7	15.0	16.1
महाराष्ट्र	6.4	7.2	10.5	10.2
अखिल भारत	**6.2**	**5.4**	**14.2**	**14.4**

टिप्पणियाँ: 1. 31 दिसंबर 2024 तक आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी), जिसका प्रधान कार्यालय वारंगल, तेलंगाना में है, तेलंगाना के 21 जिलों और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में कार्यरत था। 1 जनवरी 2025 से एपीजीवीबी को विभाजित किया गया और तेलंगाना स्थित इसकी शाखाओं का तेलंगाना ग्रामीण बैंक में विलय कर दिया गया। वित्त वर्ष 2023-24 तक, एपीजीवीबी का डेटा उपर्युक्त सारणी में तेलंगाना के हिस्से के रूप में शामिल था और वित्त वर्ष 2024-25 में विभाजन के बाद, एपीजीवीबी के डेटा को आंध्र प्रदेश के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2. जे एंड के ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय जम्मू में है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी 4 शाखाएँ हैं। इस बैंक का डेटा जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.15: आरआरबी - पीएसएल लक्ष्य और उपलब्धि - 2024-25

क्षेत्र/ उप क्षेत्र	लक्ष्य (प्रतिशत)	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य को पूरा न कर पाने वाले आरआरबी
1	**2**	**3**	**4**
समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	75.0	88.2	-
कृषि	18.0	31.9	-
लघु और सीमांत किसान	10.0	18.3	-
गैर- कॉरपोरेट किसान	13.78	41.3	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (12.12%)
सूक्ष्म उद्यम	7.5	22.6	-
कमजोर वर्ग	15.0	34.7	-

-: शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्धि की गणना, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार (पीएसएल) पर रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार सभी तिमाहियों के सामान्य औसत के रूप में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में की गई है।

2. एएनबीसी पिछले वर्ष की इसी तारीख के अनुसार है।
3. विभिन्न श्रेणियों के तहत उपलब्धि का आकलन जारी किए /खरीदे गए पीएसएलसी में फैक्टरिंग के बाद किया गया है।
4. एएनबीसी की गणना करते समय, निवल बैंक ऋण में बाकी पीएसएलसी (खरीदे गए पीएसएलसी में से जारी पीएसएलसी को घटाकर) जोड़े गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.1: वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक: अनुसूचित यूसीबी *(जारी)*

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	बैंकों के नाम	ब्याज आय		परिचालन लाभ		कर पश्चात निवल लाभ	
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.6	6.0	0.5	0.7	-1.9	0.0
2	अहमदाबाद मर्कैंटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.9	7.2	2.2	1.9	1.5	1.2
3	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.8	7.0	1.2	1.2	0.8	0.7
4	अमानत को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, बेंगलुरु	0.6	1.0	0.2	0.0	0.2	-0.2
5	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद	8.0	8.2	1.7	2.0	1.9	2.2
6	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	6.1	0.2	0.5	-1.3	-0.5
7	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.8	6.7	1.5	1.3	1.1	1.0
8	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड (पूना)	6.5	6.7	1.8	1.1	1.0	0.7
9	बॉम्बे मर्कैंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	4.7	4.9	0.9	1.1	0.2	0.1
10	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	7.1	7.0	1.3	1.0	0.6	0.6
11	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड, पुणे	7.0	6.9	1.9	1.3	1.6	0.6
12	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	6.1	6.6	1.8	1.7	0.5	0.8
13	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.1	7.1	1.2	1.2	0.9	0.9
14	जीपी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलवा, ठाणे	6.9	7.0	1.7	1.5	1.0	1.1
15	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.8	7.2	0.7	0.5	0.2	0.1
16	जीएस महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	7.4	7.2	1.4	0.6	1.0	0.4
17	इंडियन मर्कैंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	4.2	3.8	1.0	0.8	0.9	1.1
18	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.3	7.1	1.4	1.0	0.9	0.6
19	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.8	6.8	1.5	1.5	0.1	0.5
20	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड (बॉम्बे)	6.9	7.2	0.8	-0.7	0.3	0.5
21	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड (नासिक)	4.8	4.1	0.5	0.1	0.5	0.1
22	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (पूना)	6.4	6.8	1.6	1.1	0.4	0.6
23	कल्लाप्पण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.2	6.9	1.7	1.8	0.4	0.5
24	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.8	7.1	1.2	1.0	0.6	0.6
25	खामगांव अर्बन को.ऑप. बैंक लिमिटेड,	6.6	6.4	1.9	1.2	0.6	0.6
26	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.2	7.4	2.2	2.5	1.1	0.3
27	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	7.0	7.0	1.3	1.5	0.4	0.7
28	नासिक मर्चेंट्स को.ऑप. बैंक लिमिटेड	7.4	7.3	1.8	1.9	1.5	1.4
29	न्यू इंडिया को.ऑप. बैंक लिमिटेड	6.4	6.9	0.1	-0.1	-0.8	-6.2
30	एनकेजीएसबी को.ऑप. बैंक लिमिटेड	6.6	6.9	0.5	0.7	0.2	0.3
31	नूतन नागरिक सह. बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद)	6.8	7.2	1.0	1.2	0.6	0.7
32	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	7.8	8.2	1.8	2.0	0.6	0.6
33	राजाराम बापू सहकारी बैंक लिमिटेड	7.1	7.6	1.6	1.7	0.5	0.5
34	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	7.3	7.5	1.8	1.9	1.2	1.4
35	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.2	7.2	1.7	1.4	1.7	1.0
36	सारस्वत को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	6.1	6.2	0.9	0.8	0.8	0.7
37	एसबीपीपी को.ऑपरेटिव बैंक.लिमिटेड,	6.4	6.2	2.3	1.9	1.7	1.6
38	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	6.6	6.8	2.6	1.3	1.8	0.6
39	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.8	7.1	1.5	1.6	1.2	1.0
40	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.5	7.9	2.2	2.0	1.5	1.2
41	एसवीसी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.1	7.1	1.4	1.3	0.9	0.9
42	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	7.4	7.3	0.9	0.9	0.4	0.5
43	द अकोला जनता कमर्शियल को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.0	6.7	1.9	1.4	1.3	0.9
44	द भारत को.ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड	6.8	7.1	1.0	1.1	0.1	0.3
45	द कालुपुर कॉम. को.ऑप. बैंक लिमिटेड	6.7	6.7	2.4	2.2	1.5	1.3
46	द कल्याण जनता सह. बैंक लिमिटेड, कल्याण	7.3	7.6	0.9	0.9	0.4	0.3
47	टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	7.1	7.0	1.6	1.4	1.2	1.0
48	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	6.7	6.6	1.3	1.2	0.3	0.3
49	जोरास्ट्रियन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.1	7.1	0.4	0.4	0.2	0.3

टिप्पणियाँ: वर्ष 2024-25 के लिए डेटा अनंतिम है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न्स, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी V.1: वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक : अनुसूचित यूसीबी *(समाप्त)*

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	बैंकों के नाम	व्ययकृत ब्याज		ब्याजेतर व्यय		प्रावधान और आकस्मिकताएं	
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	9	10	11	12	13	14
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.1	3.9	2.8	2.4	3.4	0.4
2	अहमदाबाद मर्कैंटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	3.8	4.2	1.4	1.4	0.2	0.7
3	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	3.8	4.1	3.0	2.8	0.1	0.2
4	अमानत को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, बेंगलुरु	0.2	0.2	0.5	1.0	0.0	0.2
5	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद	4.4	4.1	2.2	2.5	-0.9	-0.9
6	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	4.0	4.1	2.4	2.4	1.8	1.2
7	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.1	4.2	1.3	1.5	0.1	0.0
8	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड (पूना)	3.1	3.8	1.7	2.2	0.5	0.2
9	बॉम्बे मर्कैंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	1.8	1.8	3.1	3.0	0.8	1.0
10	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.9	4.3	2.3	2.4	0.5	0.3
11	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड, पुणे	4.1	4.4	3.2	3.1	0.0	0.6
12	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	3.2	3.9	2.8	2.9	1.1	0.5
13	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	3.9	4.4	2.3	2.1	0.0	0.1
14	जीपी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलवा, ठाणे	3.2	3.5	2.6	2.6	0.5	0.2
15	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.1	4.6	4.0	4.2	0.3	0.3
16	जीएस महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.8	4.3	3.0	2.9	0.1	0.1
17	इंडियन मर्कैंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	1.6	1.5	2.3	2.3	-0.5	-0.6
18	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.2	4.2	2.4	2.5	0.3	0.2
19	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.0	4.1	2.4	2.5	1.4	0.9
20	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड (बॉम्बे)	3.5	3.8	3.3	4.8	0.6	-1.7
21	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड (नासिक)	2.3	2.4	3.4	3.2	0.0	0.0
22	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (पूना)	4.1	4.5	2.3	2.5	1.1	0.3
23	कल्लाप्पण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.4	4.3	1.6	1.4	0.9	1.0
24	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.1	4.7	2.2	2.3	0.4	0.2
25	खामगांव अर्बन को.ऑप. बैंक लिमिटेड,	3.2	3.4	2.3	2.7	1.0	0.6
26	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.3	4.7	1.2	1.3	0.6	1.8
27	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	3.7	4.3	2.8	2.0	0.9	0.5
28	नासिक मर्चेंट्स को.ऑप. बैंक लिमिटेड	4.2	4.3	3.1	2.5	-0.2	0.4
29	न्यू इंडिया को.ऑप. बैंक लिमिटेड	4.5	5.1	2.6	3.0	0.7	6.0
30	एनकेजीएसबी को.ऑप. बैंक लिमिटेड	4.3	4.7	2.3	2.2	0.2	0.3
31	नूतन नागरिक सह. बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद)	5.0	5.2	1.6	1.5	0.2	0.3
32	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	4.7	4.9	1.8	1.8	0.9	1.2
33	राजाराम बापू सहकारी बैंक लिमिटेड	4.7	5.0	1.4	1.4	0.9	1.0
34	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.2	4.6	1.4	1.4	0.2	0.2
35	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.8	5.1	2.2	2.0	0.0	0.5
36	सारस्वत को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	3.9	4.3	2.1	2.0	-0.2	-0.2
37	एसबीपीपी को.ऑपरेटिव बैंक.लिमिटेड,	3.1	3.3	1.7	1.7	0.1	-0.2
38	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	3.5	3.7	2.7	2.8	0.3	0.5
39	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	3.8	4.2	2.1	2.2	0.1	0.4
40	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.8	5.1	1.1	1.3	0.3	0.3
41	एसवीसी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.2	4.5	2.3	2.3	0.2	0.2
42	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	4.1	3.9	3.7	3.6	0.4	0.2
43	द अकोला जनता कमर्शियल को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	3.5	3.7	2.5	2.5	0.2	0.2
44	द भारत को.ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड	4.4	4.6	2.0	1.9	0.8	0.8
45	द कालुपुर कॉम. को.ऑप. बैंक लिमिटेड	3.7	4.0	1.1	1.1	0.4	0.4
46	द कल्याण जनता सह. बैंक लिमिटेड, कल्याण	4.2	4.5	2.7	3.2	0.4	0.5
47	टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	4.0	4.1	2.0	2.2	0.0	0.1
48	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	4.1	4.1	2.0	2.0	0.8	0.7
49	जोरास्ट्रियन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	3.9	4.3	3.0	2.7	0.1	0.3

टिप्पणियाँ: वर्ष 2024-25 के लिए डेटा अनंतिम है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न्स, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी V.2: चुनिंदा वित्तीय मापदंड: अनुसूचित यूसीबी

(मार्च 2025 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाराशियों की औसत लागत	अग्रिमों पर प्राप्त औसत प्रतिफल	कुल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज आय (स्प्रेड)	कार्यकारी निधियों की तुलना में निवल ब्याज आय	कार्यकारी निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय	आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	सीआर-एआर	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.1	8.8	2.1	2.1	1.0	0.0	3.6	6.1	0.0
2	अहमदाबाद मर्कैंटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.0	9.0	3.1	3.0	0.3	1.3	32.2	13.1	0.1
3	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.1	10.1	3.1	3.0	1.2	0.8	15.6	5.6	0.0
4	अमानत को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, बेंगलुरु	1.4	2.7	3.8	3.8	0.5	-0.8	32.1	1.6	0.0
5	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद	5.5	12.6	4.0	4.0	0.4	2.2	44.7	6.4	0.1
6	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	5.0	8.4	1.9	2.1	0.9	-0.5	4.7	7.5	0.0
7	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.7	8.9	2.7	2.6	0.3	1.1	24.6	18.3	0.2
8	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड (पूना)	4.5	8.6	3.0	3.1	0.3	0.7	21.1	10.1	0.1
9	बॉम्बे मर्कैंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	3.1	9.6	3.2	4.2	1.4	0.1	13.0	4.4	0.0
10	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.2	8.8	2.6	2.8	0.7	0.5	21.3	9.4	0.0
11	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड, पुणे	5.8	9.6	2.8	2.7	1.9	0.7	15.1	12.3	0.1
12	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	5.0	9.6	3.0	3.0	2.1	0.9	16.9	8.5	0.1
13	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.8	9.4	2.9	2.8	0.7	0.9	20.9	6.0	0.0
14	जीपी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलवा, ठाणे	4.2	8.7	3.7	3.6	0.7	1.1	19.7	7.5	0.1
15	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.1	9.0	2.7	2.8	2.1	0.1	19.2	9.5	0.0
16	जीएस महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.3	9.6	2.9	2.9	0.6	0.4	19.2	6.5	0.0
17	इंडियन मर्कैंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	3.0	3.7	2.5	3.0	1.1	1.2	92.3	1.7	0.0
18	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.3	10.0	3.2	3.1	0.5	0.7	15.4	7.7	0.0
19	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.0	9.4	2.9	2.8	1.4	0.5	15.2	7.9	0.0
20	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड (बॉम्बे)	4.7	10.1	3.6	3.6	0.8	0.5	15.3	8.5	0.0
21	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड (नासिक)	5.1	9.1	1.6	2.6	2.4	0.1	21.4	1.7	0.0
22	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (पूना)	5.4	9.1	2.6	2.4	1.3	0.7	14.8	13.9	0.1
23	कल्लाप्पण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.6	10.7	3.0	2.7	0.7	0.5	13.8	8.0	0.0
24	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.0	9.5	2.7	2.6	0.9	0.7	15.3	8.0	0.0
25	खामगांव अर्बन को.ऑप. बैंक लिमिटेड,	4.6	9.7	3.1	3.1	1.0	0.6	22.9	6.0	0.0
26	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	6.1	9.4	2.8	2.7	1.2	0.3	17.0	24.4	0.1
27	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.2	9.0	2.9	2.9	0.8	0.7	14.6	9.3	0.0
28	नासिक मर्चेंट्स को.ऑप. बैंक लिमिटेड	5.3	9.1	3.3	3.1	1.4	1.5	30.5	6.1	0.1
29	न्यू इंडिया को.ऑप. बैंक लिमिटेड	5.2	9.9	1.7	1.8	1.1	-5.6	-4.7	11.2	-0.5
30	एनकेजीएसबी को.ऑप. बैंक लिमिटेड	5.9	9.3	2.3	2.3	0.7	0.3	13.2	15.5	0.0
31	नूतन नागरिक सह. बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद)	6.2	9.2	2.1	2.0	0.7	0.7	15.4	15.9	0.1
32	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	5.8	9.9	3.5	3.4	0.4	0.6	13.6	7.6	0.0
33	राजाराम बापू सहकारी बैंक लिमिटेड	6.6	10.1	2.9	2.9	0.6	0.6	14.9	10.6	0.0
34	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.7	9.5	3.1	3.0	0.4	1.4	18.7	9.9	0.1
35	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.2	10.1	2.2	2.3	1.4	1.0	14.9	6.6	0.0
36	सारस्वत को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.7	9.3	2.4	2.2	0.9	0.9	17.4	16.9	0.1
37	एसबीपीपी को.ऑपरेटिव बैंक.लिमिटेड,	5.0	9.3	3.5	3.2	0.7	1.9	23.8	11.8	0.2
38	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	5.1	10.1	3.1	3.5	1.1	0.6	16.2	4.8	0.0
39	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.8	10.7	3.1	3.3	0.9	1.0	18.6	7.7	0.1
40	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.1	9.4	2.9	2.9	0.4	1.3	16.4	28.4	0.2
41	एसवीसी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.6	9.7	3.1	3.1	1.2	1.0	14.8	15.9	0.1
42	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	4.5	9.7	3.7	3.6	1.1	0.5	13.6	8.6	0.0
43	द अकोला जनता कमर्शियल को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.1	10.6	3.4	3.2	1.0	1.0	28.7	6.1	0.0
44	द भारत को.ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड	5.6	9.5	2.5	2.5	0.6	0.3	14.1	12.9	0.0
45	द कालुपुर कॉम. को.ऑप. बैंक लिमिटेड	5.6	8.9	3.1	3.0	0.5	1.5	20.2	20.9	0.2
46	द कल्याण जनता सह. बैंक लिमिटेड, कल्याण	5.0	9.9	3.1	3.3	1.0	0.3	12.6	9.1	0.0
47	टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	5.3	9.5	3.3	3.1	0.7	1.1	17.5	13.6	0.1
48	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	5.0	8.4	2.6	2.6	0.7	0.4	18.3	8.9	0.0
49	जोरास्ट्रियन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.2	8.7	2.8	2.8	0.4	0.3	19.7	8.3	0.0

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न्स, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी V.3: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	लाभ/हानि की राशि		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए		मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)*	
		2023-24	2024-25[अ]	31-Mar-24	31-Mar-25	30-Jun-23	30-Jun-24
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र	**31,052**	**35,871**	**2.2**	**2.1**	**97.6**	**97.2**
1	चंडीगढ़	1,174	1,767	2.4	2.4	83.9	86.1
2	दिल्ली	2,123	2,178	0.7	0.4	98.1	98.3
3	हरियाणा	6,185	8,289	-	0.1	100.0	100.0
4	हिमाचल प्रदेश	11,876	14,764	3.9	2.9	71.9	66.6
5	जम्मू और कश्मीर	-1,489	-2,059	55.5	56.3	63.0	60.9
6	पंजाब	3,561	3,110	0.9	1.2	98.4	99.4
7	राजस्थान	7,621	7,822	0.2	0.3	99.8	99.0
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**10,148**	**11,181**	**9.2**	**8.9**	**80.3**	**57.8**
8	अरुणाचल प्रदेश	-2,057	-4,283	39.9	27.1	15.8	25.4
9	असम	1,401	2,918	9.2	9.9	66.1	65.8
10	मणिपुर	401	256	18.1	20.8	64.6	31.6
11	मेघालय	1,670	1,832	8.0	7.3	31.4	58.0
12	मिजोरम	4,246	4,577	2.5	2.7	84.8	88.8
13	नगालैंड	858	1,236	14.2	13.3	59.7	55.6
14	सिक्किम	834	989	3.5	3.5	59.5	26.3
15	त्रिपुरा	2,795	3,656	7.6	8.3	93.7	74.5
	पूर्वी क्षेत्र	**54,449**	**52,210**	**3.9**	**3.5**	**91.3**	**92.2**
16	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	746	746	25.8	25.8	63.4	71.1
17	बिहार	6,764	7,818	3.1	2.7	17.3	14.4
18	झारखंड	6,669	3,593	9.4	9.8	55.0	56.1
19	ओडिशा	21,589	17,639	1.1	0.9	98.7	99.0
20	पश्चिम बंगाल	18,682	22,414	4.8	4.7	89.2	88.5
	मध्य क्षेत्र	**23,673**	**28,649**	**3.8**	**4.3**	**92.7**	**91.0**
21	छत्तीसगढ़	3,683	3,899	2.0	1.7	97.2	93.1
22	मध्य प्रदेश	11,154	13,905	5.1	6.4	86.0	86.0
23	उत्तर प्रदेश	7,287	10,024	3.1	2.7	98.1	98.4
24	उत्तराखंड	1,549	820	4.1	6.1	97.6	93.9
	पश्चिमी क्षेत्र	**80,832**	**76,625**	**7.2**	**7.0**	**77.7**	**88.5**
25	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	970	676	4.4	19.6	68.1	55.1
26	गोवा	482	1,440	4.2	5.2	91.7	88.6
27	गुजरात	10,692	9,351	0.7	0.3	96.1	96.9
28	महाराष्ट्र	68,688	65,158	9.2	8.7	73.9	87.6
	दक्षिणी क्षेत्र	**68,990**	**56,400**	**5.1**	**5.0**	**94.6**	**82.3**
29	आंध्र प्रदेश	18,980	21,713	0.5	0.8	97.9	99.2
30	कर्नाटक	6,500	6,700	4.6	5.3	97.6	97.7
31	केरल	24,781	1,870	11.2	11.6	73.3	65.5
32	पुदुचेरी	60	464	11.6	11.5	71.6	75.5
33	तमिलनाडु	12,129	16,529	2.9	1.7	99.4	91.0
34	तेलंगाना	6,540	9,124	0.1	0.1	98.8	98.9
	अखिल भारत	**269,144**	**260,936**	**4.9**	**4.8**	**92.4**	**87.5**

अ: अनंतिम।

:- शून्य/ नगण्य।

*: वित्तीय वर्ष के लिए वसूली (संबंधी डेटा) 30 जून तक के लिए है।

टिप्पणियाँ: पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.4: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्र/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	2023-24					2024-25[अ]					2024		2025[अ]	
		डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)*	ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)*
			डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि		डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**73**	**65**	**29,841**	**8**	**15,330**	**73**	**49**	**35,208**	**24**	**36,842**	**8.5**	**73.6**	**8.3**	**72.4**
1	हरियाणा	19	19	7,122	-	-	19	18	9,234	1	19	5.8	60.2	6.7	61.2
2	हिमाचल प्रदेश	2	2	8,399	-	-	2	2	13,789	-	-	21.0	70.5	17.2	69.9
3	जम्मू और कश्मीर	3	2	443	1	639	3	2	269	1	690	20.4	35.4	24.7	42.9
4	पंजाब	20	14	7,255	6	11,410	20	10	6,965	10	11,163	10.7	75.9	10.5	73.4
5	राजस्थान	29	28	6,622	1	3,282	29	17	4,952	12	24,970	5.2	83.7	5.0	80.9
	पूर्वी क्षेत्र	**58**	**52**	**28,422**	**6**	**9,150**	**58**	**51**	**27,369**	**7**	**11,286**	**8.8**	**76.6**	**8.5**	**78.0**
6	बिहार	23	19	2,558	4	3,228	23	18	3,375	5	9,870	12.2	51.8	9.6	52.5
7	झारखंड	1	1	146	-	-	1	1	99	-	-	28.1	66.6	16.8	64.7
8	ओडिशा	17	17	11,946	-	-	17	17	10,277	-	-	7.3	78.2	7.2	80.7
9	पश्चिम बंगाल	17	15	13,772	2	5,922	17	15	13,619	2	1,416	10.1	79.0	10.4	76.3
	मध्य क्षेत्र	**104**	**89**	**62,991**	**15**	**63,188**	**104**	**94**	**72,981**	**10**	**76,221**	**15.7**	**66.4**	**14.9**	**68.0**
10	छत्तीसगढ़	6	6	19,635	-	-	6	6	24,989	-	-	9.7	78.7	10.1	79.5
11	मध्य प्रदेश	38	29	22,174	9	59,041	38	28	17,833	10	76,221	22.7	57.9	21.8	59.6
12	उत्तर प्रदेश	50	44	11,446	6	4,147	50	50	18,564	-	-	6.3	79.3	5.8	81.2
13	उत्तराखंड	10	10	9,736	-	-	10	10	11,595	-	-	7.6	73.3	8.0	67.5
	पश्चिमी क्षेत्र	**49**	**46**	**129,124**	**3**	**5,585**	**49**	**45**	**143,109**	**4**	**5,477**	**10.3**	**75.2**	**10.3**	**73.6**
14	गुजरात	18	18	44,729	-	-	18	18	51,873	-	-	3.0	94.4	2.3	94.5
15	महाराष्ट्र	31	28	84,395	3	5,585	31	27	91,236	4	5,477	13.2	66.0	13.7	62.7
	दक्षिणी क्षेत्र	**67**	**60**	**79,359**	**7**	**47,093**	**67**	**62**	**88,319**	**5**	**29,513**	**5.8**	**88.8**	**5.7**	**87.3**
16	आंध्र प्रदेश	13	11	13,126	2	30,855	13	12	16,457	1	5,905	4.8	88.1	6.2	84.2
17	कर्नाटक	21	18	26,726	3	12,123	21	19	33,463	2	9,214	7.2	91.8	7.1	91.9
18	केरल	1	-	-	1	3,869	1	-	-	1	10,471	15.4	66.1	16.0	68.0
19	तमिलनाडु	23	23	27,200	-	-	23	23	26,815	-	-	5.5	88.6	4.5	86.5
20	तेलंगाना	9	8	12,307	1	246	9	8	11,584	1	3,923	3.2	84.7	2.5	86.2
	अखिल भारत	**351**	**312**	**329,737**	**39**	**140,346**	**351**	**301**	**366,986**	**50**	**159,339**	**8.9**	**76.8**	**8.7**	**76.4**

अ: अनंतिम

:- शून्य/ नगण्य।

*: वित्तीय वर्ष के लिए वसूली (संबंधी डेटा) 30 जून तक के लिए है।

टिप्पणियाँ: पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों और उधारकर्ताओं का विवरण

(संख्या हजार में)

अखिल भारत	सदस्य		उधारकर्ता	
	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति	17,759	17,773	5,420	5,119
अनुसूचित जनजाति	19,254	22,965	3,209	3,276
लघु कृषक	73,057	72,317	28,189	28,571
ग्रामीण कारीगर	7,298	6,942	1,273	1,201
अन्य और सीमांत किसान	43,011	43,667	11,137	11,331

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2023	2024	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	4,47,134	4,90,941	14.2	9.8
2. स्वाधिकृत निधियां (ए+बी)	48,566	59,478	13.6	22.5
ए. चुकता पूंजी	22,191	30,689	12.1	38.3
जिसमें से, सरकार का अंशदान	889	922	2.7	3.7
बी. कुल आरक्षित निधियां	26,375	28,789	14.9	9.2
3. जमाराशियां	1,97,239	2,03,532	11.8	3.2
4. उधारियां	2,01,329	2,27,931	16.8	13.2
5. कार्यशील पूंजी	4,09,377	4,29,103	10.7	4.8
आस्तियां				
1. कुल बकाया ऋण (ए+बी)	1,88,842	2,03,212	18.2	7.6
ए. अल्पावधि	1,54,650	1,63,060	19.7	5.4
बी. मध्यावधि	34,192	40,152	12.0	17.4

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का ₹ करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.7: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(जारी)*

(31 मार्च 2024 की स्थिति में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	पीएसीएस की संख्या	जमाराशियां	कार्यशील पूंजी	बकाया ऋण तथा अग्रिम		लाभ वाली समितियां	
					कृषि	कृषीतर	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	**15,173**	**18,57,293**	**55,12,813**	**26,45,050**	**99,583**	**10,005**	**57,031**
1	चंडीगढ़*	17	-	5	0	-	13	0
2	हरियाणा	786	47,636	12,69,731	5,96,454	33,150	28	38
3	हिमाचल प्रदेश	2,226	7,50,490	8,90,460	87,376	34,852	1,850	4,237
4	जम्मू और कश्मीर	658	309	3,675	1,983	361	419	80
5	पंजाब*	3,998	7,72,226	13,28,203	7,12,988	22,050	2,062	22,908
6	राजस्थान	7,488	2,86,632	20,20,738	12,46,248	9,169	5,633	29,768
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**10,091**	**1,07,591**	**1,67,897**	**38,122**	**32,127**	**1,340**	**11,415**
7	अरुणाचल प्रदेश	35	उ.न.	4,644	-	-	15	24
8	असम*	766	-	11,123	575	20	309	7,639
9	मणिपुर	431	8	1,211	11	-	360	95
10	मेघालय	707	5,622	12,856	5,391	56	346	2,522
11	मिजोरम	96	4,214	423	540	170	60	1,020
12	नगालैंड*	7,601	97,313	1,17,058	30,245	31,586	उ.न.	उ.न.
13	सिक्किम	187	उ.न.	119	1,001	75	125	81
14	त्रिपुरा	268	433	20,464	360	220	125	34
	पूर्वी क्षेत्र	**18,667**	**8,10,048**	**17,89,822**	**10,21,953**	**44,204**	**4,377**	**8,987**
15	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59	110	1,736	1,872	809	16	32
16	बिहार*	8,463	17,533	50,816	-	-	1,180	604
17	झारखंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
18	ओडिशा	2,737	5,80,816	12,29,964	8,69,457	12,811	802	4,973
19	पश्चिम बंगाल	7,408	2,11,589	5,07,306	1,50,624	30,584	2,379	3,378
	मध्य क्षेत्र	**16,000**	**2,65,565**	**19,62,371**	**7,19,278**	**59,049**	**8,372**	**52,711**
20	छत्तीसगढ़	1,924	28,098	8,28,093	1,73,225	1,780	1,129	24,179
21	मध्य प्रदेश*	4,457	81,731	6,45,546	3,39,959	11,892	2,153	13,124
22	उत्तराखंड	690	1,48,916	3,62,805	1,26,063	45,376	554	13,635
23	उत्तर प्रदेश*	8,929	6,820	1,25,927	80,031	-	4,536	1,774
	पश्चिमी क्षेत्र	**31,625**	**16,66,414**	**65,57,643**	**44,49,058**	**7,14,389**	**15,303**	**31,260**
24	गोवा	109	12,202	19,848	1,048	5,535	52	419
25	गुजरात	9,622	75,318	19,44,091	18,06,518	92,982	6,916	18,956
26	महाराष्ट्र	21,894	15,78,895	45,93,705	26,41,493	6,15,872	8,335	11,885
	दक्षिणी क्षेत्र	**16,085**	**1,56,46,292**	**2,69,19,716**	**69,25,629**	**27,31,434**	**9,841**	**99,517**
27	आंध्र प्रदेश	2,042	2,81,495	32,83,110	15,22,356	-	1,062	33,351
28	तेलंगाना*	885	51,009	7,73,396	5,71,155	51,609	619	11,623
29	कर्नाटक	6,954	19,32,933	53,02,566	24,03,574	10,25,724	4,268	17,102
30	केरल*	1,620	1,21,69,710	1,35,32,893	4,46,114	2,28,188	927	14,150
31	पुदुचेरी	53	24,058	31,953	45	23,801	16	384
32	तमिलनाडु	4,531	11,87,087	39,95,797	19,82,384	14,02,112	2,949	22,907
	अखिल भारत	**1,07,641**	**2,03,53,203**	**4,29,10,262**	**1,57,99,090**	**36,80,785**	**49,238**	**2,60,922**

*: डेटा पिछले वर्ष से संबंधित है।

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

:- शून्य/ नगण्य।

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.7: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(समाप्त)*

(31 मार्च 2024 की स्थिति में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	हानिग्रस्त समितियां		अर्थक्षम	संभावित रूप से अर्थक्षम	निष्क्रिय	अप्रचलित	अन्य
		संख्या	राशि					
1	2	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**4,542**	**28,877**	**13,288**	**1,103**	**353**	**242**	**187**
1	चंडीगढ़*	4	0.31	13	-	-	4	-
2	हरियाणा	758	7,039	786	-	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश	323	1,789	1,070	955	70	63	68
4	जम्मू और कश्मीर	142	13	550	37	9	46	16
5	पंजाब*	1,513	6,619	3,505	111	150	129	103
6	राजस्थान	1,802	13,417	7,364	-	124	-	-
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,036**	**11,252**	**9,620**	**224**	**73**	**23**	**151**
7	अरुणाचल प्रदेश	18	12	33	0	0	2	0
8	असम*	419	9,909	709	57	0	0	0
9	मणिपुर	71	29	198	61	10	11	151
10	मेघालय	361	1,237	575	69	63	0	0
11	मिजोरम	12	3	69	27	0	0	0
12	नगालैंड*	उ.न.	उ.न.	7,601	0	0	0	0
13	सिक्किम	33	18	167	10	0	10	0
14	त्रिपुरा	122	44	268	0	0	0	0
	पूर्वी क्षेत्र	**9,890**	**28,856**	**14,111**	**2,768**	**584**	**412**	**792**
15	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	274	46	13	0	0	0
16	बिहार*	3,962	94	8,463	0	0	0	0
17	झारखंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
18	ओडिशा	1,882	27,014	1,649	509	11	1	567
19	पश्चिम बंगाल	4,015	1,473	3,953	2,246	573	411	225
	मध्य क्षेत्र	**4,975**	**69,854**	**13,343**	**2,034**	**386**	**167**	**70**
20	छत्तीसगढ़	746	44,429	1,912	12	0	0	0
21	मध्य प्रदेश*	2,129	17,824	3,663	720	4	-	70
22	उत्तराखंड	132	7,449	653	33	-	4	-
23	उत्तर प्रदेश*	1,968	153	7,115	1,269	382	163	-
	पश्चिमी क्षेत्र	**12,824**	**26,907**	**24,965**	**4,176**	**987**	**879**	**618**
24	गोवा	13	143	79	4	9	17	-
25	गुजरात	1571	13,160	6,082	2,532	268	166	574
26	महाराष्ट्र	11,240	13,604	18,804	1,640	710	696	44
	दक्षिणी क्षेत्र	**4,395**	**1,86,692**	**10,951**	**3,981**	**176**	**111**	**866**
27	आंध्र प्रदेश	968	97,958	1,321	685	20	2	14
28	तेलंगाना*	196	3,321	652	213	1	-	19
29	कर्नाटक	1,336	4,031	4,636	1,885	101	79	253
30	केरल*	658	68,110	1,580	-	15	25	-
31	पुदुचेरी	30	3,480	16	30	2	5	-
32	तमिलनाडु	1,207	9,791	2,746	1,168	37	-	580
	अखिल भारत	**37,662**	**3,52,439**	**86,278**	**14,286**	**2,559**	**1,834**	**2,684**

*: डेटा पिछले वर्ष से संबंधित है।

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

:- शून्य/ नगण्य।

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.8: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2023	2024[अ]	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	973 (3.5)	1,007 (3.5)	0.6	3.5
2. आरक्षित निधियां	5,571 (20.0)	5,736 (19.9)	5.2	3.0
3. जमाराशियां	2,621 (9.4)	2,679 (9.3)	1.4	2.2
4. उधारियां	12,559 (45.2)	12,517 (43.4)	-6.3	-0.3
5. अन्य देयताएं	6,071 (21.8)	6,912 (24.0)	3.9	13.9
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक जमा शेष	253 (0.9)	328 (1.1)	4.7	29.9
2. निवेश	2,913 (10.5)	2,837 (9.8)	23.6	-2.6
3. ऋण तथा अग्रिम	20,770 (74.7)	21,048 (73.0)	-0.4	1.3
4. संचित हानि	627 (2.3)	1,167 (4.0)	6.8	86.3
5. अन्य आस्तियां	3,231 (11.6)	3,470 (12.0)	-20.4	7.4
कुल देयताएं/ आस्तियां	**27,794** **(100.0)**	**28,851** **(100.0)**	**-1.1**	**3.8**

अ: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) हैं।

2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.9: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	की अवधि में		प्रतिशत में घट-बढ़	
		2022-23	2023-24[अ]	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए.	**आय (i + ii)**	**3,412**	**2,462**	**38.9**	**-27.9**
		(100.0)	**(100.0)**		
	i. ब्याज आय	2,364	2,321	14.2	-1.8
		(69.3)	(94.3)		
	ii. अन्य आय	1,049	141	170.4	-86.5
		(30.7)	(5.7)		
बी.	**व्यय (i + ii + iii)**	**3,004**	**2,736**	**26.6**	**-8.9**
		(100.0)	**(100.0)**		
	i. व्ययकृत ब्याज	1,034	1,263	2.5	22.2
		(34.4)	(46.2)		
	ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	563	718	-8.2	27.3
		(18.8)	(26.2)		
	iii. परिचालन व्यय	1,407	756	87.6	-46.3
		(46.8)	(27.6)		
	जिसमें से : वेतन बिल	346	364	-11.3	5.2
		(11.5)	(13.3)		
सी.	**लाभ**				
	i. परिचालन लाभ	972	443	39.1	-54.4
	ii. निवल लाभ	408	-275		

अ: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) हैं।

2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.10: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2023	2024[अ]	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i + ii + iii)	**7,571**	**8,070**	**0.7**	**6.6**
i. अवमानक	2,362	2,595	-15.2	9.8
	(31.2)	(32.2)		
ii. संदिग्ध	5,173	5,441	10.0	5.2
	(68.3)	(67.4)		
iii. हानि	35	34	2.2	-3.5
	(0.5)	(0.4)		
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	**36.5**	**38.3**		
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)*	**44.8**	**40.8**		

अ: अनंतिम।

*: वित्तीय वर्ष के लिए वसूली (संबंधी डेटा) 30 जून तक के लिए है।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल एनपीए के अनुपात हैं।

2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.11: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय संकेतक-राज्य-वार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	क्षेत्र / राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	शाखाएं	लाभ/ हानि		ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)		मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)^	
		2024	2023	2024अ	2023	2024अ	2023	2024अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	**104**	**16,336**	**-55,861**	**62.9**	**70.9**	**22.6**	**13.1**
1	हरियाणा @	-	-2,057	-51,830	76.6	88.5	11.0	5.7
2	हिमाचल प्रदेश #	51	-165	-428	38.0	35.8	41.0	35.6
3	जम्मू और कश्मीर*	51	-1,790	-1,872	55.0	46.2	32.6	30.0
4	पंजाब @	-	19,680	420	62.0	70.4	42.2	21.1
5	राजस्थान @	2	669	-2,150	55.6	61.7	16.7	13.6
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	**5**	**16**	**22**	**98.3**	**89.3**	**12.9**	**8.4**
6	असम*	-	-	-	-	-	-	-
7	त्रिपुरा*	5	16	22	98.3	89.3	12.9	8.4
	पूर्वी क्षेत्र	**11**	**700**	**62**	**24.7**	**26.8**	**34.7**	**33.4**
8	बिहार*	-	-	-	-	-	-	-
9	ओडिशा@	-	-	-	-	-	-	-
10	पश्चिम बंगाल #	11	700	62	24.7	26.8	34.7	33.4
	मध्य क्षेत्र	**323**	**9,808**	**9,831**	**81.9**	**76.2**	**29.1**	**27.7**
11	छत्तीसगढ़@	-	-	-	-	-	-	-
12	मध्य प्रदेश@	-	-	-	-	-	-	-
13	उत्तर प्रदेश*	323	9,808	9,831	81.9	76.2	29.1	27.7
	पश्चिमी क्षेत्र	**177**	**6,006**	**5,433**	**44.1**	**29.7**	**14.4**	**14.2**
14	गुजरात*	177	6,006	5,433	44.1	29.7	14.4	14.2
15	महाराष्ट्र@	-	-	-	-	-	-	-
	दक्षिणी क्षेत्र	**75**	**7,936**	**13,023**	**14.1**	**16.2**	**73.9**	**71.7**
16	कर्नाटक@	25	4	3,141	38.7	37.6	32.0	26.2
17	केरल @	16	3,447	3,506	8.3	11.8	86.5	84.9
18	पुदुचेरी*	1	22	111	8.8	6.0	91.2	92.9
19	तमिलनाडु@	33	4,464	6,265	11.6	9.6	88.6	90.5
	अखिल भारत	**695**	**40,803**	**-27,490**	**36.5**	**38.3**	**44.8**	**40.8**

@: संघीय संरचना #: मिश्रित संरचना *: एकल संरचना -: लागू नहीं।

^: वित्तीय वर्ष के लिए वसूली (संबंधी डेटा) 30 जून तक के लिए है।

अ: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

2. असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अब कोई एससीएआरडीबी कार्यशील नहीं हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.12: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2023	2024अ	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,110 (3.4)	1,058 (3.2)	3.1	-4.7
2. आरक्षित निधियां	4,518 (13.7)	4,600 (13.8)	2.6	1.8
3. जमाराशियां	1,721 (5.2)	1,804 (5.4)	2.8	4.8
4. उधारियां	16,949 (51.5)	16,840 (50.5)	-2.0	-0.6
5. अन्य देयताएं	8,585 (26.1)	9,023 (27.1)	-4.8	5.1
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक जमा शेष	421 (1.3)	429 (1.3)	-24.4	2.0
2. निवेश	2,387 (7.3)	2,502 (7.5)	3.6	4.8
3. ऋण तथा अग्रिम	16,044 (48.8)	15,922 (47.8)	-3.5	-0.8
4. संचित हानि	6,748 (20.5)	6,708 (20.1)	3.1	-0.6
5. अन्य आस्तियां	7,283 (22.1)	7,763 (23.3)	-2.0	6.6
कुल देयताएं/आस्तियां	**32,883 (100.0)**	**33,324 (100.0)**	**-1.7**	**1.3**

अ: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) हैं।

2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डेटा 608 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 607 के संबंध में उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डेटा 609 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 608 के संबंध में उपलब्ध है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.13: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	की अवधि में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2022-23	2023-24[अ]	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. आय (i + ii)	**3,524 (100.0)**	**3,166 (100.0)**	**22.5**	**-10.2**
i. ब्याज आय	1,957 (55.5)	2,031 (64.1)	7.3	3.8
ii. अन्य आय	1,567 (44.5)	1,135 (35.9)	48.9	-27.6
बी. व्यय (i + ii + iii)	**3,293 (100.0)**	**3,367 (100.0)**	**-5.0**	**2.3**
i. व्ययकृत ब्याज	1,676 (50.9)	1,668 (49.5)	-1.5	-0.5
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	1,014 (30.8)	873 (25.9)	-4.9	-13.9
iii. परिचालन व्यय	603 (18.3)	827 (24.5)	-13.7	37.1
जिसमें से : वेतन बिल	228 (6.9)	230 (6.8)	-53.7	0.6
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	1,246	672	160.7	-46.0
ii. निवल लाभ	231	-201		

अ: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल आय/व्यय के अनुपात (प्रतिशत में) हैं।

2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डेटा 608 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 607 के संबंध में उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डेटा 609 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 608 के संबंध में उपलब्ध है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.14 : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2023	2024[अ]	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i + ii + iii)	**6,371**	**6,144**	**-5.9**	**-3.6**
i. अवमानक	2,552 (40.1)	2,408 (39.2)	-12.8	-5.6
ii. संदिग्ध	3,784 (59.4)	3,635 (59.2)	-0.7	-3.9
iii. हानि	36 (0.6)	101 (1.6)	17.9	181.4
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	**39.7**	**38.6**		
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)*	**39.1**	**43.1**		

अ: अनंतिम।

*: वित्तीय वर्ष के लिए वसूली (संबंधी डेटा) 30 जून तक के लिए है।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल एनपीए के अनुपात हैं।

2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डेटा 608 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 607 के संबंध में उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डेटा 609 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 608 के संबंध में उपलब्ध है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.15: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतक

(राशि ₹ लाख में)

राज्य	2022-23				2023-24अ				ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)		मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%) *	
	लाभ		हानि		लाभ		हानि					
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	2023	2024अ	2023	2024अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी क्षेत्र	**102**	**35,310**	**42**	**13,611**	**34**	**1,781**	**110**	**31,432**	**70.8**	**71.5**	**16.5**	**11.1**
हरियाणा	0	-	19	6,878	0	-	19	16,601	86.5	81.5	12.2	6.4
हिमाचल प्रदेश	0	-	1	164	1	17	0	-	31.8	29.8	53.6	55.3
पंजाब	87	34,866	2	97	22	1,487	67	8,543	84.0	89.1	13.5	10.3
राजस्थान	15	444	20	6,472	11	276	24	6,288	35.8	38.5	31.3	20.5
मध्य क्षेत्र	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वी क्षेत्र	**8**	**2,630**	**16**	**3,896**	**8**	**2,083**	**16**	**3,826**	**34.2**	**33.7**	**36.2**	**37.0**
ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	8	2,630	16	3,896	8	2,083	16	3,826	34.2	33.7	36.2	37.0
पश्चिमी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दक्षिणी क्षेत्र	**242**	**15,530**	**197**	**12,842**	**303**	**18,177**	**137**	**6,850**	**29.2**	**28.1**	**64.4**	**73.0**
कर्नाटक	56	1,997	126	8,386	128	10,947	55	2,259	19.9	15.5	58.5	80.1
केरल	60	9,357	17	3,518	48	5,407	29	3,780	33.6	33.5	63.6	62.6
तमिलनाडु	126	4,176	54	939	127	1,822	53	811	12.5	11.7	80.5	95.6
अखिल भारत	**352**	**53,470**	**255**	**30,349**	**345**	**22,040**	**263**	**42,108**	**39.7**	**38.6**	**39.1**	**43.1**

अ – अनंतिम।

*: वित्तीय वर्ष के लिए वसूली (संबंधी डेटा) 30 जून तक के लिए है।

-: लागू नहीं।

टिप्पणियाँ: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डेटा 608 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 607 के संबंध में उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डेटा 609 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 608 के संबंध में उपलब्ध है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी VI.1: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2023 के अंत मे	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत अंतर 2024-25
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. शेयर पूंजी	1,26,078	1,45,110	1,49,415	1,50,740	3.0
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	8,55,926	10,50,737	12,46,845	13,17,421	18.7
3. जनता की जमाराशियां	84,975	1,02,959	1,21,178	1,31,730	17.7
4. कुल उधार (ए+बी)	29,79,316	34,66,283	41,81,214	44,99,426	20.6
ए. जमानती उधार	17,51,419	20,30,531	24,27,962	26,30,052	19.6
ए.1. डिबेंचर	6,22,812	6,69,362	7,84,570	8,90,440	17.2
ए.2. बैंकों से उधार	9,07,622	10,76,863	12,39,858	12,91,793	15.1
ए.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	76,426	99,442	1,18,061	1,17,728	18.7
ए.4. अर्जित ब्याज	15,246	17,033	16,072	15,935	-5.6
ए.5. अन्य	1,29,314	1,67,831	2,69,401	3,14,157	60.5
बी. गैर-जमानती उधार	12,27,897	14,35,753	17,53,252	18,69,374	22.1
बी.1. डिबेंचर	4,84,713	5,63,638	6,92,128	7,29,784	22.8
बी.2. बैंकों से उधार	2,18,426	2,61,226	3,16,790	3,67,708	21.3
बी.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	13,149	17,715	22,138	27,131	25.0
बी.4. रिश्तेदारों से उधार	2,380	2,606	2,675	3,341	2.6
बी.5. अंतर-कॉरपोरेट उधार	99,564	1,05,415	1,37,537	1,59,401	30.5
बी.6. वाणिज्यिक पत्र	83,620	1,05,439	1,35,232	1,56,199	28.3
बी.7. अर्जित ब्याज	17,659	21,049	23,360	26,075	11.0
बी.8. अन्य	3,08,386	3,58,665	4,23,392	3,99,735	18.0
5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3,42,634	3,74,381	4,10,474	4,51,840	9.6
कुल देयताएं/ कुल आस्ति	**43,88,930**	**51,39,470**	**61,09,126**	**65,51,157**	**18.9**
1. ऋण और अग्रिम	34,13,804	40,52,732	48,38,744	52,05,544	19.4
1.1. जमानती	23,72,459	30,79,982	36,76,488	39,37,921	19.4
1.2. गैर-जमानती	10,41,346	9,72,750	11,62,256	12,67,622	19.5
2. निवेश	5,33,421	6,66,796	7,84,621	8,18,990	17.7
2.1. सरकारी प्रतिभूतियां	91,855	1,23,248	1,54,915	1,71,401	25.7
2.2. इक्विटी शेयर	2,82,786	3,81,704	4,13,127	3,86,412	8.2
2.3. अधिमानी शेयर	7,081	8,609	9,045	9,209	5.1
2.4. डिबेंचर और बॉण्ड	33,169	37,842	57,175	59,525	51.1
2.5. म्यूचुअल फंड के यूनिट	66,196	57,142	76,431	1,10,121	33.8
2.6. वाणिज्यिक पत्र	1,177	2,571	3,056	5,583	18.9
2.7. अन्य निवेश	51,158	55,680	70,873	76,739	27.3
3. नकद और बैंक जमा शेष	1,72,105	1,73,559	2,30,508	2,41,021	32.8
जिनमें से:					
3.1. हाथ में नकदी	6,411	6,627	6,630	24,563	0.0
3.2. बैंकों के पास जमाराशियां	1,52,967	1,51,879	2,06,279	1,99,269	35.8
4. अन्य	2,69,600	2,46,383	2,55,254	2,85,602	3.6
मेमो मद					
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)	3,08,043	4,18,225	4,52,137	4,65,880	8.1
जिनमें से: इक्विटी शेयर	2,02,727	2,85,273	3,03,694	2,94,724	6.5
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	7.0	8.1	7.4	7.1	
3. लीवरेज अनुपात	4.4	4.2	4.2	4.3	

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।

3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज़ पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.2: एनबीएफसी-यूएल का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत अंतर 2024-25
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	7,344	9,034	11,364	12,033	25.8
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	1,91,938	2,45,188	3,20,180	3,74,484	30.6
3. जनता की जमाराशियां	64,797	83,102	1,00,653	1,10,124	21.1
4. कुल उधार (ए+बी)	7,48,506	9,53,405	12,66,934	14,06,062	32.9
ए. जमानती उधार	6,40,877	8,17,360	10,98,280	12,27,822	34.4
ए.1. डिबेंचर	2,13,684	2,56,627	3,27,297	4,01,149	27.5
ए.2. बैंकों से उधार	3,18,979	4,08,471	5,25,861	5,74,256	28.7
ए.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	30,005	44,041	54,128	53,045	22.9
ए.4. अर्जित ब्याज	6,165	8,229	8,014	7,706	-2.6
ए.5. अन्य	72,044	99,992	1,82,980	1,91,667	83.0
बी. गैर-जमानती उधार	1,07,630	1,36,045	1,68,654	1,78,240	24.0
बी.1. डिबेंचर	11,731	14,817	19,510	19,607	31.7
बी.2. बैंकों से उधार	6,218	4,602	6,428	5,553	39.7
बी.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	-	-	2,405	2,287	-
बी.4. रिश्तेदारों से उधार	615	700	523	917	-25.2
बी.5. अंतर-कॉरपोरेट उधार	21,059	25,589	31,420	30,989	22.8
बी.6. वाणिज्यिक पत्र	39,550	54,146	61,305	71,165	13.2
बी.7. अर्जित ब्याज	1,889	2,569	1,412	1,036	-45.0
बी.8. अन्य	26,568	33,622	45,651	46,686	35.8
5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	58,463	68,793	82,859	96,157	20.4
कुल देयताएं/ कुल आस्ति	**10,71,050**	**13,59,521**	**17,81,991**	**19,98,860**	**31.1**
1. ऋण और अग्रिम	9,18,302	11,85,621	15,16,011	17,16,579	27.9
1.1. जमानती	6,91,720	8,95,934	11,47,665	13,01,275	28.1
1.2. गैर-जमानती	2,26,582	2,89,688	3,68,346	4,15,304	27.2
2. निवेश	75,479	95,189	1,35,253	1,53,493	42.1
2.1. सरकारी प्रतिभूतियां	37,465	50,634	57,222	62,993	13.0
2.2. इक्विटी शेयर	14,195	21,454	31,741	39,631	47.9
2.3. अधिमानी शेयर	114	35	153	464	342.1
2.4. डिबेंचर और बॉण्ड	1,608	1,634	11,735	11,947	618.4
2.5. म्यूचुअल फंड के यूनिट	10,567	7,116	8,420	8,057	18.3
2.6. वाणिज्यिक पत्र	691	1,005	1,520	2,197	51.3
2.7. अन्य निवेश	10,838	13,312	24,462	28,205	83.8
3. नकद और बैंक जमा शेष	46,946	43,228	80,973	65,829	87.3
जिनमें से:					
3.1. हाथ में नकदी	673	853	2,219	2,225	160.3
3.2. बैंकों के पास जमाराशियां	44,046	38,463	76,460	61,625	98.8
4. अन्य	30,323	35,483	49,754	62,959	40.2
मेमो मद					
1. पूंजी बाजार एक्सपोज़र (सीएमई)	41,880	65,650	77,271	90,719	17.7
जिनमें से: इक्विटी शेयर	4,105	9,929	24,325	25,494	145.0
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	3.9	4.8	4.3	4.5	
3. लीवरेज अनुपात	4.8	4.7	4.6	4.5	

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।

3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज़ पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.3: एनबीएफसी-एमएल का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत अंतर 2024-25
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	1,18,734	1,36,076	1,38,050	1,38,706	1.5
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	6,63,988	8,05,549	9,26,665	9,42,937	15.0
3. जनता की जमाराशियां	20,178	19,858	20,525	21,607	3.4
4. कुल उधार (ए+बी)	22,30,810	25,12,878	29,14,280	30,93,364	16.0
ए. जमानती उधार	11,10,542	12,13,171	13,29,682	14,02,230	9.6
ए.1. डिबेंचर	4,09,128	4,12,734	4,57,273	4,89,291	10.8
ए.2. बैंकों से उधार	5,88,642	6,68,392	7,13,997	7,17,537	6.8
ए.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	46,422	55,401	63,933	64,683	15.4
ए.4. अर्जित ब्याज	9,081	8,804	8,058	8,229	-8.5
ए.5. अन्य	57,270	67,839	86,421	1,22,490	27.4
बी. गैर-जमानती उधार	11,20,267	12,99,708	15,84,598	16,91,134	21.9
बी.1. डिबेंचर	4,72,982	5,48,821	6,72,617	7,10,177	22.6
बी.2. बैंकों से उधार	2,12,209	2,56,623	3,10,362	3,62,156	20.9
बी.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	13,149	17,715	19,733	24,844	11.4
बी.4. रिश्तेदारों से उधार	1,765	1,907	2,152	2,423	12.8
बी.5. अंतर-कॉरपोरेट उधार	78,504	79,826	1,06,117	1,28,412	32.9
बी.6. वाणिज्यिक पत्र	44,070	51,293	73,928	85,034	44.1
बी.7. अर्जित ब्याज	15,770	18,480	21,948	25,040	18.8
बी.8. अन्य	2,81,818	3,25,043	3,77,741	3,53,048	16.2
5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	2,84,171	3,05,588	3,27,615	3,55,683	7.2
कुल देयताएं/कुल आस्ति	**33,17,880**	**37,79,949**	**43,27,135**	**45,52,297**	**14.5**
1. ऋण और अग्रिम	24,95,502	28,67,111	33,22,733	34,88,965	15.9
1.1. जमानती	16,80,739	21,84,049	25,28,823	26,36,646	15.8
1.2. गैर-जमानती	8,14,763	6,83,063	7,93,910	8,52,319	16.2
2. निवेश	4,57,942	5,71,606	6,49,368	6,65,497	13.6
2.1. सरकारी प्रतिभूतियां	54,390	72,614	97,693	1,08,408	34.5
2.2. इक्विटी शेयर	2,68,591	3,60,250	3,81,385	3,46,781	5.9
2.3. अधिमानी शेयर	6,967	8,574	8,892	8,745	3.7
2.4. डिबेंचर और बॉण्ड	31,561	36,209	45,440	47,578	25.5
2.5. म्यूचुअल फंड के यूनिट	55,629	50,026	68,011	1,02,065	35.9
2.6. वाणिज्यिक पत्र	485	1,566	1,536	3,387	-1.9
2.7. अन्य निवेश	40,319	42,368	46,411	48,534	9.5
3. नकद और बैंक जमा शेष	1,25,159	1,30,332	1,49,535	1,75,192	14.7
जिनमें से:					
3.1. हाथ में नकदी	5,738	5,774	4,410	22,338	-23.6
3.2. बैंकों के पास जमाराशियां	1,08,921	1,13,416	1,29,819	1,37,645	14.5
4. अन्य	2,39,276	2,10,900	2,05,499	2,22,643	-2.6
मेमो मद					
1. पूंजी बाजार एक्सपोज़र (सीएमई)	2,66,164	3,52,575	3,74,866	3,75,160	6.3
जिनमें से: इक्विटी शेयर	1,98,622	2,75,344	2,79,369	2,69,230	1.5
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	8.0	9.3	8.7	8.2	
3. लीवरेज अनुपात	4.3	4.0	4.0	4.2	

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।

3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज़ पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.4: एनबीएफसी-डी का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत अंतर 2024-25
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	7,921	8,040	8,522	9,013	6.0
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	1,26,012	1,55,218	1,82,854	1,97,267	17.8
3. जनता की जमाराशियां	84,975	1,02,959	1,21,178	1,31,730	17.7
4. कुल उधार (ए+बी)	3,64,421	4,57,042	5,67,983	5,85,471	24.3
ए. जमानती उधार	3,05,566	3,81,475	4,83,267	5,02,411	26.7
ए.1. डिबेंचर	1,09,230	1,25,051	1,56,143	1,80,688	24.9
ए.2. बैंकों से उधार	1,29,707	1,71,615	1,83,932	1,98,150	7.2
ए.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	9,593	10,835	21,929	19,432	102.4
ए.4. अर्जित ब्याज	2,656	3,294	1,248	989	-62.1
ए.5. अन्य	54,381	70,679	1,20,014	1,03,152	69.8
बी. गैर-जमानती उधार	58,854	75,567	84,717	83,060	12.1
बी.1. डिबेंचर	7,553	7,902	8,431	8,914	6.7
बी.2. बैंकों से उधार	905	652	1,450	1,000	122.2
बी.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	-	-	2,405	2,342	-
बी.4. रिश्तेदारों से उधार	26	29	26	22	-9.7
बी.5. अंतर-कॉरपोरेट उधार	18,105	23,090	29,968	29,555	29.8
बी.6. वाणिज्यिक पत्र	16,589	27,682	28,256	27,387	2.1
बी.7. अर्जित ब्याज	1,472	1,711	420	345	-75.5
बी.8. अन्य	14,205	14,501	13,761	13,494	-5.1
5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	73,324	81,691	90,773	1,01,251	11.1
कुल देयताएं/कुल आस्ति	**6,56,653**	**8,04,950**	**9,71,310**	**10,24,732**	**20.7**
1. ऋण और अग्रिम	5,52,514	6,86,249	8,14,170	8,74,482	18.6
1.1. जमानती	4,22,323	4,83,119	5,67,022	5,97,425	17.4
1.2. गैर-जमानती	1,30,191	2,03,130	2,47,148	2,77,057	21.7
2. निवेश	57,492	69,131	83,016	83,073	20.1
2.1. सरकारी प्रतिभूतियां	30,006	40,202	42,141	46,999	4.8
2.2. इक्विटी शेयर	15,439	16,516	16,958	21,275	2.7
2.3. अधिमानी शेयर	67	6	6	6	-
2.4. डिबेंचर और बॉण्ड	335	218	980	1055	348.8
2.5. म्यूचुअल फंड के यूनिट	6,376	3,765	5,900	4,073	56.7
2.6. वाणिज्यिक पत्र	705	1,736	1,881	2,585	8.4
2.7. अन्य निवेश	4,564	6,688	15,150	7,081	126.5
3. नकद और बैंक जमा शेष	28,982	28,410	46,517	36,216	63.7
जिनमें से:					
3.1. हाथ में नकदी	607	1,086	2,132	369	96.3
3.2. बैंकों के पास जमाराशियां	26,398	23,247	44,070	35,661	89.6
4. अन्य	17,665	21,159	27,607	30,961	30.5
मेमो मद					
1. पूंजी बाजार एक्सपोज़र (सीएमई)	26,409	38,919	36,411	41,099	-6.4
जिनमें से: इक्विटी शेयर	2,283	3,769	12,914	15,118	242.6
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	4.0	4.8	3.7	4.0	
3. लीवरेज अनुपात	4.3	4.3	4.4	4.4	

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।

3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज़ पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.5: एनबीएफसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत अंतर 2024-25
1	2	3	4	5	6
सकल अग्रिम (1 से 5)	**34,13,804**	**40,52,732**	**48,38,744**	**52,05,544**	**19.4**
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	**60,717**	**84,712**	**82,059**	**87,840**	**-3.1**
2. उद्योग (2.1 से 2.2, 2.ए से 2.डी के बराबर है)	**17,36,685**	**19,37,033**	**22,91,605**	**23,94,110**	**18.3**
2.1 बिजली	9,40,408	11,26,554	12,85,589	13,21,790	14.1
2.2 अन्य	7,96,277	8,10,479	10,06,016	10,72,320	24.1
कुल 2.ए से 2.डी	17,36,685	19,37,032	22,91,605	23,94,110	18.3
2.ए सूक्ष्म और लघु	89,931	1,03,138	1,25,723	1,41,181	21.9
2.बी मध्यम	19,479	21,297	23,510	25,251	10.4
2.सी बड़ा	10,27,341	12,37,653	13,96,438	14,49,186	12.8
2.डी अन्य	5,99,934	5,74,944	7,45,934	7,78,493	29.7
3. सेवाएं (3.1 से 3.10, 3.ए से 3.डी के बराबर है)	**4,52,917**	**5,73,198**	**7,44,181**	**8,01,470**	**29.8**
3.1 परिवहन ऑपरेटर	1,02,886	1,32,778	1,61,937	1,66,426	22.0
3.2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,110	3,083	3,534	4,488	14.6
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	7,547	7,451	10,927	12,869	46.6
3.4 शिपिंग	185	273	192	198	-29.5
3.5 व्यावसायिक सेवाएँ	23,665	25,402	33,698	43,103	32.7
3.6 व्यापार	70,448	95,149	1,27,923	1,33,648	34.4
3.6.1 थोक व्यापार (खाद्य खरीद के अलावा)	10,754	16,156	24,837	26,964	53.7
3.6.2 खुदरा व्यापार	59,693	78,993	1,03,086	1,06,684	30.5
3.7 वाणिज्यिक रियल एस्टेट	81,911	89,809	95,624	1,01,664	6.5
3.8 एनबीएफसी	48,024	60,899	70,712	72,146	16.1
3.9 विमानन	826	503	458	615	-9.0
3.10 अन्य सेवाएं	1,15,316	1,57,853	2,39,178	2,66,313	51.5
कुल 3.ए से 3.डी	**4,52,917**	**5,73,198**	**7,44,181**	**8,01,470**	**29.8**
3.ए सूक्ष्म और लघु	1,33,000	2,11,865	3,01,830	3,31,232	42.5
3.बी मध्यम	20,332	29,100	26,329	28,351	-9.5
3.सी बड़ा	78,526	81,914	1,16,965	1,20,865	42.8
3.डी अन्य	2,21,058	2,50,320	2,99,057	3,21,022	19.5
4. खुदरा ऋण (4.1 से 4.10)	**10,48,337**	**13,82,146**	**16,31,900**	**18,38,897**	**18.1**
4.1 आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	32,172	33,822	46,392	71,219	37.2
4.2 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	31,541	40,957	48,379	55,460	18.1
4.3 क्रेडिट कार्ड प्राप्य	44,007	55,736	61,781	66,272	10.8
4.4 वाहन/ऑटो ऋण	3,82,320	4,77,135	5,71,954	6,11,714	19.9
4.5 शिक्षा ऋण	25,324	45,026	63,551	73,099	41.1
4.6 फिक्स्ड डिपॉजिट पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी), आदि सहित)	215	153	191	237	24.3
4.7 शेयर, बॉण्ड आदि पर व्यक्तियों को अग्रिम	13,389	21,814	26,488	30,070	21.4
4.8 सोने पर व्यक्तियों को अग्रिम	1,29,787	1,54,315	2,08,482	2,61,728	35.1
4.9 माइक्रो फाइनेंस ऋण/एसएचजी ऋण	1,16,707	1,50,750	1,33,186	1,24,089	-11.7
4.10 अन्य खुदरा ऋण	2,72,875	4,02,437	4,71,497	5,45,009	17.2
5. अन्य	**1,15,149**	**75,643**	**88,998**	**83,227**	**17.7**

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।

3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज़ पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.6: एनबीएफसी-यूएल का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़)

मद	2022-23	2023-24	2024-25	एच1:2025-26
1	2	3	4	5
ए. कुल आय	**1,41,310**	**1,82,115**	**2,38,342**	**1,42,597**
जिनमें से: (i) निधि आधारित आय	1,32,676	1,71,480	2,26,220	1,33,048
	(93.9)	(94.2)	(94.9)	(93.3)
(ii) शुल्क आधारित आय	2,424	4,219	5,264	3,161
	(1.7)	(2.3)	(2.2)	(2.2)
बी. व्यय	**1,02,181**	**1,30,395**	**1,74,008**	**1,06,522**
(i) वित्तीय व्यय	52,579	72,748	97,952	59,104
	(51.5)	(55.8)	(56.3)	(55.5)
जिनमें से: ब्याज भुगतान	29,132	42,930	59,696	36,313
	(28.5)	(32.9)	(34.3)	(34.1)
(ii) परिचालन व्यय	30,588	37,349	46,287	26,204
	(29.9)	(28.6)	(26.6)	(24.6)
(iii) अन्य	19,014	20,298	29,769	21,214
	(18.6)	(15.6)	(17.1)	(19.9)
सी. कर प्रावधान	**10,373**	**13,102**	**15,460**	**9,063**
डी. कर पूर्व लाभ	**39,129**	**51,720**	**64,334**	**36,075**
ई. निवल लाभ	**28,756**	**38,618**	**48,873**	**27,012**
एफ. कुल आस्ति	**10,71,050**	**13,59,521**	**17,81,991**	**19,98,860**
जी. वित्तीय अनुपात (कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में)				
(i) आय	13.2	13.4	13.4	14.3
(ii) निधि आय	12.4	12.6	12.7	13.3
(iii) शुल्क आय	0.2	0.3	0.3	0.3
(iv) व्यय	9.5	9.6	9.8	10.7
(v) वित्तीय व्यय	4.9	5.4	5.5	5.9
(vi) परिचालन व्यय	2.9	2.8	2.6	2.6
(vii) कर प्रावधान	1.0	1.0	0.9	0.9
(viii) निवल लाभ	2.7	2.8	2.7	2.7
एच. लागत की तुलना में आय अनुपात (प्रतिशत)	**55.9**	**52.7**	**54.2**	**56.8**

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

लागत की तुलना में आय अनुपात = (कुल व्यय-ब्याज व्यय)/ (कुल आय-ब्याज व्यय) *100।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।
3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज़ पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।
4. कोष्ठक में आंकड़े संबंधित कुल (प्रतिशत में) का हिस्सा हैं।
5. एच1:2025-26 के लिए वित्तीय अनुपातों का वार्षिककरण किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.7: एनबीएफसी-एमएल का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़)

मद	2022-23	2023-24	2024-25	एच1: 2025-26
1	2	3	4	5
ए. कुल आय	**3,27,070**	**4,11,632**	**4,47,203**	**2,45,836**
जिनमें से: (i) निधि आधारित आय	2,83,262	3,77,011	4,12,886	2,26,312
	(86.6)	(91.6)	(92.3)	(92.1)
(ii) शुल्क आधारित आय	14,646	19,093	21,106	12,242
	(4.5)	(4.6)	(4.7)	(5.0)
बी. व्यय	**2,32,665**	**2,84,049**	**3,41,343**	**1,80,446**
(i) वित्तीय व्यय	1,41,426	1,70,805	2,07,326	1,12,702
	(60.8)	(60.1)	(60.7)	(62.5)
जिनमें से: ब्याज भुगतान	72,915	96,303	1,00,928	52,023
	(31.3)	(33.9)	(29.6)	(28.8)
(ii) परिचालन व्यय	48,333	60,318	70,617	40,445
	(20.8)	(21.2)	(20.7)	(22.4)
(iii) अन्य	42,906	52,926	63,400	27,299
	(18.4)	(18.6)	(18.6)	(15.1)
सी. कर प्रावधान	**15,357**	**25,242**	**22,448**	**12,432**
डी. कर पूर्व लाभ	**94,405**	**1,27,583**	**1,05,860**	**65,390**
ई. निवल लाभ	**79,047**	**1,02,341**	**83,412**	**52,958**
एफ. कुल आस्ति	**33,17,880**	**37,79,949**	**43,27,135**	**45,52,297**
जी. वित्तीय अनुपात (कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में)				
(i) आय	9.9	10.9	10.3	10.8
(ii) निधि आय	8.5	10.0	9.5	9.9
(iii) शुल्क आय	0.4	0.5	0.5	0.5
(iv) व्यय	7.0	7.5	7.9	7.9
(v) वित्तीय व्यय	4.3	4.5	4.8	5.0
(vi) परिचालन व्यय	1.5	1.6	1.6	1.8
(vii) कर प्रावधान	0.5	0.7	0.5	0.5
(viii) निवल लाभ	2.4	2.7	1.9	2.3
एच. लागत की तुलना में आय अनुपात (प्रतिशत)	**49.2**	**47.1**	**55.9**	**50.9**

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

लागत की तुलना में आय अनुपात = (कुल व्यय-ब्याज व्यय)/ (कुल आय-ब्याज व्यय) *100।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।
3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज़ पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।
4. कोष्ठक में आंकड़े संबंधित कुल (प्रतिशत में) का हिस्सा हैं।
5. एच1:2025-26 के लिए वित्तीय अनुपातों का वार्षिककरण किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.8: वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(जारी)*

(₹ करोड़)

संस्था	ऋण*							
	2023-24		2024-25		एच1:2024-25		एच1:2025-26	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 5)	**9,58,204**	**8,73,610**	**9,61,614**	**8,76,084**	**3,73,911**	**2,89,242**	**3,60,509**	**3,18,540**
1. नाबार्ड	4,42,156	4,36,033	4,52,474	4,48,488	1,65,768	1,05,670	96,669	1,32,766
2. सिडबी	3,02,581	2,94,942	2,45,980	2,35,243	1,13,520	1,14,244	1,19,742	1,15,015
3. एक्जिम बैंक	91,672	84,696	1,17,771	1,20,922	46,180	41,910	46,488	47,612
4. एनएचबी@	38,738	32,103	44,327	33,369	17,713	12,745	33,135	7,084
5. एनएबीएफआईडी	83,057	25,836	1,01,063	38,062	30,729	14,672	64,475	16,062
बी. विशिष्ट वित्तीय संस्थान (6, 7 और 8)	**1,364**	**763**	**1,599**	**915**	**943**	**423**	**1,004**	**472**
6. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आईसीआईसीआई उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
8. टीएफसीआई	1,364	763	1,599	915	943	423	1,004	472
सी. निवेश संस्थान (9 और 10)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. एलआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
10. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
डी. वित्तीय संस्थान (ए + बी + सी)	**9,59,568**	**8,74,372**	**9,63,213**	**8,76,999**	**3,74,854**	**2,89,665**	**3,61,513**	**3,19,012**
ई. राज्य स्तरीय संस्थान (11 और 12)	**6,966**	**7,231**	**7,771**	**7,113**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. एसएफसी^	6,966	7,231	7,771	7,113	-	-	-	-
12. एसआईडीसी	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ. सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	**9,66,534**	**8,81,603**	**9,70,984**	**8,84,112**	**3,74,854**	**2,89,665**	**3,61,513**	**3,19,012**

एस: स्वीकृत। डी: संवितरण। -: शून्य या उपलब्ध नहीं है या सार्थक नहीं है।

* : ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ : एनएचबी डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।

: अन्य में गारंटी शामिल है।

^ : स्वीकृति संबंधी डेटा पाँच एसएफसी से संबंधित है और संवितरण संबंधी डेटा छह एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।

2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी VI.8: वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(जारी)*

(₹ करोड़)

संस्था	हामीदारी और प्रत्यक्ष सदस्यता							
	2023-24		2024-25		एच1:2024-25		एच1:2025-26	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 5)	**-**	**-**	**76**	**91**	**-**	**-**	**2**	**5**
1. नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
2. सिडबी	-	-	-	15	-	-	-	3
3. एक्जिम बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
4. एनएचबी@	-	-	-	-	-	-	-	-
5. एनएबीएफआईडी	-	-	76	76	-	-	2	2
बी. विशिष्ट वित्तीय संस्थान (6, 7 और 8)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आईसीआईसीआई उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
8. टीएफसीआई	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. निवेश संस्थान (9 और 10)	**1,66,525**	**78,584**	**1,67,420**	**78,311**	**83,050**	**33,177**	**32,400**	**20,444**
9. एलआईसी	1,66,525	78,584	1,67,420	78,311	83,050	33,177	32,400	20,444
10. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
डी. वित्तीय संस्थान (ए + बी + सी)	**1,66,525**	**78,584**	**1,67,496**	**78,402**	**83,050**	**33,177**	**32,402**	**20,449**
ई. राज्य स्तरीय संस्थान (11 और 12)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. एसएफसी^	-	-	-	-	-	-	-	-
12. एसआईडीसी	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ. सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	**1,66,525**	**78,584**	**1,67,496**	**78,402**	**83,050**	**33,177**	**32,402**	**20,449**

एस: स्वीकृत। डी: संवितरण। -: शून्य या उपलब्ध नहीं है या सार्थक नहीं है।

* : ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ : एनएचबी डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।

: अन्य में गारंटी शामिल है।

^ : स्वीकृति संबंधी डेटा पाँच एसएफसी से संबंधित है और संवितरण संबंधी डेटा छह एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।

2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी VI.8: वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(जारी)*

(₹ करोड़)

संस्था	अन्य#							
	2023-24		2024-25		एच1:2024-25		एच1:2025-26	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 5)	**15,364**	**5,335**	**22,581**	**8,304**	**10,726**	**1,733**	**10,785**	**3,470**
1. नाबार्ड	493	551	345	556	83	127	225	283
2. सिडबी	9	-	9	-	2	-	22	-
3. एक्जिम बैंक	14,640	4,377	22,101	7,350	10,616	1,498	10,538	2,809
4. एनएचबी@	-	-	-	-	-	-	-	-
5. एनएबीएफआईडी	222	407	126	398	26	108	-	378
बी. विशिष्ट वित्तीय संस्थान (6, 7 और 8)	**90**	**90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115**	**53**
6. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आईसीआईसीआई उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
8. टीएफसीआई	90	90	-	-	-	-	115	53
सी. निवेश संस्थान (9 और 10)	**-**	**245**	**1,113**	**716**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. एलआईसी	-	245	1,113	716	-	-	-	-
10. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
डी. वित्तीय संस्थान (ए + बी + सी)	**15,454**	**5,670**	**23,693**	**9,020**	**10,726**	**1,733**	**10,900**	**3,523**
ई. राज्य स्तरीय संस्थान (11 और 12)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. एसएफसी^	-	-	-	-	-	-	-	-
12. एसआईडीसी	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ. सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	**15,454**	**5,670**	**23,693**	**9,020**	**10,726**	**1,733**	**10,900**	**3,523**

एस: स्वीकृत। डी: संवितरण। -: शून्य या उपलब्ध नहीं है या सार्थक नहीं है।

* : ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ : एनएचबी डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।

: अन्य में गारंटी शामिल है।

^ : स्वीकृति संबंधी डेटा पाँच एसएफसी से संबंधित है और संवितरण संबंधी डेटा छह एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।

2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी VI.8: वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(समाप्त)*

(₹ करोड़)

संस्था	कुल								प्रतिशत अंतर			
	2023-24		2024-25		एच1:2024-25		एच1:2025-26		2024-25		एच1:2025-26	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 5)	**9,73,568**	**8,78,944**	**9,84,270**	**8,84,479**	**3,84,638**	**2,90,974**	**3,71,296**	**3,22,014**	**1.1**	**0.6**	**-3.5**	**10.7**
1. नाबार्ड	4,42,649	4,36,584	4,52,819	4,49,044	1,65,851	1,05,797	96,894	1,33,049	2.3	2.9	-41.6	25.8
2. सिडबी	3,02,590	2,94,942	2,45,989	2,35,258	1,13,522	1,14,244	1,19,765	1,15,018	-18.7	-20.2	5.5	0.7
3. एक्जिम बैंक	1,06,312	89,073	1,39,871	1,28,272	56,796	43,407	57,026	50,421	31.6	44.0	0.4	16.2
4. एनएचबी@	38,738	32,103	44,327	33,369	17,713	12,745	33,135	7,084	14.4	3.9	87.1	-44.4
5. एनएबीएफआईडी	83,280	26,243	1,01,265	38,535	30,756	14,780	64,476	16,442	21.6	46.8	109.6	11.2
बी. विशिष्ट वित्तीय संस्थान (6, 7 और 8)	**1,454**	**853**	**1,599**	**915**	**943**	**423**	**1,119**	**525**	**10.0**	**7.3**	**18.7**	**24.0**
6. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आईसीआईसीआई उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. टीएफसीआई	1,454	853	1,599	915	943	423	1,119	525	10.0	7.3	18.7	24.0
सी. निवेश संस्थान (9 और 10)	**1,66,525**	**78,829**	**1,68,533**	**79,027**	**83,050**	**33,177**	**32,400**	**20,444**	**1.2**	**0.3**	**-61.0**	**-38.4**
9. एलआईसी	1,66,525	78,829	1,68,533	79,027	83,050	33,177	32,400	20,444	1.2	0.3	-61.0	-38.4
10. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी. वित्तीय संस्थान (ए + बी + सी)	**11,41,547**	**9,58,626**	**11,54,402**	**9,64,421**	**4,68,630**	**3,24,574**	**4,04,814**	**3,42,983**	**1.1**	**0.6**	**-13.6**	**5.7**
ई. राज्य स्तरीय संस्थान (11 और 12)	**6,966**	**7,231**	**7,771**	**7,113**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.6**	**-1.6**	**-**	**-**
11. एसएफसी^	6,966	7,231	7,771	7,113	-	-	-	-	11.6	-1.6	-	-
12. एसआईडीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ. सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	**11,48,513**	**9,65,857**	**11,62,173**	**9,71,534**	**4,68,630**	**3,24,574**	**4,04,814**	**3,42,983**	**1.2**	**0.6**	**-13.6**	**5.7**

एस: स्वीकृत। डी: संवितरण। -: शून्य या उपलब्ध नहीं है या सार्थक नहीं है।

* : ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ : एनएचबी डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।

: अन्य में गारंटी शामिल है।

^ : स्वीकृति संबंधी डेटा पाँच एसएफसी से संबंधित है और संवितरण संबंधी डेटा छह एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।

2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी VI.9: एकल प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़)

क्रम संख्या	प्राथमिक व्यापारियों का नाम	वर्ष	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ	निवल-मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			ब्याज आय (छूट आय सहित)	व्यापार लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमिटेड	2023-24	1,041	139	2	1,182	944	43	987	266	198	22.4
		2024-25	1,127	217	2	1,346	987	53	1,040	341	254	23.3
		एच1:2025-26	596	21	1	618	470	26	496	54	39	6.4
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	2023-24	1,378	44	8	1,430	1,226	41	1,267	242	180	12.0
		2024-25	1,675	124	6	1,805	1,472	58	1,530	443	331	18.6
		एच1:2025-26	891	26	6	923	688	33	721	173	127	12.6
3	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड	2023-24	2,110	312	26	2,448	1,871	172	2,043	586	437	25.4
		2024-25	2,376	418	35	2,829	2,120	191	2,311	719	536	27.6
		एच1:2025-26	1,367	305	21	1,693	1,085	101	1,186	552	412	38.9
4	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	2023-24	1,518	-48	8	1,478	1,411	66	1,477	99	70	5.4
		2024-25	1,512	75	12	1,599	1,312	55	1,368	311	233	16.2
		एच1:2025-26	845	73	6	924	669	38	708	159	114	14.3
5	मॉर्गन स्टेनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राइवेट लिमिटेड	2023-24	1,376	280	3	1,659	1,049	73	1,121	560	418	11.4
		2024-25	1,522	126	26	1,675	1,161	97	1,258	413	307	7.6
		एच1:2025-26	632	-104	1	529	425	51	476	248	184	8.6
6	नोमुरा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड	2023-24	615	215	2	832	519	72	590	118	88	7.4
		2024-25	1,082	184	7	1,273	896	72	968	161	121	7.7
		एच1:2025-26	786	-163	13	635	550	38	588	64	48	5.0
7	गोल्डमैन सैश (इंडिया) कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	2023-24	1,120	118	3	1,241	878	58	935	365	272	10.5
		2024-25	1,341	186	1	1,528	1,053	75	1,129	443	331	11.5
		एच1:2025-26	418	234	1	653	252	41	292	258	194	12.3
8	**कुल**	**2023-24**	**9,158**	**1,060**	**52**	**10,270**	**7,897**	**524**	**8,422**	**2,237**	**1,663**	**12.9**
		2024-25	**10,635**	**1,330**	**90**	**12,055**	**9,002**	**601**	**9,602**	**2,831**	**2,113**	**14.3**
		एच1:2025-26	**5,535**	**391**	**48**	**5,974**	**4,139**	**329**	**4,468**	**1,507**	**1,117**	**13.7**

निवल-मालियत पर प्रतिलाभ= कर पश्चात लाभ / (शेयर पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष) का औसत।

एच1:2025-26 के लिए निवल-मालियत पर प्रतिलाभ का वार्षिककरण किया गया है।

स्रोत: एसपीडी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न।

परिशिष्ट सारणी VI.10: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिन्दा वित्तीय संकेतक

(₹ करोड़)

क्रम संख्या	प्राथमिक व्यापारियों का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	एच1: 2025-26	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	एच1: 2025-26
		पूंजी निधि (टियर I + टियर II + योग्य टियर III)					सीआरएआर (प्रतिशत)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमिटेड	777	790	902	1,177	1,251	32.3	21.8	29.1	30.4	26.4
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	1,311	1,247	1,426	1,738	1,832	42.4	46.1	36.0	36.2	29.0
3	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड	1,899	1,792	1,903	2,332	2,607	47.7	42.9	26.6	31.8	26.5
4	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	1,426	1,238	1,313	1,517	1,629	66.4	31.8	34.0	42.7	43.6
5	मॉर्गन स्टेनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राइवेट लिमिटेड	2,290	3,384	3,774	4,092	4,332	58.5	88.6	69.8	50.1	52.6
6	नोमुरा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	1,068	949	1,226	1,851	1,867	49.1	43.0	33.7	40.8	36.4
7	गोल्डमैन सैश (इंडिया) कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	648	2,363	2,429	2,309	2,599	116.1	76.0	67.6	53.4	77.3
	कुल	**9,418**	**11,763**	**12,973**	**15,017**	**16,117**	**51.5**	**50.0**	**42.2**	**41.0**	**39.0**
		सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों का स्टॉक (बाजार मूल्य)					कुल आस्ति (वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का निवल)				
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमिटेड	12,958	13,575	12,034	12,177	14,202	13,659	14,862	14,971	15,793	19,774
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	9,726	13,338	17,697	20,878	21,033	12,819	17,143	22,053	25,975	26,737
3	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड	13,743	22,149	28,723	33,793	37,713	17,548	31,861	33,810	38,757	44,086
4	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	13,932	16,921	20,677	20,535	21,886	15,958	20,498	23,729	23,927	26,484
5	मॉर्गन स्टेनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राइवेट लिमिटेड	11,265	9,948	24,533	24,255	14,965	16,320	15,439	28,120	26,697	19,916
6	नोमुरा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	4,069	5,436	11,011	13,439	16,942	5,635	7,410	13,158	17,612	21,979
7	गोल्डमैन सैश (इंडिया) कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	3,468	15,491	21,853	25,257	11,891	4,730	17,952	22,826	25,668	11,742
	कुल	**69,163**	**96,859**	**1,36,527**	**1,50,334**	**1,38,632**	**86,670**	**1,25,165**	**1,58,667**	**1,74,429**	**1,70,718**

स्रोत: एसपीडी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न।